भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

विधि और न्याय मंत्रालय
Ministry of Law and Justice

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2018-19

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2018-2019

भारत सरकार
Government of India

विधि और न्याय मंत्रालय
Ministry of Law And Justice

विषय सूची

क्र.सं.	अध्याय	विषय	पृष्ठ सं.
1.		प्रस्तावना और विधि एवं न्याय मंत्रालय का संगठन	(i-ii)
2.	अध्याय – 1	विधि कार्य विभाग	1–51
3.	अध्याय – 2	विधायी विभाग	52–101
4.	अध्याय – 3	न्याय विभाग	102–127
5.	अनुबंध – I	विधि कार्य विभाग का संगठनात्मक चार्ट	128
6.	अनुबंध – II, III – IV	विधि कार्य विभाग में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का ब्योरा	129–132
7.	अनुबंध – V	आई.टी.ए.टी. में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों/ भूतपूर्व सैनिकों/ दिव्यांग जनों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या	133–134
8.	अनुबंध – VI	विधि कार्य विभाग में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडे वर्ग के सदस्यों/ भूतपूर्व सैनिकों/ दिव्यांग जनों की संख्या	135–139
9.	अनुबंध – VII	विधि कार्य विभाग में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व	140
10.	अनुबंध – VIII	अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन	141
11.	अनुबंध – IX	स्वच्छ भारत अभियान	142
12.	अनुबंध – X	विधायी विभाग का संगठनात्मक चार्ट	143
13.	अनुबंध – XI	विधायी विभाग में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों / भूतपूर्व सैनिकों/ दिव्यांग जनों की संख्या	144
14.	अनुबंध – XII	विधायी विभाग में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व	145
15.	अनुबंध – XIII	स्वच्छता ही सेवा अभियान	146
16.	अनुबंध – XIV	न्याय विभाग का संगठनात्मक चार्ट	150

प्रस्तावना

विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार का सबसे पुराना अंग है। इसकी स्थापना वर्ष 1833 में उस समय हुई थी जब ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर अधिनियम, 1833 अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम ने पहली बार विधायी शक्ति को किसी एकल प्राधिकारी, अर्थात गवर्नर जनरल की काउंसिल में निहित किया था। इस प्राधिकार के नाते और इंडियन काउंसिल अधिनियम, 1861 की धारा 22 के अधीन उसमें निहित प्राधिकार के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल ने सन् 1834 से 1920 तक देश के लिए कानून बनाए। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के लागू होने के बाद विधायी शक्ति का प्रयोग उसके अधीन गठित भारत के विधानमंडल द्वारा किया गया। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के बाद भारत सरकार अधिनियम, 1935 आया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के पारित होने के साथ भारत एक डोमिनियन बन गया और डोमिनियन विधानमंडल ने भारत (अनंतिम संविधान) आदेश, 1947 द्वारा यथा अंगीकृत भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 100 के उपबंधों के अधीन वर्ष 1947 से 1949 तक कानून बनाए। 26 जनवरी, 1950 से भारत का संविधान लागू होने के बाद विधायी शक्ति संसद में निहित है।

मंत्रालय का संगठन

विधि और न्याय मंत्रालय में विधायी विभाग, विधि कार्य विभाग और न्याय विभाग सम्मिलित हैं। जहां तक न्याय विभाग का संबंध है, उसका विवरण एक पृथक अध्याय (अध्याय–।।।) में दिया गया है।

विधि कार्य विभाग केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को विधिक सलाह देता है जबकि विधायी विभाग केन्द्रीय सरकार के प्रधान विधान के प्रारूपण का कार्य करता है।

मिशन

सरकार को दक्ष और उत्तरदायी वादकारी बनानाः

विधि शिक्षा, विधि व्यवसाय और भारतीय विधि सेवा सहित विधिक सेवाओं में विस्तार, समावेशन और उत्कृष्टता लाने के लिए भारतीय विधि व्यवस्था में सुधार करना।

विधिक पेशेवरों के सृजन की एक प्रणाली विकसित करना ताकि वे न केवल भारत के बल्कि विश्वभर के अदालती और गैर अदालती क्षेत्रों की भावी चुनौतियों का सामना कर सकें, तथा अपने सामाजिक उत्तरदायित्व और एक दृढ़ व्यावसायिक आचार नीति पर ध्यान केंद्रित करें। बारहवीं पंचवर्षीय योजना की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मुकदमों की भारी संख्या (3.3 करोड़), उसके फलस्वरूप राजकोष पर या मानवशक्ति सहित संसाधनों पर बढ़ते हुए बोझ जैसी बाधाओं को देखते हुए तथा सरकारी प्राधिकारियों को व्यापक विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए हमारे मिशन का लक्ष्य प्रशासनिक शक्ति के सुव्यवस्थित प्रवाह, विरोध के प्रबंधन, विधि का शासन लागू करने और सरकार के विभिन्न स्कंधों द्वारा निर्धारित किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद देने के लिए एक उचित विधिक ढांचा तैयार करना है।

उद्देश्य

- मंत्रालयों और विभागों द्वारा भेजे गए मामलों पर विधिक सलाह/राय देकर और उनके विधायी प्रस्तावों की जांच करके उनके कार्य संचालन में सहायता देना और सुशासन को बढ़ाना।
- भारतीय विधि सेवा में सुधार करके उसे अधिक दक्ष, अनुक्रियाशील और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना।
- केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के लिए एक वृहद ई–शासन प्रणाली विकसित करना और सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर विधि कार्य विभाग को नया रूप देना।
- मुकदमों को कम करना और विवाद समाधान के वैकल्पिक तरीकों द्वारा विवादों के समाधान को प्रोत्साहित करना।
- विधि व्यवसाय में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना और विधि शिक्षा के क्षेत्र में नवीन युग के प्रवर्तन की रूपरेखा तैयार करना।
- विधिक सुधार करना।
- इस विभाग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधिनियमों, अर्थात अधिवक्ता अधिनियम, 1961, नोटरी अधिनियम, 1952, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 और अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 को प्रभावी रूप से लागू करना।

अध्याय–1

विधि कार्य विभाग

1. कृत्य और संगठन

1.1 भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार इस विभाग को निम्नलिखित कार्य–मदों का आबंटन किया गया है:––

1. विधिक मामलों में मंत्रालयों/विभागों को सलाह देना, जिसके अंतर्गत संविधान और विधियों का निर्वचन, हस्तांतरण–लेखन और उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों में उन मामलों में, जिनमें भारत संघ एक पक्षकार है, भारत संघ की ओर से उपसंजात होने के लिए काउंसेल नियोजित करना।

2. भारत के महान्यायवादी, भारत के महासालिसिटर और राज्यों की बाबत केन्द्रीय सरकार के अन्य विधि अधिकारी, जिनकी सेवाओं का उपयोग भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा समान रूप से किया जाता है।

3. केन्द्रीय सरकार की ओर से और केन्द्रीय अभिकरण स्कीम में भाग लेने वाली राज्य सरकारों की ओर से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में मामलों का संचालन करना।

4. सिविल वादों में समनों की तामील, सिविल न्यायालयों की डिक्री के निष्पादन, भरण–पोषण के आदेशों के प्रवर्तन और भारत में मृत विदेशी व्यक्तियों की संपदाओं के प्रशासन के लिए विदेशों के साथ पारस्परिक प्रबंध।

5. भारत के संविधान के अनुच्छेद 299(1) के अधीन राष्ट्रपति की ओर से संविदाओं और संपत्ति के हस्तांतरण–पत्रों के निष्पादन के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करना तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके विरूद्ध किए गए वादों में वाद–पत्रों या लिखित कथनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करना।

6. भारतीय विधि सेवा।

7. सिविल विधि के मामलों में विदेशों के साथ संधि और करार करना।

8. विधि आयोग।

9. अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) सहित विधि व्यवसाय और उच्च न्यायालयों के समक्ष विधि व्यवसाय करने के हकदार व्यक्ति।

10. उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को बढ़ाना और उसे और अधिक शक्तियां प्रदान करना; उच्चतम न्यायालय के समक्ष विधि व्यवसाय करने के हकदार व्यक्ति; भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश।

11. नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) का प्रशासन।

12. आयकर अपीलीय अधिकरण।

विभाग को निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन का कार्य भी आबंटित किया गया हैः—

(क) अधिवक्ता अधिनियम, 1961

(ख) नोटरी अधिनियम, 1952

(ग) अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001;

इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा वाणिज्यिक अधिनियम, 2015 और नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय केंद्र अध्यादेश, 2019 को भी प्रशासित किया जा रहा है।

1.2. यह विभाग आयकर अपीलीय अधिकरण और भारत के विधि आयोग का प्रशासनिक प्रभारी भी है। यह विभाग भारतीय विधि सेवा से संबंधित सभी विषयों से भी प्रशासनिक रूप से संबद्ध है। इसके अतिरिक्त, यह विधि अधिकारियों अर्थात भारत के महान्यायवादी, भारत के महासालिसिटर और भारत के अपर महासालिसिटरों की नियुक्तियों से भी संबद्ध है। विधि के क्षेत्र में अध्ययन और शोध को बढ़ावा देने और विधि व्यवसाय में सुधार करने के लिए यह विभाग इन क्षेत्रों से जुड़े संगठनों जैसे कि भारतीय विधि संस्थान और भारतीय बार काउंसिल को सहायता अनुदान देता है।

2. संगठनात्मक ढांचा

विधि कार्य विभाग की व्यवस्था दो सोपानों में है, अर्थात् नई दिल्ली स्थित मुख्य सचिवालय और मुम्बई, कोलकाता, चेन्नै और बंगलूरु स्थित शाखा सचिवालय। कार्य की प्रकृति के हिसाब से इसके कार्यों को मोटे तौर पर दो क्षेत्रों में बांटा जा सकता है— सलाह कार्य और मुकदमा कार्य। विधि कार्य विभाग का संगठनात्मक चार्ट अनुबंध—I में दिया गया है।

(1) मुख्य सचिवालयः

(i) मुख्य सचिवालय में अधिकारियों की जो व्यवस्था है, उसके अन्तर्गत विधि सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार तथा विभिन्न स्तरों पर अन्य विधि सलाहकार हैं। विधिक सलाह देने और हस्तांतरण—लेखन से संबंधित कार्य को अधिकारियों के समूहों में विभाजित किया गया है। साधारणतः प्रत्येक समूह का प्रधान एक अपर सचिव या संयुक्त सचिव या संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार होता है, जिसकी सहायता के लिए विभिन्न स्तरों पर अन्य विधि सलाहकार होते हैं।

(ii) उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और कुछ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की ओर से मुकदमा—कार्य का संचालन केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग करता है, जिसके प्रधान इस समय अपर सचिव रैंक के एक अधिकारी हैं और उनकी सहायता के लिए एक वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता, दो अपर सरकारी अधिवक्ता, दो उप सरकारी अधिवक्ता, तीन सहायक सरकारी अधिवक्ता, एक अवर सचिव, एक अनुभाग अधिकारी और अन्य कर्मचारी हैं।

(iii) दिल्ली उच्च न्यायालय और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान पीठ) में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से मुकदमों के संबंध में कार्रवाई मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग करता है, जिसके प्रधान इस समय एक उप विधि सलाहकार हैं।

(iv) दिल्ली में अधीनस्थ न्यायालयों में मुकदमा संबंधी कार्य की देखभाल मुकदमा (निम्न न्यायालय) अनुभाग करता है, जिसके प्रधान इस समय एक सहायक विधि सलाहकार हैं।

(v) विभाग में एक विशेष प्रकोष्ठ अर्थात कार्यान्वयन प्रकोष्ठ है, जिसका कार्य विधि आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वियन तथा अधिवक्ता अधिनियम,1961 और अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2015 के प्रशासन से संबंधित कार्य करना है। यह विधि व्यवसाय से संबंधित कार्य भी देखता है। इस प्रकोष्ठ को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन समन्वय का कार्य भी सौंपा गया है।

(vi) संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार का एक–एक पद क्रमशः रेलवे बोर्ड और दूर–संचार विभाग में है और इन पदों के धारक उक्त कार्यालयों में ही बैठते हैं। वर्तमान में, एक उप विधि सलाहकार रेलवे बोर्ड में कार्य कर रहे हैं। एक सहायक विधि सलाहकार रक्षा मंत्रालय के अधीन सेना क्रय संगठन में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, रक्षा मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, एस0एफ0आई0ओ0, एन0टी0आर0ओ0 और केंद्रीय जांच ब्यूरो में विभिन्न स्तरों के कुछ पद, जैसे कि उप विधि सलाहकार और सहायक विधि सलाहकार भी हैं।

(2) भारतीय विधि सेवा का सृजन

समाज के विकास के साथ–साथ विधि व्ययवसाय में भी भारी बदलाव हुआ है। समाज की कानूनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तथा न्याय की समुचित व्यवस्था के लिए कई प्रयास किए गए हैं। सरकार की आवश्यैकताओं को गुणात्म क रूप से पूरा करने के लिए वर्ष 1956 में केंद्रीय विधि सेवा (वर्तमान भारतीय विधि सेवा की पूर्ववर्ती सेवा) का गठन करना एक ऐसा ही प्रयास था। भारत सरकार ने भारतीय विधि सेवा नियम, 1957 के अधीन विधि और न्याय मंत्रालय में भारतीय विधि सेवा का सृजन किया। अपनी स्थापना के समय से ही भारतीय विधि सेवा के अधिकारी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को महत्वपूर्ण मामलों में विधिक सलाह देने तथा संसद में पेश किए जाने वाले विधेयकों और अध्यादेशों के मसौदों को तैयार करने के कार्य में पूर्ण समर्पित भाव से राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। इस सेवा ने कई राज्यों को राज्यपाल, संसद के दोनों सदनों को महासचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त, उच्च न्यायालयों को न्यायाधीश और विभिन्न अधिकरणों जैसे कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, आयकर अपीलीय अधिकरण तथा ऋण वसूली अधिकरण आदि को कई न्यायिक सदस्य और सूचना आयुक्त दिए हैं।

(3) भारतीय विधि सेवा की भूमिका

भारत सरकार का प्रधान विधिक अंग होने के नाते भारतीय विधि सेवा के अधिकारियों ने सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है और अपने कर्तव्य का बखूबी पालन किया है। डिजिटल क्रांति ने सूचना की साझेदारी की प्रक्रिया में परिवर्तन किया है और अर्थव्यवस्था में संपदा के सृजन के नए क्षेत्रों को उत्पन्नद्द किया है। इससे यह आवश्यक हो गया है कि भारतीय विधि सेवा के अधिकारी बढ़ती विधिक आवश्यककताओं को पूरा करने के लिए अपने विधिक कौशल को अद्यतन करें। सरकार के प्रधान विधि सलाहकार होने के नाते इस सेवा के अधिकारी सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा की गई मांगों की पूर्ति के लिए शीघ्रता से कारगर ढंग से आगे आए हैं और वे सलाहकारी तथा प्रारूपण दोनों ही कार्यों में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं।

3. सलाह 'क' अनुभाग

सलाह "क" अनुभाग में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से विभिन्न मुद्दों पर विधिक सलाह और दस्ता वेजों की विधीक्षा के लिए कुल 4234 निर्देश (विधि सचिव, अपर सचिवों और संयुक्तं सचिवों के

कार्यालयों से सलाह के लिए प्राप्त निर्देशों सहित) प्राप्त हुए, जिन पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई की गई और इस विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई विधिक सलाह को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजा गया। इसके अतिरिक्त, इस विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय बैठकों और सम्मेलनों में भी भाग लिया।

2. विधिक सलाह देने के अलावा, इस अनुभाग ने माननीय मंत्री जी और इस विभाग के अधिकारियों को प्राप्त हुए निर्देशों और अन्य संसूचनाओं पर भी कार्रवाई की।

3. सलाह 'क' और 'ख' अनुभागों के सूचना का अधिकार आवेदनों से संबंधित 75 मामलों पर भी कार्रवाई की गई।

4. हस्तांतरण–लेखन से संबंधित 208 निर्देशों पर भी कार्रवाई की गई। इनमें कई मामले अंतरराष्ट्रीय करारों से संबंधित थे।

5. उपर्युक्त अवधि के दौरान, राज्य विधेयकों और अध्यादेशों से संबंधित मंत्रिमंडल के लिए 121 नोट और 82 निर्देश भी जांच के लिए प्राप्त हुए।

6. उपर्युक्त अवधि के दौरान, इस अनुभाग द्वारा कुल 20 लोक शिकायतों पर भी कार्रवाई की गई थी।

4. सलाह 'ख' अनुभाग

सलाह 'ख' अनुभाग को दिनांक 1.1.2018 से 31.3.2019 तक, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से विभिन्न मुद्दों पर विधिक राय और दस्ता2वेजों की विधीक्षा के लिए कुल 5038 निर्देश प्राप्त हुए, जिन पर इस अनुभाग द्वारा तत्पदरतापूर्वक कार्रवाई की गई।

2. उपर्युक्तो अवधि के दौरान, 214 मंत्रिमंडल–नोट/विधायी प्रस्ताव, विधि अधिकारी द्वारा दी गई राय सहित 2272 विशेष अनुमति याचिकाएं (एसएलपी) और महान्यायवादी द्वारा दी गई लगभग 5 राय, महा सॉलिसिटर द्वारा 41 राय और अपर महासॉलिसिटर द्वारा दी गई 208 राय की विधिक तथा संवैधानिक दृष्टि से समीक्षा किए जाने के लिए प्राप्त हुई।

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस विभाग के अधिकारियों ने 249 राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय बैठकों और सम्मेलनों में भी भाग लिया।

4. विधिक सलाह देने के अलावा, इस अनुभाग ने माननीय मंत्री जी और इस विभाग के अधिकारियों को प्राप्ति हुए निर्देशों और अन्य संसूचनाओं पर भी कार्रवाई की।

5. इसके अतिरिक्त, सलाह 'क' और 'ख' अनुभागों से संबंधित संसद–प्रश्नों और आश्वासनों से संबंधित 08 (आठ) मामलों पर भी सलाह 'ख' द्वारा कार्रवाई की गई। वर्तमान में, इस अनुभाग में कोई संसद आश्वासन लम्बित नहीं है।

5. न्यायिक अनुभाग

1) विभिन्न न्यायालयों के समक्ष विधि अधिकारियों/पैनल कांउसेलों के माध्यम से केंद्र सरकार के मुकदमों का संचालन

क). दिनांक 1.1.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान, भारत के उच्चतम न्यायालय में भारत के अपर महासॉलिसिटर को भारत के महान्यायवादी के रूप में पदोन्नत किया गया तथा

भारत के उच्चतम न्यायालय में 04 नए अपर महासॉलिसिटरों को नियुक्त किया गया। दो नए अपर महासॉलिटरों को दिल्ली उच्च न्यायालय में तथा अन्यों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया। कोलकाता उच्च न्यायालय के अपर महासॉलिसिटर के कार्यकाल को बढ़ाया गया। इसके अलावा, पहले के तीन अपर महासॉलिसिटरों (दो भारत के उच्चतम न्यायालय से और एक दिल्ली उच्च न्यायालय से) के त्यागपत्र पर कार्रवाई की गई।

ख). उक्त अवधि के दौरान, छह नए भारत के सहायक महासॉलिसिटरों को जम्मू, बंगलुरु, धारवाड़ (कर्नाटक), एर्नाकुलम(केरल), इम्फाल (मणिपुर) उच्च न्यायालय के लिए और दो सहायक महासॉलिसिटरों को इंदौर (मध्यप्रदेश) उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त किया गया। इसके अलावा, त्रिपुरा और मेघालय उच्च न्यायालय के दो सहायक महासालिसिटरों के कार्यकाल को बढ़ाया गया तथा जम्मू में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय, बंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय और एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के तीन पूर्व सहायक महासॉलिसिटरों के त्यागपत्र पर भी कार्रवाई की गई।

ग). उक्त अवधि के दौरान, भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए 674 नए पैनल काउंसिल सम्मिलित किए गए।

घ). उक्त अवधि के दौरान, दिल्ली में मध्यस्थों के समक्ष माध्यस्थम मामलों के संचालन हेतु 35 वरिष्ठ माध्यस्थम पैनल काउंसिल सम्मिलित किए गए।

ड.). उक्त अवधि के दौरान, देशभर के विभिन्न न्यायालयों/अधिकरणों के समझा केंद्र सरकार के मुकदमें संचालित करने के लिए एक बड़ी संख्या में अधिवक्ता सम्मिलित किए गए, इस संबंध में, राज्य–वार विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	काउंसेलों की सं. जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया	विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित किए गए अधिवक्ताओं की कुल संख्या	कार्रवाई की गई त्यागपत्रों की संख्या
1.	दिल्ली	418	629	––
2.	उत्तर प्रदेश	453	179	03
3.	पश्चिम बंगाल	153	124	––
4.	महाराष्ट्र	12	411	––
5.	बिहार	59	06	––
6.	तेलंगाना	––	229	––
7.	आंध्रप्रदेश	––	79	––
8.	पंजाब और हरियाणा	134	156	01
9.	गुजरात	32	––	03
10.	हिमाचल प्रदेश	17	––	03

11.	छत्तीसगढ़	13	——	——
12.	असम	——	50	——
13.	नागालैंड	05	——	——
14.	मिजोरम	01	——	——
15.	अरूणाचल प्रदेश	03	——	——
16.	जम्मू और कश्मीर	40	63	01
17.	झारखंड	——	160	——
18.	कर्नाटक	64	01	01
19.	केरल	68	196	01
20.	मध्य प्रदेश	43	34	——
21.	तमिलनाडु	——	178	——
22.	मणिपुर	01	02	——
23.	मेघालय	02	——	01
24.	ओड़िसा	41	147	——
25.	राजस्थान	119	273	03
26.	त्रिपुरा	——	18	01
27.	उत्तराखंड	——	44	——
	कुल	1678	2979	18

च.) इस मंत्रालय के अनुमोदन हेतु कुछ विशेष मंत्रालयों/विभागों/बोर्डों को विशिष्ट प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिवक्ताओं के अलग पैनलों से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ऐसे प्रस्तावों से संबंधित ब्यौरा जो उक्त अवधि के दौरान अनुमोदित किए गए हैं, इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	**मंत्रालय/विभाग/बोर्ड का नाम**	**क्षेत्र/न्यायालय के लिए अनुमोदित**
1.	रेलवे	लखनऊ
2.	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	दिल्ली, बेंगलुरु, मुम्बई, नागपुर, नासिक, अमृतसर, बठिंडा
3.	केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड	एक पैनल विभिन्न उच्च न्यायालयों के लिए और एक पैनल विशेष रूप से मुम्बई क्षेत्र के लिए
4.	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	शिलांग, बेंगलुरु, गोवा
5.	प्रवर्तन निदेशालय	एक पैनल विभिन्न उच्च न्यायालयों के लिए और एक पैनल विशेष रूप से रायपुर (छत्तीसगढ़) क्षेत्र के लिए

छ). सामान्य या विशेष निबंधनों और शर्तों पर देश के विभिन्न न्यायालयों में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत सरकार के कई मंत्रालयों/विभागों से विधि अधिकारी (अर्थात भारत के महान्यायवादी, भारत के महासॉलिसिटर और भारत के अपर महासॉलिसिटर), पैनल काउंसेल और निजी अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उक्त अवधि के दौरान ऐसे लगभग 160 प्रस्तावों पर कार्रवाई की गई है।

2) विभिन्न विषयों जैसे पैनल काउंसेल की नियुक्ति की अवधि, शुल्क सूची से संबंधित विषयों इत्यादि का स्पष्टीकरण

पैनल काउंसेल की नियुक्ति, उनकी शुल्क सूची इत्यादि के निबंधनों और शर्तों से संबंधित विभिन्न विषय समय–समय पर प्राप्त हुए हैं। उक्त अवधि के दौरान, ऐसे 120 स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं।

3) ऐसे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों में मध्यस्थों और माध्यस्थम पैनल काउंसेलों की नियुक्ति/नामांकन करना, जिसमें एक पक्ष सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और दूसरा पक्ष सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम/निजी पक्षकार होता है:

अन्य पक्षकारों के साथ विभिन्न प्रकार के करारों पर विवाद से उद्भूत उनके माध्यस्थम मामलों में मध्यस्थों की नियुक्ति से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम इत्यादि से आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उक्त अवधि के दौरान, ऐसे मामलों में कुल 19 मध्यस्थ नियुक्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, माध्यस्थम मामलों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए माध्यस्थम पैनल काउंसेल की नियुक्ति से संबंधित आवेदन भी प्राप्त हुए हैं। उक्त अवधि के दौरान, ऐसे आवेदनों के उत्तर में, लगभग 185 माध्यस्थम मामलों में माध्यस्थम पैनल काउंसेल नियुक्त किए गए हैं।

4) सिविल विधि के मामलों में विदेशों के साथ संधियां/करार करना:

(क) विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, विदेशों के साथ पारस्परिक करार करने के लिए नोडल मंत्रालय है। उक्त अवधि के दौरान, ओमान और मोरक्को के साथ सिविल और वाणिज्यिक मामलों में पारस्परिक विधि सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग ने अन्य देशों के साथ सिविल विधि के अधीन विधिक सहयोग पर विभिन्न करार किए हैं। उक्त अवधि के दौरान, मोरक्को, यूनाइटेड किंगडम और उज्बेकिस्तान के साथ तीन समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(i) मोरक्को: विधि और न्याय के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता–ज्ञापन।

(ii) यूनाइटेड किंगडम: विधि और न्याय के क्षेत्र में सहयोग और एक संयुक्त सलाहकार समिति की स्थापना करने पर समझौता ज्ञापन।

(iii) उज्बेकिस्तान: विधि और न्याय के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता–ज्ञापन।

5) समनों की तामील इत्यादि के संबंध में द्विपक्षीय संधियों (पारस्परिक विधिक सहायता संधियों/पारस्परिक प्रबंधों) और बहुपक्षीय संधियों (1965/1971 का हेग कन्वेंशन) से उद्भूत होने वाले अनुरोधों की जांच और उन पर कार्रवाई करना:–

विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग हेग कन्वेंशन, 1965 के अधीन सिविल और वाणिज्यिक

मामलों में न्यायिक और न्यायिकेतर दस्तावेजों की विदेशों में तामील के लिए केंद्रीय प्राधिकरण है। इस दायित्व के अधीन, लगभग 4000 अनुरोधों पर कार्रवाई की है।

6) सूचना का अधिकार संबंधी कार्यः—

उक्त अवधि के दौरान प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त लगभग 14 सूचना के अधिकार आवेदनों पर कार्रवाई की गई है। यह अनुभाग ऑनलाइन सूचना के अधिकार आवेदनों का भी निपटान करता है और उक्त अवधि के दौरान ऐसे 180 ऑनलाइन आवेदनों पर कार्रवाई की गई है।

(7) लोक शिकायतें:

उक्त अवधि के दौरान, प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त 10 लोक शिकायतें/अभ्यावेदन पर कार्रवाई की गई है। यह अनुभाग लोक शिकायत पोर्टल पर ऑनलाइन लोक शिकायत का भी निपटान करता है और उक्त अवधि के दौरान ऐसी 124 शिकायतों/अभ्यावेदनों का निपटान किया गया है।

6. नोटरी सेल

नोटरी सेल, नोटरी अधिनियम, 1952 और नियम, 1956 के तहत उसका प्रशासन करता है। नोटरी सेल देश में नोटरियों की नियुक्ति के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त निवेदनों/आवेदनों की जांच/संवीक्षा करने और नोटरियों की नियुक्ति से संबंधित कार्य करता है। यह सेल नोटरियों द्वारा किए गए वृत्तिक और अवचारों के आरोपों की जांच भी करता है। नोटरी सेल प्रत्येक 5 वर्ष में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए नोटरी के व्यवसाय के प्रमाणपत्रों का नवीकरण भी करता है। यह सेल नोटरी से आवेदन—पत्र प्राप्त होने पर और पर्याप्त कारण होने पर, उपयुक्त्ता मामलों में, व्यवसाय के क्षेत्र में विस्तार भी प्रदान करता है।

अब तक, लगभग 14,214 नोटरी केंद्र सरकार द्वारा देश के विभिन्ना भागों में नियुक्ति किए जा चुके हैं। हालाँकि, मई 2018 से, एक विशेष अभियान के रूप में, राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर पूर्व (असम, मेघालय और त्रिपुरा), बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, उतराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, महाराष्ट्र और गोवा में नोटरी पब्लिक के चयन के लिए 12 साक्षात्कार बोर्ड गठित किए गए थे। उपर्युक्त राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में साक्षात्कार पहले ही पूरे हो चुके हैं और वर्ष 2018—19 के दौरान साक्षात्कार बोर्डों द्वारा 8960 उम्मीदवारों को नोटरी पब्लिक के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। अब तक, 4043 नियुक्ति पत्र भी जारी किए जा चुके हैं। इन राज्यों के लिए शेष नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया के साथ—साथ व्यवसाय के प्रमाण पत्र भी जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा, विचाराधीन अवधि के दौरान लगभग 3200 नोटरी प्रमाण पत्र नवीनीकृत किए गए हैं।

7. कार्यान्वयन प्रकोष्ठ

विधि आयोग की रिपोर्टे—प्रकाशन :— कार्यान्वयन सेल विधि आयोग की रिपोटों पर कार्रवाई करने, उन्हें संसद के समक्ष प्रस्तुत करने और रिपोर्टों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को जांच/कार्यान्ववयन के लिए अग्रेषित करने के लिए उत्तरदायी है। विधि आयोग के विचारार्थ विषयों के अनुसार, आयोग अपनी रिपोर्ट हिंदी और अंग्रेजी में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुवत करने के लिए पर्याप्तक प्रतियों में प्रस्तुरत करता है। जैसे ही रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुति की जाती है, आयोग अपनी रिपोर्ट वेबसाइट के माध्यम से या अन्यथा भी उपलब्धह कराता है इसलिए विधि आयोग की रिपोर्टें प्रकाशित नहीं की जाती हैं। दिनांक

31.12.2018 तक भारत के विधि आयोग ने कुल 277 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं जिनमें से 276 रिपोर्टें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जा चुकी हैं। शेष रिपोर्टें उचित समय में संसद में रखी जाएंगी। दिनांक 31.12.2018 तक प्राप्त सभी रिपोर्टों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को जांच/कार्यान्वीयन अथवा उनकी ओर से अगली कार्रवाई के लिए उन्हेंट अग्रेषित किया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्यावय की विभाग संबंधित स्थारयी संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, कार्यान्वोयन सेल वर्ष 2005 से संसद के दोनों सदनों के समक्ष विधि आयोग की लंबित रिपोर्टों की स्थिशति दर्शाने वाला एक वार्षिक विवरण रखता आ रहा है। इस तरह का अंतिम विवरण (13वां विवरण) संसद के दोनों सदनों के पटल पर (दिनांक 03.01.2018 को लोक सभा में और दिनांक 05.01.2018 को राज्यव सभा में) रखा गया था।

विधिक शिक्षाः यह प्रकोष्ठं भारतीय बार काउंसिल के अलावा विधि शिक्षा में सुधार के लिए उत्तरदायी है।

संविधियों का प्रशासनः यह प्रकोष्ठ निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन से भी संबंधित हैः–

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 :– अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (''अधिनियम'') विधि व्यवसायियों से संबंधित कानून को संशोधित और समेकित करने तथा राज्य स्तर पर बार काउंसिलों और एक अखिल भारतीय बार के गठन की व्यवस्था के लिए अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम अपनी धारा 29 के तहत केवल ऐसे अधिवक्ताओं की पहचान करता है, जो भारत में विधि व्यवसाय करने के हकदार हैं। अधिनियम की धारा 30, जो अधिवक्ताओं को व्यवसाय का अधिकार प्रदान करती है, जो प्रवृत्तक नहीं थी, दिनांक 15 जून, 2011 (दिनांक 09.06.2011 की अधिसूचना एस.ओ.1349(ई) के तहत) से लागू की गई थी।

अधिवक्ता. कल्याण निधि अधिनियम, 2001:– कनिष्ठ वकीलों के लिए वित्तीय सहायता और निर्धन अथवा विकलांग अधिवक्ताओं के लिए कल्याण योजनाओं के रूप में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सदैव विधिक बिरादरी का विचार का विषय रहा है। कुछ राज्यों ने इस विषय पर अपने विधान अधिनियमित किए हैं। संसद ने उन संध राज्य क्षेत्रों और राज्यों के लिए, जिनके पास उक्त विषय में अपनी अधिनियमितियां नहीं हैं, समुचित सरकार द्वारा 'अधिवक्ता कल्याण निधि' के सृजन के लिए 'अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001' अधिनियमित किया है। यह अधिनियम प्रत्येक अधिवक्ता के लिए किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्यघ प्राधिकरण में दायर वकालतनामे पर अपेक्षित मूल्य के स्टाम्प लगाने को अनिवार्य करता है। 'अधिवक्ता, कल्याण निधि स्टाम्पों के विक्रय के माध्य्म से एकत्रित धनराशि 'अधिवक्ता, कल्यालण कोष' का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रैक्टिस करने वाला कोई भी अधिवक्ता आवेदन शुल्क और वार्षिक शुल्क का भुगतान कर के अधिवक्ता कल्याण निधि' का सदस्य बन सकता है। यह निधि समुचित सरकार द्वारा स्थापित न्यासी समिति में निहित और उसके द्वारा संघटित और उसके द्वारा प्रयुक्त रहेगी। इस निधि का प्रयोग अन्य बातों के साथ सदस्य की गंभीर स्वास्थ्य समस्या, प्रैक्टिस के बंद होने या किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में उसके नामिती या कानूनी वारिस को एक नियत धनराशि के भुगतान करने, सदस्य और उसके आश्रितों की चिकित्सा और शैक्षिक सुविधाओं, अधिवक्ता ओं के लिए पुस्तकों की खरीद और सामान्य सुविधाओं के लिए उपयोग में लाई जाएगी।

8. सूचना का अधिकार (आरटीआई) सेल

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अधीन आरटीआई सेल, आरटीआई मामलों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। आरटीआई सेल प्राप्त आरटीआई आवेदनों को संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों/लोक प्राधिकारियों को अग्रेषित करता है। यह केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा प्राप्त

अपीलों/आदेशों पर अनुवर्ती कार्रवाई का समन्वय भी करता है। आरटीआई वेब पोर्टल पर भी ऑनलाइन प्राप्त सभी आरटीआई आवेदन/अपील संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी/अपील प्राधिकारी को भेजी जाती है।

2. वर्तमान में, विधि कार्य विभाग में उप सचिव/अवर सचिव स्तर के 11 केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी हैं तथा अपर सचिव, संयुक्त सचिव और समतुल्य स्तर के 07 अपील प्राधिकारी हैं। दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक प्राप्त आरटीआई आवेदनों/अपीलों का विवरण निम्नानुसार हैः—

क्र.सं.	आरटीआई मामले	कुल (1.1.2018 से 31.03.2019)
1.	प्राप्त आर.टी.आई. आवेदन	934
2.	ऑनलाइन प्राप्त हुए कुल आवेदन	1785
3.	प्रथम अपील का निपटान	149
4.	माननीय केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपीलें	36

9. पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग

पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग एक विशेषीकृत अनुसंधान एकक है जो विधि और न्याय मंत्रालय की विधि की पुस्तकों/जर्नलों/ऑनलाइन आईपी बेस सॉफ्टवेयर और अन्य अनुसंधान सामग्री की आवश्यकता की देखरेख करता है। यह अनुभाग माननीय विधि और न्याय मंत्री, विधि और न्याय राज्य मंत्री, विधि अधिकारियों और विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग के भारतीय विधि सेवा अधिकारियों को संदर्भ और विधिक अनुसंधान की सेवाएं प्रदान करता है।

2. इस वर्ष के दौरान, पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग ने 428 (लगभग) पुस्तकें प्राप्त कीं।

3. पुस्त्कालय और अनुसंधान अनुभाग 16 भारतीय विधि जर्नलों, 2 विदेशी विधि जर्नलों को मंगाता है।

4. पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग ने इस मंत्रालय के अधिकारियों के प्रयोग के लिए निम्नलिखित ऑनलाइन सेवाएं/ निर्णय विधि, निर्णयों और आलेखों आदि की सीडी रॉम प्राप्त की हैः—

(क) एआईआर कॉम्प्रिजहेन्सिव सॉफ्टवेयर/डाटाबेस

(ख) एससीसी ऑनलाइन केसफाइंडर

(ग) एससीसी ऑनलाइन (आई.पी.) सर्विसेज

(घ) मनुपात्र ऑनलाइन (आई.पी.) सर्विसेज

(ड़) वेस्टऑ लॉ इंडिया ऑनलाइन (आई.पी.) सर्विसेज

(च) सी.एल.ए. ऑनलाइन(आई0पी0)सर्विसेज

10. विधि कार्य विभाग के सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रगामी प्रयोग

(1) विधि कार्य विभाग ने राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 में यथा अंतर्विनिर्दिष्ट संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी

प्रयोग के संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा जारी विभिन्न अनुदेशों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं: –

(क) राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन अधिसूचनाः

इस विभाग को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन 21.3.1980 को अधिसूचित किया गया था। हिन्दी में प्रवीणता रखने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा "क" क्षेत्र और "ख" क्षेत्र में स्थित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों और गैर सरकारी व्क्तिरयों तथा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजी जाने वाली सभी संसूचनाओं तथा हिन्दी में लिखित या हिन्दी में हस्ताक्षरित पत्रों आदि के उत्तर में, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों से प्राप्त अपीलें और अभ्यावेदन आदि भी हैं, सभी संसूचनाओं के प्रारूप केवल हिन्दी में प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिनांक 25.7.1989 को जारी किए गए थे। इस बाबत अनुदेशों का कड़ाई से पालन किए जाने के लिए प्रतिवर्ष पुनः जोर दिया जाता है।

(ख) हिन्दी दिवस/हिन्दी माह का आयोजनः

राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा नीति के प्रति कर्मचारियों में चेतना जगाने और शासकीय कार्य में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं की दृष्टि से विधि कार्य विभाग में दिनांक 14.9.2018 को ''हिन्दी दिवस'' मनाया गया। माननीय विधि और न्याय मंत्री, माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री, विधि सचिव और राजभाषा अधिकारी ने अपने–अपने संदेशों में विधि कार्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से उनके रोजमर्रा के सरकारी कामकाज में हिंदी को अपनाने की अपील की। माननीय गृह मंत्री जी के संदेश को भी विभाग और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में परिचालित किया गया। इस संबंध में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए विभाग में 1.9.2018 से 30.9.2018 तक ''हिन्दी माह'' का आयोजन किया गया। इसे दो उद्देश्यों, अर्थात् (क) विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को व्यापक रूप से प्रचारित करने, और (ख) हिन्दी में अधिकतम कार्य करने की दृष्टि से किया गया था। इस वर्ष हिन्दी माह के दौरान 6 प्रतियोगिताओं अर्थात् ''हिन्दी निबंध प्रतियोगिता,'' ''हिन्दी टंकण प्रतियोगिता'', "हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण प्रतियोगिता," ''अनुवाद प्रतियोगिता'', "श्रुतलेख प्रतियोगिता" (समूह 'ग' कर्मचारियों और अवर श्रेणी लिपिकों व कोर्ट क्लर्कों के लिए) और "हिन्दी कामकाज प्रतियोगिता'' का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में विभाग के 89 अधिकारियों/ कर्मचारियों ने भाग लिया, जिनमें से 81 सफल प्रतियोगियों को कुल 86,500/–रु0 के नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। विभाग के शाखा सचिवालयों और प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों में भी हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और सफल प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

(ग) राजभाषा से संबंधित आदेशों के कार्यान्वयन के लिए जांच–बिंदुओं का सृजनः

राजभाषा से संबंधित आदेशों के कार्यान्वयन के लिए जांच–बिंदुओं का पुनर्विलोकन किया गया था और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार पर्याप्त संख्या में जांच–बिंदु (आठ) सृजित करने के लिए दिनांक 16.11.1994 को आदेश जारी किए गए थे। अनुभागों/कार्यालयों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से इन जांच–बिन्दुओं की प्रभावकारिता को नियमित रूप से मानीटर किया जा रहा है।

(1) ऐसे अनुभागों/एककों में जहां कर्मचारिवृन्द हिन्दी में प्रवीण हैं, उनके दिन–प्रतिदिन के कार्य में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के अवकाश दिए जाने से संबंधित

कार्य हिंदी में किया जा रहा है। गृह निर्माण अग्रिम, सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम और प्रत्याहरण आदि से संबंधित कार्य हिंदी में किया जा रहा है और आदेश भी हिंदी में जारी किए जा रहे हैं।

(2) सभी सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, संकल्प और प्रशासनिक रिपोर्टें आदि अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी की जाती हैं। हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर भी केवल हिंदी में दिया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस संबंध में सुसंगत नियमों का उल्लंघन न हो, कड़ी सतर्कता बरती जाती है। प्रत्येक तिमाही में आयोजित विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में स्थिति को मानीटर किया जा रहा है।

(3) विभिन्न अनुभागों द्वारा बार–बार प्रयोग में लाए जाने वाले पत्रों के मानक प्रारूपों के नमूनों को एकत्रित किया गया है और उनका हिंदी में अनुवाद किया जा रहा है। ताकि कर्मचारिवृन्द बिना किसी कठिनाई के उनका उपयोग कर सकें। विभाग के सभी फार्मों का भी हिंदी में अनुवाद किया जा रहा है। सेवा–पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां भी हिंदी में की जा रही हैं। सभी रबर स्टाम्पों, नाम पट्टिकाओं, संकेत पट्टों आदि को भी द्विभाषी रूप में तैयार किया जाता है।

(4) विभाग के सभी 247 कम्प्यूटर द्विभाषी हैं। विभाग के अनुभागों तथा अधिकारियों को दिए गए कम्प्यूटरों में हिन्दी में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध है।

(5) विभाग और उसके अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन हिंदी/हिंदी आशुलिपि/ हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है और प्रशिक्षण के उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उन्हें राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार, नकद पुरस्कार, वैयक्तिक वेतन/अग्रिम वेतनवृद्धि आदि प्रदान की जा रही है।

(6) गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अनुदेशों तथा संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति को दिए गए आश्वासनों के अनुसरण में, राजभाषा से संबंधित सांविधिक उपबंधों के अनुपालन की समीक्षा करने तथा इस संबंध में आ रही कठिनाइयों के संबंध में विचार–विमर्श करने के लिए विभाग के अनुभागों, शाखा सचिवालयों और आयकर अपीलीय अधिकरण के पीठ आदि विभाग के प्रशासनिक नियत्रंणाधीन कार्यालयों के निरीक्षण के लिए विभाग में राजभाषा अधिकारी की अध्यक्षता में एक निरीक्षण दल गठित किया गया है।

(7) संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट के 9 भागों में की गई सिफारिशों पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेश विभाग तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं और इस बारे में प्रत्येक तिमाही में आयोजित होने वाली विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में स्थिति की समीक्षा की जा रही है।

(8) विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रुप से आयोजित की जाती हैं। विभाग के राजभाषा अधिकारी इसके अध्यक्ष हैं और उप सचिव (प्रशा0), सभी अवर सचिव और सभी अनुभाग प्रभारी तथा शाखा अधिकारी समिति के सदस्य हैं जबकि उप निदेशक (राजभाषा)/सहायक निदेशक (राजभाषा) इस समिति के सदस्य–सचिव हैं। समिति की बैठकों में तिमाही प्रगति रिपोर्ट और राजभाषा संबंधी आदेशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की जाती है। बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए परिचालित किया जाता है। समिति की पिछली बैठक दिनांक 27 मार्च, 2019 को हुई थी।

दिनांक 1 जनवरी, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के दौरान, हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित ब्यौरा, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण पहलू भी है, **अनुबंध–II** और **अनुबंध–III** में दिया गया है।

11. मुकदमा (उच्च न्यायालय)

भारत सरकार के रेल और आय–कर विभागों को छोड़कर, सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा संबंधी कार्य मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग द्वारा किया जाता है। मुकदमा कार्य की देखरेख प्रभारी अधिकारी द्वारा अधीक्षक (विधि) और अन्य कर्मचारियों की सहायता से की जाती है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:–

(क) दिल्ली उच्च न्यायालय में संचालित मुकदमे सामान्यतः निम्नलिखित से संबद्ध होते हैं:–

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन सिविल और दांडिक रिट याचिकाएं, विविध सिविल आवेदन, खंडपीठ अपीलें, कंपनी आवेदन, निष्पादन आवेदन और विविध दांडिक आवेदन।

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालयों में संचालित मुकदमे सामान्यतः निम्नलिखित से संबंधित होते हैं:–

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालय, एन0सी0एल0टी0, एन0सी0एल0ए0टी0, अवैध गतिविधि (निवारण) अधिकरण, ऋण वसूली अधिकरण, ऋण वसूली अपील अधिकरण, आप्रवासी अपील समिति, विद्युत अपील अधिकरण, केन्द्रीय सूचना आयोग, जिला उपभोक्ता फोरम, राष्ट्रीय हरित अधिकरण आदि।

2. मुकदमा कार्य दो अनुभागों – मुकदमा (उ0न्या0) अनुभाग 'ए' और 'बी' द्वारा किया जाता है, जिनका पर्यवेक्षण अधीक्षक (विधि) द्वारा किया जाता है। अनुभाग 'ए' भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन रिट याचिकाओं, लेटर पेटेंट अपीलों और विविध याचिकाओं से संबंधित अग्रिम नोटिसों, जिनमें सामान्य प्रकृति के मामले भी शामिल हैं, के संबंध में कार्रवाई करता है। अनुभाग 'बी' माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में भारत संघ की ओर से दायर की गई रिट याचिकाओं और मूल/पुनरीक्षण याचिकाओं आदि के संबंध में कार्रवाई करता है। यह अनुभाग उपर्युक्त पैरा 1(ख) में उल्लिखित अन्य न्यायालयों/अधिकरणों से संबंधित मामलों में भी कार्रवाई करता है।

3. केन्द्रीय सरकार के मुकदमों का संचालन करने के लिए भारत के एक अपर महा–सालिसिटर, तीस स्थायी केंद्रीय सरकारी काउंसेल, 220 ज्येष्ठ काउंसेलों और 158 सरकारी प्लीडरों के पैनल हैं। सार्वजनिक महत्व के और विधि के जटिल प्रश्न वाले मामलों में विधि अधिकारियों में से किसी एक विधि अधिकारी, अर्थात् भारत के महान्यायवादी/भारत के महा–सालिसिटर/भारत के अपर महा–सालिसिटर को नियोजित किया जाता है। दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमों में सरकार के हितों की रक्षा करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों और काउंसेलों से निकट संपर्क बनाए रखा जाता है। उप विधि सलाहकार और अन्य अधिकारी मामलों की प्रगति के प्रत्येक प्रक्रम पर कड़ी निगरानी रखते हैं।

4. दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान इस एकक ने लगभग 3500 फीस बिल के लगभग 1,35,72,415/– रुपए के वेतन का भुगतान किया है। इसके अतिरिक्त वित्त वर्ष 2018–19 के बजट अनुमान में इस एकक को 7 करोड़ रु. आबंटित किए गए थे। दिनांक 01.04.2018 से 31.

03.2019 की अवधि के दौरान इस एकक ने आबंटित 7 करोड़ रुपए का पूरा उपयोग किया और संबंधित विधि अधिकारियों तथा सरकारी काउंसेलों से संबंधित लगभग 7500 वृत्तिरक फीस बिलों का भुगतान किया गया।

5. दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान, मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमों के संचालन के लिए 9411 मामलों में विधि अधिकारी और सरकारी काउंसेल नियोजित किए। मामलों की प्राप्ति और सरकारी काउंसेलों के नियोजन का अनुभागवार ब्यौरा निम्नलिखित है:—

मुकदमा उच्च न्यायालय अनुभाग

अनुभाग	दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक प्राप्त मामलों की संख्या
ए	8642
बी	769
कुल	9411

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ), दिल्ली में मुकदमा—कार्य

6. मुकदमा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) दिल्लीा प्रकोष्ठ भारत संघ के मंत्रालयों और विभागों से संबंधित मामलों / मुकदमों की देखरेख करता है और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यालयपीठ), नई दिल्ली में भारत संघ के मंत्रालयों/विभागों के हितों का बचाव करने के लिए अनुमोदित पैनल में से काउंसेल नामनिर्दिष्ट करता है।

7. दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान, मुकदमा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) प्रकोष्ठ ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) में मुकदमों के संचालन के लिए 2482 मामलों में सरकारी काउंसेल नियोजित किए। मामलों की प्राप्ति का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ), दिल्ली में मुकदमा—कार्य

अनुभाग	दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक प्राप्त मामले	योग
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) प्रकोष्ठ	2482	2482

12. मुकदमा (निम्न न्यायालय) अनुभाग, तीस हजारी दिल्ली

मुकदमा (निम्न न्यायालय) अनुभाग, तीस हजारी दिल्ली/ नई दिल्ली में रेल और आय—कर विभाग को छोड़कर भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से जिला न्यायालयों/उपभोक्ता फोरमों/अधिकरणों में मुकदमा कार्य का संचालन मुकदमा (निम्न न्यायालय) अनुभाग द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त न्यायालयों/अधिकरणों में मुकदमा कार्य की देखभाल इस अनुभाग के प्रभारी सहायक विधि सलाहकार द्वारा एक अधीक्षक (विधि)/ सहायक (विधि) की सहायता से की जाती है। अधीक्षक विधि का पद सितम्बर, 2016 से आज की तारीख तक रिक्त है।

2. यहां वरिष्ठ पैनल काउंसेलों और अपर केंद्रीय सरकारी काउंसेलों का एक पैनल बनाया गया है, जिनको भारत संघ अर्थात भारत सरकार की ओर से मामले के संचालन हेतु नामनिर्दिष्ट किया जाता है। संबद्ध मंत्रालय/विभाग से अनुरोध प्राप्त होने पर न्यायालय में उनकी ओर से पेश होने के लिए उपयुक्त काउंसेल नियोजित किए जाने के लिए कार्रवाई की जाती है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान इस अनुभाग ने 939 मामलों में काउंसेल नियोजित किए। जिला न्यायालयों/उपभोक्ता फोरमों/अधिकरणों में सरकार के हित की रक्षा के लिए विभिन्न विभागों/सरकारी काउंसेलों के साथ हर समय निकट संपर्क बनाए रखा जाता है।

3. मामलों के दौरान सरकारी काउंसेल एक निर्धारित प्रपत्र में अपना फीस बिल प्रस्तुोत करता है। फीस के बिलों को प्रमाणित करने और विहित दरों पर संदाय करने से पूर्व, उनकी नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए संवीक्षा की जाती है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान इस एकक में सरकारी काउंसेल/वरिष्ठ्र पैनल काउंसेलों से वृत्तिक फीस के 803 बिल प्राप्त हुए। वित्त वर्ष 2018–19 में इस एकक को 1 करोड़ रुपए का बजट आबंटित किया गया।इस राशि में से 9,99,380 रुपए की राशि का सरकारी काउंसेल/वरिष्टट पैनल काउंसेलों को भुगतान किया गया है।

4. न्यायपालिका में, विशेष तौर पर जिला न्यायालयों / अधीनस्थ न्यायालयों में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के साथ सामंजस्य रखने के लिए और मुकदमा (निम्न न्यायालय) अनुभाग के प्रभावी कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए इस अनुभाग के कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव मुकदमा (निम्न न्यायालय) अनुभाग के साथ जिला एवं सत्र न्यायालय के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (रा0सू0के0) द्वारा किए गए प्रणाली अध्ययन की रिपोर्ट के साथ सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया है।

5. इस अनुभाग के प्रभारी शाखा अधिकारी सहायक विधि सलाहकार को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में भी पदाभिहित किया गया है।

13. केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग

केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी। यह अनुभाग केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय तथा उसके अधीन सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुकदमा कार्य के संचालन के लिए जिम्मेदार है। उच्चतम न्यायालय में भारत संघ की ओर से विशेष अनुमति याचिकाएं/कुछ मामलों में अपीलें, फाइल करने की व्यवहार्यता के बारे में विधि अधिकारियों की राय प्राप्त करने के पश्चात केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के माध्यम से फाइल की जाती हैं। इस समय इस कार्यालय का कार्य एक अपर सचिव देखते हैं; जिन्हें कार्यालय का प्रभारी घोषित किया गया है और विभागाध्यक्ष की शक्तियां प्रदान की गई हैं। उनकी सहायता के लिए 7 सरकारी अधिवक्ता और 2 परामर्शदाता (अभिलेख अधिवक्ता) हैं। 671 सरकारी पैनल काउंसेल हैं। केन्द्रींय अभिकरण अनुभाग उच्चतम न्यायालय परिसर, नई दिल्ली से कार्य करता है।

केंद्रीय अभिकरण अनुभाग के कार्य निम्नलिखित से संबंधित हैं :

- भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से महान्यायवादी, महासॉलिसिटर और अपर महॉसालिसिटरों की राय के लिए विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त निर्देश।

- विभिन्न मामलों के लिए विधि अधिकारियों /पैनल काउंसेलों को नियोजित करना।
- भारत संघ/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा संघ राज्य क्षेत्रों की ओर से भारत के उच्चतम न्यायालय में मुकदमों का संचालन और पर्यवेक्षण।
- रिकार्ड का पर्यवेक्षण, विधि अधिकारियों, पैनल काउंसेलों, कंप्यूटर टाइपिस्टों और फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटरों के फीस बिलों का भुगतान करना।

2. केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के सरकारी अधिवक्ताओं को उच्चतम न्यायालय के अभिलेख अधिवक्ताऑ की अर्हता की आवश्यकता है। ये अधिवक्ता भारत संघ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय के नियमों के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपसंजात होते हैं।

3. केंद्रीय अभिकरण अनुभाग के कंप्यूटरीकृत रिकार्ड के अनुसार, दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 के दौरान, केंद्रीय अभिकरण अनुभाग को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और संघ राज्य क्षेत्रों से 6704 नए मामले प्राप्त हुए जिनमें भारत संघ या संघ राज्य क्षेत्र या तो याचिकाकर्ता या प्रतिवादी थे।

14. शाखा सचिवालय, कोलकाता

दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान दिनांक 18.06.2018 तक एक अपर सरकारी अधिवक्ता तथा दिनांक 19.06.2018 से आज की तारीख तक दूसरे अपर सरकारी अधिवक्ता शाखा सचिवालय, कोलकाता के प्रमुख/समग्र प्रभारी हैं। इस शाखा सचिवालय में आठ खंड हैं, अर्थात् सलाह, प्रशासन, रोकड़ और लेखा, हिंदी, काउंसेल फीस बिल, मुकदमा, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण/ निचला न्यायालय और प्राप्ति व निर्गम अनुभाग। इसके अतिरिक्त, इस शाखा सचिवालय में एक पुस्तकालय है, जिसमें 10260 से अधिक पुस्तकें हैं। जो एक सहायक विधि सलाहकार के पर्यवेक्षण में है।

2. शाखा सचिवालय, कोलकाता का मुकदमा खंड कलकत्ता उच्च न्यायालय में आरंभिक और अपीलीय, दोनों शाखाओं में सभी मुकदमों की देखरेख करता है। यह शाखा सचिवालय 12 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालयों, पोर्ट ब्लेयर स्थिरत सर्किट बेंच और अधिकरणों, जिला फोरमों, राज्य आयोगों और निम्न न्यायालयों में भारत संघ के मुकदमा कार्य की देखरेख कर रहा है। यह शाखा सचिवालय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, कोलकाता पीठ और उसके कटक, गुवाहाटी, पटना के अन्य पीठों तथा अंदमान निकोबार द्वीप समूह के सर्किट पीठों, सीजीआईटी, माध्यस्थम, एनजीटी, एनसीएलटी में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को भी देखता है। संबंधित मंत्रालयों / विभागों से विशेष अनुरोध प्राप्त होने पर विभिन्न अधिकरणों जैसे कि एनजीटी, सीईएसटीएटी, आईटीएटी, राज्य उपभोक्ता फोरम और डीआरएटी, डीआरटी, उपभोक्ता फोरम, निम्न न्यायालय आदि के समक्ष तथा माध्यस्थमों के समक्ष माध्यस्थम मामलों में पैनल काउंसेल भी नियुक्ति किए जाते हैं।

3. इस शाखा सचिवालय का सलाह खंड आय–कर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय सहित केंद्रीय सरकार के अन्य सभी मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों को, जिनके कार्यालय पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार, झारखंड, ओडिशा, त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य

क्षेत्र में स्थित हैं और पूर्वी क्षेत्र से बाहर के उन स्वायत्ता निकायों जिनके मुख्यालय कोलकाता में हैं (अर्थात आर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड) को भी संबंधित विभागों/मंत्रालयों से निर्देश प्राप्त होने पर विधिक सलाह देता है और उनके मुकदमा कार्य का संचालन करता है।

4. दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 के दौरान, सलाह खंड के प्रमुख अपर सरकारी अधिवक्ता हैं। मार्च, 2019 तक सलाह खंड में केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से सलाह के लिए कुल 1529 निर्देश प्राप्त हुए। यह शाखा सचिवालय विभिन्नी न्यायालयों और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में दाखिल किए जाने वाले करारों/संविदाओं की विधीक्षा भी करता है।

5. मुकदमा खंड में, सरकारी अधिवक्ता, जो नियमित कर्मचारी होते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश ग्गटप्प के नियम 8 ख (क) के अर्थ में अभिलेख–अधिवक्ता और सरकारी अभिवक्तां के तौर पर कार्य करते हैं और इस उद्देश्य के लिए नियोजित किए गए पैनल काउंसेल के माध्यम से मामले पर सुनवाई/बहस करवाते हैं।

6. दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान एक अपर सरकारी अधिवक्ता और तीन कनिष्ठद केंद्रीय सरकारी अधिवक्ताओं ने भारत संघ की ओर से कलकत्ता उच्च न्यायालय में अभिलेख अधिवक्ता के तौर पर कार्य किया और वे न्यायालय में सरकारी प्लींडर के तौर पर भी उपस्थित हुए। सलाह और मुकदमा कार्य की देखरेख के लिए एक उप विधि सलाहकार और दो सहायक विधि सलाहकारों (एक विधि सलाहकार एक जनवरी, 2019 तक) को भी तैनात किया गया है।

7. दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक शाखा सचिवालय, कोलकाता के मुकदमा प्रभाग द्वारा प्राप्त उच्च न्यायालय के मामलों की कुल संख्या 3479 है और उक्त अवधि के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या 4491 है। इसी प्रकार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, कलकत्ता पीठ में दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान सेवा संबंधी मामलों में काउंसेलों के नियोजन हेतु प्राप्त मामलों की संख्याम 772 है। दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान माध्य्स्थम मामलों सहित निपटाए गए निचले न्यायालयों और एनसीएलटी के मामलों की संख्या, 609 है।

8. शाखा सचिवालय, कोलकाता में आरटीआई मामलों को देखने के लिए अपील प्राधिकारी (अपर सरकारी अधिवक्ता), केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी हैं। दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान, कुल 27 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए, जिन्हें निर्धारित समय के भीतर विधिवत निपटा दिया गया।

9. दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान, पैनल काउंसेलों द्वारा प्रस्तुति किए गए वृत्तिक फीस बिल के दावों पर शीघ्रता से कार्रवाई की गई और काउंसेलों की वृत्तिक फीस के संदाय के लिए 3,00,00,000/– रुपए (तीन करोड़ रु0) के स्वीकृत बजट प्राक्कलन में से मार्च, 2019 तक कलकत्ता उच्च न्यायालय से संबंधित मामलों के लिए 2,99,94381/– रुपए (दो करोड़ निन्यानवे लाख चौरानवे हजार तीन सौ इक्यासी रूपये केवल) का भुगतान किया गया है।

10. इस शाखा सचिवालय में राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंदी अनुभाग है, जो सहायक विधि सलाहकार के पर्यवेक्षण में एक कनिष्ठे हिंदी अनुवादक की सहायता से कार्य कर रहा है। प्रत्येक शुक्रवार को 'हिंदी 'दिवस' के रूप में मनाए जाने का निश्चय किया गया है। जनवरी, 2018 से मार्च, 2019 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों और हिंदी कार्यशालाओं

का नियमित रूप से आयोजन किया गया है। केन्द्रीय हिंदी शिक्षण योजना के अधीन दो कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया है। संदर्भ सामग्री तैयार की गई है और इसे हिंदी में कार्य करने के लिए अनुभागों में वितरित किया गया है। इस शाखा सचिवालय में सितंबर, 2018 में पूरे उत्सामह के साथ 'हिंदी पखवाड़ा' मनाया गया, जिसके दौरान 8 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और विजेताओं को पुरस्कार के साथ–साथ प्रमाण–पत्र प्रदान किए गए। अपेक्षित रिपोर्टें नियमित आधार पर निर्धारित प्रपत्र में मुख्य सचिवालय को भेजी जाती हैं। ''स्वच्छता पखवाड़े का समापन समारोह हिंदी में आयोजित किया गया। शाखा सचिवालय कोलकाता की टेलीफोन डाइरेक्टेरी, विभिन्न मोहरें, अर्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश और प्रतिपूरक अवकाश के प्रपत्रों को द्विभाषी बनाया गया है।'' 54वीं कोलकाता नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति में शाखा सचिवालय कोलकाता को हिंदी के कार्यान्वयन में सराहनीय कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है।

11. शाखा सचिवालय, कोलकाता में एन.आई.सी. द्वारा उपलब्ध विभिन्न सॉफ्टवेयरों का प्रयोग कर विभिन्न लेखा और बजट संबंधी कार्य ऑनलाइन किया जा रहा है। साथ ही, यहां एन.आई.सी. द्वारा विकसित पी.एफ.एम.एस. पोर्टल आधारित भुगतान प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। कर्मचारियों, सरकारी काउंसेलों और अन्य. सेवा प्रदाताओं को ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है। इसके साथ–साथ, स्रोत पर काटे गए आयकर के तिमाही रिटर्न को इलैक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में तैयार किया जा रहा है और फ्लॉपियों/सीडी के रूप में टी.आई.एन. सूचना सुविधा केंद्र के द्वारा आयकर विभाग को प्रस्तुत किया जा रहा है। आयकर प्राधिकरण द्वारा एक नए फॉर्मेट अर्थात् फॉर्म 24–जी शुरु किया गया है जिसे स्रोत पर कर काटे जाने के अगले महीने की 10 तारीख तक इस कार्यालय द्वारा भर कर इलैक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जमा किया जाना होता है। वेतन और लेखा कार्यालय को आवधिक रिपोर्ट सीधे ऑनलाइन भेजी जाती है। इसके अतिरिक्त सरकारी क्वार्टरों की लाइसेंस फीस के भुगतान की जानकारी भी सरकारी लेखा प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से सम्पदा निदेशालय को ऑनलाइन भेजनी होती है। वस्तुओं और स्टेशनरी की प्राप्ति के लिए सरकार की ई–प्रोक्योरमेंट वेबसाइट https://gem.gov.in का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। पेंशन के नए मामलों को 'भविष्य' ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निपटाया जा रहा है।

12. शाखा सचिवालय, कोलकाता के शाखा सचिवालय, कोलकाता के प्रत्येक अनुभाग अधिकारी के कक्ष में लोकल एरिया नेटवर्क मुहैया कराया गया है। अब शाखा सचिवालय कोलकाता के लगभग सभी कंप्यूटरों में इंटरनेट सुविधा है। राष्ट्रीय सूचना केंद्र से एक 'लीज़्ड लाइन' ई–ऑफिस के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त की गई है।

13. सहायक विधि सलाहकार के पर्यवेक्षण में, शाखा सचिवालय, कोलकाता पुस्तकालय में 10,260 से ज्यादा पुस्तकें और जर्नल हैं। यह मुकदमा कार्य और सलाह के लिए बहुत मददगार है। काउंसेलों द्वारा मुकदमों के संचालन के लिए इन जर्नलों/ पुस्तकों का उपयोग किया जा रहा है। इस शाखा सचिवालय द्वारा ऑनलाइन विधि जर्नल 'मनुपात्र' और एससीसी ऑनलाइन की सुविधा भी मुहैया कराई गई है।

14. शाखा सचिवालय, कोलकाता के कर्मचारियों के लिए एक बायोमीट्रिक हाजिरी व्यवस्था दिनांक 12 अप्रैल, 2011 से शुरु है। इसके अलावा, आधार आधारित बायोमीट्रिक हाजिरी व्यवस्था भी इस शाखा सचिवालय में सफलतापूर्वक शुरु की गई है।

15. शाखा सचिवालय कोलकाता में एन.आई.सी. द्वारा विकसित 'लिम्सल' सॉफ्टवेयर को भी प्रयोग में लाया जा रहा है। मुकदमा अनुभाग द्वारा विधि मंत्रालय से संबंधित मामलों को विधिवत अद्यतन किया जाता है। यह साफ्टवेयर मुकदमों को मॉनीटर करने में और मुकदमेबाजी की लागत कम करने में बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि कागजी कार्य को कम करने व मुकदमों के संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए शाखा सचिवालय, कोलकाता ने उच्च न्यायालयों से संबंधित वर्ष 2005 के और उसके बाद के मामलों की सूची को विभिन्नि अनुभागों में उपलब्ध कंप्यूयटरों में डाला है।

16. शाखा सचिवालय, कोलकाता में दिनांक 21 जून, 2018 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया।

17. शाखा सचिवालय, कोलकाता की पिछली लेखा–परीक्षा लेखा परीक्षा महानिदेशकः केन्द्रीय, कोलकाता के कार्यालय के लेखा–परीक्षा दल द्वारा दिनांक 13.04.2018 से 23.04.2018 तक की गई थी। लेखा–परीक्षा दल द्वारा लेखों के आवधिक निरीक्षण के क्रम में छः लेखा आपत्तियां की गई थीं। इस संबंध में कार्रवाई की जा चुकी है और आपत्तियों की स्थिति का सत्यापन अगली लेखा–परीक्षा द्वारा किया जाएगा।

18. शाखा सचिवालय, कोलकाता में 'स्वच्छ भारत अभियान' के तहत स्वच्छता अभियान एक नियमित प्रकिया के तौर पर चल रहा है। 'स्वच्छता अभियान के पर्यवेक्षण तथा पुराने अभिलेखों की छंटाई करने के लिए सहायक विधि सलाहकार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। दिनांक 1 से 15 अप्रैल, 2018 तक 'स्वच्छता पखवाड़ा' मनाया गया। शाखा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के सतत प्रयासों के कारण इस शाखा सचिवालय को स्वच्छ और सुंदर रूप मिला है। शाखा सचिवालय, कोलकाता में 2 महिला कर्मचारी कार्यरत हैं।

दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2018 तक की अवधि के लिए विधि कार्य विभाग, शाखा सचिवालय, कोलकाता की लेखा का लेखा–परीक्षा।

क्रम सं.	ब्यौरा	स्थिति
1.	लिम्स् के कार्यान्व1यन का पर्यवेक्षण	अनुवर्ती कार्रवाई का अगली लेखा–परीक्षा द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
2.	सुरक्षा सेवाओं की निविदाओं में अनियमितता	तदैव
3.	सेवाओं के आउटसोर्सिंग पर पर्यवेक्षण	"
4.	संपत्ति के रखरखाव पर पर्यवेक्षण	"
5.	0.33 लाख की राशि का स्वयं/व्यवस्था द्वारा/निजी वाहनों द्वारा यात्रा के लिए भुगतान में अनियमितता	"
6.	0.06 लाख राशि की लाइसेंस शुल्क की कम कटौती	"

15. शाखा सचिवालय, बेंगलूरू

शाखा सचिवालय, बेंगलूरू की अधिकारिता के अंतर्गत कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के मुकदमों का संचालन करना और उन्हें सलाह देना है। शाखा सचिवालय, बेंगलूरू के प्रधान एक उप विधि सलाहकार हैं।

सलाह : शाखा सचिवालय, बंगलूरू, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में स्थित केंद्रीय सरकार के सभी विभागों और कार्यालयों को विधिक सलाह देता है। वर्ष 2018–2019 के दौरान सलाह के लिए 741 निर्देश प्राप्त हुए और उन सभी का निपटान कर दिया गया। सलाह कार्य में, उच्च न्यायालयों, अर्थात् कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलूरू तथा कर्नाटक उच्च न्यायालय के धारवाड़ और गुलबर्ग स्थित सर्किट पीठों तथा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अमरावती/हैदराबाद स्थिति तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किए जाने वाले अभिवचनों, अर्थात् आक्षेपों के विवरणों, प्रति शपथपत्रों, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष फाइल किए जाने वाले उत्तर के विवरणों, जिला न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों तथा विभिन्न अन्य अधिकरणों के समक्ष फाइल किए जाने वाले लिखित विवरणों, प्रति–शपथपत्रों, प्रति–विवरणों और उनके विभिन्न पाठों की जांच और उनकी विधीक्षा करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, विशेष अनुमति याचिका, अपील, पुनर्विलोकन आदि फाइल करने की व्यावहार्यता की जांच करना, विभागों को, उनकी कार्रवाइयों की कानूनी मजबूती के संबंध में मार्गदर्शन करते हुए विधियों का निर्वचन करना और जब कभी आवश्यक हो, प्रशासनिक विभागों के साथ विचार–विमर्श करना आदि कार्य किए जाते हैं।

मुकदमा कार्यः यह शाखा सचिवालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलूरू में और उसके धारवाड़ व गुलबर्ग स्थित सर्किट पीठों में और आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अमरावती/हैदराबाद स्थित तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय तथा बेंगलूरू नगर और हैदराबाद व सिकन्दराबाद में अधीनस्थ न्यायालयों और दोनों राज्यों के केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में केंद्रीय सरकार के विभागों और कार्यालयों के संपूर्ण मुकदमा संबंधी कार्य का पर्यवेक्षण करता है। यह शाखा सचिवालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरमों और राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोगों, केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण और ऋण वसूली अधिकरण में सरकारी मुकदमों का कार्य भी देखता है। वर्ष 2018–19 के दौरान मुकदमों से संबंधित लगभग 5212 मामले प्राप्त हुए, जिनमें काउंसेलों के नामनिर्देशन, काउंसेलों के फीस बिल और मुकदमों से संबंधित सामान्य पत्राचार शामिल है। इस संबंध में शाखा सचिवालय द्वारा किए गए कार्यों में काउंसेलों की नियुक्ति/नामनिर्देशन करना तथा उनके बीच मुकदमों का वितरण करना शामिल है।

काउंसेलों के फीस के बिलः यह शाखा सचिवालय काउंसेलों के फीस के बिलों पर स्वयं कार्रवाई करता है और कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलूरू में भारत के सहायक महासालिसिटर और केंद्रीय सरकारी काउंसेल को अपनी केंद्रीकृत निधि से सीधे फीस का भुगतान करता है। वर्ष 2018–19 के दौरान कुल 497 फीस के बिल प्राप्त हुए। जहां तक कर्नाटक उच्च न्यायालय के धारवाड़ और गुलबर्ग के सर्किट पीठों का संबंध है, काउंसेल की फीस शाखा सचिवालय, बेंगलूरू द्वारा नहीं बल्कि उस विभाग द्वारा वहन की जाती है, जिसकी ओर से मुकदमे का संचालन किया जाता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में केंद्रीय सरकारी पैनल कांउसेलों की फीस का भुगतान संबंधित विभाग करते हैं। अतः यह शाखा सचिवालय काउंसेलों की फीस के बिलों को प्रमाणित नहीं कर रहा है। तथापि, इस संबंध में जब भी कोई अनुरोध प्राप्त होता है, तो इस मंत्रालय द्वारा उसका स्पष्टीकरण किया जाता है।

भारत के अपर महासालिसिटर का कार्यालय

भारत सरकार ने श्री के.एम. नटराज, वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री प्रभुलिंग के. नवादगी, वरिष्ठ अधिवक्ता को दिनांक 8 अप्रैल, 2015 से तीन वर्ष की अवधि के लिए क्रमशः दक्षिणी जोन के लिए और कर्नाटक उच्च न्यायालय में भारत के अपर महासालिसिटर के पद पर नियुक्त किया है, उनकी सेवाएं अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाई गई थी, तथापि श्री के.एम. नटराजन को दिनांक 14.01.2019 को भारत के उच्चतम न्यायालय में भारत के अपर महासालिसिटर के पद पर नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा, शाखा सचिवालय, बेंगलूरू में विभिन्न सप्ताह/पखवाड़ा/दिवस का आयोजन किया गया है जो इस प्रकार है :–

स्वच्छ भारत मिशन

सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों को सम्मिनलित करते हुए यथोचित तरीके से दिनांक 01.04.2018 से 15.04.2018 तक की अवधि के दौरान स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

दिनांक 21.06.2018 को यथोचित तरीके से चौथे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

''भ्रष्टाचार उन्मूलन – एक नए भारत का निर्माण'' विषय पर दिनांक 29 अक्तूबर, 2018 से 3 नवम्बयर, 2018 तक यथोचित तरीके से सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया।

उपर्युक्त के अलावा, उप विधि सलाहकार एवं प्रभारी को पोस्ट मास्टर जनरल, दक्षिण कर्नाटक क्षेत्र द्वारा आयोजित सर्तकता जागरूकता सप्ताह के दौरान एक सत्र के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। उन्होंने मुख्य अतिथि के तौर पर सत्र में भाग लिया और दिनांक 02.11.2018 को ''भ्रष्टाचार उन्मूलन – एक नए भारत का निर्माण'' विषय पर व्याख्यान दिया।

नोटरी साक्षात्कार शाखा सचिवालय ने दिनांक 08.10.2018 से 20.10.2018 तक मुख्य सचिवालय के अधिकारियों के साथ इस कार्यालय में कर्नाटक, केरल राज्य और संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए नोटरियों की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार का संचालन किया।

कार्यालयी दौरे

(i) उप विधि सलाहकार एवं प्रभारी ने हैदराबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लंबित मामलों की समीक्षा करने के लिए दिनांक 22.09.2018 को हैदराबाद में केन्द्रीय विधि सचिव द्वारा संचालित एक बैठक में भाग लिया।

(ii) उप विधि सलाहकार/प्रभारी ने दिनांक 26–27 नवंबर, 2018 को मुख्या सचिवालय, नई दिल्ली का दौरा किया और विधि सचिव तथा डॉ० राजीव मणि, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार, श्री अजय गुप्ता, विशेष कार्य अधिकारी (आईटी) एवं संयुक्त सचिव (प्रशासन) और श्री के.गिनखन थंग, उप सचिव से शाखा सचिवालय से संबंधित विभिन्न प्रशासनिक मामलों पर विचार–विमर्श किया।

न्यायिक सदस्य/विभागाध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, बेंगलूरू पीठ के साथ बैठक

दिनांक 11.12.2018 को उप विधि सलाहकार/प्रभारी ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के पैनल

काउंसेल के कामकाज पर विचार–विमर्श करने के लिए डॉ० के.बी. सुरेश, न्यायिक सदस्य/विभागाध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के साथ एक बैठक की।

16. शाखा सचिवालय, चेन्नै

चेन्नै स्थित शाखा सचिवालय के प्रधान एक उप विधि सलाहकार हैं।

सलाहः यह शाखा सचिवालय, तमिलनाडु, केरल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र पुद्दुचेरी में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों को विधिक सलाह देता है। सलाह के लिए लगभग 1282 निर्देश प्राप्त हुए और निपटाए गए।

मुकदमा कार्य : – शाखा सचिवालय, चेन्नै मद्रास उच्च न्यायालय और उसके मदुरै पीठ और केरल उच्च न्यायालय में केंद्रीय सरकार के सम्पूर्ण मुकदमा कार्य (रेल, आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आदि के मामलों को छोड़कर) की देखरेख करता है। यह तमिलनाडु और केरल में नगर सिविल न्यायालयों, लघु वाद प्रेसिडेंसी न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों, अधिकरणों, उपभोक्ता फोरमों आदि में भी केंद्रीय सरकार के मुकदमा कार्य की देखरेख करता है। इसके अलावा, शाखा सचिवालय, चेन्नै को चेन्नै स्थित केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के मद्रास पीठ और केरल में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के एर्नाकुलम पीठ के समक्ष केंद्रीय सरकार का मुकदमा कार्य भी सौंपा गया है। इस अवधि के दौरान मुकदमों के लगभग 9365 मामले प्राप्त हुए और उनका निपटान किया गया, जिनके अंतर्गत उच्च न्यायालय/सीएटी/एलसी आदि की आवतियां, फीस बिल और खोली गई फाइलें भी शामिल हैं।

शाखा सचिवालय केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों को उनके मामलों की महत्वपूर्ण गतिविधियों और मुकदमों के परिणामों से अवगत रखता है और यदि आवश्यक हुआ तो आगे के लिए उपयुक्त सलाह भी देता है। तमिलनाडु और केरल में न्यायालयों/अधिकरणों/उपभोक्ता मंचों/माध्यस्थम मामलों में फाइल किए जाने वाले अभिवचनों, शपथ पत्रों आदि की जांच की जाती है और मसौदे के चरण में उनकी विधीक्षा की जाती है। शाखा सचिवालय, चेन्नै के कार्यों में, काउंसेलों का नामांकन/नियोजन करना और केंद्रीय सरकार के संबंधित विभागों से मामले से संबंधित सामग्री एकत्र करना तथा उसे काउंसेल को सौंपने से पूर्व दस्तावेजों की कानूनी दृष्टि से आवश्यक जांच करना भी शामिल है।

काउंसिलों के फीस बिल : यह शाखा सचिवालय मद्रास उच्च न्यायालय और उसके मदुरै पीठ के मामलों में भारत के अपर महासालिसिटर, सहायक महासालिसिटर, ज्येष्ठ पैनल काउंसेल और केन्द्रीय सरकार के स्थायी काउंसेलों को सीधे अपनी केन्द्रीयकृत निधि में से स्वयं फीस का संदाय करता है। इस अवधि के दौरान लगभग 2561 बिल प्राप्त हुए और मद्रास उच्च न्यायालय और उसके मदुरै पीठ के काउंसेल को रु. 3,74,70,353/– की राशि फीस के बिलों के निपटान के लिए संदाय की गई थी। केन्द्रीय सरकार के काउंसिलों के केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष उपसंजात होने के फीस के बिलों की जांच की जाती है और उन्हें प्रमाणित करने के पश्चात संदाय के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया जाता है।

केंद्रीय सरकारी काउंसिलों की बैठक

मुकदमें के संचालन की समीक्षा के लिए सभी केंद्रीय सरकारी काउंसेल की बैठक दिनांक 12 जुलाई, 2018 और 19 दिसम्बर, 2018 को आयोजित की गई थी जिसमें श्री जी. राजगोपालन, भारत के अपर महासॉलिसिटर, श्री जी. कार्तिकेयन, सहायक महासॉलिसिटर और सभी अन्य केंद्रीय सरकारी पैनल काउंसेल उपस्थित थे।

तमिलनाडु और पुद्दुचेरी के लिए नोटरियों की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार

इस शाखा सचिवालय में तमिलनाडु और पुद्दुचेरी राज्यों के लिए नोटरियों की नियुक्ति हेतु दिनांक 19 सितम्बर, 2018 से 12 अक्तूबर, 2018 के दौरान श्री एस.आर. मिश्र, अपर सचिव की अध्यक्षता में पैनल के सदस्यों के रूप में श्रीमती आर. जयलक्ष्मी, उप विधि सलाहकार और श्री जसपाल सिंह धंजू, सहायक विधि सलाहकार द्वारा साक्षात्कार आयोजित किया गया था। दस्तावेजों आदि के सत्यापन के प्रयोजन के लिए मुख्य सचिवालय से एक सहायक अनुभाग अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई थी। साक्षात्कार में प्रतिदिन लगभग 150 अभ्यर्थियों ने भाग लिया जिन्हें दो सत्रों अर्थात सुबह और शाम 9:00 (पूर्वाह्न) से 6:00 (अपराह्न) के बीच बराबर विभाजित किया गया था। उपर्युक्त प्रक्रिया में इस शाखा सचिवालय के स्टाफ के सदस्यों के साथ सभी पैनल सदस्यों की सतत उपस्थिति अपेक्षित थी।

अनुपयोगी/अप्रचलित मदों की नीलामी

इस शाखा सचिवालय के पुराने, अप्रचलित और अप्रयोज्य हो चुके कुछ कार्यालय फर्नीचर, उपकरणों और मशीनों को नीलामी द्वारा सितम्बर, 2018 में बेचा गया था।

21 जून, 2018 को चौथे 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' का आयोजन

इस शाखा सचिवालय में दिनांक 21 जून, 2018 को चौथा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। चेन्नै में दिनांक 19 और 21 जून, 2018 को कृष्णामाचारी योग मंदिरम के योग–प्रशिक्षक द्वारा दो घंटे का एक योग सत्र आयोजित किया गया था और शाखा सचिवालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया था।

'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' का आयोजन

केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार इस शाखा सचिवालय में दिनांक 29 अक्तूबर से 3 नवम्बर, 2018 को 'भ्रष्टाचार उन्मूलन – एक नए भारत का निर्माण' विषय के साथ 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' मनाया गया था। इस संदर्भ में, उप विधि सलाहकार/प्रभारी द्वारा 29 अक्तूबर, 2018 को इस शाखा सचिवालय के सभी कर्मचारियों को 'सत्यनिष्ठा शपथ' दिलाई गई थी।

'स्वच्छ भारत' मिशन

इस शाखा सचिवालय के उप विधि सलाहकार और प्रभारी द्वारा समय–समय पर कार्यालय की स्वच्छता गतिविधियों की निगरानी और जांच की गई है।

प्रतिधारण शुल्क

शाखा सचिवालय को अपनी आबंटित निधि में से, तमिलनाडु के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के स्थायी सरकारी काउंसेल के प्रतिधारण शुल्क के भुगतान का काम भी सौंपा गया है। प्रतिधारण शुल्क के लिए दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 के दौरान रु. 29,58,000/– की राशि का भुगतान किया गया जिसके अंतर्गत अक्तूबर–दिसम्बर, 2017 की अवधि का भुगतान भी शामिल है। सभी काउंसेल को तिमाही आधार पर भुगतान किया गया है।

ई–ऑफिस का कार्यान्वयन

इस शाखा सचिवालय में ई–ऑफिस के कार्यान्वयन के लिए पूर्वापेक्षित प्रबंध हेतु इस कार्यालय ने एनआईसी, चेन्नै और बीएसएनएल, चेन्नै के साथ पत्राचार आरंभ किया है।

आर.टी.आई.आवेदन

दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान, 41 ऑनलाइन आर.टी.आई आवेदन पत्र प्राप्त हुए और निपटाए गए; 13 आर.टी.आई आवेदन प्रत्यक्ष रूप से (डाक द्वारा) प्राप्त हुए और निपटाए गए; और 3 आर.टी.आई. 'अपीलें' प्रत्यक्ष रूप से (डाक द्वारा) प्राप्त हुई और निपटाई गई।

महिला कर्मचारी

एक महिला कर्मचारी (वरिष्ठ न्यायालय लिपिक) के दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को सेवानिवृत्त होने से इस कार्यालय में 4 महिला कर्मचारी अर्थात 1 उप विधि सलाहकार, 1 वैयक्तिक सहायक (सीएसएसएस) और 2 सहायक अनुभाग अधिकारी (सीएसएस) कार्यरत हैं।

निम्नलिखित प्रवर्गों के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के आंकड़े

एक वरिष्ठ न्यायालय लिपिक (अ.जा.) के दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को सेवानिवृत होने से सामान्य वर्ग के कर्मचारियों से अलग विभिन्न वर्गों के अधीन आने वाले कर्मचारियों की संख्या 7 है, अर्थात अ.जा.–3; अ.ज. जा.–1; ओ.बी.सी.–2 और भूतपूर्व सैनिक–1।

17. शाखा सचिवालय, मुंबई

संगठनः विधि और न्याय मंत्रालय मूल रूप से दो वर्गों में विभाजित है, अर्थात् मुख्य सचिवालय और मुंबई, कोलकाता, चेन्नै और बंगलुरू स्थित उसके शाखा सचिवालय।

जहां तक मुंबई शाखा सचिवालय के कार्य का संबंध है, इसमें विधिक सलाह देना, बंबई उच्च न्याोयालय से संबंधित मुकदमा कार्य की देखरेख, संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र जिनमें महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात और गोवा के अंतर्गत आने वाले अन्य अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित मुकदमा कार्य की देखरेख और शाखा सचिवालय का प्रशासनिक कार्य शामिल है।

शाखा सचिवालय के प्रभारी अधिकारी वरिष्ठ सरकारी अधिवक्तां हैं। वरिष्ठी सरकारी अधिवक्ताय को शाखा सचिवालय के प्रशासनिक, मुकदमा और सलाह के मामलों की देखरेख करने में दो अपर सरकारी अधिवक्तास, दो सहायक विधि सलाहकार (तदर्थ) और एक अधीक्षक (विधि) सहायता देते हैं। सहायक अनुभाग अधिकारी प्रशासनिक मामलों और लेखा के काम की देखरेख में वरिष्ठ सरकारी अधिवक्तो की मदद करते हैं।

इसके अतिरिक्त, शाखा सचिवालय, मुम्बई के कार्य के सुचारू संचालन के लिए उसे अलग–अलग अनुभागों में विभाजित किया गया है अर्थात सलाह अनुभाग, विविध आरंभिक शाखा मुकदमा अनुभाग, जिसमें अब पूर्ववर्ती विविध आरंभिक शाखा मुकदमा, माध्यस्थम, वाद, भूमि अधिग्रहण संबंधी निर्देश, कंपनी मामले और फेरा/फेमा/डीजीएफटी से संबंधित मामलों के आरंभिक शाखा व शाखा के मुकदमे शामिल हैं तथा अपीलीय शाखा मुकदमा अनुभाग, जिसमें अब विविध अपीलीय शाखा अनुभाग दंड विधि से संबंधित मामलों पर कार्रवाई की जाती है। इस शाखा सचिवालय में प्रत्येअक अनुभाग के प्रमुख एक वरिष्ठि अधिकारी हैं और उनकी सहायता एक अन्य अधिकारी करते हैं।

अधिकारियों के कर्त्तव्यों के निर्वहन में एक सहायक (विधि), चार सहायक अनुभाग अधिकारी (सीएसएस), एक वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, चार निजी सचिव, एक वैयक्तिक सहायक, पांच वरिष्ठ न्यायालय लिपिक ग्रेड–I, दो वरिष्ठ न्यायालय लिपिक ग्रेड–II और तीन न्यायालय लिपिक सहायता करते हैं। तथापि, एक

वैयक्तिक सहायक दिनांक 29 मार्च, 2019 को मुख्य सचिवालय में स्थानांतरित और एक न्यायालय लिपिक दिनांक 30 नवम्बर, 2018 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। इसके अलावा, एक वरिष्ठ न्यायालय लिपिक ग्रेड–I दिनांक 31 मई, 2019 को सेवानिवृत्त हो गए हैं।

कृत्य और कर्तव्यः– विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, शाखा सचिवालय, मुंबई केंद्रीय सरकार के विभिन्नृ विभागों/मंत्रालयों से निर्देश प्राप्त् होने पर विभिन्नभ विधिक मामलों पर विधिक सलाह देता है और बंबई उच्चन न्यावयालय, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, अन्या अधिकरणों और संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र के सभी अधीनस्थं न्यायालयों में केंद्रीय सरकार के मुकदमा कार्य का संचालन करता है। यह संपूर्ण कार्य प्रभारी/वरिष्ठी सरकारी अधिवक्ताा के मार्ग–निर्देशन में इस शाखा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। शाखा सचिवालय विधि सचिव से मार्गदर्शन प्राप्त करता है। शाखा सचिवालय, मुंबई के संगठन चार्ट की प्रति इस प्रकार हैः

विधिक सलाहः भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से विधिक सलाह के लिए प्राप्त निर्देशों की सबसे पहले अधीक्षक (विधि) द्वारा जांच की जाती है और तत्पश्चात उन्हें वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता/ प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुीत किया जाता है जो इन मामलों को कार्य के वितरण/आबंटन के अनुसार वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता, अपर सरकारी अधिवक्ता, सहायक विधि सलाहकार को कार्रवाई के लिए देते हैं। यदि जरूरी हुआ तो, सलाह के मामले भारत के अपर महासालिसिटर की विशेषज्ञ राय प्राप्त करने के लिए भी भेजे जाते हैं।

जहां तक चालू वर्ष का संबंध है, इस शाखा सचिवालय को सलाह के लिए 3597 मामले प्राप्त हुए हैं और शाखा सचिवालय ने 3578 मामलों का निपटान कर दिया है और आज की तारीख में 19 मामले लंबित हैं।

मुकदमाः इस शाखा सचिवालय के मुकदमा कार्य के प्रधान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता हैं। उनकी सहायता के लिए अपर सरकारी अधिवक्ताश, सहायक विधि सलाहकार और अधीक्षक (विधि) हैं, जो बंबई उच्च न्यायालय में भारत सरकार द्वारा या उसके विरूद्ध दायर मुकदमों की देखरेख करने के काम में उनकी मदद करते हैं। इसके साथ ही, इस शाखा सचिवालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में मुकदमा कार्य की देखरेख भी की जाती है। जहां भी आवश्यक होता है, मुकदमा कार्य का संचालन बम्बई उच्च न्यायालय के लिए उसकी साधारण प्रारंभिक सिविल अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता और दांडिक अधिकारिता में भारत सरकार के पैनल पर रखे गए/ नियुक्त अधिवक्ताओं/ काउंसेलों के और विभिन्न न्यायालयों के समक्ष उपसंजात होने के लिए विभिन्न पैनलों पर रखे गए अन्य काउंसेलों के माध्यम से किया जाता है।

जहां तक वर्ष 2017–18 का संबंध है, इस शाखा सचिवालय में विभिन्न मुकदमों से संबंधित लगभग 1466 मामले प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार के हितों की रक्षा करने के लिए विभिन्न केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से काउंसेल नियुक्त किए गए और उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमों के लगभग 1003 मामले निपटाए गए हैं और आज की तारीख में 463 मामले लंबित हैं।

प्रशासन : शाखा सचिवालय, मुम्बई के प्रशासन के प्रमुख/प्रभारी वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता हैं। शाखा सचिवालय के दिन–प्रतिदिन के प्रशासनिक मामलों की देखरेख हेतु उनकी सहायता के लिए एक सहायक अनुभाग अधिकारी और आहरण एवं संवितरण अधिकारी है। तथापि, दिनांक 27.1.2017 से अनुभाग अधिकारी का पद रिक्त है।

राजभाषाः इस शाखा सचिवालय के प्रभारी अधिकारी वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ताए 'विभागीय राजभाषा अधिकारी' के रूप में भी कार्य करते हैं और उनके द्वारा नामित अन्य अधिकारी शाखा सचिवालय में राजभाषा की उन्नति और अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए कार्य करते हैं। शाखा सचिवालय में गठित राजभाषा समिति के सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैंः–

1.	श्री पंकज कपूर, वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता	:	अध्यक्ष
2.	श्री ए.ए. अंसारी, अपर सरकारी अधिवक्ता	:	कार्यकारी अध्यक्ष
3.	श्री एन. ए. पांडे, सहायक विधि सलाहकार	:	समन्वयक
4.	श्री अनूप कुमार, सहायक (विधि)	:	कार्यकारी सदस्य
5.	श्रीमती उषा वी. सैलिअन, वैयक्तिक सहायक	:	कार्यकारी सदस्य
6.	श्रीमती वैशाली कर्माले, एमटीएस	:	कार्यकारी सदस्य

उपर्युक्त समिति प्रभारी अधिकारी को आवधिक रिपोर्टें प्रस्तुत करती है।

18. भारत का विधि आयोग

विधिक सुधारों हेतु कार्य करने के लिए निर्दिष्ट विचारार्थ विषयों के साथ भारत के विधि आयोग का गठन हर तीन साल में होता है। भारत का 21वां विधि आयोग का गठन दिनांक 1 सितंबर, 2015 दिनांक 31 अगस्तै, 2018 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए गठित अंतिम विधि आयोग था। 21वें विधि आयोग में एक अध्यक्ष, दो पूर्णकालिक सदस्य, एक सदस्य–सचिव, दो पदेन सदस्य और तीन अंशकालिक सदस्य हैं। विधि आयोग में भारतीय विधि सेवा के विधि अधिकारी शामिल हैं। प्रशासन की देखरेख के लिए एक छोटा सचिवीय स्टाफ है।

विचारार्थ विषय

2. 21वें विधि आयोग में निम्नलिखित विचारार्थ विषय शामिल हैं–

क. अप्रचलित विधियों का पुनर्विलोकन/निरसन :

(i) ऐसी विधियों की पहचान करना जो अब आवश्यक या प्रासंगिक नहीं रह गई हैं और जिन्हें तत्काल निरसित किया जा सकता है।

(ii) ऐसी विधियों की पहचान करना जो आर्थिक उदारीकरण के विद्यमान परिवेश के सामंजस्य में नहीं हैं और जिनमें परिवर्तन की आवश्यकता है।

(iii) ऐसी विधियों की पहचान करना जिनमें परिवर्तन या संशोधन अपेक्षित हैं और उनके संशोधन के लिए सुझाव देना।

(iv) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के विशेषज्ञ समूहों द्वारा दिए गए पुनरीक्षण/ संशोधन के सुझावों पर, उनके समन्वयन और सामंजस्यकरण की दृष्टि से व्यापक परिप्रेक्ष्य में विचार करना।

(v) एक से अधिक मंत्रालयों/ विभागों के कार्यकरण पर प्रभाव डालने वाले विधान की बाबत मंत्रालयों/विभागों द्वारा विधि कार्य विभाग, विधि और न्ध्याय मंत्रालय के माध्यम से किए गए निर्देशों पर विचार करना।

(vi) विधि के क्षेत्र में नागरिकों की शिकायतों को शीघ्र दूर करने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देना।

ख. विधि और निर्धनता :

(i) ऐसी विधियों की जांच करना जो निर्धनों पर प्रभाव डालती हैं और सामाजिक – आर्थिक विधानों के लिए पश्च–संपरीक्षा करना।

(ii) ऐसे सभी उपाय करना जो निर्धनों की सेवा में विधि और विधिक प्रक्रिया को उपयोग में लाने के लिए आवश्यक हों।

ग. यह सुनिश्चित करने के लिए न्याय प्रशासन की पद्धति का पुनर्विलोकन करते रहना कि वह समय की उचित मांगों के लिए प्रभावी बनी रहे और विशेष रूप से, निम्नलिखित को सुनिश्चित करना :–

(i) विलंब को दूर करना, बकाया मामलों का शीघ्र निपटान करना और खर्च में कमी करना ताकि इस आधारभूत सिद्धांत कि विनिश्चय न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होने चाहिए पर प्रभाव डाले बिना, मामलों का शीघ्र और मितव्ययी निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

(ii) विलंबकारी युक्तियों और तकनीकी जटिलताओं को दूर करने या कम करने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण करना, जिससे वह स्वयं में साध्य बनकर न रह जाए बल्कि न्याय की प्राप्ति में एक साधन के रूप में प्रयुक्त हो।

(iii) न्याय प्रशासन से संबद्ध सभी मानदंडों में सुधार।

घ. विद्यमान विधियों की राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के आलोक में परीक्षा करना और उनमें सुधार तथा उन्नति के तरीकों का सुझाव देना और ऐसे विधानों का सुझाव भी देना जो निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए और संविधान की उद्देशिका में वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हों।

ङ लैंगिक समानता के संवर्धन की दृष्टि से विद्यमान विधियों की परीक्षा करना और उनमें संशोधनों के लिए सुझाव देना।

च. सार्वजनिक महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना जिससे उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विसंगतियों, संदिग्धताओं तथा असमानताओं को दूर किया जा सके।

छ. अप्रचलित विधियों और ऐसी अधिनियमितियों या उनके ऐसे भागों को, जिनकी उपयोगिता नहीं रह गई है, निरसित करके कानून को अद्यतन करने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना।

ज. विधि और न्याय प्रशासन से संबंधित ऐसे किसी भी विषय पर, जो विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के माध्यम से सरकार द्वारा उसे निर्देशित किया जाए, विचार करना और अपने अभिमत से सरकार को अवगत कराना।

झ. अनुसंधान प्रदान करने के लिए विदेशों से प्राप्त अनुरोधों पर, जो उसे सरकार द्वारा विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के माध्यम से भजे गए हों, पर विचार करना।

ञ. खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी पर वैश्वीकरण के प्रभाव की जांच करना और गरीबों के हितों की रक्षा के लिए उपायों की सिफारिश करना।

छात्रों को प्रोत्साहन

विधि आयोग स्वैच्छिाक इंटर्नशिप कार्यक्रम, ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम, शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम कार्यक्रम संचालित करता है। विधि के शासन की स्थापना और उसके लिए विधि की बेहतर समझ हेतु विधि के छात्रों में विधि के अनुसंधान और विधि में सुधार की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए विधि आयोग द्वारा इंटर्नशिप कार्यक्रम संचालित किया जाता है।

उद्देश्य और उपलब्धियां :–

भारत के विधि आयोग ने अब तक विभिन्न विषयों पर 277 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। भारत के 21वें विधि आयोग ने विधि कार्य विभाग, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्देश पर विभिन्न विषयों का अध्ययन किया है और राष्ट्रीयवाद नीति, 2016 के मसौदे पर रिपोर्ट सहित 15 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। 21वें विधि आयोग द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत की गई रिपोर्टें **अनुबंध–IV** पर दी गई है।

विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का दौरा :

21वें विधि आयोग ने संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के साथ विधिक सुधारों और विधि सम्मत शासन को सुदृढ़ करने के लिए चर्चा की।

विधि दिवस समारोह :

विधि आयोग ने नीति आयोग के साथ समन्वय से दिनांक 25–26 नवंबर, 2017 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय विधि दिवस समारोह का आयोजन किया। विधि दिवस समारोह, 2017 का केन्द्रीवय विषय 'विकासशील राष्ट्र के लिए समावेशन और सबके विकास व सबको न्यािय के आधार पर राज्य के तीनों स्कंधिों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच तालमेल' था।

अनुवर्ती कार्रवाई :

विधि आयोग की रिपोर्ट समय–समय पर विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा संसद में रखी जाती है और कार्यान्वयन के लिए संबंधित प्रशासनिक विभागों/मंत्रालयों को भेज दी जाती है। सरकार के निर्णय के आधार पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उन पर कार्रवाई की जाती है। निरपवाद रूप से, रिपोर्टों को न्यायालयों, संसदीय स्थायी समितियों, शैक्षिक और सार्वजनिक लेखों में उद्धृत किया गया है।

19. व्यापार करने में आसानी–''संविदाओं के प्रवर्तन'' हेतु उठाए गए कदम

अंतरराष्ट्रीय सौजन्य में किसी देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक और वित्तीय बाजारों की बड़ी भूमिका होती है। ऐसी आर्थिक गतिविधियों की वृद्धि के लिए, नियमों का एक ऐसा सरल ढ़ांचा आवश्यक होता है, जो निवेशकों को प्रोत्साहित करे और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दे। इसलिए सरकार ने व्यापार को सुकर बनाने वाले कानून और नियमों के साथ–साथ भारत को निवेश और व्यापिार के लिए पसंदीदा स्थल बनाने को उच्च प्राथमिकता दी है। इस संदर्भ में सरकार ने पहले वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग एवं वाणिज्यिक अपील प्रभाग अधिनियम, 2015 को अधिनियमित किया और माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन किया।

देश में आर्थिक सुधारों को जारी रखने के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए केन्द्रीय सरकार ने विश्व बैंक

की ''डूइंग बिजनेस रिपोर्ट'' (डीबीआर) में भारत की रैंकिंग में सुधार करने हेतु कई कदम उठाए हैं ताकि देश में निवेश और व्यापार सुकर वातावरण को बढ़ावा मिले तथा न्यायालयों के कम से कम हस्तक्षेप से विवादों का तीव्र समाधान हो सके। इस प्रयास में केन्द्रीय सरकार ने वर्ष, 2018 में वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में संशोधन किया है। इस संशोधन ने पहले के 1 करोड़ रूपए तक के विनिर्दिष्ट मूल्य के किसी वाणिज्यिक विवाद को 3 लाख रूपए तक कम करके वाणिज्यिक विवादों का तीव्र निपटान करने और साधारण आरंभिक सिविल अधिकारिता वाले उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में जिला न्यायाधीश स्तर के वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना की सुविधा प्रदान की है और न्यायिक प्रणाली पर बोझ को कम करने के लिए एक आवश्यक प्रणाली ''दाखिल पूर्व मध्यस्थता और समाधान'' (पीआईएमएस) (एक वैकल्पिोक विवाद समाधन तंत्र) की शुरूआत की गई है जो निपटान के लिए प्रथम चरण में मध्यस्थता हेतु भेजे जा रहे कुछ मामलों के लिए प्रदान की जाती है। मध्यस्थता राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षण के अधीन संचालित किया जाना है जैसा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में उपबंधित किया गया है। दाखिला पूर्व मध्यस्थता और समाधान तंत्र (पीआईएमएस) के माध्यम से विवाद समाधान में असफल होने पर वादी अपने वाणिज्यिक विवाद के समाधान के लिए न्यायालय जा सकता है। संशोधन अधिनियम ऐसे क्षेत्रों में जिला स्तर पर वाणिज्यिक अपील न्यायालय की स्थापना का भी उपबंध करता है जहां उच्च न्यायालयों के पास साधारण आरंभिक सिविल अधिकारिता नहीं होती है और प्रथम चरण में ही वाणिज्यिक विवाद के मामलों का निपटारा ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाता है जो उस जिला न्यायाधीश का अधीनस्थ होता है।

20. माध्यस्थम तंत्र का सुदृढ़ बनाने के लिए उठाए गए कदम :

केन्द्र सरकार ने अन्य बातों के साथ–साथ, माध्यस्थम प्रक्रिया को प्रयोक्ता–अनुकूल, किफायती और त्वरित बनाने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम और वाणिज्यिक अधिनियम, 1996 को संशोधित किया है। तथापि, संशोधन अधिनियम की प्रयोज्यता में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों को विधि कार्य विभाग के संज्ञान में लाया गया है। इसके अलावा, यह देखा गया कि देश में संस्थागत माध्यस्थम तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। इस संबंध में, केन्द्र सरकार ने भारत में माध्यस्थम तंत्र को संस्थागत बनाए जाने की समीक्षा करने और उसके लिए प्रस्तावित सुधारों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण की अध्यिक्षता में एक उच्च–स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति ने दिनांक 30 जुलाई, 2017 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और अधिनियम में कुछ संशोधनों की सिफारिश की। विधि कार्य विभाग समिति की सिफारिशों पर ठोस कदम उठाए हैं।

समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए और विश्व् बैंक की ''डूइंग बिजनेस रिपोर्ट'' जिसमें संविदाओं के प्रर्वतन में 190 देशों की सूची में भारत 163वें रैंक पर है, को और मजबूत बनाने के लिए सरकार का प्रख्यात विशेषज्ञों के नेतृत्व वाले विश्वसनीय माध्यस्थम संस्थानों द्वारा निवेशकों के भरोसे को बढ़ाते हुए ईज आफ डूइंग बिजनेस की सुविधा प्रदान करने हेतु अतिरिक्त प्रयास करने की प्रतिबद्धता के कारण एक विधेयक अर्थात ''नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केन्द्र विधेयक, 2018'' को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और दिनांक 4 जनवरी, 2019 के पारित किया गया। तथापि उक्त को राज्या सभा में विचार के लिए नहीं रखा जा सका। अतः राष्ट्रलपति द्वारा दिनांक 2 मार्च, 2019 को नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केन्द्र अध्यादेश, 2019 को प्राख्यापित किया गया क्योंकि संसद चालू नहीं था और उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त, भारत में विवाद समाधन परिदृश्यन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने तथा अंतरराष्ट्रीय

वाणिज्यक माध्यस्थम और घरेलू माध्यस्थम दोनों के लिए संस्थागत माध्यस्थम में भारत को अधिमान्य स्थान प्रदान करने हेतु तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता थी।

अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान (आईसीएडीआर) के सभी उपक्रमों को केन्द्र सरकार में निहित किया गया है। केन्द्र सरकार में निहित अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान के उपक्रमों को नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्य्स्थंम केन्द्र में स्थानांतरित किया जाएगा, जो एक राष्ट्रीय महत्व का केन्द्र होगा।

21. भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई)

प्रस्तावना

भारतीय विधि संस्थान एक प्रमुख विधि अनुसंधान संस्थान है, जिसकी स्थापना दिनांक 27 दिसंबर, 1956 को हुई थी। संस्थान का मुख्य उद्देश्य विधि में उच्च अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देना और न्याय प्रशासन में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना है ताकि विधि और उसके तंत्र के जरिए लोगों की सामाजिक–आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। इस संस्थान को वर्ष 2004 में मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। संस्थान ने मार्च, 2017 में राष्ट्रीय आकलन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) से 4.00 अंकों के पैमाने पर 3.35 का सीजीपीए हासिल करके 'ए' ग्रेड सहित अपनी पहली मान्यता प्राप्त की। यह संस्थान विधि में मास्टर डिग्री और डॉक्टर के पाठ्यक्रमों सहित विधि के विभिन्न क्षेत्रों में, अर्थात वैकल्पिक विवाद समाधान, कारपोरेट विधि और प्रबंधन, साइबर विधि और बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार जैसे विषयों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है।

अकादमिक कार्यक्रम

वर्ष 2004 में मानित विश्ववविद्यालय घोषित किए जाने के पश्चात, इस संस्थान ने शोधपरक एलएल. एम कार्यक्रम शुरू किया। इस एलएल.एम. कार्यक्रम में दाखिला पूर्णतः योग्यता के आधार पर होता है, जो प्रत्येक वर्ष आयोजित एक सामान्य प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार के जरिये होता है। वर्तमान में, संस्थान द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं:

कार्यक्रम	अकादमिक सत्र, 2018–2019 में दाखिल छात्रों की संख्या
एल.एल.एम.– 1 वर्ष (पूर्णकालिक)	38
स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (वैकल्पिक विवाद समाधान, कारपोरेट विधि और प्रबंधन, साइबर विधि और बौद्धिक सम्पकत्तिू अधिकार विधि)	303
विधि में पीएच.डी.	08
छात्रों की कुल संख्या	349

- संस्थान में एक पी.एच.डी. कार्यक्रम है, जिसमें इस समय 29 छात्र नामांकित हैं।
- यह संस्थान बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार और साइबर विधि में तीन माह की अवधि के ऑनलाइन ई–लर्निंग प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम भी चलाता है। ऑनलाइन साइबर विधि पाठ्यक्रम के बैच सं. 32 और

ऑनलाइन बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार पाठ्यक्रम के बैच सं. 43 ने अपने पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

अकादमिक सत्र 2018–19 के लिए प्रवेश प्रक्रिया अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 01.05.2018 को विवरणिका प्रकाशित होने के साथ शुरू हुआ। एल.एल.एम. पाठ्यक्रम के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा दिनांक 9 जून, 2018 को आयोजित हुई। दाखिले पूर्णतः प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार पर आधारित मेरिट के अनुसार हुए। उक्त के लिए परीक्षा परिणाम दिनांक 28 जून, 2018 को जारी हुआ। एलएलएम (1 वर्षीय) और स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए कक्षाएं दिनांक 1 अगस्त, 2018 से शुरू हुई।

संगोष्ठियां / सम्मेलन / प्रशिक्षण / परिचर्चा

- **वीएएफ (मतदाता जागरूकता मंच) कार्यक्रम (24 जनवरी, 2019)**

  भारतीय विधि संस्थान ने दिनांक 24 जनवरी, 2019 को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार भारतीय विधि संस्थान के अधिकारियों / छात्रों के लिए एक मतदाता जागरूकता मंच (बीएएफ) कार्यक्रम का आयोजन किया।

- **मेंडली: संदर्भ प्रबंधन उपकरण पर प्रशिक्षण सत्र**

  भारतीय विधि संस्थान ने दिनांक 29 जनवरी, 2019 को सक्रीय शोधार्थियों के लिए शोध प्रबंधन उपकरणों को समझने हेतु "मेंडली: संदर्भ प्रबंधन उपकरण" का एक प्रशिक्षण सत्र भारतीय विधि संस्थान में आयोजित किया।

- **बंदी माता–पिता के बच्चे: मुद्दे और चुनौतियां विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन (दिनांक 27 मार्च, 2019)**

  भारतीय विधि संस्थान और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के स्वीय विधि में तुलनात्मक अध्ययन केंद्र ने संयुक्त रूप से संस्थान के प्लेनरी हॉल में दिनांक 27 मार्च, 2019 को बंदी माता–पिता के बच्चे: मुद्दे और चुनौतियां पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया।

- **दिनांक 13–14 मार्च, 2019 को "अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के 100 वर्ष तथा आगामी क्रियाकलाप: श्रम नीति एवं विधि" विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन**

  राष्ट्रीय श्रम विधि संघ और भारतीय विधि संस्थान ने संयुक्त रूप से दिनांक 13 और 14 मार्च, 2019 को "अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के 100 वर्ष तथा आगामी क्रियाकलाप: श्रम नीति और विधि" पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

- **दिनांक 5 मार्च, 2019 को विशिष्ट विविध और प्रजातांत्रिक "भारतीय बौद्धिक सम्पत्ति" का एक 3–डी परिप्रेक्ष्य विषय पर संगोष्ठी**

  भारतीय विधि संस्थान ने पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय के लॉ स्कूल और विधिक शिक्षा तक बढ़ती पहुंच द्वारा बढ़ती विभिन्ना (आईडीआईए) नामक एक धर्मार्थ संस्था के सहयोग से दिनांक 8 दिसम्बर, 2018 को "लॉ एंड स्टोरीटेलिंग" विषय पर वार्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया।

- **दिनांक 22 और 23 फरवरी, 2019 को "दांडिक अन्वेषण में क्वालिटी नियंत्रण" विषय पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी**

  सेंटर फार इंटरनेशलन लॉ रिसर्च एंड पॉलिसी (सीआईएलआरएपी) और भारतीय विधि संस्थान ने

दिनांक 22 और 23 फरवरी, 2019 के दांडिक अन्वेषण में क्वालिटी नियंत्रण विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया।

- **15 दिसम्बर, 2018 को "बाल कल्याण समितियां" (डीसीपीसीआर) विषय पर एक दिवसीय परामर्श**

  भारतीय विधि संस्थान ने दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) के सहयोग से दिनांक 15 दिसम्बर, 2018 को बाल कल्याण समितियां विषय पर एक दिवसीय परामर्श सत्र का आयोजन किया।

- **दिनांक 8 दिसम्बर, 2018 को आईडीआईए – भारतीय विधि संस्थान का वार्षिक पुरस्कार और संगोष्ठी**

  भारतीय विधि संस्थान ने विधिक शिक्षा तक बढ़ती पहुंच द्वारा बढ़ती विभिन्ना (आईडीआईए), एक धर्मार्थ संस्था के सहयोग से दिनांक 8 दिसम्बर, 2018 को "लॉ एंड स्टोरीटेलिंग" विषय पर वार्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया।

- **"डिजिटल रूपांतरः संरक्षण, नीति और गोपनीयता (आईसीडीटी–2018) विषय पर संगोष्ठी"**

  राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली ने भारतीय विधि संस्थान और अन्य संगठनों के साथ संयुक्त रूप से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली में दिनांक 29 नवम्बर और 01 दिसम्बर, 2018 को "डिजीटल रूपांतरः संरक्षण, नीति और गोपनीयता (आईसीडीटी–2018) विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया।"

- **राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के साथ नीति मंथन व्याख्यान श्रृंखला की शुरूआत की गई है।**

  नीति मंथन व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत दिनांक 11 अक्तूबर, 2018 को "अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए संवैधानिक आधार" विषय पर और दिनांक 7 सितम्बर, 2018 को "शासन की गतिशीलता और सुशासन में युवाओं की भूमिका" विषय पर व्याख्यान आयोजित किए गए।

  ❖ **दिनांक 15 सितम्बर, 2018 को पैनल चर्चा**

    दिनांक 15 सितम्बर, 2018 को 11.00 बजे से रत्ना कपूर की पुस्तक 'जेंडर, अल्टेरिटी एंड ह्यूमन राइट्सः फ्रीडम इन अ फिशबॉल (एल्गर स्टडीज इन लीगल थियोरी, 2018)' पर एक पैनल चर्चा की गई।

  ❖ भारतीय विधि संस्थान ने उच्चतम न्यायाल के सहयोग से दो निम्नलिखित सम्मेलन आयोजित किए

- दिनांक 1–2, सितम्बर, 2018 को विधि शिक्षा सुधारों पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों का सम्मेलन
- दिनांक 27–28 जुलाई, 2018 को न्यायिक प्रक्रिया में विलम्ब और लंबमानता को कम करने की राष्ट्रीय पहल पर सम्मेलन

  ❖ "बौद्धिक सम्पदाः प्रक्रिया और अभ्यास" पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला

भारतीय विधि संस्थान ने दिनांक 20–21 अप्रैल, 2018 को आईएलआई के प्लेनरी हॉल में "बौद्धिक संपदाः प्रक्रिया और अभ्यास" पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

भारतीय विधि संस्थान ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहयोग से निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कियाः

- दिनांक 30–31 मार्च, 2019 को "पुलिस और मानव अधिकारः मुद्दे और चुनौतियां" विषय पर पुलिस कार्मिकों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
- दिनांक 23–24 फरवरी, 2019 को "मानव अधिकारः मुद्दे और चुनौतियां" विषय पर न्यायिक अधिकारियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- दिनांक 19–20 जनवरी, 2019 को 'मानव अधिकारः मुद्दे और चुनौतियां' विषय पर जेल अधिकारियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- दिनांक 22 दिसम्बर, 2018 को "मीडिया और मानव अधिकारः मुद्दे और चुनौतियां" पर मीडिया कार्मिकों एवं सरकार के जनसम्पर्क अधिकारियों के लिए एक–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
- दिनांक 17–18 नवम्बर, 2018 को 'मानव अधिकारः मुद्दे और चुनौतियां' विषय पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेटों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
- दिनांक 6 अक्तूबर, 2018 को बाल सुधार गृह, वृद्धाश्रम और स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।

म्यांमार के विधि अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

भारतीय विधि संस्थान ने दिनांक 6–13 मई, 2018 को म्यांमार के विधि अधिकारियों के लिए विभिन्न विषयों जैसे कि तुलनात्मक संवैधानिक विधि, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार, साइबर लॉ, शरणार्थी विषयक विधि और अंतरराष्ट्रीय दंड विधि पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम राजस्थान गेस्ट हाउस में आयोजित किया गया तथा इस कार्यक्रम में म्यांमार के 20 विधि अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रकाशन

पुस्तकें

- लॉ ऑफ सेडिशन इन इंडिया एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन (प्रो. मनोज कुमार सिन्हा, डॉ. अनुराग दीप)
- आईपीआर एंड ह्यूमन राइट्स विद स्पेशल एम्फसिस ऑन इंडिया– (प्रो. मनोज कुमार सिन्हा, सुश्री जूपि गोगोई)
- टूवर्डस द रीनेसन्सः शिबली एंड मौलाना थानवी ऑन शरीया – (प्रो. फुरकान अहमद)

विशेष व्याख्यान/पैनल चर्चा

- दिनांक 25 फरवरी, 2019 को प्रो. एमिरिट्स विरेन्द्र कुमार द्वारा "संविधान के अधीन निजता के अधिकार की गतिकी" (के.एस. पुट्टास्वामी मामले में 9 जजों के बेंच के फैसले की न्यायिक आलोचना)

विषय पर विशेष व्याख्यान दिया गया।

- दिनांक 19 फरवरी, 2019 को प्रो. मीरा फुरतादो, विधि और सामाजिक विज्ञान प्रमुख, ससेक्स विश्वविद्यालय, आईएससी, लंदन, यूके और महासचिव, कॉमन वेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन ने "ब्रेक्सिट(Brexit) के यूरोपियन यूनियन और यूके पर प्रभाव" विषय पर विशेष व्याख्यान दिया।

- दिनांक 01 फरवरी, 2019 को श्री पी.के. मल्होत्रा, महासचिव, अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र, पूर्व विधि सचिव ने (भारतीय माध्यस्थम विधि) विषय पर विशेष व्याख्यान दिया।

- दिनांक 22 जनवरी, 2019 को प्रो. थॉमस ई. नन्ने, मिस्सोरी विश्वविद्यालय, कन्नाज सिटी ने "इस्लामिक कानून" पर विशेष व्याख्यान दिया।

- दिनांक 21 जनवरी, 2019 को भारतीय विधि संस्थान ने "अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक और परिवहन विधि" पर डॉ. तबेथा कुर्त्ज शेफार्ड, स्वानसी विश्वविद्यालय, यूके द्वारा एक वार्ता का आयोजन किया गया।

- दिनांक 28 नवम्बर, 2018 को प्रोफेसर जिरोन वार्लेट, निदेशक पीस पैलेस लाइब्रेरी, अंतरराष्ट्रीय न्याय न्यायालय ने विशेष व्याख्यान दिया।

- दिनांक 3 अक्तूबर, 2018 को माननीय न्यायमूर्ति विनीत कोठारी ने "भारतीय कर कानूनों" में समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर बातचीत" पर विशेष व्याख्यान दिया।

- दिनांक 15 सितम्बर, 2018 को भारतीय विधि संस्थान ने प्रो. रत्ना कपूर की पुस्तक "जेंडर, अल्टेरिटी और ह्यूमन राइट्सः फ्रीडम इन अ फिशबाउल" पर पैनल चर्चा का आयोजन किया। पैनल में प्रो. रत्ना कपूर, प्रोफेसर, क्वीन मैरी विश्वविद्यालय, लंदन और पुस्तक पर चार समीक्षक क्रमशः प्रो. उपेन्द्र बक्शी, विधि में विकास के प्रोफेसर, वार्निक विश्वविद्यालय, प्रो. शोहिनी घोष, प्रोफेसर, जामिया मिलिया इस्लामिया, प्रो. राजश्री चंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज तथा प्रो. लक्ष्मी आर्य, एसोसिएट प्रोफेसर, ओरो विश्वविद्यालय, गुजरात शामिल थे।

- दिनांक 10 सितम्बर, 2018 को भारतीय विधि संस्थान ने एसजीटी विश्वविद्यालय गुरूग्राम के साथ "भारतीय संवैधानिकता और नागरिकों के मौलिक कर्त्तव्यों" पर व्याख्यान का आयोजन किया। पैनल में सुश्री पिंकी आनंद, भारत के अपर महासॉलिसिटर, श्री पराग त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री पी.के. मल्होत्रा, महासचिव, अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र एवं पूर्व संघ विधि सचिव शामिल थे।

- दिनांक 24 अप्रैल, 2018 को प्रो. जी. मोहन गोपाल, निदेशक, राजीव गांधी इंस्टिट्यूट और कन्टेम्परोरी स्टडीज ने डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2018 (4) स्केल ै(ब।स्न) 661 निर्णय पर चर्चा की।

- दिनांक 4 मई, 2018 को सुश्री क्रिस्टिन हैगट फार्ले, अमेरिकन यूनिवर्सिटी वाशिंगटन कॉलेज आफ लॉ में विधि प्रोफेसर, ने "अमेरिकी कानून के तहत गैर–पारम्परिक ट्रेडमार्क" विषय पर व्याख्यान दिया।

22. भारतीय बार काउंसिल (बी.सी.आई.)

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन गठित भारतीय बार काउंसिल को अन्य बातों के साथ–साथ

अधिवक्ताओं के लिए व्यावसायिक आचरण व शिष्टाचार के मानदंड निर्धारित करने तथा देश में विधि शिक्षा के मानदंड निर्धारित करने, उन्हें बनाए रखने तथा उनमें सुधार करने की शक्ति प्रदान की गई है। जबकि राज्य बार काउंसिलें अधिवक्ताओं के तौर पर नामांकन करने के लिए प्राधिकरण हैं, राज्य बार काउंसिलें और भारतीय बार काउंसिल मिलकर अधिवक्ताओं में अनुशासन का प्रवर्तन करती हैं। अनुशासनात्मक मामलों में भारतीय बार काउंसिल अपीलीय प्राधिकरण के तौर पर कार्य करती है।

भारतीय बार काउंसिल सदस्यों को परिचालित कार्यसूची के अनुसार नियमित अंतरालों पर बैठकें करती है। इन बैठकों में, काउंसिल धारा 26(1) के अधीन उन मामलों में निष्कासन की कार्यवाहियां भी करती है, जिनमें अन्यथा कथन अथवा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर किसी व्यक्ति का नामांकन किया गया हो; और राज्य बार काउंसिलों से धारा 26(1) के अधीन प्राप्त ऐसे निर्देशों का निपटान भी करती है, जिनमें राज्य बार काउंसिल द्वारा किसी कारणवश नामांकन के आवेदन को रद्द करने का प्रस्ताव किया गया होता है तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 48(क) के अधीन उन मामलों में पुनरीक्षण याचिकाओं की सुनवाई और निर्णय भी करती है, जिन मामलों में अधिवक्ताओं के विरुद्ध व्यावसायिक अथवा अन्य कदाचार की शिकायतों को राज्य बार काउंसिल द्वारा सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया होता है।

23. आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 252 में यह उपबंध है कि केंद्रीय सरकार, अधिनियम में प्रदत्त शक्तितयों का प्रयोग करने और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उतने न्यायिक सदस्यों और लेखा सदस्यों से, जितने वह ठीक समझे, एक अपीलीय अधिकरण का गठन करेगी। भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 में अंतर्विष्ट ऐसे ही उपबंध के अनुसरण में दिनांक 25 जनवरी, 1941 को आयकर अपीलीय अधिकरण की स्थापना की गई थी।

शक्तियां और कृत्यः

आयकर अधिनियम के अधीन गठित आयकर अपीलीय अधिकरण प्रत्यकक्ष कर के सभी मामलों में द्वितीय अपीलों तथा प्रशासनिक आयुक्तों के पुनरीक्षण आदेशों के विरूद्ध अपीलों के साथ–साथ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 छ या 12क के अधीन पंजीकरण निषेध करने के आदेश का निपटान करता है।

आयकर अपीलीय अधिकरण की शक्तिययों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा इसके सदस्यों में से गठित की गई न्यायपीठों द्वारा किया जाता है। सामान्यतः एक न्यायपीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक लेखा सदस्य होता है। तथापि, उपयुक्त मामलों में अध्यक्ष के निर्णय से, पीठ में दो या उससे अधिक सदस्य शामिल हो सकते हैं। अध्यक्ष या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्तन प्राधिकृत किया गया अधिकरण का कोई अन्य सदस्य एकल रूप में बैठकर किसी मामले को निपटा सकेगा जो ऐसे न्यायपीठ को आबंटित किया गया है जिसका वह सदस्य है और जो ऐसे निर्धारिती से संबंधित है जिसकी मामले में निर्धारण अधिकारी द्वारा यथासंगणित कुल आय पचास लाख रूपये से अधिक नहीं है और अध्यक्ष, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी विशिष्ट मामले के निपटारे के लिए तीन या इससे अधिक सदस्यों का विशेष न्यायपीठ गठित कर सकेगा, जिसमें आवश्यक रूप से एक न्यायिक सदस्य और एक लेखा सदस्य होगा।

लंबित अपीलें

वर्ष 2017–18 के अंत तक आयकर अपीलीय अधिकरण में लंबित अपीलों की संख्या 92817 थी और

दिनांक 31 मार्च, 2019 को लंबित अपीलों की संख्या 92205 है।

निम्नलिखित सारणी से देखा जा सकता है कि नव–सृजित पीठों के चालू होने के बाद से लंबन को कम करने की वचनबद्धता के उत्साहजनक परिणाम रहे हैं :–

वर्ष	दाखिल की गई अपीलों की संख्या	निपटाई गई अपीलों की संख्या	वर्ष के अंत में लम्बित अपीलों की संख्या
2004–2005	57331	78901	137164
2005–2006	45283	73979	108468
2006–2007	43192	65524	86136
2007–2008	44356	59653	70839
2008–2009	40372	55889	55322
2009–2010	41648	49353	47617
2010–2011	44250	36293	55574
2011–2012	42346	33816	64104
2012–2013	43934	33752	74286
2013–2014	46031	31886	88643
2014–2015	45072	30494	103238
2015–2016	40087	51010	91971
2016–2017	48328	48385	92386
2017–2018	49693	49791	92817
2018–19	50735	51766	92205

लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए किए गए प्रयासः

सभी न्यामयपीठों को आवश्य क निर्देश जारी किए गए हैं कि वे आयकर अपीलीय अधिकरण, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों के अंतर्गत आने वाले मामलों की जांच करें और उनकी पहचान करें तथा प्राथमिकता के आधार पर उन्हें पोस्ट करें। इनमें समूह के और छोटे मामले शामिल हैं। इसके अलावा, प्रशासनिक आयुक्तों द्वारा धारा 263 के अधीन तलाशी और जब्ती मामलों से संबंधित अपीलों तथा अपीलों के विरूद्ध निपटान को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी प्रकार, धारा 12क के अधीन धर्मार्थ संस्थाओं के पंजीकरण अस्वीकार करने और धारा 80छ के अधीन मान्यता स्वीकार न करने पर भी प्राथमिकता से कार्रवाई की गई। जब भी अधिकरण से संपर्क किया गया तब वरिष्ठ नागरिकों द्वारा की गई अपीलों पर भी प्राथमिकता से सुनवाई की गई। वित्ति अधिनियम, 2015 के अधीन आयकर अधिनियम, 1961 में यह संशोधन किया गया है कि 50 लाख तक की आय से संबंधित अपील की सुनवाई एकल–सदस्यीय पीठ द्वारा की जा सकती है। तदनुसार इसे लागू किया गया है। इस अवधि के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 255 की उपधारा (3) के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 07 न्यायिक सदस्यों और 04 लेखा सदस्यों को एकल पीठ के लिए प्राधिकृत किया गया।

एक सदस्य वाले मामलों के लंबन के आंकड़े निम्नानुसार हैं:—

माह	कुल लम्बित मामले
जनवरी, 2018	8634
फरवरी, 2018	8831
मार्च, 2018	9122
अप्रैल, 2018	9592
मई, 2018	10155
जून, 2018	10295
जुलाई, 2018	10647
अगस्त, 2018	10968
सितम्बर, 2018	11327
अक्टूबर, 2018	11414
नवम्बर, 2018	11266
दिसम्बर, 2018	11741
जनवरी, 2019	11982
फरवरी, 2019	12459
मार्च, 2019	12657

धन कर के मामलों के लंबन के आंकड़े निम्नानुसार हैं :—

माह	कुल लम्बित मामले
जनवरी, 2018	470
फरवरी, 2018	451
मार्च, 2018	486
अप्रैल, 2018	481
मई, 2018	487
जून, 2018	526
जुलाई, 2018	576
अगस्तल, 2018	569
सितम्बर, 2018	587
अक्टूबर, 2018	588
नवम्बर, 2018	591
दिसम्बर, 2018	635
जनवरी, 2018	631
फरवरी, 2018	604
मार्च, 2018	610

कम्प्यूटरीकरणः

आयकर अपीलीय अधिकरण में कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया वर्ष 2000 के प्रारंभ में शुरू हुई थी और हाल के वर्षों में अधिकरण की दैनंदिन गतिविधियों में कई नवीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से इसमें तेजी आई है। इन वर्षों में अधिकरण द्वारा अपने आदर्श वाक्य 'निष्पक्ष सुलभ सत्वर न्याय' को चरितार्थ करने के लिए विभिन्न परियोजनाएं चलाई गई हैं।

उपलब्धियां :

(क) आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन परियोजनाः

यह पायलट परियोजना अधिकरण में न्यायिक प्रशासन की प्रक्रिया को स्वचालित बनाने की दिशा में उठाया गया पहला कदम है, जिसमें अपीलों और आवेदनों की प्राप्ति और पंजीकरण से लेकर उनका निपटान होने तक की स्थिति तथा अधिकरण के आदेशों को अपलोड किया जाता है। यह परियोजना अधिकरण के सभी पीठों में चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित की गई है। आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन एक वेब आधारित अनुप्रयोग है, जिसे कभी भी कहीं से भी प्रयोग किया जा सकता है। अब आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी पीठ आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन डाटाबेस से जोड़े जा चुके हैं तथा पंजीकरण, डाटा अपडेशन, अधिकरण के आदेश अपलोड करना आदि गतिविधियां वेब अनुप्रयोग द्वारा की जा रही हैं। इस परियोजना का वेब व डाटाबेस सर्वर इन–हाऊस स्थापित किया गया है और फाइबर ऑप्टिक केबल तकनीक पर 4 एमबीपीएस(1.1) की अति तीव्र गति की इंटरनेट लीज्ड लाइन द्वारा इसे जोड़ा गया है।

(ख) आई.टी.ए.टी. की आधिकारिक वेबसाइटः

आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन परियोजना के विस्तार के रूप में आयकर अपीलीय अधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट बनाई गई है और आम जनता को न्याायिक और सामान्यइ जानकारी देने के लिए चालू की गई है। इस आधिकारिक वेबसाइट को प्रयोक्तााओं के अधिक अनुकूल बनाने और वेबसाइटों के लिए भारत सरकार के दिशा–निर्देशों से अधिक सुग्राही और अद्यतन बनाने के लिए इसका डिजाइन फिर से तैयार किया गया है। इसमें अधिकरण में आने वाले वादकारियों की न्या यिक सूचनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गतिशील सूचना जैसे कि वाद–सूची, संविधान, मामले की स्थिति, आदेश की खोज, निर्णयों की खोज आदि जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा, वादकारियों को और आम जनता को छुट्टियों की सूची, निविदा और नीलामी, सूचनापट्ट, सूचना का अधिकार आदि स्थिर प्रकार की जानकारी भी सुलभ कराई गई है। इस वेबसाइट का व्यापक उपयोग हो रहा है और इसकी सराहना हुई है।

(ग) एन.आई.सी. ई–मेलः

आयकर अपीलीय अधिकरण के सामान्या प्रशासन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने और विभिन्न पीठों, सदस्यों और अधिकारियों के बीच प्रभावी संचार के लिए आयकर अपीलीय अधिकरण राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की ई–मेल सुविधाओं का उपयोग करता है। सभी पीठों, क्षेत्रों, सदस्यों, रजिस्ट्री के अधिकारियों, वरिष्ठ निजी सचिवों/ निजी सचिवों तथा कर्मचारियों की जरुरतों के अनुसार प्रधान कार्यालय के सभी अनुभागों के लिए एनआईसी ई–मेल खाते बनाए गए हैं। संचार के पारंपरिक तरीकों की तुलना में प्रयोग में आसान, तेज और आर्थिक व पारिस्थितिक दृष्टि से लाभदायक होने के कारण हाल के वर्षों में ई–मेल का प्रयोग उपयोगकर्ताओं के बीच स्वीकृति हासिल कर रहा है और इसका उपयोग लगातार बढ़ रहा है।

(घ) आधारिक संरचना का उन्नतयन :

आयकर अपीलीय अधिकरण को हमेशा से लगता रहा है कि बेहतर कंप्यूटरीकरण के लिए बेहतर आधारिक संरचना होना जरूरी है। तदनुसार, आयकर अपीलीय अधिकरण चरणबद्ध तरीके से पुराने और अप्रचलित कंप्यूटरों, प्रिंटरों आदि उपकरण को बदल कर नए उपकरण लाता रहा है। आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी सदस्योंा को कार्यालय प्रयोग के लिए लैपटाप पहले ही दे दिए गए हैं।

(ङ) सीसीटीवी लगाना

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (आपराधिक) सं. 99/2015 शीर्षक 'प्रद्युम्न बिष्ट बनाम भारत संघ और अन्य' में दिनांक 14.08.2017 के निर्णय के तहत यह निर्देश दिया कि आयकर अपीलीय अधिकरण सहित सभी अधिकरणों में ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।

इस परिप्रेक्ष्य में, प्रारंभ में 17 प्रकार्यात्मक स्थान (आईटीएटी पीठ) के लिए सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध कराए गए थे। सीसीटीवी कैमरे अच्छी हालत में काम कर रहे हैं और नियमित रूप से रिकार्डिंग की गई है और 17 विभिन्न स्टेशनों पर स्थित पीठों अर्थात मुम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद, आगरा, अमृतसर, बंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नै, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, कोचीन, इंदौर, जयपुर, सूरत और विशाखापट्टनम से रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(च) वेब एप्लीकेशन का पुर्नविकास और ई–फाइलिंग शुरू करना

आईटीएटी अपनी आधिकारिक वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन को भारत सरकार के दिशा–निर्देशों और मानकों के अनुरूप और अधिक सूचनाप्रद, प्रयोक्ता अनुकूल बनाने के लिए काफी समय से इसके सुधार पर विचार कर रहा है। आईटीएटी आयकर विभाग के अनुरोध पर आईटीएटी के ऑनलाइन डाटा को नेशनल जूडिशियल रेफरेंस सिस्टम (एनजेआरएस) परियोजना के साथ साझा करने पर विचार कर रहा है जिसके लिए वेब एप्लीकेशन में कुछ विशेषताएं विकसित करना आवश्यक है। तद्नुसार, उपर्युक्त जरूरतों को पूरा करने के लिए आईटीएटी ने द्विभाषी परियोजना का पुनर्विकास शुरू कर दिया है। आयकर अपीलीय अधिकरण ने इस परियोजना में एक नए माड्यूल सिटीजन टू गवर्नमेंट (सी2जी) माड्यूल अर्थात 'ई–फाइलिंग' को भी शामिल किया है जिससे वादकारी अपने घर से ही अधिकरण के समक्ष अपनी अपील और आवेदन ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं तथा इससे एसएमएस, ईमेल और मोबाइल एप्लिकेशन्स के द्वारा सूचना का प्रसार किया जा सकता है। इस परियोजना में, उचित समय पर न्यायालयों के कामकाज को कागज–विहीन कर देने का प्रावधान भी शामिल किया गया है। इस परियोजना के विकास का कार्य एनआईसीएसआई– पैनल विक्रेता को पहले ही सौंपा गया है। आधिकारिक वेबसाइट एंड्रायड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन के साथ पहले ही शुरू की गई है और ई–फाइलिंग माड्यूल संभवतः आने वाले महीनों में शुरू कर दिए जाएंगे।

(छ) ई– न्यायालय

इस अवधि के दौरान, रांची, पटना पीठों में ई–न्यायालय की स्थापना की गई। आयकर अपीलीय अधिकरण के अहमदाबाद, कोलकाता और दिल्ली पीठों को क्रमशः राजकोट, गुवाहाटी, रांची, पटना और जबलपुर पीठ से जोड़ते हुए कार्यवाहियां संचालित की गईं। ई–न्यायालय के माध्यम से इन स्थानों पर क्रमशः कुल 1005 अपीलों पर सुनवाई की गई। वर्तमान में, सूरत, अमृतसर और कटक पीठ स्थित ई–न्यायालय

के विकास के लिए तीन और पीठ प्रक्रियाधीन हैं।

आईटीएटी के विभिन्न पीठों में ई–न्यायालय के विकास की स्थिति इस प्रकार है : –

क्र.सं.	स्थिति	पीठें
1.	कार्यरत पीठ(पीठें)	अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर पीठ, राजकोट पीठ, गुवाहाटी पीठ, रांची पीठ, पटना पीठ
2.	कार्य करने हेतु तैयार पीठ(पीठें)	मुम्बई मुख्यालय, बंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर पीठ, इलाहाबाद पीठ
3.	प्रक्रियाधीन पीठ(पीठें)	अमृतसर पीठ, कटक पीठ, सूरत पीठ, नागपुर पीठ, पणजी पीठ

(ज) नई पीठों की स्थापना :–

इस अवधि के दौरान आईटीएटी, सूरत की एक पीठ की स्थापना की गई। तत्पश्चात, अधिकारिता के परिवर्तन के संबंध में आईटीएटी के स्थायी आदेश में उचित संशोधन किए गए थे।इस अवधि के दौरान आईटीएटी के वाराणसी सर्किट पीठ की स्थापना की गई और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 2018 को इसका उद्घाटन किया गया था। इस अवधि के दौरान, आईटीएटी की देहरादून सर्किट पीठ तैयार किया गया और इसके शीघ्र ही क्रियाशील होने की आशा है।

(झ) आयकर अपीलीय अधिकरण का अपना भवन

आयकर अपीलीय अधिकरण ने पुणे, बंगलूरू, जयपुर, लखनऊ और गुवाहाटी में कार्यालय–सह–आवासीय क्वापर्टरों के निर्माण के लिए भूमि अर्जित की है। उड़ीसा सरकार ने आयकर अपीलीय अधिकरण, कटक पीठ को कटक में कार्यालय भवन और कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण के लिए 1.601 एकड़ का भू–खंड आबंटित किया है। इसके अतिरिक्त, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली स्थित कार्यालय परिसरों के लिए स्थान अर्जित करने के लिए आयकर अपीलीय अधिकरण ने एनबीसीसी लि. के साथ करार पर हस्ताक्षर किया है।

(ञ) हितकारी निधि

आयकर अपीलीय अधिकरण में एक हितकारी निधि बनाई गई है, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारिवृंद के स्वैच्छिक अभिदाय से राशि संगृहीत की गई है। अध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण इस निधि के संरक्षक हैं। अधिकारी और कर्मचारिवृंद इस निधि में स्वैच्छिक रूप से अभिदाय करते हैं तथा निधि के नियमों के अधीन बनाई गई समिति की सिफारिश पर ऐसे कर्मचारियों को, जिन्हें चिकित्सा और अन्य आपात स्थितियों में मदद की जरूरत होती है, आर्थिक सहायता दी जाती है।

(ट) राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी न्यायपीठों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गई हैं ताकि राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति के उचित कार्यान्वयन पर नजर रखी जा सके और मार्गदर्शन दिया जा सके।

हिंदी में पत्र व्यवहार के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में हुई प्रगति तथा इसके कार्यान्वयन को संबंधित न्यायपीठ द्वारा मॉनीटर किया जाता है और न्यायपीठों की हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही रिपोर्टों की मुम्बई स्थित मुख्यालय द्वारा नियमित रूप से जांच की जाती है। राजभाषा विभाग, भारत सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अधीन पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को नामित करके उन्हें हिंदी/हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण दिलाया जाता है।

न्यायपीठों में राजभाषा नीति के उचित रूप से कार्यान्वयन के लिए और हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा हिंदी में काम करने में अधिकारियों/कर्मचारियों की झिझक दूर करने के लिए हिंदी कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं।

राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों के अनुसार, हिंदी में कार्य करके हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

इस वर्ष सभी न्यायपीठों में हिंदी की पुस्तकें खरीदनें के लिए पर्याप्त निधि मुहैया कराई गई है। राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों के अनुसार आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी कार्यालयों में राजभाषा नीति के अनुसार हिंदी पुस्तकों (अर्थात कुल पुस्तकालय अनुदान का 50 प्रतिशत) की खरीद पर व्यय के लिए निदेश दिए गए हैं।

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग के संबंध में जागरूकता लाने के लिए तथा इसके उत्तरोत्तर प्रयोग की गति को बढ़ाने के लिए सभी पीठों में हिंदी दिवस तथा हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया।

आयकर अपीलीय अधिकरण, मुख्यालय, मुम्बई के लिए एक वार्षिक जर्नल 'सृजन' का प्रकाशन किया गया है। इसमें आयकर अपीलीय अधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा लिखित लेख, कहानी, कविता और यात्रावृत इत्यादि के अतिरिक्त हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम, हिंदी कार्यशाला के चित्र भी प्रकाशित किए जाते हैं।

(ठ) अन्य महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम और क्रियाकलाप

आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी पीठों पर पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार "स्वच्छता पखवाड़ा" आयोजित किया गया था। आईटीएटी के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को "स्वच्छता शपथ" दिलाई गई थी।

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल ने न्याय करने में क्षमता निर्माण और उत्कृष्टता को बढ़ाने की दृष्टि से आयकर अपीलीय अधिकरण के सदस्यों के लिए दो संगोष्ठियों का आयोजन किया। ऐसी प्रथम संगोष्ठी दिनांक 21 से 23 सितम्बर, 2018 तक आयोजित की गई थी जिसमें 42 सदस्यों ने भाग लिया था। द्वितीय संगोष्ठी दिनांक 4 से 6 जनवरी, 2019 तक आयोजित की गई थी जिसमें 38 सदस्यों ने भाग लिया था।

आयकर अपीलीय अधिकरण के पर्यवेक्षी कर्मचारी–वर्ग के लिए दिनांक 15 और 16 फरवरी, 2019 को जयपुर में एक अखिल भारतीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था। आईटीएटी के कर्मचारी और अधिकारियों को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण मामलों के संचालन, प्रशासनिक मामलों और रोकड़ियों के प्रशिक्षण जैसे विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण के लिए साल भर भेजा गया है। उन्हें विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं जैसे आईएसटीएम, नई दिल्ली, आईएनजीएएफ, मुम्बई और एनआईएफएम, फरीदाबाद भेजा गया है।

आयकर अपीलीय अधिकरण ने अपने सभी पीठों पर दिनांक 25 जनवरी, 2019 की 78वीं स्थापना दिवस मनाया।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 06.03.2019 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बंगलुरू स्थित नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया।

सेवाओं में विकलांग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और भूतपूर्व सैनिक आदि के प्रतिनिधित्व के संबंध में निर्देशों का कार्यान्वयनः

विकलांग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों और भूतपूर्व सैनिक आदि के लिए नियुक्तियों में रियायत के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों को वर्ष 2018–19 के दौरान भी विधिवत कार्यान्वित किया गया है और आयकर अपीलीय अधिकरण की सेवाओं में इन वर्गों के प्रतिनिधित्व के संबंध में सांख्यिकीय आंकड़े **अनुबंध–V** में दिए गए हैं।

24. सतर्कता संबंधी गतिविधियां :–

विधि और न्याय मंत्रालय का सतर्कता एकक विधि कार्य विभाग (आयकर अपीलीय अधिकरण सहित) और विधायी विभाग की सतर्कता संबंधी गतिविधियों को देखता है। सतर्कता एकक का प्रमुख संयुक्त सचिव रैंक का मुख्य सतर्कता अधिकारी होता है जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग की सहमति से नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में, सतर्कता एकक के प्रमुख डॉ. राजीव मणि, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार हैं। इन दोनों विभागों की सतर्कता संबंधी गतिविधियों का समग्र उत्तरदायित्व मुख्य सतर्कता अधिकारी पर होता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी इन दोनों विभागों के सतर्कता ढांचे का केंद्र बिन्दु होता है और उसे निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:–

- कदाचार/प्रलोभन की संभावना वाले संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना तथा शासकीय कार्यकरण में सत्यनिष्ठा/कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के लिए रोकथाम के उपाय करना;
- भ्रष्टाचार निवारण उपायों के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्तिक के लिए उचित कार्रवाई करना ;
- शिकायतों की जांच करना और जांच पड़ताल के उचित उपाय शुरू करना ;
- उक्त का निरीक्षण करना तथा अनुवर्ती कार्रवाई करना ;
- केन्द्रीय जांच ब्यूरो की अन्वेषण रिपोर्टों पर विभाग की टिप्पणियों को केंद्रीय सतर्कता आयोग को प्रस्तुत करना ;
- विभागीय कार्यवाहियों के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर उचित कार्रवाई करना अथवा अन्यथा;
- जहां भी आवश्यक हो, केंद्रीय सतर्कता आयोग की प्रथम और द्वितीय चरण की सलाह प्राप्त करना; और
- जहां भी आवश्यक हो, दिए जाने वाले दंड की प्रकृति और परिमाण के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह प्राप्त करना।

2. कदाचार और प्रलोभन की संभावना वाले संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने पर जोर देते हुए

निवारक प्रकृति की सतर्कता को उच्च प्राथमिकता देना जारी रखा गया। इस संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए दिशा–निर्देशों/अनुदेशों का पालन किया गया है। दिनांक 29 अक्तूबर, 2018 से 03 नवंबर, 2018 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया।

25. लिंग आधारित मुद्दे :–

इस विभाग द्वारा दोनों विभागों अर्थात विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग के कर्मचारियों की यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों को देखने के लिए दिनांक 07 फरवरी, 2019 के आदेश के तहत महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अधीन शिकायत समिति गठित की गई है। उक्त शिकायत समिति सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त जांच प्राधिकरण समझी जाएगी। शिकायत समिति की रिपोर्ट को जांच रिपोर्ट माना जाएगा। यह समिति महिला कर्मचारियों द्वारा की गई यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो स्वसयं जांच करेगी। जांच के पूरा होने के बाद, समिति आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए संयुक्त सचिव (प्रशासन–1), विधि कार्य विभाग को निष्कर्ष प्रस्तुत करेगी। वर्तमान में इस समिति की प्रमुख डॉ. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव, विधायी विभाग हैं।

दिनांक 31.01.2019 की स्थिति के अनुसार, विधि कार्य विभाग तथा विधायी विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध–VI** में दिया गया है।

विधि कार्य विभाग (विधायी विभाग सहित) में महिला कर्मचारियों की संख्या का विवरण **अनुबंध–VII** में दिया गया है।

26. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन

विधि कार्य विभाग द्वारा उसके मुख्य सचिवालय में तथा सभी शाखा सचिवालयों अर्थात कोलकाता, चेन्नै, मुम्बई और बंगलुरु में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। विधि कार्य विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों के लाभ हेतु प्रशिक्षित योग शिक्षकों के पर्यवेक्षण में योग प्रदर्शन किया गया। विधि सचिव सहित विधि कार्य विभाग के अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों ने सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया और प्रशिक्षकों द्वारा प्रदर्शित सभी योगासनों को किया।

शाखा सचिवालय, चेन्नै में दिनांक 19 और 21 जून, 2018 को कृष्णामाचारी योग मंदिरम, चेन्नै संकाय द्वारा दो घंटे का योग सत्र आयोजित किया गया और उसमें सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। सामान्यतः उसी उत्साह के साथ दिनांक 21 जून, 2018 को शाखा सचिवालय, कोलकाता, मुम्बई और बंगलुरु में भी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। समारोह के चित्र **अनुबंध–VIII** पर दिए गए हैं।

27. स्वच्छ भारत अभियान

सरकार के निदेशानुसार, दिनांक 1 अप्रैल से 15 अप्रैल, 2018 तक विधि कार्य विभाग और उसके कोलकाता, मुंबई, चेन्नै और बेंगलूरू स्थित शाखा सचिवालयों और देश में आयकर अपीलीय अधिकरण कार्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया।

माननीय विधि और न्याय एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने स्वच्छ भारत मिशन के एक भाग के रूप में विधि कार्य विभाग द्वारा मनाए गए इस स्वच्छता पखवाड़े के अवसर पर अपना संदेश

दिया। विभाग और उसके शाखा सचिवालयों द्वारा दिनांक 15 सितम्बर, 2018 से 2 अक्तूबर, 2018 की अवधि को 'स्वच्छता ही सेवा' के रूप में मनाया गया था। माननीय मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ शास्त्री भवन परिसर में और उसके आस–पास स्वच्छता अभियान में भाग लिया। इसके लिए मुख्य सचिवालय, शाखा सचिवालयों में पोस्टर और बैनर लगाए गए ताकि स्वच्छता के संदेश का अधिकारिक प्रचार–प्रसार हो सके। इस अवधि के दौरान, स्वच्छता अभियान के तहत परिकल्पित की गई गतिविधियां जैसे कि कार्यालय रिकार्ड का डिजिटलीकरण, सामान्य रखरखाव, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आस–पास के क्षेत्रों की साफ–सफाई और सौंदर्यीकरण, स्वच्छता कार्यशाला इत्यादि शुरू की गई। विधि कार्य विभाग में स्वच्छ भारत अभियान की गतिविधियों के चित्र **अनुबंध–IX** में दिए गए हैं।

28. संविधान दिवस

दिनांक 26 नवम्बर, 2018 को 'संविधान दिवस' मनाया गया। इस अवसर पर भारत के संविधान की 'उद्देशिका' का वाचन भी किया गया।

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक [1][संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और [2][राष्ट्र की एकता
और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।

---

[1] संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3-1-1977 से) "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3-1-1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

29. 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन (मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस)' के अधीन उठाए गए कदम

i. शासकीय प्रक्रिया का सरलीकरण :–

प्रशासन IV अनुभाग केंद्रीय सचिवालय सेवा की तीन सेवाओं अर्थात केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस), केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) और केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा (सीएससीएस) संवर्ग में आने वाले कर्मचारियों का नियंत्रक प्राधिकरण है। प्रशासनिक मामलों का संचालन करने में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है।

ii. डिजिटल इंडिया : डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

(क) लिम्ब्स (विधिक सूचना प्रबंध और ब्रीफिंग प्रणाली)

विधिक सूचना प्रबंध और ब्रीफिंग प्रणाली (लिम्ब्स) न्यायलयी मामलों की सक्रिय निगरानी के लिए एक वेब आधारित एप्लीकेशन है। विधि कार्य विभाग द्वारा दिनांक 08 फरवरी, 2016 को जारी किए गए राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और उसके विभागों, उप विभागों, संलग्न कार्यालयों को लिम्ब्स की परिधि में शामिल किया गया है।

यह एक नवीन और आसान ऑनलाइन उपकरण है जो सभी पणधारियों अर्थात सरकारी अधिकारियों, विभागों के उपयोगकर्ताओं, नोडल अधिकारियों, मंत्रालयों के उच्च अधिकारियों, अधिवक्ताओं, मध्यस्थों और 62 मंत्रालयों के दावेदारों हेतु नवीनतम सूचना अपलोड करने के लिए 24x7 उपलब्ध है जो सार्वजनिक राजकोष पर भ्रम, विलम्ब और अत्यधिक वित्तीय भार को कम करते हुए वास्तविक समय के आधार पर एक साथ एकल एकीकृत प्लेटफार्म उपलब्ध कराती है।

3.5 वर्षों की अल्पकालिक अवधि में लिम्ब्स ने 4.61 लाख न्यायलयी मामलों के डाटाबेस को केंद्रीयकृत किया है, जिसके अंतर्गत भारत संघ (यूओआई) एक पक्षकार के रूप में है; 4410 माध्यस्थम मामले हैं और 16000 से अधिक अधिवक्ताओं (31.03.2009 तक) का विवरण है।

लिम्ब्स मूल विवरणों जैसे न्यायालय का नाम, मामला संख्या, दाखिल करने की तारीख, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी का नाम, मामले का पूर्व वृत्त, प्रतिवादी और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का नाम और मोबाइल नम्बर, न्यायाधीश का नाम, मामले का वर्ग, मामले की स्थिति, अगली सुनवाई की तारीख, पिछली सुनवाई का विवरण आदि समाहित करता है। मानहानि और महत्वपूर्ण मामलों की उच्च प्राथमिकता है इसलिए इन्हें अलग से दर्शाया गया है। उपयोगकर्ताओं, अधिवक्ताओं, संबंधित अधिकारी, नोडल अधिकारी और मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को आगामी महत्वपूर्ण मामलों, मानहानि मामलों, एसएलपी/अपीलों आदि से संबंधित ऑटो जेनरेटेड एसएमएस एलर्ट भेजे जाते हैं। एक पृष्ठ की सारांश रिपोर्ट और लेखाचित्र ने मंत्रालयों में विधिक प्रक्रिया के कामकाज में प्रत्यक्ष सुधार किया है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण मामलों को अधिक सक्रिय तौर पर मॉनीटर करने के लिए लिम्ब्स में एक साधारण हस्तक्षेप को विकसित किया गया है। महत्वपूर्ण मामलों के लिए उच्च प्राथमिकता को निर्दिष्ट किया गया है। एक मंत्रालय का नोडल अधिकारी सचिव के अनुमोदन से महत्वपूर्ण मामलों को चिन्हित कर सकता है। एसएलपी/अपीलों को दाखिल करने की भौतिक कार्यविधि की समय–सीमा निर्धारित करने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस (एसडब्ल्यूसी) उपयोगिता को विकसित किया गया है। हाल ही में, लिम्ब्स को एपीआई के माध्यम से डाटा साझा करने के लिए ई–न्यायालय वेबसाइट के साथ एकीकृत किया गया है।

(ख) एनडीएसएपी (राष्ट्रीय डाटा सहभागिता और अभिगम्यता नीति)

इस नीति का उद्देश्य भारत सरकार के पास उपलब्ध बांटने योग्य डाटा और सूचना को मानव द्वारा पढ़ने योग्य तथा मशीन द्वारा पढ़ने योग्य रूप में एक नेटवर्क के माध्यम से सक्रिय तौर पर और समय–समय पर अद्यतन करने योग्य तरीके से भारत सरकार की विभिन्न संबंधित नीतियों, अधिनियमों और नियमों के ढांचे के भीतर देशभर में उपलब्ध करवाना है, ताकि यह अधिकाधिक लोगों तक पहुंच सके और सार्वजनिक डाटा और सूचना का अधिकाधिक उपयोग हो सके।

एनडीएसएपी के लाभः–

(क) अधिकतम उपयोग

(ख) दोहराव से बचाव

(ग) अधिकतम समेकन

(घ) स्वामित्व की जानकारी

(ङ) बेहतर निर्णय लेना

(ग) ई–ऑफिस

ई–ऑफिस के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैंः–

(क) सरकारी कार्रवाइयों की दक्षता, स्थिरता और प्रभावशीलता में सुधार करना।

(ख) प्रतिवर्तन समय को कम करना और नागरिक–चार्टर की मांगों को पूरा करना।

(ग) प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रभावी संसाधन प्रबंधन उपलब्ध कराना।

(घ) प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब को कम करना।

(ङ) पारदर्शिता और जवाबदेही लागू करना।

(च) इस प्रणाली से सरकारी कार्यालयों में फाइलों की आवाजाही स्वचालित होगी।

(i) निर्णय लेने के स्तरों को कम करना– कुछ मामलों में जैसे कि अवकाश की मंजूरी आदि के लिए शक्ति प्रत्यायोजित की गई है।

(ii) पेंशन मामलों में ऑनलाइन प्रक्रियादृ पेंशन के मामलों पर ऑनलाइन कार्रवाई की जा रही है।

30. दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान माननीय मंत्री, विधि कार्य विभाग के अधिकारियों और विधि अधिकारियों द्वारा किए गए विदेश दौरों का विवरणः

क्र.सं.	नाम और पदनाम	देश का नाम	दौरे का प्रयोजन
1.	श्री सुरेश चंद्रा, तत्कालीन सचिव, विधि कार्य विभाग	जिनेवा, स्विटजरलैंड	दिनांक 25 से 27 जनवरी, 2018 स्विस लॉ फर्म के माध्यम से भारत गणराज्य बनाम डच टेलीकॉम ऐजी जर्मनी मामलों में अंतरिम पंचाट को चुनौती देने के लिए अपील के मसौदे को तैयार करने हेतु।
		द हेग, नीदरलैंड	दिनांक 30 मार्च, 2018, एंट्रिक्स देवास मामले में न्यायालय की सुनवाई में भाग लेने हेतु।

		बिश्केक, किर्गिज़स्तान	दिनांक 3 से 4 मई, 2018 तक विधि सेवा में विशेषज्ञ समूह और न्याय मंत्रालयों के राज्यों के शंघाई सहयोग संगठन(एससीओ) के राज्य सदस्यों के फोरेंसिक विशेषज्ञों की बैठक में भाग लेने हेतु।
		लंदन, यूनाइटेड किंगडम	माननीय विधि और न्याय मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में दिनांक 6 से 10 जुलाई, 2018, भारत और यूके के बीच विधि और न्यायिक सहयोग पर समझौता–ज्ञापन को अंतिम रूप देने हेतु।
2.	श्री रामायण यादव, अपर सचिव	मॉरिशस	दिनांक 18 से 20 अगस्त, 2018 11वीं विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने हेतु।
3.	श्री जी.एस. यादव, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार	मिन्स्क, बेलारूस	दिनांक 3 से 7 सितम्बर, 2018, भारत गणराज्य और बेलारूस गणराज्य के बीच वाणिज्यिक और सिविल मामले में पारस्परिक विधि सहायता पर करार के मसौदे पर चर्चा करने हेतु।
4.	डॉ. राजीव मणि, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार	लंदन, यूनाइटेड किंगडम	माननीय विधि और न्याय मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल के रूप में दिनांक 6 से 10 जुलाई, 2018, भारत और यूके के बीच विधि और न्यायिक सहयोग पर समझौता–ज्ञापन को अंतिम रूप देने हेतु।
		लंदन, यूनाइटेड किंगडम	दिनांक 1 से 3 अक्तूबर, 2018, कॉमनवेल्थ विधि मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष रूप में।
		वाशिंगटन डी सी	दिनांक 5 से 9 नवम्बर, 2018, विश्व बैंक के विधि, न्याय और विकास (एलजेडी) सप्ताह– 2018 में भाग लेने हेतु।
5.	डॉ. अंजु राठी राणा, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार	मास्को, रूस	दिनांक 7 जून, 2018, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य राज्य और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल के अभियोजन सेवाओं के विशेषज्ञों की बैठक में भाग लेने हेतु।
		दुशानबे, ताजिकिस्तान	दिनांक 20 सितम्बर, 2018, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के महाभियोजक की 16वीं बैठक में भाग लेने हेतु।
		वियना, ऑस्ट्रिया	संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी) द्वारा दिनांक 15 से 17 जनवरी, 2019

			"दक्षिण और दक्षिण–पूर्व एशिया में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले हिंसक अतिवाद के विरूद्ध आपराधिक न्याय प्रतिक्रियाओं में लिंग मुख्यधारा को मजबूत करना" परियोजना को लागू करने के लिए क्रॉस–क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लेने हेतु।
6.	श्री एम. खण्डेलवाल, अपर सरकारी अधिवक्ता	माराकेश, मोरक्को	दिनांक 2 से 4 अप्रैल, 2018, पहले अंतरराष्ट्रीय न्याय सम्मेलन में भाग लेने हेतु।
7.	श्री आर. के. श्रीवास्तव, अपर विधि सलाहकार	रबात, मोरक्को	दिनांक 3 से 4 मई, 2018, समझौता वार्ता में भाग लेने हेतु।
		मिन्स्क, बेलारूस	3 से 7 सितम्बर, 2018, सिविल और वाणिज्यिक मामले में पारस्परिक विधि सहायता संधि पर भारत गणराज्य और बेलारूस गणराज्य के बीच करार के मसौदे पर चर्चा करने हेतु।
8.	डॉ. आर. जे. आर. काशीभाटला, उप विधि सलाहकार	योग्यकर्ता, इंडोनेशिया	दिनांक 5 से 9 फरवरी, 2018, 21वीं क्षेत्रीय सहयोग आर्थिक साझेदारी और संबंधित बैठक में भाग लेने हेतु।
		ताइपे, ताइवान	दिनांक 29 से 30 मार्च, 2018 ताइपे में भारत–ताइपे एसोसिएशन और भारत में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि के चौथे दौर में भाग लेने हेतु।
		न्यूयॉर्क, यूएसए	दिनांक 28 जून से 6 जुलाई, 2018 संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग (यूएनसीआईटीआरएएल) के 51वें वार्षिक सत्र में भाग लेने हेतु।
		बैंकाक	दिनांक 20–27 जुलाई, 2018, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) की 23वीं वार्ता में भाग लेने हेतु।
		सिंगापुर	दिनांक 12 से 14 अगस्त, 2018 क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी विषयक निवेश (आरसीईपी–डब्ल्यूजी आई) कार्यसमूह की अंतर–सत्रीय बैठक में भाग लेने हेतु।
		ऑक्लैंड, न्यूजीलैंड	दिनांक 21 से 27 अक्तूबर, 2018 क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी व्यापार–वार्ता(आरसीईपीटीएनसी 24) की 24वीं बैठक में भाग लेने हेतु।
		सिंगापुर	दिनांक 8 से 11 नवम्बर, 2018 अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम में निसान मोटर्स लिमिटेड संबंधित न्यायिक सुनवाई में भाग लेने हेतु।

		पेरिस, फ्रांस	दिनांक 19 से 20 दिसम्बर, 2018 कार्यन एनर्जी माध्यस्थम मामले की आखिरी मौखिक सुनवाई में भाग लेने हेतु।
		द हेग, नीदरलैंड	दिनांक 11 से 14 फरवरी, 2019 वोडाफोन माध्यस्थम मामले की आखिरी सुनवाई में भाग लेने हेतु।
		बाली, इंडोनेशिया	दिनांक 21 से 28 फरवरी, 2019 क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीइपी) के 25वें दौर में निवेश विषयक कार्यसमूह में भाग लेने हेतु।
		सिंगापुर	दिनांक 29 अप्रैल से 10 मई, 2019 वेदांता माध्यस्थम मामले की आखिरी सुनवाई में भाग लेने हेतु।
		बैंकाक, थाइलैंड	दिनांक 28 से 31 मई, 2019 क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी के निवेश विषय कार्यसमूह (आरसीईपी–डब्ल्यूजीआई) की 5वीं अंतर–सत्रीय बैठक में भाग लेने हेतु।
9.	श्री ओ. वेंकटेश्वरलू, उप विधि सलाहकार	सेंट पीटर्सबर्ग	दिनांक 15 से 19 मई, 2018 सेंट पीटर्सबर्ग अंतरराष्ट्रीय विधि फोरम में भाग लेने हेतु।
10.	श्रीमती पूनम सूरी, उप विधि सलाहकार	वियना	दिनांक 29 अक्तूबर से 3 नवम्बर, 2018, यूएनसीआइटीआरएएल कार्यसमूह–प्प निवेशक– राज्य विवाद समाधान सुधार के 36वें सत्र में भाग लेने हेतु।
11.	डॉ. डी.वी.राव, उप विधि सलाहकार	बैंकॉक, थाइलैंड	दिनांक 20 से 24 अगस्त, 2018, विधि प्रवर्तन अभिकरण के छह दिवसीय परिचय कार्यक्रम में भाग लेने हेतु।
12	सुश्री आरती चोपड़ा, उप विधि सलाहकार	न्यूयार्क, यूएसए	दिनांक 5 से 9 फरवरी, 2018 संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग, कार्यसमूह–II (विवाद निपटान) के 68वें सत्र में भाग लेने हेतु।
13.	श्री के.एम.आर्य, अपर विधि सलाहकार	जिनेवा, स्विटजरलैंड	दिनांक 25 से 27 जनवरी, 2018 स्विस लॉ फर्म के माध्यम से डच टेलीकॉम एजी जर्मनी बनाम भारत गणराज्य के मामले में अंतरिम पंचाट को चुनौती देने के लिए अपील का मसौदा तैयार करने हेतु।
		द हेग, नीदरलैंड	दिनांक 13 से 21 जुलाई, 2018 मॉरीशस क्वांटम माध्यस्थम मामले की सुनवाई में भाग लेने हेतु।
		जिनेवा, स्विटजरलैंड	दिनांक 11 दिसम्बर, 2018 जिनेवा के डच टेलीकॉम एजी जर्मनी बनाम भारत गणराज्य मामले में स्विस फेडरल ट्रिब्यूनल द्वारा बुलाई गई पब्लिक डेलीब्रेशन में भाग लेने हेतु।

		पेरिस, फ्रांस	दिनांक 27 अप्रैल से 3 मई, 2019 एंट्रिक्स देवास मामले में क्वांटम फेस ऑफ आर्बिट्रेशन हीयरिंग के लिए मौखिक सुनवाई में भाग लेने हेतु।
14.	श्री हेंमत कुमार, अपर विधि सलाहकार	नाडी, फिजी	दिनांक 12 से 13 फरवरी, 2019 संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग (यूएनसीआईटीआरएएल) के क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम सम्मेलन में भाग लेने हेतु।

अध्याय–II

विधायी विभाग

जहां तक भारत सरकार के विधायी कारबार का संबंध है, विधायी विभाग मुख्य रूप से एक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। यह विभाग विभिन्न प्रशासनिक विभागों तथा मंत्रालयों के विधायी प्रस्तावों को सुगम एवं त्वरित रूप से संसाधित करने का कार्य सुनिश्चित करता है।

1. कृत्य

1.1 भारत सरकार का एक सेवा–उन्मुख विभाग होने के नाते विधायी विभाग निम्नलिखित विषयों से संबंधित है, अर्थात :–

(i) सभी विधायी प्रस्तावों के संबंध में प्रारूपण की दृष्टि से मंत्रिमंडल के लिए टिप्पणों की संवीक्षा करना ;

(ii) संविधान (संशोधन) विधेयक सहित सभी सरकारी विधेयकों को, संसद में पुरःस्थापित करने के लिए उनका प्रारूपण तैयार करना तथा उनकी विधीक्षा करना, सभी विधेयकों का हिन्दी में अनुवाद करना और विधेयकों के अंग्रेजी और हिन्दी, दोनों पाठ लोक सभा अथवा राज्य सभा सचिवालय को भेजना; विधेयकों के सरकारी संशोधनों का प्रारूप तैयार करना, गैर–सरकारी संशोधनों की संवीक्षा करना और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को यह विनिश्चय करने में सहायता देना कि गैर–सरकारी संशोधन स्वीकार किए जाने योग्य हैं या नहीं ;

(iii) अधिनियमित किए जाने से पहले विधेयक जिन प्रक्रमों से होकर गुजरता है उन सभी प्रक्रमों पर संसद तथा संसद की संयुक्त/स्थायी समितियों की सहायता करना। इसके अंतर्गत समितियों के लिए रिपोर्टों तथा पुनरीक्षित विधेयकों की संवीक्षा करना और उन्हें तैयार करने में सहायता देना भी है ;

(iv) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए जाने वाले अध्यादेशों का प्रारूप तैयार करना ;

(v) जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन हो, उनके संबंध में राष्ट्रपति के अधिनियमों के रूप में अधिनियमित किए जाने वाले विधान का प्रारूपण करना ;

(vi) राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले विनियमों का प्रारूपण करना ;

(vii) संवैधानिक आदेशों अर्थात उन आदेशों का प्रारूप तैयार करना, जिन्हें संविधान के अधीन जारी किया जाना अपेक्षित है ;

(viii) सभी कानूनी नियमों, विनियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं, संकल्पों और स्कीमों, आदि की संवीक्षा और विधीक्षा करना तथा हिंदी में उनका अनुवाद करना;

(ix) समवर्ती क्षेत्र के ऐसे राज्य विधान की संवीक्षा करना, जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 254 के अधीन राष्ट्रपति की अनुमति अपेक्षित है ;

(x) संघ राज्य क्षेत्रों के विधान–मंडलों द्वारा अधिनियमित किए जाने वाले विधानों की संवीक्षा करना;

(xi) संसद, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विधान–मंडलों तथा राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन ;

(xii) निर्वाचनों में हुए व्यय का संघ और राज्यों तथा विधान–मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के बीच प्रभाजन;

(xiii) भारत निर्वाचन आयोग और निर्वाचन सुधार ;

(xiv) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951; निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा–शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 का प्रशासन ;

(xv) निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा–शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 के अधीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से संबधित विषय ;

(xvi) संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी मामले ;

(xvii) संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंतर्गत स्वीय विधियों, संपत्ति अंतरण, संविदाओं, साक्ष्य और सिविल प्रक्रिया आदि से संबंधित विषयों पर विधान ;

(xviii) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों, आदि के अधिकारियों को विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण प्रदान करना ;

(xix) केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी और संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्य भाषाओं में उनके प्राधिकृत अनुवाद का प्रकाशन करना और विधिक तथा सांविधिक दस्तावेजों का भी अनुवाद करना।

(xx) सांविधिक, सिविल तथा दांडिक विधियों से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के चयनित निर्णयों के हिन्दी अनुवाद का विधि पत्रिकाओं के रूप में प्रकाशन।

(2) विधायी विभाग के नियंत्रणाधीन कोई कानूनी या स्वशासी निकाय नहीं है। इसके अधीन दो अन्य खंड हैं अर्थात्, राजभाषा खंड और विधि साहित्य प्रकाशन, जो विधि के क्षेत्र में हिन्दी और अन्य राजभाषाओं के प्रसार के लिए उत्तरदायी हैं।

(क) विधायी विभाग का राजभाषा खंड मानक विधि शब्दावली तैयार करने और प्रकाशित करने और राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन यथा अपेक्षित संसद में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों, सभी केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों, अधीनस्थ विधानों आदि का हिन्दी में अनुवाद करने के लिए उत्तरदायी है। यह खंड प्राधिकृत पाठ (केन्द्रीय विधि) अधिनियम, 1973 के अधीन यथा अपेक्षित संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट राजभाषाओं में केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों आदि के अनुवाद की व्यवस्था करने के लिए भी उत्तरदायी है। राजभाषा खंड हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन और प्रसार में लगे विभिन्न रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक संगठनों और ऐसे संगठनों, जो सीधे विधिक साहित्य के प्रकाशन और विधि के क्षेत्र में हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के प्रसार में लगे हैं, को सहायता अनुदान भी जारी करता है।

(ख) विधि साहित्य प्रकाशन प्रमुख रूप से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के प्रतिवेद्य निर्णयों के प्राधिकृत हिन्दी पाठ प्रकाशित करने से संबद्ध है, जिसका उद्देश्य विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का संवर्धन करना है। इस संबंध में विधि साहित्य प्रकाशन हिन्दी में विधि साहित्य के विभिन्न प्रकाशन निकालता है। हिन्दी में उपलब्ध विधि साहित्य के व्यापक प्रचार एवं विक्रय हेतु यह विभिन्न राज्यों में प्रदर्शनियां भी लगाता है।

2 संगठनात्मक गठन

विधायी विभाग के संगठनात्मक गठन में सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, अपर विधायी परामर्शी, उप विधायी परामर्शी, सहायक विधायी परामर्शी तथा अन्य सहायक स्टाफ सम्मिलित

हैं। प्रमुख विधान के संबंध में विधायी प्रारूपण और अधीनस्थ विधान की संवीक्षा और विधीक्षा से संबंधित कार्य विभिन्न विधायी समूहों में वितरित किए गए हैं। प्रत्येक विधायी समूह का अध्यक्ष एक संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी अथवा अपर सचिव होता है जिसकी सहायता विभिन्न स्तरों पर अनेक विधायी परामर्शी करते हैं। विधायी विभाग के सचिव मुख्य संसदीय परामर्शी के रूप में कार्य करते हैं तथा अपर सचिव सभी अधीनस्थ विधानों के प्रभारी हैं। विधायी विभाग का संगठनात्मक चार्ट **अनुबंध X** पर है।

3 विधायन

विधायन सरकार की नीति को स्पष्ट करने का एक मुख्य साधन है। इस संदर्भ में विधायी विभाग उन उद्देश्यों को पूरा करने में मुख्य भूमिका निभाता है, जिन्हें सरकार विभिन्न विधानों के माध्यम से सुनिश्चित करना चाहती है।

(2) विधायी विभाग न केवल प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों द्वारा आरंभ किए गए विधानों के प्रारूपण के लिए सेवाकारी विभाग के रूप में कार्य करता है अपितु यह उन विषयों की बाबत, जिनसे वह प्रशासनिक रूप से संबद्ध है, विधायी प्रस्ताव भी बनाता है।

(3) विधायी विभाग प्रतिवर्ष केंद्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए वित्त विधेयक का प्रारूपण करता है। विधायी विभाग द्वारा यह कार्रवाई वित्त मंत्रालय द्वारा रखे गए बजट प्रस्तावों पर की जाती है। सुविधा की दृष्टि से, विभिन्न विषय, जिन पर प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के आदेश पर विधायी विभाग में विधेयकों के प्रारूप तैयार किए जाते हैं, को व्यापक रूप से निम्नलिखित प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: —

(क) संवैधानिक संशोधन ;

(ख) आर्थिक और कारपोरेट विधियां ;

(ग) सिविल प्रक्रिया और अन्य सामाजिक कल्याणकारी विधान ;

(घ) अप्रचलित विधियों का निरसन; और

(ङ) विविध विधियां।

4. 1 जनवरी, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के दौरान, इस विभाग ने विधेयकों/अध्यादेशों के प्रारूपण के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से संसद के सदनों में पुरःस्थापित किए जाने हेतु 164 मंत्रिमंडल टिप्पणियों/नए विधायी प्रस्तावों की जांच की। इस अवधि के दौरान कुल 56 विधायी विधेयक पुरःस्थापित किए जाने के लिए संसद के सदनों को अग्रेषित किए गए।

इस अवधि के दौरान संसद को अग्रेषित तथा पुरःस्थापित किए गए विधेयकों की सूची निम्नलिखित अनुसार है :—

क्रम संख्या	**संक्षिप्त नाम**
1.	उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018
2.	नई दिल्ली अन्तराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र विधेयक, 2018
3.	विनियोग विधेयक, 2018
4.	वित्त विधेयक, 2018

5.	विनियोग (सं. 2) विधेयक, 2018
6.	विनियोग (सं. 3) विधेयक, 2018
7.	चिट फण्ड (संशोधन) विधेयक, 2018
8.	भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018
9.	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2018
10.	अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक, 2018
11.	व्यक्तियों का दुर्व्यापार (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018
12.	राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुनिःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास विधेयक, 2018
13.	माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2018
14.	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2018
15.	होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक 2018
16.	वाणिज्यि क न्यायालय, उच्च (न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन), विधेयक, 2018
17.	दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक 2018
18.	राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2018
19.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक 2018
20.	अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक 2018
21.	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक 2018
22.	विनियोग (सं. 4) विधेयक 2018
23	विनियोग (सं. 5) विधेयक 2018
24	वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2018
25	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018
26	संघ राज्यक्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, 2018
27	वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) विधेयक, 2018
28	डी.एन.ए. प्रौद्योगिकी (प्रयोग और लागू होना) विनियमन विधेयक, 2018
29	मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018
30	स्वीय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018
31	बांध सुरक्षा विधेयक, 2018
32	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018
33	केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018
34	मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2018
35	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2018

36	कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2018
37	जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2018
38	सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति विधेयक, 2018
39	विनियोग (सं. 6) विधेयक 2018
40	आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018
41	राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक, 2019
42	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2019
43	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019
44	व्यसाय संघ (संशोधन) विधेयक, 2019
45	संविधान (एक सौ चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 2019
46	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2019
47	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019
48	वित्त विधेयक, 2019
49	संविधान (एक सौ पच्चीसवां संशोधन) विधेयक, 2019
50	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2019
51	अनिवासी भारतीय विवाह रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2018
52	विनियोग विधेयक, 2019
53	विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2019
54	अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019
55	चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2019
56	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक, 2019

5. 01.01.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान प्रस्तुत किए गए और संसद के समक्ष लंबित विधेयकों में से 44 विधेयक, अधिनियमों में अधिनियमित किए गए हैं जिसमें 2 संवैधानिक संशोधन अधिनियम शामिल हैं। इस अवधि के दौरान, अधिनियमित किए गए अधिनियमों की सूची निम्नानुसार है :

अधिनियम संख्या	अधिनियम का संक्षिप्त नाम
1.	कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2018 का 1)
2.	निरसन और संशोधन अधिनियम, 2017 (2018 का 2)
3.	भारतीय पैट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान अधिनियम, 2017 (2018 का 3)
4.	निरसन और संशोधन (द्वितीय) अधिनियम, 2017 (2018 का 4)
5.	भारतीय वन (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2018 का 5)
6.	विनियोग (सं. 5) अधिनियम, 2017 (2018 का 6)
7.	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 7)

8.	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 8)
9.	वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2018 का 9)
10.	उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा और शर्तें) संशोधन अधिनियम, 2018 (2018 का 10)
11.	विनियोग अधिनियम, 2018 (2018 का 11)
12.	उपदान संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 12)
13.	वित्तो अधिनियम, 2018 (2018 का 13)
14.	विनियोग (सं. 2) अधिनियम, 2018 (2018 का 14)
15.	विनियोग (सं. 3) अधिनियम, 2018 (2018 का 15)
16.	भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम,2018 (2018 का 16)
17.	भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (2018 का 17)
18.	विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम,2018 (2018 का 18)
19.	स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 19)
20.	परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 20)
21.	स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 21)
22.	संविधान (एक सौ दोवां संशोधन) अधिनियम, 2018
23	दण्ड विधि (संशोधन) (2018 का 22)
24	होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 23)
25	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) अधिनियम, 2018 (2018 का 24)
26	राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2018 (2018 का 25)
27	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 26)
28	अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 (2018 का 27)
29	वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 28)
30	विनियोग (सं. 4) अधिनियम, 2018 (2018 का 29)
31	विनियोग (सं. 5) अधिनियम, 2018 (2018 का 30)
32	वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2018 (2018 का 31)
33	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 32)
34	संघ राज्य–क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 33)
35	वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन अधिनियम, 2018 (2018 का 34)

36	राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुनिःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 35)
37	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 1)
38	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 2)
39	संविधान (एक सौ तीनवां संशोधन) अधिनियम, 2019
40	विनियोग (सं. 6) अधिनियम, 2019 (2019 का 3)
41	विनियोग अधिनियम, 2019 (2019 का 4)
42	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2019 (2019 का 5)
43	स्वीय विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 6)
44	वित्त अधिनियम, 2019 (2019 का 7)

6. अध्यादेश

1 जनवरी 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के दौरान राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत विधायी विभाग द्वारा प्रारूपित 22 अध्याादेश प्रख्यापित किए गए हैं–

सं.	अध्यादेश का संक्षिप्त शीर्षक
1.	भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश, 2018 (2018 का 1)
2.	दण्ड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का 2)
3.	वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का 3)
4.	होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का 4)
5.	राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2018 (2018 का 5)
6.	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का 6)
7.	मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2018 (2018 का 7)
8	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का 8)
9	कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का 9)
10	मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2019 (2019 का 1)
11	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का 2)
12	कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का 3)
13	मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) द्वितीय अध्यादेश, 2019 (2019 का 4)
14	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2019 (2019 का 5)
15	कंपनी (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2019 (2019 का 6)
16	अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अध्यादेश, 2019 (2019 का 7)
17	जम्मू कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का 8)

18	आधार और अन्य विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का 9)
19	नई दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र अध्यादेश, 2019 (2019 का 10)
20	होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का 11)
21	विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का 12)
22	केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाा (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 (2019 का 13)

7. विनियम

संविधान के अनुच्छेद 240 के अधीन पांच विनियम जारी किए गए हैं:

क्रम सं.	विनियम का संक्षिप्त नाम
1.	दमन और दीव नगर पालिका (संशोधन) विनियम, 2018
2.	दादरा और नागर हवेली नगर पालिका परिषद (संशोधन) विनियम, 2018
3.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (नगर पालिका) संशोधन विनियम, 2018
4.	दमन और दीव सिविल न्यायालय (संशोधन) विनियम, 2019
5.	दादरा और नागर हवेली (सिविल न्यायालय और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन विनियम, 2019

8. संवैधानिक आदेश

संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन 2 संवैधानिक आदेश जारी किए गए हैं:

क्रम सं.	जारी किए गए संवैधानिक आदेश
1.	अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 2018
2	संविधान (जम्मू एवं कश्मीर हेतु प्रयोज्य) संशोधन आदेश, 2019

9. अधीनस्थ विधान

1 जनवरी, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के दौरान इस विभाग द्वारा 3559 कानूनी नियमों, विनियमों, आदेशों और अधिसूचनाओं की संवीक्षा और विधीक्षा की गई है।

10. निर्वाचन आयोग के कार्य

स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक भारत के संविधान, निर्वाचन विधियों एवं तंत्र के सिद्धांतों के अनुसार हमारे देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराए जा रहे हैं। संसद, राज्य विधान मंडलों तथा भारत के राष्ट्रपति तथा उप–राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन कराने की पूरी प्रक्रिया का संचालन, निर्देशन तथा नियंत्रण संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है।

(2) निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। प्रारंभ में निर्वाचन आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में यहां एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो निर्वाचन आयुक्त हैं। पहली बार, दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति 16 अक्टूबर, 1989 को की गयी थी लेकिन उनका कार्यकाल

संक्षिप्त – 01 जनवरी, 1990 तक रहा। बाद में, 1 अक्टूबर, 1993 को दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए। तब से बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग प्रचलन में है।

(3) मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों (सेवा–शर्तें) अधिनियम, 1991 (1991 का 11) के अनुसार उनका कार्यकाल छह वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, है। उनका दर्जा व वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होते हैं। उन्हें पद से हटाना भी केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति और उन्हीं आधारों पर संभव है।

(4) राजनीतिक दलों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29 ए के अनुसार निर्वाचन आयोग में पंजीकृत किया जाता है। आवधिक अंतरालों पर संगठनात्मक चुनाव कराने पर बल देकर निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों में आंतरिक दल लोकतंत्र सुनिश्चित करता है। निर्वाचन आयोग के साथ पंजीकृत राजनीतिक दलों को आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार आम चुनावों में उनके कार्यनिष्पादन के आधार पर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की जाती है।

(5) संसद तथा राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन सुचारू रूप से कराने के लिए निर्वाचन आयोग का अपना स्वतंत्र सचिवालय है। विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय को इसका नोडल मंत्रालय बनाया गया है तथा इसे निर्वाचन आयोग के लिए भारत सरकार की स्वीकृतियां जारी करने का कार्य सौंपा गया है।

(6) वर्ष 1950 में निर्वाचन व्यय के मामले में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके यह निर्णय लिया गया था कि विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन नामावलियां तैयार करने में होने वाला व्यय केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाएगा। और, लोक सभा तथा राज्य विधान सभा निर्वाचन कराने का व्यय क्रमशः केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और यदि लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन साथ–साथ होते हैं तो व्यय केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा 50 : 50 के अनुपात में वहन किया जाएगा। इस संबंध में प्रक्रिया यह है कि प्रारंभिक व्यय संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तथा लेखा–परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर केंद्र सरकार के हिस्से की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

11. निर्वाचन विधि और निर्वाचन संबंधी सुधार

विधायी विभाग संसद, राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन कराने और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के संचालन से संबंधित निम्नलिखित अधिनियमों, इन अधिनियमों तथा इनके अधीन बनाए गए नियमों में संशोधन तथा उनसे संबंधित/प्रासंगिक मामलों से प्रशासनिक रूप से संबद्ध है :–

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950

(ii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

(iii) राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952

(iv) परिसीमन अधिनियम, 2002

(v) आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम, 2005

(vi) तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम, 2010

2. हमारे देश का निर्वाचन तंत्र, जिसे चुनावों का सर्वाधिक मत निर्णायक प्रणाली (फर्स्ट–पास्ट–दी–पोस्ट) भी कहा जाता है, ने उनहत्तर वर्ष पूरे कर लिए हैं। हमने इन उनहत्तर वर्षों की यात्रा (भारत गणराज्य की स्थापना के बाद) को अत्यंत गौरव एवं सभी क्षेत्रों में अपार सफलता के साथ पूरा किया है। यह लाखों लोगों के निरंतर कठिन परिश्रम तथा निरन्तर संघर्ष का परिणाम है, जिन्होंने इस देश के वर्तमान तथा भविष्य को अपने खून–पसीने से सींचा है। निःसंदेह यह यात्रा इतनी सुगम नहीं थी तथा हमने इस अवधि में काफी अस्तव्यस्तता एवं हलचल देखी है। इस अवधि में हमारे देश का राजनीतिक परिदृश्य तथा निवार्चन प्रक्रिया, युगान्तरकारी बदलावों से गुजरे हैं। प्रत्येक चुनाव के साथ निर्वाचन प्रक्रिया तथा चुनाव प्रबंधन की जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं। प्रत्येक मत अत्यधिक मूल्यवान है। ऐसे परिवेश में आरोप–प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। कुछ बेईमान और आपराधिक तत्वों के कारण स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है।

3. ऐसे परिवेश में, जोकि निरंतर बदल रहा है, अनेक बार निर्वाचन विधि में सुधार की आवश्यकता प्रतीत हुई है। चुनावों से प्राप्त अनुभवों, चुनाव आयोग की सिफारिशों, राजनीतिक पार्टियों सहित विभिन्न स्रोतों तथा सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के प्रस्तावों द्वारा तथा विधान मंडलों एवं विभिन्न सार्वजनिक निकायों के विचार–विमर्श से उत्तरोत्तर सरकारों ने समय–समय पर निर्वाचन संबंधी सुधार हेतु अनेक कदम उठाए हैं, फिर भी निर्वाचन संबंधी सुधारों हेतु एक व्यापक पैकेज को लागू करने की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता।

4. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना द्वारा संशोधन कर दिया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य तेलंगाना राज्य के संबंध में संसदीय एवं राज्य विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव के खर्च की सीमा विनिर्दिष्ट करने के लिए नियम 90 में संशोधन करना तथा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के संबंध में लम्बित आपराधिक मामलों तथा इन उम्मीदवारों के आश्रितों की आय स्त्रोत आदि के संबंध में सूचना को प्रकट करने से संबंधित प्रपत्र संख्या 26 को संशोधित करना है।

5. पूर्व की विभिन्न समितियों की रिपोर्टों, निर्वाचन आयोग तथा अन्य हितधारकों के तर्कों को ध्यान में रखते हुए और विधि में अविलम्ब परिवर्तन करने के लिए, प्राथमिक रूप से तीन माह की अवधि के भीतर, व्यापक उपाय सुझाने हेतु 16 जनवरी, 2013 को माननीय विधि एवं न्याय मंत्री ने निर्वाचन संबंधी सुधारों का मामला विचार करने हेतु पूर्ण रूप से विधि आयोग को सौंप दिया। इन सभी बातों पर विचार करने के पश्चात, भारत के विधि आयोग ने वर्ष 2014 में 'निर्वाचन निरर्हता' विषय पर अपनी 244वीं रिपोर्ट तथा वर्ष 2015 में 'निर्वाचन सुधारों'के संबंध में अपनी 255वीं रिपोर्ट पेश की। विधायी विभाग ने 244वीं तथा निर्वाचन सुधारों से संबंधित 255वीं रिपोर्ट की जाँच हेतु एक कार्य दल का गठन किया था। कार्यदल ने कतिपय सुझावों के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

12. इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन

एक संक्षिप्त इतिहास

इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (ई.वी.एम.), बैलेट बॉक्स का प्रतिस्थापन निर्वाचन प्रक्रिया का मुख्य आधार है। पहली बार वर्ष 1977 में निर्वाचन आयोग द्वारा कल्पना की गई, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद (ईसीआईएल) को इसे डिज़ाइन तथा विकसित करने का कार्य सौंपा गया। वर्ष 1979 में एक प्रोटोटाइप तैयार किया गया, जिसका प्रदर्शन निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के

समक्ष किया गया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलूर (बीईएल), एक अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, को, ईवीएम की शुरूआत पर आम सहमति बनने के पश्चात ईसीआईएल के साथ संयुक्त रूप से ईवीएम के निर्माण के लिए चुना गया।

(2) ईवीएम का पहली बार प्रयोग केरल में मई, 1982 के उप चुनावों में हुआ था, हालांकि, इसके प्रयोग संबंधी कोई विधि विशेष न होने के कारण उच्चतम न्यायालय ने यह चुनाव खारिज कर दिए थे। तत्पश्चात्, वर्ष 1989 में संसद ने चुनावों में ईवीएम के प्रयोग के लिए प्रावधान बनाने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन किए थे। इसकी शुरूआत से संबंधित आम सहमति 1998 में ही बनी तथा तीन राज्यों, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के 25 विधानसभा क्षेत्रों में इनका प्रयोग हुआ। वर्ष 1999 में इसका प्रयोग बढ़ाकर 45 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में तथा इसके पश्चात, फरवरी, 2000 में हरियाणा विधानसभा चुनावों में 45 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों किया गया। मई, 2001 में राज्य विधानसभा चुनावों में तमिलनाडू, केरल, पुद्दुचेरी तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में ईवीएम का प्रयोग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया। तब से, सभी राज्य विधानसभा के लिए आयोग ने ईवीएम का प्रयोग किया है। वर्ष 2004 में, लोक सभा के आम चुनावों में देश के 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम (दस लाख से अधिक) का प्रयोग किया गया। वर्ष 2004 से सभी चुनावों में ईवीएम का प्रयोग हुआ है।

(3) चुनावों में ईवीएम के डिज़ाइन तथा प्रयोग को वैश्विक लोकतंत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि माना जाता है। इससे प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, तेजी तथा ग्राहयता आयेगी। इससे ईवीएम के प्रयोग में प्रवीण निर्वाचन अधिकारियों का व्यापक दल तैयार करने में भी सहायता मिली है। इसके विकास क्रम में आयोग ने निर्देशों की श्रृंखला, अधिक पूछे जाने वाले प्रश्न तथा तकनीकी दिशा–निर्देश जारी किए हैं। इस अवधि के दौरान, अनेक न्यायिक निर्णयों से भी ईवीएम को हमारी निर्वाचन प्रणाली का अभिन्न अंग बनाने में सहायता मिली है।

13 ईवीएम का विस्तार तथा निपटान–तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन

ईसीआई–ईवीएम का अनुमोदन 1990 में निर्वाचन सुधारों पर गोस्वामी समिति की पहल पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक तकनीकी विशेषज्ञ उपसमिति द्वारा किया गया था। इस समिति की अध्यक्षता प्रो. एस.सम्पत, तत्कालीन अध्यक्ष आर.ए.सी., रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अन्य सदस्यों, प्रो. पी.वी. इंदीरसेन, जोकि तब दिल्ली आई.आई.टी. में थे तथा डॉ सी.राव कसारबाडा, तत्कालीन निदेशक, इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान एवं विकास केंद्र, त्रिवेंद्रम के साथ की थी। इसके बाद से आयोग ईवीएम से संबंधित सभी तकनीकी मामलों पर तकनीकी विशेषज्ञों के दल से विमर्श करता आ रहा है। नवंबर, 2010 में, आयोग ने दो अन्य विशेषज्ञों को शामिल करके अपनी तकनीकी विशेषज्ञ समिति का विस्तार किया है।

(2) ईवीएम के उन्नयन तथा निपटान संबंधी सभी मामलों में तकनीकी विशेषज्ञ समिति (टीईसी) से परामर्श किया जाता है। तत्पश्चात, इस मामले में कोई भी निर्णय लिया जाता है। वर्तमान समय में आयोग में प्रयोग हेतु ईवीएम के तीन प्रकार उपलब्ध हैं– पूर्व 2006, उत्तर 2006 तथा उन्नत उत्तर 2006। उन्नत उत्तर 2006 (उत्तर 2013) ईवीएम का प्रयोग लोक सभा, 2014 के आम चुनाव में किया गया था।

अभी तक ईवीएम का जो प्रापण किया गया है, उसका ब्यौरा निम्नानुसार है–

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	बैलेट यूनिट की कुल सं.	कंट्रोल यूनिट की कुल सं.	कुल धनराशि प्रदत्त/स्वीकृत (रुपयों में)	कुल धनराशि प्रदत्त/स्वीकृत (करोड़ रुपयों में)
1.	2000—01	142631	142631	1499880443	149.99
2.	2001—02	135481	135481	1422900000	142.29
3.	2002—03	190592	190592	2006100000	200.61
4.	2003—04	336045	336045	3530000000	353.00
5.	2004—05	125681	125681	1315400000	131.54
6.	2006—2007	250000	250000	2893742332	289.38
7.	2008—2009	180000	180000	1900000000	190.00
8.	2009—2010	127000	100000	1150000000	115.00
9.	2013—14	382876	251650	2159435745	215.94
	कुल	**1870306**	**1712080**	**17877458520**	**1787.75**

(4) इसके अतिरिक्त, तीन वित्तीय वर्षों में ईवीएम/वीवीपीएटी यूनिटों के प्रापण के लिए हाल ही में अनुमोदन प्राप्त किया गया है जोकि निम्नानुसार है—

क्रम संण	वित्तीय वर्ष	ईवीएम				वीवीपीएटी		ईवीएम (बी.यू. एवं सी.यू.) एवं वीवीपीएटी
		बी.यू. की सं.	रू7700/- की दर से मूल लागत	सी.यू. की सं.	रू 9300/- की दर से मूल अनंतिम लागत	वीवीपीएटी की सं.	रू16200/- की दर से मूल लागत	कुल मूल लागत
1	2	3	4=(3X7700)	5	6=(5X9300)	7	8=(7x16200)	9=(4+6+8)
1.	2016—17	1395306	10743856200	930716	8655658800	—	—	19399515000
2.	2017—18	—	—	—	—	1615000	26163000000	26163000000
3.	2018—19	—	—	125000	1162500000	130830	2119446000	3281946000
	2016—19	1395306	10743856200	1055716	9818158800	1745830	28282446000	48844461000

14. मतदान फोटो पहचान—पत्रों की प्रगति की प्रास्थिति (ई पी आई सी)

निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता फोटो पहचान—पत्रों का उपयोग धीरे—धीरे और निश्चित रूप से निर्वाचन प्रक्रिया को सरल, सहज और तीव्र बना रहा है। निर्वाचन आयोग ने 1993 में निर्वाचनों में जाली मतदान और निर्वाचनों में मतदाताओं के प्रतिरूपण को रोकने के लिए पूरे देश में मतदाताओं को फोटो पहचान—पत्र जारी करने का विनिश्चय किया था। निर्वाचक नामावली, रजिस्ट्रीकृत मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान—पत्र जारी करने का आधार है। निर्वाचक नामावलियों को सामान्यतः प्रत्येक वर्ष अर्हक तारीख के रूप में 1

जनवरी को पुनरीक्षित किया जाता है। ऐसे सभी व्यक्ति, जो उस तारीख को 18 वर्ष या अधिक की आयु प्राप्त कर चुके हैं, निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के पात्र हैं और उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एक बार नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने पर, वे मतदाता फोटो पहचान–पत्र प्राप्त करने के हकदार हो जाएंगे। अतः मतदाता फोटो पहचान–पत्र जारी करने की स्कीम एक सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके पूरा होने के लिए कोई समय–सीमा नियत नहीं की जा सकती, क्योंकि और अधिक संख्या में व्यक्तियों के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर मताधिकार के लिए पात्र हो जाने के कारण निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण (नामांकन फाइल करने और निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने की अंतिम तारीख के बीच की संक्षिप्त अवधि को छोड़कर) एक सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। साथ ही, आयोग का निरंतर यह प्रयास रहा है कि ऐसे निर्वाचकों को, जो पूर्व के अभियानों में छूट गए हैं उन्हें और नए निर्वाचकों को मतदाता फोटो पहचान–पत्र प्रदान किए जाएं। निर्वाचन आयोग, जो निर्वाचकों को फोटो पहचान–पत्र जारी किए जाने की स्कीम के कार्यान्वयन का संपूर्ण भारसाधक है, नियमित रूप से उसकी प्रगति की मॉनिटरिंग करता है।

(2) निर्वाचन आयोग का प्रयास यह है कि जहां तक व्यवहार्य हो, मतदाता फोटो पहचान–पत्र योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत कवरेज का लक्ष्य समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाए। मतदाता फोटो पहचान–पत्र को जारी करने के लिए आयोग ने कोई नियत समय सीमा नहीं निर्धारित की है। हालांकि उन सभी व्यक्तियों को जल्द से जल्द मतदाता फोटो पहचान–पत्र जारी करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है जो निर्वाचक नामावली में पहले ही नामांकित हैं, इनमें से कुछ प्रयास निम्नानुसार हैं –

(i) सभी मतदाताओं के मतदाता फोटो पहचान–पत्र बनाने के लिए विशेष फोटोग्राफी अभियान चलाये जाते हैं।

(ii) मतदाता डाटाबेस में मतदाताओं की फोटो उपलब्ध न होने की स्थिति में समय–समय पर विशेष अभियान चला कर फोटो एकत्र की/ली जाती हैं।

(iii) सभी मतदाताओं की फोटो एकत्र करने तथा मतदाता फोटो पहचान–पत्र बनाने के लिए आयोग द्वारा बूथ लेवल अफसरों की नियुक्ति की गई है।

(iv) बिना रूकावट नामांकन करने तथा सभी नए रजिस्टर्ड मतदाताओं को ईपीआईसी जारी करने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया गया है।

(3) इस संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में देश में मतदाताओं को फोटो पहचान–पत्र जारी करने की प्रगति दर्शाने वाला विवरण आयोग में उपलब्ध अद्यतित डाटा (2019) के अनुसार निम्नानुसार है।

क्रम सं.	राज्य का नाम	ईपीआईसी%
1	आन्ध्र प्रदेश	100.00
2	अरूणाचल प्रदेश	99.97
3	असम	94.07
4	बिहार	100.00
5	छत्तीसगढ़	100.00
6	गोवा	97.98

7	गुजरात	99.99
8	हरियाणा	100.00
9	हिमाचल प्रदेश	100.00
10	जम्मू और कश्मीर	93.00
11	झारखण्ड	100.00
12	कर्नाटक	100.00
13	केरल	100.00
14	मध्य प्रदेश	100.00
15	महाराष्ट्र	96.68
16	मणिपुर	100.00
17	मेघालय	100.00
18	मिजोरम	100.00
19	नागालैण्ड	98.36
20	ओडिशा	98.38
21	पंजाब	100.00
22	राजस्थान	100.00
23	सिक्किम	100.00
24	तमिलनाडु	100.00
25	तेलंगाना	100.00
26	त्रिपुरा	100.00
27	उत्तराखण्ड	100.00
28	उत्तर प्रदेश	99.99
29	पश्चिम बंगाल	100.00
30	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	97.36
31	चण्डीगढ़	100.00
32	दादरा एवं नागर हवेली	100.00
33	दमन एवं दीव	100.00
34	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	100.00
35	लक्षद्वीप	100.00
36	पुडुचेरी	99.98
	समस्त भारत	**99.36**

15. मतदाता सत्यापनीय पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी):

4 अक्तूबर, 2010 को हुई सभी राजनीतिक दलों की बैठक में दलों ने ईवीएम से संतुष्टि जाहिर की परंतु कुछ दलों ने आयोग से मतदान प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और सत्यापनीयता के लिए मतदाता सत्यापनीय पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) की शुरूआत करने पर विचार करने का अनुरोध किया। आयोग ने इस संबंध में जांच करने तथा संस्तुति देने के लिए ईवीएम संबंधी तकनीकी विशेषज्ञ समिति से मामले का उल्लेख किया। विशेषज्ञ समिति ने इस विषय पर ईवीएम के निर्माताओं, बीईएल और ईसीआईएल के साथ कई बैठकें कीं तथा उसके पश्चात उन्होंने ईवीएम के साथ वीवीपीएटी प्रणाली के डिज़ाइन संबंधी आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए राजनीतिक दलों और अन्य सामाजिक सदस्यों से मुलाकात की। निर्वाचन आयोग ने 26 दिसंबर, 2016 के पत्र द्वारा सूचित किया कि विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के पश्चात, भारत निर्वाचन आयोग ने वीवीपीएटी के निर्माण के लिए बीईएल और ईसीआईएल के अतिरिक्त दो अन्य के.सा.क्षे.उ., आई.टी.आई. लिमिटेड, बंगलौर तथा सी.ई.एल., गाजियाबाद का चुनाव किया है।

(2) भारत सरकार ने 14 अगस्त, 2013 को संशोधित निर्वाचनों का संचालन नियमावली, 1961 को अधिसूचित किया जिसमें आयोग को ईवीएम के साथ वीवीपीएटी के प्रयोग का अधिकार दिया गया। आयोग ने ईवीएम के साथ वीवीपीएटी का प्रयोग सर्वप्रथम नागालैण्ड के 51–नोकसेन (एसटी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप–चुनावों में किया। तत्पश्चात, वीवीपीएटी का प्रयोग विधानसभा के सभी चुनावों में चुनिंदा निर्वाचन क्षेत्रों तथा लोक सभा, 2014 के आम चुनावों में 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया। निर्वाचन आयोग ने नवंबर–दिसंबर 2017 में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में सभी निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी यूनिटों का प्रयोग किया।

(3) आयोग ने 2019 के आम चुनाव में सभी निर्वाचन क्षेत्रों में प्रयोग में लाए जाने हेतु निर्माताओं अर्थात मैसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलूरू तथा मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद से 17.45 लाख वीवीपीएटी यूनिटों का प्रापण किया है।

16. वीवीपीएटी से संबंधित तथ्य

वीवीपीएटी एक स्वतंत्र यंत्र है जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ लगा होता है जिससे मतदाता जांच सकता है कि मत उनके द्वारा चुने गए प्रत्याशी को ही गया है। जब मत डाला जाएगा, प्रिंटर द्वारा उम्मीदवार की क्रम संख्या, उम्मीदवार के नाम तथा उम्मीदवार के चुनाव चिह्न को दर्शाते हुए एक स्लिप मुद्रित होगी तथा 7 सेकंड के लिए पारदर्शी विंडो में दिखाई देगी। इसके पश्चात यह प्रिंटिड स्लिप अपने आप कट जाएगी तथा वीवीपीएटी के ड्रॉप बक्से में गिर जाएगी।

17. निर्वाचन विधियों को अन्तर्वलित करने वाले न्यायालय मामले

विधायी विभाग, विभिन्न निर्वाचन संबंधी विधियों का प्रशासनिक भारसाधक होने के नाते निर्वाचनों की वैधता तथा निर्वाचन विधियों संबंधी विभिन्न न्यायालय मामलों को भी देखता है। वर्ष 2018 के आरम्भ में निर्वाचन संबंधी विषयों पर उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में 267 मामले लम्बित थे। उक्त वर्ष के दौरान 21 नए मामले प्राप्त हुए थे, दिनांक 01.01.2019 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान 7 और नये मामले प्राप्त हुए जिनके संबंध में पैरावार टिप्पणियां, प्रति शपथ–पत्र और समुचित अनुदेश, संबंधित सरकारी काउंसेल को संप्रेषित किए गए थे। दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 की अवधि तक 15 मामलों का निपटारा कर दिया गया है। दिनांक 01.04.2019 की स्थिति के अनुसार इस समय उच्चतम न्यायालय

और विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लगभग 280 मामले लम्बित हैं। सभी मामलों की प्रभावी रूप से मानिटरिंग की जा रही है।

18. संसदीय कार्य का संचालन

वर्ष 2018–19 के दौरान, विधायी विभाग, जिसे विधि एवं न्याय मंत्रालय के संसदीय कार्य के समन्वयन/संचालन का कार्य दिया गया है, ने निम्नानुसार कार्य का निपटान किया है :

क्र. सं.	कारबार की मद	विधि एवं न्याय मंत्रालय के आंकड़े
1.	लोक सभा प्रश्न	257
2.	राज्य सभा प्रश्न	219
3.	लोक सभा में प्राइवेट सदस्यों के विधेयक	33
4.	राज्य सभा में प्राइवेट सदस्यों के विधेयक	3
5.	प्राइवेट सदस्यों के संकल्प	1
6.	लोक सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	–
7.	राज्य सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	–
8.	लोक सभा में अल्पावधि चर्चा	–
9.	शून्यकाल के दौरान उठाए गए मामले	9
10.	लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामले	19
11.	राज्य सभा में विशेष उल्लेख	3

19. परामर्श समिति

विधि और न्याय मंत्रालय से संबद्ध संसद सदस्यों की परामर्श समिति को दिनांक 16 सितम्बर, 2009 को 15 सदस्यों के साथ माननीय विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में गठित किया गया था।

20. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2017

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20ए के वर्तमान प्रावधान तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई.) जो मतदान करने का इच्छुक हो, को चुनाव के समय अपने निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित होना आवश्यक है तथा उक्त प्रावधान बाहरी मतदान के माध्यम की अनुमति नहीं देता जोकि कुछ अन्य देशों में प्रचलित है। बाहरी मतदाताओं के लिए परोक्ष मतदान की शुरूआत करने के लिए रखे गए प्रस्ताव को मंत्रिमण्डल द्वारा 2 अगस्त, 2017 को हुई बैठक में स्वीकृत कर लिया गया है। प्रवासी मतदाताओं द्वारा परोक्ष मतदान को प्रकल्पित करते हुए लोक प्रतिनिधित्व विधेयक, 2017 लोकसभा द्वारा 09.08.2018 को पारित कर दिया गया तथा यह विधेयक राज्यभा के विचारार्थ लंबित था। तथापि 16वीं लोकसभा के भंग हो जाने पर उक्त विधेयक व्यगत हो गया। इस विधेयक को फिर से पुरःस्थापित करने के लिए सामग्री तैयार की जा रही है।

21. समवर्ती सूची के अंतर्गत विधान

भारत सरकार (कार्य–आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–III–

समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित विषयों के बाबत विधायी प्रस्तावों पर कार्रवाई करने से संबंधित कार्य इस विभाग को आबंटित किए गए हैं :—

(क) विवाह और विवाह—विच्छेद; शिशु और अवयस्क; दत्तकग्रहण, वसीयत; निर्वसीयत और उत्तराधिकार; अविभक्त कुटुंब और विभाजन;

(ख) कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति अंतरण (बेनामी संव्यवहारों को छोड़कर, विलेखों और दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण);

(ग) संविदाएं, किन्तु कृषि भूमि से संबंधित संविदाओं को छोड़कर;

(घ) अनुयोज्य दोष;

(ङ) न्यास और न्यासी, महाप्रशासक और शासकीय न्यासी;

(च) साक्ष्य और शपथ;

(छ) सिविल प्रक्रिया जिसमें परिसीमा और माध्यस्थम शामिल है;

(ज) पूर्त एवं धार्मिक विन्यास तथा धार्मिक संस्थान।

22. भारत के विधि आयोग की रिपोर्टें

स्वीय विधियों और संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III (समवर्ती सूची) में वर्णित अन्य विषयों, जिनसे यह विभाग प्रशासनिक रूप से संबद्ध है, के संबंध में भारत के विधि आयोग की रिपोर्टों की केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है।

23. लाभ के पद संबंधी संसद की संयुक्त समिति

लाभ के पद संबंधी संसद की संयुक्त समिति, जिसका गठन प्रत्येक लोक सभा (द्वितीय लोक सभा से) के कार्यकाल के दौरान होता है, संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की अनुसूची में संशोधन करने के लिए भारत सरकार को सिफारिश करने की दृष्टि से भारत सरकार अथवा अन्य किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद, सांविधिक और गैर सांविधिक की प्रकृति, स्वरूप और संयोजन के संबंध में निरंतर समीक्षा का दायित्व का निर्वहन करती है।

24. विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) विधेयक, 2018

विनिर्दिष्ट अनुतोष विधेयक, 1963 (1963 का 47), निश्चित प्रकार के विर्निदिष्ट अनुतोषों से संबंधित विधि की व्याख्यान और संशोधन करने हेतु एक अधिनियम है। 'व्यवसाय में आसानी' को प्रोत्साहित करने तथा उसमें सुधार करने के सरकार के प्रयासों के भाग के रूप में, उक्त अधिनियम को विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 18) द्वारा संशोधित किया गया है।

25. स्वीय विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2018

स्वीय विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 6) द्वारा विवाह—विच्छेद अधिनियम, 1869 (1869 का 4), मुस्लिम विवाह—विघटन अधिनियम, 1939 (1939 का 8), विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (1954 का 43), हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का 25) तथा हिंदू दत्तक और भरण—पोषण अधिनियम,

1956 (1956 का 78) में निहित ऐसे प्रावधानों, जो कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति के प्रति पक्षपाती हैं, को हटाने के लिए इनमें संशोधन किए गए।

26. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017

उच्चतम न्यायालय द्वारा *तलाक–ए–बिद्दत* को हटाए जाने के बावजूद, देश के अनेक भागों से *तलाक–ए–बिद्दत* द्वारा तलाक दिए जाने के कई मामले सामने आए हैं। अतः ऐसी मुस्लिम महिलाओं, जिन्हें तीन तलाक द्वारा तलाक दिया गया है, के अधिकारों के संरक्षण हेतु एक विधेयक जिसका नाम मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017 है, विधेयक लोक सभा में प्रस्तावित किया गया तथा 28 दिसंबर, 2017 को पारित हुआ तथा राज्य सभा में विचाराधीन है।

(2) इस विधेयक में प्रस्तावित है कि तीन तलाक को निरर्थक और अवैध घोषित किया जाए तथा इसे अपराध माना जाए जिसमें तीन वर्षों का कारावास और जुर्माना हो, और प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हो। विवाहित मुस्लिम महिलाओं तथा आश्रित बच्चों को जीवन निर्वाह भत्ता देने और साथ ही नाबालिग बच्चों के संरक्षण का भी प्रस्ताव है। तथापि, विधेयक के जिन प्रावधानों के आधार पर कोई व्यक्ति अपराध के संबंध में संज्ञान लेने और अपराध को गैर जमानती घोषित कराने के लिए किसी पुलिस थाने के प्रभारी को सूचना दे सकता है, उनके संबंध में संसद के भीतर और बाहर भी लंबित विधेयक के ऐसे प्रावधानों को लेकर आशंका व्यक्त की गई हैं।

(3) उपरोक्त समस्याओं के निवारण हेतु, यह निर्णय लिया गया कि मामले का संज्ञान तभी लिया जाएगा यदि अपराध होने के संबंध में विवाहित मुस्लिम महिला जिसे तलाक दिया गया हो अथवा उसके रक्त संबंधी या विवाह संबंधी किसी भी रिश्तेदार द्वारा किसी पुलिस थाना प्रभारी को सूचना दी जाए। विवाहित मुस्लिम महिला के अनुरोध पर मजिस्ट्रेट की सहमति से उसके द्वारा निर्धारित किए गए दिशा निर्देशों के आधार पर अपराध को गैर जमानती और शमनीय बनाए जाने का निर्णय भी लिया गया। तदनुसार, आधिकारिक संशोधन राज्य सभा में रखे गए।

27. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2018

चूंकि, विधेयक विचारार्थ राज्य सभा में लंबित था और तीन तलाक (तलाक–ए–बिद्दत) द्वारा तलाक दिए जाने के मामले बढ़ रहे थे, अतः इसे रोकने के लिए कानून में कठोर प्रावधान कर अविलम्ब कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता थी। चूंकि, संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं थे तथा विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति द्वारा इस मामले में तात्कालिक कार्रवाई किया जाना आवश्यक था, अतः मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश 7) 19 सितंबर, 2018 को प्रख्यापित किया गया।

28. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2018

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2018 को बदलने के लिए मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2018, 17 दिसंबर, 2018 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया और 27 दिसंबर, 2018 के सदन द्वारा पारित कर दिया गया।

29. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2019

जब मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2018 राज्य सभा में विचारार्थ लंबित था, दोनों सदन स्थगित थे। चूंकि, संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं थे तथा तीन तलाक (तलाक–ए–बिद्दत)

द्वारा तलाक दिए जाने की प्रथा अनवरत चल रही थी, इस प्रथा को रोकने और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2018 के प्रावधानों को लागू करने के लिए, मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश 1) 12 जनवरी, 2019 को प्रख्यापित किया गया।

30. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) द्वितीय अध्याादेश, 2019

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2019 को बदलने के लिए, महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2018 को आवश्यक शासकीय संशोधनों के साथ राज्य सभा के समक्ष रखा गया। हालांकि, राज्यो सभा में विधेयक पर विचार नहीं किया जा सका तथा दोनों सदन स्थगित थे। चूंकि, संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं थे और तीन तलाक (तलाक–ए–बिद्दत) द्वारा तलाक दिए जाने की प्रथा अनवरत चल रही थी, अतः इस प्रथा को रोकने और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2019 के प्रावधानों को नियमित रूप से प्रभावी बनाने के लिए, मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) द्वितीय अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश 4) 21 फरवरी, 2019 को प्रख्यापित किया गया।

31. स्वीय विधियों और अन्य विषयों से संबंधित याचिकाएं और अन्य न्यायालय मामले

विधायी विभाग, स्वीय विधियों और संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची।।। से संबंधित मामलों, जैसे भारतीय संविदा अधिनियम 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, भारतीय न्यास अधिनियम 1882, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, विभाजन अधिनियम 1893, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, परिसीमा अधिनियम 1963 आदि के साथ लाभ का पद सहित, का प्रशासनिक प्रभारी होने के नाते उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में विभिन्न याचिकाओं और अन्य अदालती मामले देखता है। 1 जनवरी, 2018 से 31 मार्च, 2019 के दौरान 38 नए मामले प्राप्त हुए हैं। पैरावार टिप्पणियां, प्रति शपथपत्र और उचित अनुदेश, जैसा भी मामला हो, तैयार करके सरकारी वकील को दिए गए।

32. राज्य विधायी प्रस्ताव

संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत स्थित जो विषय विधायी विभाग को सौंपे गए हैं उनके संबंध में प्राप्त ऐसे विधायी प्रस्तावों जिनके लिए संविधान के अनुच्छेद 254 के खंड (2) के उपबंधों के आधार पर, राष्ट्रपति की अनुमति अपेक्षित है, की इस विभाग के द्वारा संवीक्षा की गई है। 1 जनवरी, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के दौरान, राज्य विधेयकों/अध्यादेशों से संबंधित 94 संदर्भों का परीक्षण किया गया था।

33. विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान (आई.एल.डी.आर.)

विधायी प्रारूपण एक विशिष्ट कार्य है जिसमें प्रारूपण कौशल एवं विशेषज्ञता शामिल है। विधियों की गहन जानकारी तथा उनके नियमित अद्यतनीकरण के अतिरिक्त, विधि प्रारूपण में कौशल को बढ़ाने के लिए सतत एवं निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के विधि प्रारूपण करने वाले अधिकारियों तथा विधि के छात्रों के लिए विधायी प्रारूपण में अभिरूचि और कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण की आवश्यकता है।

(2) देश में विधायी प्रस्तावों से संबंधित कार्य करने वाले प्रशिक्षित अधिकारियों तथा साथ ही प्रशिक्षित विधायी परामर्शियों की उपलब्धता में वृद्धि करने की दृष्टि से जनवरी, 1989 में विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के एक खंड के रूप में विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान (आई.एल.डी.आर.) की स्थापना की गई। अब तक आईएलडीआर ने विधायी प्रारूपण पर 22 मूल्यांकन पाठ्यक्रम तथा 30 बुनियादी पाठ्यक्रम संचालित किए हैं। राज्य सरकारों के विधायी प्रस्तावों पर कार्य कर रहे कुल 322 अधिकारियों

को बुनियादी पाठ्यक्रम द्वारा प्रशिक्षित किया गया तथा केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों के विधायी प्रारूपण से जुड़े 353 अधिकारी आई.एल.डी.आर. द्वारा चलाए गए मूल्यांकन पाठ्यक्रम से लाभान्वित हुए हैं।

(3) आईएलडीआर प्रत्येक वर्ष विधायी प्रारूपण से संबंधित निम्नलिखित पाठ्यक्रमों का संचालन करता है:

(i) बुनियादी पाठ्यक्रम की अवधि तीन माह है तथा राज्य सरकारों/ संघ राज्य प्रशासनों के मध्यम श्रेणी के विधि अधिकारियों के लिए है;

(ii) 15 दिन की अवधि का मूल्यांकन पाठ्यक्रम केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/समयबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के मध्यम श्रेणी के अधिकारियों के लिए है;

(iii) कानून के विद्यार्थियों के लिए स्वैच्छिक इंटर्नशिप स्कीम। इस स्कीम का उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों के मन में विधायी प्रारूपण के कौशल के बारे में रूचि पैदा हो सके तथा वे विधायी विभाग की प्रकृति एवं कार्यप्रणाली के बारे में तथ्यपरक जानकारी प्राप्त कर सकें।

(4) 2018–19 की अवधि के दौरान आईएलडीआर द्वारा निम्नलिखित क्रियाकलाप किए गए:

(i) 2 जुलाई, 2018 से 28 सितंबर, 2018 तक विधायी प्रारूपण में तीसवां बुनियादी पाठ्यक्रम। उक्त पाठ्यक्रम द्वारा उन्नीस प्रशिक्षु अधिकारी लाभान्वित हुए।

(ii) 4 फरवरी, 2019 से 18 फरवरी, 2019 तक विधायी प्रारूपण में बाईसवां मूल्यांकन पाठ्यक्रम। बुनियादी पाठ्यक्रम द्वारा छत्तीस प्रशिक्षु अधिकारी लाभान्वित हुए।

(iii) ब्यूरो ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज़ एंड ट्रेनिंग, लोक सभा सचिवालय द्वारा 17 जनवरी, 2019 से 15 फरवरी, 2019 तक संचालित किए गए विधायी प्रारूपण पाठ्यक्रम में चौंतीसवें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया। इसमें चालीस विदेशी प्रतिभागी लाभान्वित हुए।

(iv) स्वैच्छिक इंटर्नशिप कार्यक्रम वर्ष 2013 से शुरू किया गया तथा वर्ष भर चलता है।

(5) आई.एल.डी.आर. के क्रियाकलापों को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मैनुअल (क्युआएमएसएम) के दिशा निर्देशों के अनुरूप पाए जाने के संबंध में किए गए मूल्यांकन के आधार पर इसे आईएसओ 9001 : 2008 सर्टिफिकेट से आईएसओ 9001:2015 में अपग्रेड किया गया है।

34. ई–शासन हेतु की गई पहलें

(i) कन्टेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क (सीएमएफ आधारित आधिकारिक वेबसाइट): विधायी विभाग ने कन्टेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क (सीएमएफ) पर आधारित आधिकारिक वेबसाइट शुरू की है। विभाग की उक्त सीएमएफ आधारित वेबसाइट को मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उपयुक्त रूप में सत्यापन के पश्चात 'सर्टिफाइड क्वॉलिटी वेबसाइट' (सीक्यूडब्ल्यू) प्रमाण पत्र जारी किया गया।

(ii) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित ओपन सोर्स कन्टेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, गाइडलाइन्स फॉर इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स (जीआईजीडब्ल्यू) के अनुकूल है तथा यह पूर्व निर्धारित सामग्रियों से युक्त स्टैटिक साइटों को आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तशील पोर्टल में स्वतः परिवर्तित होने के लिए सक्षम बनाता है जिसमें कुछ विशेषताएं जैसे मोबाईल फ्रेंडलीनेस (एंड्रायड,

आईओएस और विंडोज में प्रयोग किए जाने हेतु अनुकूलनीय स्क्रीन साइज); टेक्स्ट स्पीच इनेबलमेंट (दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए वेबपेज की सामग्री पढ़ने हेतु विकल्प); भाषा अनुवाद/लिप्यंतरण (अंग्रेज़ी विषय वस्तु का स्थानीय भाषा में अनुवाद); तथा विज़िटर एनेलेटिक डैशबोर्ड उपलब्ध हैं। प्रयोगकर्ता सरलता से अपेक्षित सामग्री देख और खोज सकते हैं।

(iii) ई–ऑफिस लाइट का क्रियान्वयनः सुशासन के एक हिस्से के रूप में तथा सरकार की मिशन मोड परियोजनाओं के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में ई–ऑफिस लाइट का कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है। इस परियोजना का कार्यान्वयन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के समन्वय से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा संस्थान (एनआईसीएसआई) द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार चरणबद्ध रूप में शुरू किया गया है।

(iv) विधायी विभाग में किसी भी संभावित साइबर हमले को विफल करने के लिए साइबर सुरक्षा निर्देशः विभाग द्वारा साइबर हमलों से बचने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के समन्वय से सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित ई–शासन नीति का अनुपालन किया जाता है। सरकार द्वारा समय समय पर उपलब्ध कराए जाने वाले साइबर सुरक्षा संबंधी अनुदेश, विधायी विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा डाटा चोरी, हैकिंग और इस प्रकार के अन्य साइबर हमलों के प्रति जागरूक बनाने के लिए परिचालित किए जाते हैं ताकि उन अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन करके विभाग की वेबसाइट को किसी भी संभावित साइबर हमले से बचाया जा सके तथा इसे सुरक्षित बनाया जा सके।

35. सूचना का अधिकार संबंधी आवेदन

आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 (2005 का 22) के अधिनियमन के परिणामस्वरूप, विधायी विभाग में 12 अगस्त, 2005 से आर.टी.आई. प्रकोष्ठ का गठन किया गया, जिसमें एक अपीलीय प्राधिकारी, एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और एक केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी हैं। वर्तमान में श्री उदय कुमारा, संयुक्त सचिव; श्री एस.के.चिटकारा, निदेशक तथा सुश्री विद्यावती, अवर सचिव, क्रमशः अपीलीय प्राधिकारी, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी तथा केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस विभाग ने, विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर "सूचना का अधिकार" शीर्षक के अधीन एक पृथक वेबपेज आरंभ किया है और इस विभाग से संबंधित अधिकतम सूचना को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुरूप उसमें प्रसारित किया है जिससे कि उक्त अधिनियम के अधीन प्रकल्पित सूचना के स्वतः प्रकटन का उद्देश्य पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त, इस विभाग के अपीलीय प्राधिकारी और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के ई–मेल संपर्क पते राष्ट्रीय सूचना केंद्र प्रकोष्ठ के साथ समन्वय से सृजित किए गए हैं ताकि इस विभाग की वेबसाइट का उपयोग उक्त अधिनियम के उपबंधों का उपयोग करने में जनता के लिए और अधिक अनुकूल बनाया जा सके। अपीलीय प्राधिकारी का ई–मेल संपर्क पता aa-rti-legis@nic-in है और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का संपर्क पता cpio-rti-legis@nic.in है।

(2) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विभिन्न प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आवेदकों से प्राप्त आवेदनों की समुचित जांच की जाती है तथा विधायी विभाग की संबंधित प्रशासनिक यूनिट से उपलब्ध सूचना प्राप्त कर इसे आवेदक को प्रदान किया जाता है। साथ ही, जिन आवेदनों की विषय–वस्तु केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों से संबंधित होती है उन्हें उक्त अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार संबंधित मंत्रालय/विभाग में शीघ्र ही हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसके अलावा, प्रथम अपील

के मामले में इसकी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निष्पक्षता से जांच की जाती है तथा विहित समय–सीमा के भीतर इसका निपटान कर दिया जाता है। 1 जनवरी, 2018 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के दौरान उक्त अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए एक हजार आठ सौ सत्ताईस (1827) आवेदन प्राप्त हुए, जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार आवेदकों को उचित उत्तर देते हुए उनका शीघ्र निपटान किया गया था। इसी अवधि (1 जनवरी, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक) के दौरान अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर एक सौ बाईस (122) प्रथम अपीलों में से सभी एक सौ बाईस (122) प्रथम अपीलों का उनके गुण–दोषों के आधार पर निपटान कर दिया गया है। आरटीआई मामलों के निपटान से इस विभाग को इसी अवधि (1 जनवरी, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक) के दौरान आवेदन शुल्क तथा फोटोकॉपी शुल्क के रूप में चार हजार चार सौ रूपए (4,400/– रू.) की प्राप्ति हुई हैं।

36. शुद्धि अनुभाग

(1) केंद्र तथा राज्यों की संहिताओं का रख–रखाव

शुद्धि अनुभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारियों के प्रयोग हेतु भारत का संविधान और उसके अधीन जारी किए गए आदेशों, निर्वाचन विधि निर्देशिका, केंद्रीय अध्यादेशों, विनियमों, राष्ट्रपति के अधिनियमों और राज्यों के अधिनियमों का रख–रखाव करता है। इस विभाग का शुद्धि अनुभाग इंडिया कोड की मास्टर कॉपी का रख–रखाव करता है, जिसमें प्रभारी मंत्री, विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारियों (विधि कार्य विभाग तथा विधायी विभाग) तथा भारत सरकार के विधि अधिकारियों द्वारा संदर्भ हेतु अखिल भारतीय अनुप्रयोग के लिए अनिरसित केंद्रीय अधिनियम शामिल होते हैं। ये महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ हैं तथा इनका प्रयोग केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमों के संशोधित संस्करणों को प्रकाशित करने के लिए भी किया जाता है। 2018 तक के केंद्रीय अधिनियमों का इंडिया कोड की मास्टर कॉपी में अद्यतन कर दिया गया है। केंद्रीय अधिनियमों का अद्यतनीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा वर्ष 2019 के लिए कार्य प्रक्रियाधीन है।

(2) इस अनुभाग को वर्ष 2017 से अनिरसित केंद्रीय अधिनियमों, विनियमों, अध्यीदेशों आदि को हमारे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.legislative.gov.in पर 'Legislative Reference' के नाम से अद्यतन करने का कार्य दिया गया है तथा इसे इंडिया कोड पोर्टल पर http://indiacode.nic.in पर अपलोड करने का निदेश भी दिया गया है। इस कार्य की निगरानी मंत्रिमण्डल सचिवालय तथा दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भी की जा रही है। इसके अतिरिक्त, अनुभाग द्वारा वर्ष 1938 से 1892 तक के अनिरसित केंद्रीय अधिनियमों को इस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। केंद्रीय अधिनियमों की सूची, वर्णक्रमानुसार तथा कालक्रमानुसार दोनों में, विधायी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.legislative.gov.in पर 'दस्तावेज' शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

(3) वर्ष 2018–19 के दौरान, अनुभाग द्वारा इस विभाग की वेबसाइट तथा साथ ही साथ इंडिया कोड पोर्टल पर 6 मुख्य अधिनियम अपलोड किए गए हैं तथा 42 केंद्रीय अधिनियम और उनके वर्तमान संशोधन (जिसमें एकल संशोधन अधिनियम द्वारा अनेक अधिनियमों में किए गए संशोधन शामिल हैं), 22 केंद्रीय अध्यादेश तथा 3 केंद्रीय विनियम अद्यतन तथा अपलोड किए गए।

(4) वर्ष 2018–19 के दौरान, अनुभाग द्वारा संसद के 42 अधिनियमों की गजट प्रतियां (2 वित्त अधिनियमों तथा 9 विनियोग अधिनियमों सहित) तथा 2 संविधान संशोधन अधिनियमों, 22 केंद्रीय अध्यादेशों और 3

केंद्रीय विनियमों को मुद्रण निदेशालय, प्रकाशन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://www.egazette.nic.in से डाउनलोड किया गया।

क. वर्ष 2018–19 (विनियोग अधिनियम और वित्त अधिनियम के अतिरिक्त) में डाउनलोड तथा अपलोड किए गए मुख्य अधिनियम

2018

1. निरसन और संशोधन अधिनियम, 2017 (2018 का 2)
2. भारतीय पैट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान अधिनियम, 2017 (2018 का 3)
3. निरसन और संशोधन (द्वितीय) अधिनियम, 2018 (2018 का 4)
4. भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 (2018 का 17)
5. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) अधिनियम, 2018 (2018 का 24)
6. राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2018 (2018 का 25)

ख. वर्ष 2018–19 के दौरान एक संविधान संशोधन अधिनियम सहित डाउनलोड किए गए संशोधन अधिनियम

2018

1. कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2018 का 1)
2. भारतीय वन (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 5)
3. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 7)
4. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 8)
5. वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन अधिनियम, 2017 (2018 का 9)
6. उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा और शर्तें) संशोधन अधिनियम, 2018 (2018 का 10)
7. उपदान संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 12)
8. भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम,2018 (2018 का 16)
9. विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम,2018 (2018 का 18)
10. स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 19)
11. परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 20)
12. स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 21)
13. दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 22)
14. संविधान (एक सौ दोवां संशोधन) अधिनियम, 2018
15. होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 23)
16. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 26)
17. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 (2018 का 27)

18. वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) अधिनियम 2018 (2018 का 28)
19. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 31)
20. एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 32)
21. संघ राज्य क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 33)
22. वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 34)
23. राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुनिःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 35)

2019

1. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम 2019 (2019 का 1)
2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 2)
3. संविधान (एक सौ तीनवां संशोधन) अधिनियम, 2019
4. स्वीय विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 6)

ग. वर्ष 2018–19 के दौरान डाउनलोड तथा अपलोड किए गए अध्यादेश–

2018

1. भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश, 2018 (2018 का 1)
2. दण्ड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का 2)
3. वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का 3)
4. होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का 4)
5. राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2018 (2018 का 5)
6. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का 6)
7. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2018 (2018 का 7)
8. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का 8)
9. कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का 9)

2019 (31–03–2019 तक)

1. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2019 (2019 का 1)
2. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का 2)
3. कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का 3)
4. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) द्वितीय अध्यादेश, 2019 (2019 का 4)
5. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2019 (2019 का 5)
6. कंपनी (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2019 (2019 का 6)

7. अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अध्यादेश, 2019 (2019 का 7)
8. जम्मू कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का 8)
9. आधार और अन्यम विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का 9)
10. नई दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र अध्यादेश, 2019 (2019 का 10)
11. होम्योपैथी केंद्रीय परीषद (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का 11)
12. विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का 12)
13. केंद्रीय शिक्षा संस्थाएं (अध्यापकों के संवर्ग में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 (2019 का 13)

घ. वर्ष 2018–19 के दौरान डाउनलोड तथा अपलोड किए गए केंद्रीय विनियम हैं–

2018

1. दमन और दीव नगर पालिका (संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 1)
2. दादरा और नागर हवेली नगर पालिका परिषद (संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 2)
3. अंडमान निकोबार द्वीपसमूह (नगर पालिका) (संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 3)

(5) संसद के अधिनियमों के आधार पर, प्रधान अधिनियमों की मास्टर प्रतियों में संशोधन दर्ज कर दिए गए हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान, जिन अधिनियमों को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा लागू कर दिया गया है उनके लागू होने की तारीख और उनकी अधिसूचना संख्या संबंधित अधिनियमों की मास्टर प्रतियों में यथास्थान दर्ज कर दी गई है और विभाग की आधिकारिक वेबसाइट तथा साथ ही साथ इंडिया कोड पोर्टल पर भी अपलोड कर दिए गए हैं।

37. राज्य अधिनियम

वर्ष 2018–19 के दौरान, अनुभाग द्वारा 12 राज्यों, जिनके नाम हैं, आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडू, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं, से कुल 189 राज्य अधिनियम और 65 अध्यादेश प्राप्त हुए। सभी अधिनियमों और अध्यादेशों को संबंधित रजिस्टरों और फोल्डरों में दर्ज कर लिया गया है।

38. भारत संहिता अद्यतनीकरण यूनिट

प्रत्येक वर्ष विधान मंडल द्वारा अनेक विधान (मुख्य अधिनियम तथा संशोधन अधिनियम दोनों) पारित किए जाते हैं तथा न्यायपालिका, अधिवक्ताओं और साथ–ही–साथ नागरिकों के लिए यह कठिन हो जाता है कि वे आवश्यकता होने पर किसी एक ही स्थंल पर सभी प्रासंगिक एवं अद्यतन अधिनियमों का संदर्भ ले सकें। इस समस्या का समाधान यह हो सकता है कि एक वृहत्तक रिपोजिटरी का निर्माण किया जाए जहां एक ही स्थान पर सभी अधिनियमों एवं संशोधनों को इकट्ठा रखा जाए जो सबके लिए अभिगम्य हो। एक केंद्रीय रिपोजिटरी बनाने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जाती रही है जहां एक ही स्थान पर सभी अधिनियमों एवं समय–समय पर बनाए गए उनके अधीनस्थ विधायनों को रखा जाए जो समस्त हितधारकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो। उन कानूनों को जनता, अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों आदि को आवश्यकता पड़ने पर अद्यतन रूप में उपलब्ध कराने तथा निजी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित अद्यतन कानूनों पर अपनी कॉपीराइट का दावा करते हुए जनता से भारी कीमत वसूल करके उनका शोषण करने पर रोक लगाने को ध्यान में रखते हुए इस विभाग में इंडिया कोड अद्यतनीकरण यूनिट का गठन किया गया है। वस्तुतः, भारत संहिता उपलब्ध कराने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है। इन सभी पहलुओं को ध्यान

में रखते हुए विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के सहयोग से भारत संहिता सूचना प्रणाली (आईसीआईएस) का निर्माण किया गया है जो कि एक वन स्टॉप डिजीटल रिपोजिटरी है जहां केंद्र व राज्यों के सभी विधायनों के साथ–साथ उनके संबंधित अधीनस्थ विधायनों को इकट्ठा रखा गया है। सभी नागरिकों का कानूनी रूप से सशक्तिकरण सुनिश्चित करने तथा साथ–ही–साथ एक राष्ट्र–एक मंच के उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य विशेषताएं:

इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य यह है कि आम जनता, अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों तथा अन्य सभी इच्छुक पक्षकारों के आवश्यकतानुसार भारत के सभी अधिनियमों तथा विधायनों को वन स्टॉप रिपोजिटरी पर उपलब्ध कराया जा सके। इस प्रणाली से न केवल संबद्ध पूर्व दृष्टांतों तथा संशोधनों को ढूंढ़ने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी बल्कि अपनी रूचि के अनुसार किसी भी केंद्रीय या राज्य के अधिनियम को अद्यतन रूप में पुनःप्राप्त करना प्रयोक्ता् अनुकूल हो जाएगा, वह भी एक बटन दबाते ही। एक मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार किया गया है जिसके द्वारा कहीं से भी मोबाइल पर ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकेगी। इस प्रणाली से भारत में बने कानूनों के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ेगी। इससे प्रभावी सूचना प्रबंध के रूप में भी मदद मिलेगी जिससे प्रशासनिक प्राधिकारियों के कार्य में सहायता मिलेगी तथा लोग डीजिटल फॉर्म में इसे आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।

इस रिपोजिटरी में केंद्र तथा राज्य के सभी अधिनियम शामिल होंगे। यह एक केंद्रीय डाटाबेस रिपोजिटरी है जिसमें भारत में बने सभी कानून शामिल होंगे। जब भी कोई नया अधिनियम या संशोधन अधिनियम पारित किया जाता है तथा अधीनस्थ विधायन बनाए जाते हैं, संबंधित प्राधिकारी को यह सुविधा प्रदान की गई है कि वे केंद्रीय रिपोजिटरी पर उसे अपलोड कर सकें।

भारत संहिता सूचना प्रणाली (आईसीआईएस) के अंतर्गत indiacode.nic.in वेबसाइट तैयार किया गया है जिस पर केंद्र तथा राज्य के सभी अधिनियमों के साथ–साथ उनके अधीनस्थ विधायन भी उपलब्ध हैं। केंद्र तथा राज्य के सभी अधिनियम धाराओं, अनुसूचियों, लघु शीर्षकों, अधिनियमन की तिथियों, आदि के संबंध में ब्योरे उपलब्ध कराएंगे तथा साथ–ही–साथ प्रत्येक अधिनियम में अति महत्वपूर्ण पाद टिप्पणियां उपलब्ध कराएंगे। खोजने की सुविधा निम्नलिखित क्षेत्रों में उपलब्ध कराई गई है:

1. अधिनियम का वर्ष
2. अधिनियम सं.
3. अधिनियमन की तिथि
4. लघु शीर्षक
5. मंत्रालय
6. विभाग

फ्री पाठ खोज भी उपलब्ध है।

ई–शासन के रूप में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम

इस प्रणाली से कोई भी व्यक्ति विद्यमान अधिनियमनों को देख सकता है। साथ ही, केंद्र और राज्यो के किसी भी अधिनियम तथा उनके अंतर्गत बनाए गए अधीनस्थ विधायनों को पुनःप्राप्त करने के लिए संबद्ध

पूर्व दृष्टांतों और संशोधनों को ढूंढ़ने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया जा रहा है। अद्यतन विधायी दस्तावेजों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को अत्यधिक प्रयोक्ता अनुकूल बनाया गया है तथा यह मात्र एक बटन दबाकर प्राप्त किया जा सकेगा।

भारत संहिता की नई वेबसाइट पर केंद्रीय अधिनियमों को अद्यतन करने और अपलोड करने की प्रक्रिया के रूप में 1838 से 2018 के केंद्रीय अधिनियमों को अद्यतन और अपलोड कर दिया गया है। अधिनियमों का हिंदी पाठ www.legislative.gov.in पर उपलब्ध है। जहां तक अधीनस्थ विधायनों को अद्यतन और अपलोड करने का संबंध है, भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों से अद्यतन पाठ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है तथा कई मंत्रालयों और विभागों ने अपने अधीनस्थ विधायनों को अपलोड कर दिया है।

भारत संहिता सूचना प्रणाली (आईसीआईएस) ई—शासन के रूप में की गई एक महत्वपूर्ण पहल है जिसमें हमारे इस सबसे बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में विद्यमान सभी केंद्रीय और राज्य अधिनियम एक स्थान पर उपलब्ध कराए गए हैं। अतः, उपलब्ध अधिनियमों को राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर कानून निर्माताओं, न्यायपालिका, विद्वानों, विधि के छात्रों आदि द्वारा देखा जाता है। इस प्रकार, यह वेब पोर्टल दुनिया भर में देखा जाता है। भारत संहिता सूचना प्रणाली (आईसीआईएस) उन निजी प्रकाशकों के एकाधिकार को समाप्त करती है जो अपने प्रकाशनों पर कॉपीराइट का दावा करते हैं।

39. मुद्रण अनुभाग

विधायी विभाग का मुद्रण अनुभाग (मुद्रण—। और मुद्रण—।।) विधायन की प्रक्रिया के विभिन्न प्रक्रमों पर मुद्रण के कार्य से संबंधित हैं। इन दोनों अनुभागों के कार्यों में विधेयकों की पांडुलिपियों (जिसमें विषय—वस्तु और उपाबंध, जहां—जहां अपेक्षित हैं, को तैयार करना सम्मिलित है), अध्यादेशों, विनियमों, अनुकूलन आदेशों, भारत के संविधान के अधीन जारी किए गए आदेशों, परिसीमन आदेशों और अन्य कानूनी विलेखों को मुद्रणालय भेजने से पहले उनका संपादन करना शामिल है। विधेयकों के प्रूफ आदि की बहुल प्रक्रमों पर जांच की जाती है तत्पश्चात उसे अनुमोदन के पश्चात् विधायी—। अनुभाग को भेज दिया जाता है जो उन्हें लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों को "लोक सभा/राज्य सभा में पुरःस्थापित किए जाने के लिए" प्रक्रम हेतु मुद्रण के लिए अग्रेषित करता है। ऐसे विधेयकों को, जिन्हें अल्प—सूचना पर पुरःस्थापित किया जाना अपेक्षित होता है, मुद्रण अनुभागों द्वारा लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय की ओर से मुद्रित किया जाता है। तत्पश्चात, विधेयकों की मुद्रित प्रतियां, विभिन्न प्रक्रमों पर जांची जाती हैं जैसे यथा पुरःस्थापित "पुरःस्थापित किए जाने वाले' प्रक्रम, "लोक सभा/राज्य सभा द्वारा यथा पारित' प्रक्रम, "दोनों सदनों से यथा पारित' प्रक्रम, "अनुमति प्रति' प्रक्रम, "हस्ताक्षर प्रति' प्रक्रम और अंत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात्, अधिनियम को तैयार किया जाता है और उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाती है। उसके ठीक पश्चात् जनता में विक्रय करने के लिए ए—4 प्रक्रम की प्रति उसी रूप में पुनः प्रकाशन करने के लिए तैयार और संपादित की जाती है। ए—4 आकार के अधिनियमों के प्रूफों को पुनःसंवीक्षित किया जाता है और अंतिम मुद्रण के लिए मुद्रणालय को लौटाने से पूर्व अनुमोदित किया जाता है और अधिनियम की मुद्रित प्रति की अशुद्धियों के लिए जांच की जाती है और विक्रय के लिए जारी की जाती है।

(2) भारत के संविधान, भारत संहिता, संसद के अधिनियमों जैसे विभिन्न अन्य प्रकाशनों के संपादन और प्रूफ की जांच करने के अलावा मुद्रण अनुभागों ने विभाग की आवश्यकता के अनुसार केन्द्रीय अधिनियमों के संशोधित संस्करण को अद्यतन करने का भी कार्य किया है।

(3) 1 जनवरी, 2018 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के दौरान विधायी विभाग के मुद्रण–। तथा मुद्रण–।। अनुभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य किये गये :–

(क) 141 विधेयकों, सरकार के राजपत्र में प्रकाशित 42 अधिनियमों, 22 अध्यादेशों तथा 3 विनियमों की पांडुलिपियों का संपादन किया गया तथा इनके प्रूफों की जांच और समीक्षा की गई ;

(ख) इंडिया कोड (कुल 576 पृष्ठ) के कम्प्यूटर प्रिंट आउट की जांच की गई।

(ग) संसद के केंद्रीय अधिनियमों के 9 डिग्लॉट संशोधित संस्करणों के प्रूफों तथा मुद्रित प्रतियों की जांच की गई।

(घ) एक संवैधानिक आदेश का संपादन किया गया तथा इसके प्रूफ की जांच की गई।

(4) इसके अलावा, मुद्रण अनुभागों ने निरसन करने के उद्देश्य से 245 अधिनियमों की जांच की है।

40. साधारण कानूनी नियम एवं आदेश (जी.एस.आर.ओ.) अनुभाग

1. केन्द्रीय अधिनियमों के संशोधित संस्करण विधायी विभाग द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं और अधिनियम के अन्तर्गत अधीनस्थ विधायन सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं।

2. किसी अधिनियमन के अधीन अधीनस्थ विधायन जिन सांविधिक नियम और आदेश, अधिसूचना आदि शामिल होते हैं, विधायी विभाग से विधीक्षा करवाने के उपरान्त उस मंत्रालय या विभाग के द्वारा जारी किया जाता है जो उस अधिनियम से प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित होता है। अधीनस्थ विधायन पर संसदीय समिति की संस्तुतियों के अनुपालन में अधीनस्थ विधायन को अद्यतन रखने और जनता को उसे त्वरित गति से उपलब्ध करवाने की एक योजना बनाई गई थी। उक्त योजना के अन्तर्गत, प्रशासनिक मंत्रालयों से यह अपेक्षित है कि वे उनके द्वारा जारी किए गए नियमों, आदेशों और अधिसूचनाओं की अद्यतन प्रतियों वाले फोल्डरों का रख–रखाव करें।

3. अधीनस्थ विधायन पर राज्य सभा समिति ने अपनी 135वीं रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह संस्तुति की थी कि मंत्रालय, अपनी ई – गवर्नेन्स पहल के हिस्से के रूप में, सभी अधीनस्थ विधायन अधिमानतः द्विभाषी रूप में अपनी बेबसाइट पर रखें। समिति ने यह भी संस्तुति की थी कि संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सभी मंत्रालयों के प्रयोग हेतु इन्टरनेट इंटरफेस से युक्त एक मानक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विकसित करेगा जो सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले प्रधान अधिनियमों से संबद्ध अधीनस्थ विधायन का तलाशने योग्य डेटाबेस उपलब्ध कराएगा।

(4) विधायी विभाग का साधारण कानूनी नियम एवं आदेश अनुभाग (सा.का.नि.आ.अनुभाग) भारत के गजट में प्रकाशित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी किए गए साधारण कानूनी नियमों एवं आदेशों का शासकीय प्रयोजन हेतु वर्णानुक्रम रजिस्टर तैयार करता है।

(5) साधारण कानूनी नियम एवं आदेश अनुभाग (सा.का.नि.आ.अनुभाग) द्वारा वर्ष 2018–19 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा भाग–।।, खण्ड 3, उप खण्ड (i) तथा (ii) के अधीन जारी अधीनस्थ विधायनों से संबंधित गजट अधिसूचनाओं, जोकि साधारण और असाधारण से संबंधित हैं, की गजट प्रतियां छांटी गईं। विभिन्न साधारण और असाधारण अधिसूचनाओं के भाग–।।, खण्ड 3, उप खण्ड (i) तथा (ii) से संबंधित शुद्धियों सहित विभिन्न अधिसूचनाओं की प्रविष्टि वर्णानुक्रम रजिस्टार में की गई।

41. एकल वित्त और बजट एवं लेखा अनुभाग

एकल वित्त और बजट एवं लेखा अनुभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय के तीनों विभागों नामतः विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग तथा न्याय विभाग और विभिन्न स्वायत्त निकायों– आई टी ए टी, नालसा, उच्चतम न्यायालय विधिक संघ इत्यादि के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान तैयार करने से संबंधित कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, बजट को अंतिम रूप देने, बजट–पूर्व विचार–विमर्श और अनुपूरक/अतिरिक्त निधियों की मांगों को प्राप्त किए जाने संबंधी कार्य भी इस अनुभाग द्वारा किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग और उच्चतम न्यायालय सहित सम्पूर्ण मंत्रालय के लिए विस्तृत अनुदान मांगों को तैयार करने से संबंधित कार्य भी बजट तथा लेखा अनुभाग द्वारा निष्पादित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह अनुभाग उन प्रस्तावों जिनमें वित्तीय पहलू अन्तर्वलित है और जहां वित्त मंत्रालय की विशिष्ट राय लेना अपेक्षित है, से संबंधित कार्य भी करता है। विधि और न्याय मंत्रालय के लिए अनुदान मांगों पर संसदीय स्थायी समिति से संबंधित कार्य का समन्वय भी इसी अनुभाग द्वारा किया जाता है।

(2) एकल वित्त और बजट एवं लेखा अनुभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (विधान मण्डल वाले) के निर्वाचन संबंधी व्यय के संबंध में निधियों को अनंतिम रूप से निर्गत करने से संबंधित कार्य के लिए भी उत्तरदायी है।

42. प्रकाशन अनुभाग

प्रकाशन अनुभाग समय–समय पर केन्द्रीय अधिनियमों और अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशनों जैसे कि भारत के संविधान, निर्वाचन विधि संबंधी निर्देशिका, भारत के संविधान के अधीन जारी किए गए आदेशों, केंद्रीय अधिनयमों की वर्णक्रमानुसार तथा कालक्रमानुसार सूची, सांविधिक परिभाषाओं की सूची आदि के संशोधित संस्करण प्रकाशित करता है।

2. इस विभाग द्वारा संविधान (एक सौ तीनवां संशोधन) अधिनियम, 2019 सहित नवीनतम संशोधनों को शामिल करते हुए भारत के संविधान (अंग्रेजी संस्करण) तथा फुटनोट का डिग्लॉट संस्करण में पॉकेट साइज में प्रकाशन किया गया है। इसके अलावा, भारत के संविधान (अंग्रेजी संस्करण) का अद्यतन संस्करण तथा फुटनोट विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराया गया है।

3. वर्ष 2018–19 में निर्वाचन विधि संबंधी निर्देशिका के अंग्रेजी संस्करण की पांडुलिपि (खंड। तथा खंड।।) तैयार कर प्रकाशित (डिग्लॉट संस्करण में) की गई है।

लोक सभा द्वारा प्रकाशित भारत के संविधान के प्रूफ का संवीक्षण तथा पुनरीक्षण किया गया ताकि इसके डीलक्स तथा पॉकेट साइज, डिग्लॉट संस्करण का प्रकाशन किया जा सके।

43. राजभाषा अनुभाग

विधायी विभाग का राजभाषा अनुभाग, भारत संघ की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक रूप से उत्तरदायी है। यह अनुभाग अंग्रेजी से हिंदी तथा व्युत्क्रमतः अनुवाद कार्य करने सहित भारत संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए भी उत्तरदायी है।

(2) राजभाषा नीति के संवैधानिक और अन्य उपबंधों का कार्यान्वयन

(i) विधायी विभाग ने 01 जनवरी, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के दौरान राजभाषा नीति के समस्त पक्षों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित प्रयास किए हैं :–

राजभाषा नियम 1976 के उपबंधों के अनुसार वर्तमान में 'क', 'ख' तथा 'ग' क्षेत्रों को क्रमशः 88. 34%, 81.32 % तथा 64.05% पत्र हिंदी में भेजे जा रहे हैं। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में अनुबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हिंदी में प्राप्त पत्रों, आवेदनों, अभ्यावेदनों आदि के उत्तर हिंदी में ही भेजे जाते हैं। भारत संघ की राजभाषा नीति के अनुसार, अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों, आवेदनों, अभ्यावेदनों आदि के भी उत्तर हिंदी में ही भेजे जा रहे हैं। सभी संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक रिपोर्टें, संविदाएं, नोटिस और संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उप धारा (3) के अनुसार द्विभाषी रूप में तैयार एवं जारी किए जाते हैं।

(ii) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में 29 अप्रैल, 1979 को विधायी विभाग को सरकारी कार्य हिंदी में करने हेतु अधिसूचित किया गया था। हिंदी में प्रवीण अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रारूप आदि हिंदी में ही प्रस्तुत करने के निदेश दिए गए हैं। इस प्रयोजन के लिए राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8 के उप– नियम (4) के अधीन अपना अधिकतम कार्य केवल हिंदी में करने के लिए 31 अनुभागों में से 17 अनुभागों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

(3) राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु तिमाही प्रगति रिपोर्ट

हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्टें नियमित रूप से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को भेजी जाती हैं। इन रिपोर्टों के माध्यम से हिंदी प्रशिक्षण के संबंध में कर्मचारियों की स्थिति और हिंदी में उनके संपूर्ण कार्य को परिलक्षित किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिंदी में पत्राचार, टिप्पण और प्रारूपण करने में वृद्धि हो।

(4) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

इस विभाग में संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी (राजभाषा खंड) सह राजभाषा प्रभारी की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है। शासकीय प्रयोजनों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के निर्धारण के लिए इस समिति की बैठकें नियमित रूप से तीन मास में एक बार आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत्त राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को भेजे जाते हैं। कार्यवृत्त को विभाग के सभी अधिकारियों और अनुभागों में भी अनुपालन के लिए परिचालित किया जाता है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें क्रमशः 27 मार्च, 2018 (पहली), 20 जून, 2018 (दूसरी), 25 सितंबर, 2018 (तीसरी) और 28 दिसंबर, 2018 (चौथी) को आयोजित की गई थी। वर्ष 2019 की पहली बैठक दिनांक 29 मार्च, 2019 को आयोजित की जा चुकी है। यह समिति हिंदी के प्रयोग के संबंध में समस्याओं की पहचान करने और उनका समाधान ढूंढने के लिए प्रभावी उपाय प्रस्तुत करती है। समिति की बैठकों में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम पर भी विचार–विमर्श किया जाता है और उसमें विहित लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। समिति की इन बैठकों में भारत संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित आदेशों, परिपत्रों, निदेशों, अधिसूचनाओं, संकल्पों, संस्तुतियों आदि पर भी चर्चा की जाती है।

(5) मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा – निर्देशों के अनुसार माननीय विधि और न्याय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति का 4 अगस्त 1967 को गठन किया गया था। यह समिति विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग के लिए संयुक्त रूप से गठित की गई है। इस समिति में

संसदीय कार्य मंत्रालय और संसदीय राजभाषा समिति द्वारा मनोनित माननीय संसद सदस्य, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के मनोनित सदस्य, प्रमुख अखिल भारतीय हिंदी स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा विधि और न्याय मंत्रालय एवं राजभाषा विभाग के मनोनित गैर सरकारी सदस्य होते हैं। विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और राजभाषा विभाग के सचिव, अपर सचिव तथा ऊपर वर्णित विभागों के संबंधित संयुक्त सचिव समिति के शासकीय सदस्यों के रूप में सम्मिलित होते हैं।

16वीं लोकसभा के गठन के बाद समिति का पुनर्गठन किया गया था जिसकी पहली बैठक दिनांक 7 जुलाई, 2015 को उदयपुर, राजस्थान में आयोजित की गई थी।

(6) हिंदी प्रशिक्षण

यह विभाग हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी के विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करता है। हिंदी भाषा के ये पाठ्यक्रम प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ हैं। हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के लिए भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हैं। हिंदी के इन पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन एक निरंतर प्रक्रिया है क्योंकि अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति तथा स्थानांतरण होता रहता है।

(7) हिंदी पखवाड़े का आयोजन

इस विभाग में 14 सितंबर से 28 सितंबर, 2018 के दौरान हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया था। इस अवधि के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं और अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में इन कार्यक्रमों में भाग लिया था। इनमें से दो प्रतियोगिताएं हिंदीतर कार्मिकों के लिए विशेष रूप से आयोजित की गई थीं। इन प्रतियोगिताओं के लिए क्रमशः रू 4000, रू 3000, रू 2000 और रू 750 की राशि के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और प्रोत्साहन पुरस्कार निर्धारित किए गए थे। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत करने हेतु कुल रू 79,500 की राशि स्वीकृत की गई थी।

(8) हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं

इस विभाग में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए राजभाषा विभाग द्वारा यथा निर्देशित तीन प्रोत्साहन योजनाएं विभाग में लागू की गई हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान मूल रूप से हिंदी में टिप्पण / प्रारूपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दस कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में टंकण करने हेतु प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत एक कर्मचारी को पुरस्कृत किया गया। हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए दो अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा हिंदी शिक्षण योजना के अधीन आयोजित हिंदी भाषा, हिंदी आशुलिपि और हिंदी टंकण के हिंदी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात अधिकारियों / कर्मचारियों को नकद पुरस्कार और अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की जाती है।

(9) संसदीय राजभाषा समिति

संसदीय राजभाषा समिति का गठन सन् 1976 में केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों व उनके कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में निगरानी करने व सुझाव देने के लिए किया गया था। जहां तक विधायी विभाग का संबंध है, इस समिति की सिफारिशों के आधार पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों को विभाग में कार्यान्वित किया जा रहा है।

44. राजभाषा खंड

(1) कृत्य

राजभाषा खंड, विधायी विभाग के अधीन राजभाषा (विधायी) आयोग का उत्तरवर्ती संगठन है। इसे निम्नलिखित कृत्य सौंपे गए हैं :–

(i) सभी राजभाषाओं में, यथासंभव उपयोग के लिए मानक विधि शब्दावली की तैयारी और उनका प्रकाशन ;

(ii) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित सभी केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ की तैयारी ;

(iii) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी केन्द्रीय अधिनियम या किसी अध्यादेश या विनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों, विनियमों और आदेशों के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ की तैयारी ;

(iv) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित सभी केन्द्रीय अधिनियमों और अध्यादेशों और विनियमों का राज्यों की संबंधित राजभाषा में प्राधिकृत पाठ की तैयारी तथा किसी राज्य में यदि ऐसे अधिनियमों या अध्यादेशों का पाठ हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में है, तो पारित किए गए सभी अधिनियमों और प्रख्यापित अध्यादेशों के हिन्दी में अनुवाद की व्यवस्था;

(v) विभिन्न विभागों के विलेखों, विधि दस्तावेजों जैसे संविदा, करार, पट्टों, बंधपत्र, गिरवी आदि का हिन्दी अनुवाद ;

(vi) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अधीन यथा अपेक्षित सभी कानूनी अधिसूचनाओं का हिन्दी अनुवाद ;

(vii) राष्ट्रपति शासन के अधीन स्थिात राज्यों की सरकारों द्वारा जारी किए गए कानूनी नियमों का हिन्दी अनुवाद ;

(viii) संसद के सभी प्रश्न/उत्तर, आश्वासन आदि का हिन्दी अनुवाद जो विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित हैं;

(i) हिन्दी भाषी राज्यों के अधिकारियों को हिन्दी में विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण

(x) हिंदी में एकसमान विधिक शैली और मानक वाक्यांशों के मॉडल को क्रमिक रूप से विकसित करने तथा उन्हें प्रकाशित करने के कार्य में प्रभावकारी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए हिन्दी भाषी राज्यों की समन्वय समिति से संबंधित कार्य करना ;

(xi) विधि और न्याय मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति से संबंधित कार्य;

(xii) विधि के क्षेत्र में राजभाषा के संवर्धन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देने से संबंधित कार्य;

(xiii) केन्द्रीय अधिनियमों (विधायी इतिहास सहित) के द्विभाषी (डिग्लॉट) संस्करणों का प्रकाशन और उनका प्रचार;

(xiv) हिन्दी और द्विभाषी (डिग्लॉट) प्रारूप में इंडिया कोड (भारत संहिता) की तैयारी और अनुरक्षण; तथा

(xv) भारत के संविधान का क्षेत्रीय भाषाओं के संस्करणों का प्रकाशन और उनका विमोचन।

(2) विधि शब्दावली

वर्ष 1961 में राजभाषा (विधायी) आयोग के गठन के बाद से अब तक विधि शब्दावली के सात संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं तथा प्रत्येक क्रमवर्ती संस्करण आकार में बड़ा है। विधि शब्दावली के प्रथम संस्करण (1970) में 20,000 प्रविष्टियां थीं, जबकि नवीनतम छठे संस्करण (2001) में, जो आठ भागों में विस्तृत है, में लगभग 63,000 प्रविष्टियां हैं। विधि शब्दावली का नवीनतम 7वां संस्करण वर्ष 2015 में प्रकाशित किया गया है तथा इसमें 7 भागों में 65,000 प्रविष्टियां हैं। राजभाषा खंड द्वारा प्रकाशित विधि शब्दावली को, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवशाली प्रकाशन है, विधि क्षेत्र के सभी व्यक्तियों और विद्वानों से व्यापक प्रशंसा प्राप्त हुई है।

(3) भारत का संविधान

हिन्दी (संघ की राजभाषा) में भारत के संविधान के प्राधिकृत पाठ के अतिरिक्त, 15 अन्य प्रादेशिक भाषाओं अर्थात् असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, नेपाली और कोंकणी में संविधान के प्राधिकृत पाठ प्रकाशित किए गए हैं। हाल ही में सक्षम प्राधिकारी ने भारत के संविधान को मणिपुरी भाषा में डिग्लॉट रूप में प्रकाशन करने (अंग्रेज़ी–मणिपुरी) और डोगरी भाषा डिग्लॉट रूप में (अंग्रेजी–डोगरी) की मंजूरी दी है।

(4) भारत संहिता

सभी केन्द्रीय अधिनियमों का संकलन कर लिया गया है और उपयोगी खण्डों के रूप में भारत संहिता के नाम से प्रकाशित कर दी गई हैं। भारत संहिता का अंतिम संस्करण 1959 में आठ जिल्दों में प्रकाशित करवाया गया था। भारत संहिता (इंडिया कोड का संशोधित संस्करण) को कालक्रमानुसार द्विभाषी रूप (डिग्लॉट) में प्रकाशित करने हेतु कार्रवाई पहले ही आरम्भ की जा चुकी है।

संहिता की प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि प्रमुख विधेयकों के संलग्नक में दिए गए उद्देश्यों और कारणों का विवरण प्रत्येक अधिनियम के अन्त में भी जोड़ा गया है और भारत संहिता के संशोधित संस्करण में भी समाविष्ट किया गया है। भारत संहिता के संशोधित संस्करण के खण्ड I से XXXI तक प्रकाशित किए जा चुके हैं और भारत संहिता के खण्ड XXXII और XXXIII की पांडुलिपि मुद्रण हेतु प्रेस में भेज दी गई हैं।

(5) केंद्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत पाठों को तैयार करना और उनका प्रकाशन

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5(1)(क) के अधीन 31 अधिनियमों का हिंदी में प्राधिकृत पाठ राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है। ऐसे अधिनियमों की 1963 से लेकर अब तक कुल संख्या 2448 हो गई है।

(6) केंद्रीय अधिनियमों के डिग्लॉट संस्करणों का प्रकाशन

ऐसे केंद्रीय अधिनियम, जिनकी जनता में मांग बढ़ने की संभावना है, राजभाषा खंड द्वारा द्विभाषी (डिग्लॉट) रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। जब किसी अधिनियम विशेष की जनता में मांग होती है तो उसे जनसाधारण में बिक्री के लिए द्विभाषी (हिन्दी एवं अंग्रेज़ी) रूप में प्रकाशित किया जाता है। ऐसे अधिनियमों की कुल संख्या अब 401 हो गई है।

(7) विधेयकों, अध्यादेशों आदि के प्राधिकृत हिंदी अनुवाद

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (2) यह अपेक्षा करती है कि संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या उनके संबंध में लाए जाने वाले संशोधनों के साथ उनका हिंदी अनुवाद भी संलग्न होगा। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, 85 विधेयकों के हिंदी अनुवाद, अंग्रेजी पाठ के साथ संसद के सदनों को भेजे गए थे। इसके अतिरिक्त, 22 अध्यादेशों, 9 मंत्रिमंडल टिप्पणों तथा 38 अधिनियमों के हिंदी अनुवाद भी तैयार किए गए थे।

(8) साधारण कानूनी नियम और आदेश (सा.का.नि.आ.)

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा (3) केंद्रीय सरकार में द्विभाषी कार्य के लिए अधिकृत करती है। उस उपधारा के खंड (1) के अधीन, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए या बनाए गए सभी संकल्प, साधारण आदेश, नियम, अधिसूचनाएं आदि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होनी चाहिए। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, 9596 पृष्ठों के ऐसे कानूनी नियम/अधिसूचनाएं, आदि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के लिए तैयार की गई।

(9) नियमों, विनियमों, आदेशों, आदि के प्राधिकृत पाठों को तैयार करना और उनका प्रकाशन

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) का खंड (ख) यह अपेक्षा करता है कि संविधान के अधीन या किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित हिंदी अनुवाद, हिंदी में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। कुछ नियम, विनियम, आदेश आदि अनुवाद के विभिन्न प्रक्रमों पर हैं। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, भर्ती नियमों के 3568 पृष्ठों का हिन्दी अनुवाद किया गया है,

(10) केंद्रीय अधिनियमों आदि का रख–रखाव

राजभाषा खण्ड का संशोधन अनुभाग, इंडिया कोड के साथ ही इंडिया कोड (डिग्लॉट) और भारत संहिता के रूप में रखी गई केंद्रीय विधानों की मूल प्रतियों के अनुरक्षण और अद्यतन रखने का कार्य करता है। यह अनुभाग भारत का संविधान, निर्वाचन विधि निर्देशिका और अन्य महत्वपूर्ण मैनुअलों को राजभाषा खंड के अधिकारियों के संदर्भ के लिए अद्यतन रखता है। यह अनुभाग, केन्द्रीय अधिनियमों की पूर्वोक्त मुख्य प्रतियों में, संसद द्वारा पारित संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए संशोधनों को करने के लिए उत्तरदायी है।

इसके अतिरिक्त राजभाषा खण्ड द्वारा डिग्लॉट रूप में प्रकाशित कराए जाने के लिए केंद्रीय अधिनियमों की हिंदी पांडुलिपियों तथा डिग्लॉट संस्करणों की प्रतियां एवं भारत के संविधान की पांडुलिपियां (ए 4 साइज) और राजभाषा खण्ड द्वारा प्रकाशित की गईं ई–गजट प्रतियों से संबंधित सूचना राज्य सरकार और उच्च न्यायालय को भेजी गई है। उपर्युक्त अवधि के दौरान इस अनुभाग द्वारा उक्त अधिनियमों का पॉकेट संस्करण भी तैयार किया गया।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस अनुभाग ने :

(क) केंद्रीय अधिनियमों की ई–गजट प्रतियों (डिग्लॉट संस्करण) के प्रकाशन से संबंधित सूचना उन अधिनियमों के विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को भेजी गईं; तथा

(ख) हिंदी भाषी राज्यों को केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठ वाली गजट प्रतियां, अपने–अपने राज्य के राजपत्रों में पुनः प्रकाशन के लिए भेजीं

(ग) प्रकाशन संबंधी कार्य मुख्य रूप से इस अनुभाग द्वारा किया जाता है।

(घ) यह अनुभाग क्षेत्रीय भाषाओं में केंद्रीय अधिनियमों के अनुवाद के संबंध में राजभाषा खण्ड की क्षेत्रीय भाषा इकाई का भी सहयोग करता है। इस वर्ष क्षेत्रीय भाषा इकाई (विधायी–।। अनुभाग) से विभिन्न मामलों से संबंधित 43 प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं।

(ड़) इंडिया कोड (हिंदी) के अद्यतनीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और वर्ष 1947 से 2018 तक के संसद के अधिनियमों को राजभाषा खण्ड की वेबसाइट पर पहले ही अपलोड कर दिया गया है।

(11) विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों, द्विभाषी (डिग्लॉट) संस्करणों, आदि की पांडुलिपियों का संपादन और उनका प्रकाशन

राजभाषा खंड का मुद्रण अनुभाग मुख्यतः भारत के संविधान के अधीन जारी विधेयकों, अध्यादेशों, विनियमों, राष्ट्रपति अधिनियमों आदि, और परिषद निर्वाचन–क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, आदि की पांडुलिपियों के संपादन और प्रूफों की जांच का कार्य करता है। ऐसे विधेयकों को भी, जिन्हें अल्पावधिक सूचना पर पुरःस्थापित किया जाना अपेक्षित होता है, संसद या राज्य परिषद की ओर से मुद्रित किया जाता है। भारत के संविधान, निर्वाचन विधि निर्देशिका, इंडिया कोड के संशोधित संस्करण, केंद्रीय अधिनियमों, कानूनी नियमों और आदेशों के आशोधित द्विभाषी (डिगलॉट) संस्करण, वार्षिक रिपोर्टों, आदि के प्रकाशनों के संपादन और प्रूफों की जांच का कार्य भी इस अनुभाग में किया जाता है। यह अनुभाग केंद्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों, राष्ट्रपति के अधिनियमों आदि के मुद्रण तथा प्रकाशन और विक्रय के लिए उनके पश्चात्वर्ती द्विभाषी (डिगलॉट) रूप में पुनः मुद्रणों के लिए भी उत्तरदायी है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस अनुभाग ने सौंपे गए सभी उत्तरदायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है।

राजभाषा खंड का मुद्रण अनुभाग प्रकाशन अनुभाग के कर्तव्यों का भी निर्वहन कर रहा है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, इस अनुभाग द्वारा 31 अधिनियम प्राधिकृत किए गए और 22 अध्यादेशों का प्रकाशन कराया गया। इसके अतिरिक्त, समीक्षाधीन अवधि के दौरान छह अधिनियमों के डिग्लॉट संस्करण मुद्रित कराए गए तथा साथ ही विधि शब्दावली के 7वें संस्करण और निर्वाचन विधि निर्देशिका का वॉल्यूम I और II से संबंधित कार्य भी किए गए।

(12) मानक विधिक दस्तावेजों को तैयार करना और उनका प्रकाशन

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3)(iii) यह अपेक्षा करती है कि केन्द्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से किए गए या जारी किए गए करारों, संविदाओं, पट्टों, बंधपत्रों, निविदाओं आदि के लिए हिंदी–अंग्रेजी दोनों भाषाएं प्रयोग की जाएं। उक्त अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुपालन के क्रम में राजभाषा खंड केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए आठ जिल्दों में उनके अनुवाद में एकरूपता प्राप्त करने की दृष्टि से ऐसे दस्तावेजों के हिंदी पाठ तैयार कर चुका है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, इस मंत्रालय के 3298 पृष्ठों के संसदीय प्रश्नोत्तरों/आश्वासनों का हिंदी पाठ भी तैयार किया गया।

(13) विधि क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को स्थापित करना

राजभाषा खंड का क्षेत्रीय भाषा यूनिट भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में प्रतिष्ठापित किए

गए अनुसार केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी अनुवाद तैयार करने का कार्य कर रहा है। जहां तक क्षेत्रीय भाषाओं का संबंध है यह कार्य संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से किया जा रहा है।

राजभाषा खंड, प्राधिकृत पाठ (केंद्रीय विधि) अधिनियम, 1973 (1973 का 50) की धारा 2 के अधीन यथापरिकल्पित प्रादेशिक भाषाओं में केंद्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत पाठ भी प्रकाशित करता है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, कार्य समूह (क्षेत्रीय भाषा) द्वारा 71 केंद्रीय अधिनियमों के अनुवाद का अनुमोदन किया गया और 87 केंद्रीय अधिनियमों को राष्ट्रपति के प्राधिकार के अधीन हिंदी सहित इन क्षेत्रीय भाषाओं में प्राधिकृत पाठ के रूप में अधिप्रमाणित किया गया। साथ ही, हिंदी के अतिरिक्त, 15 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भारत का संविधान का प्राधिकृत पाठ निकाला गया है,ये हैं, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, नेपाली तथा कोंकणीं।

(14) केंद्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, आदि का व्यापक वितरण

केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठों की राजपत्रित प्रतियां, उनके अधिप्रमाणित किए जाने और भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के पश्चात सभी हिंदी भाषी राज्यों को भेज दी गई हैं साथ ही इन्हें गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों की सरकारों तथा इन राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी भेजा गया था। इसके अतिरिक्त, ये प्रतियां भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों, अंडमान और निकोबार द्वीप प्रशासन, नागरी प्रचारिणी सभा, संसद पुस्तकालय और अन्य पुस्तकालयों को भी भेज दी गई थीं। केंद्रीय अधिनियमों की द्विभाषी रूप में प्रतियां सभी राज्यों (हिंदी और हिंदीतर भाषी राज्य दोनों), भारत के उच्चतम न्यायालय, संसद पुस्तकालय और सभी उच्च न्यायालयों को नियमित रूप से भेजी जाती हैं। भारत का संविधान तथा विधि शब्दावली लोक सभा/राज्य सभा तथा केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भी वितरित की गई है।

(15) हिंदी सलाहकार समिति से संबंधित कार्य

इस मंत्रालय की बारहवीं हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन 14 मई, 2015 के संकल्प संख्या ई. 4(1)/2014–रा.भा.(वि.वि.) द्वारा तीन वर्षों के लिए किया गया तथा इसके पश्चात इसका कार्यकाल 14 मई, 2018 से एक वर्ष के लिए अथवा लोकसभा के शेष कार्यकाल तक के लिए विस्तारित किया गया। इस समिति में लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य तथा लगभग ग्यारह सरकारी सदस्य और आमंत्रित सदस्य शामिल किए गए थे। समिति का कार्य केन्द्र सरकार को सामान्यतः निम्नलिखित विषयों पर सलाह देना है :–

(i) केन्द्रीय अधिनियमों और सांविधिक नियमों का हिन्दी पाठ तैयार करना ;

(ii) सामान्य विधि शब्दावली का विकास ;

(iii) विधि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विधि की शिक्षा हिन्दी में देने के लिए मानक विधि पुस्तकों को हिन्दी में तैयार करना ;

(iv) विधि जर्नलों और प्रतिवेदनों का हिन्दी में प्रकाशन ;

(v) उपर्युक्त मदों में से किसी भी विषय से आनुषांगिक और सम्बन्धित विषय;

(vi) शासकीय प्रयोजन के लिए विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए तरीके सुझाना

(16) स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

विधि के क्षेत्र में हिंदी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं के प्रसार और विकास के लिए संघ और राज्यों की राजभाषाओं के संवर्धन के लिए एक स्कीम है। इस स्कीम के अधीन स्वैच्छिक संगठनों और संस्थानों

को वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1985 से, राजभाषा खंड उन स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए इस स्कीम को लागू कर रहा है, जो विधि और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य, जोकि प्रस्तावित टिप्पणियों, आलेखों, विधिक विषयों पर पुस्तकों, विधि जर्नलों, विधि संग्रह तथा अन्य प्रकाशन जो हिंदी तथा राज्यों की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की समृद्धि, प्रचार तथा विकास में सहायक के रूप में हों, के विकास तथा प्रचार की गतिविधियों में शामिल हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डा० सतीश चन्द्र (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में 25 अप्रैल, 2019 से तीन वर्षों की अवधि हेतु एक उच्चाधिकार समिति गठित की गई है। इस समिति में श्रीमती कुमुद एल.दास, अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली; प्रोफेसर (डॉ) सुभाष चंद्र गुप्ता, प्राध्यापक एवं विभागाध्यीक्ष, विधि विभाग, एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय, डॉ बी.जी.आर. कैम्पस, पौड़ी गढ़वाल राजभाषा खण्ड के संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी सदस्य–सचिव के रूप में शामिल हैं।

(17) राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए किए गए विशेष उपाय

राजभाषा खंड की वेबसाइट 3.12.2001 को तैयार की गई थी तथा इसका यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर http://lawmin.nic.in/olwing है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुदित संसद के महत्वपूर्ण अधिनियम विभिन्न भाषाओं में राजभाषा खण्ड के होम पेज पर संबंधित भाषाओं के अंतर्गत डाले गए हैं। विभिन्न विधेयकों, अधिसूचनाओं, आदेशों, भर्ती नियमों आदि के प्रिंटआउट लेने को सुविधाजनक बनाने के लिए राजभाषा खण्ड ने यूनिकोड फॉन्ट का प्रयोग प्रारम्भ किया है तथा हिंदी पाठ की साफ्ट कॉपी उपलब्ध कराता है।

भारत का संविधान, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता तथा निर्वाचन विधि निर्देशिका को पहले ही नेट पर उपलब्ध कराया जा चुका है। इस वेबसाइट को, अधिनियमों की एक सूची तथा नियमों और विनियमों की सूची रखकर और समृद्ध बनाया गया है। विधिक क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों तथा आम जनता और साथ ही साथ विधि के छात्रों के लाभ के लिए 1947 से 2018 तक के अद्यतित केंद्रीय अधिनियम भी पीडीएफ फार्म में वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, राजभाषा खंड के विधेयक अनुभाग, अनुवाद 1 अनुभाग, अनुवाद 2 अनुभाग, विधायी 1 अनुभाग, विधायी 2 अनुभाग, मुद्रण अनुभाग, संशोधन अनुभाग, प्रशासन अनुभाग, रोकड़ अनुभाग और पुस्तकालय को पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों की कैमरा रैडी प्रतियां तैयार की गई थीं। सुगमतापूर्वक कार्य करने के लिए राजभाषा खण्ड ने मंगल फॉन्ट का इस्तेमाल शुरू किया है।

राजभाषा खंड के सभी समूह "क" अधिकारियों के नामों, पतों, ई–मेल आईडी और संपर्क नम्बरों की अंग्रजी और हिंदी में एक सूची भी राजभाषा खण्ड के होमपेज पर डाली गई है।

विधि के क्षेत्र में राजभाषाओं के विकास में लगे हुए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना का ब्यौरा हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध कराया गया है।

45. विधि साहित्य प्रकाशन

वर्ष 1958 में, संसदीय राजभाषा समिति ने सिफारिश की थी कि भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों के प्राधिकृत अनुवाद को प्रकाशित करने के लिए व्यवस्था की जाए और यह कार्य विधि विभाग के पर्यवेक्षणाधीन एक केन्द्रीय कार्यालय को सौंपा जाए। तत्पश्चात् हिन्दी सलाहकार

समिति की सिफारिशों पर वर्ष 1968 में विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विधायी विभाग में एक पत्रिका खंड स्थापित किया गया था। इस खंड को बाद में "विधि साहित्य प्रकाशन" नाम दिया गया था।

(2) आरंभ में भारत के उच्चतम न्यायालय के सभी उल्लेखनीय निर्णयों, जो रिपोर्ट किए जाने योग्य के रूप में चिह्नित किए गए थे, का मासिक प्रकाशन अप्रैल, 1968 में आरंभ किया गया था और इसे "उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका" नाम दिया गया था। उच्च न्यायालयों के निर्णयों को समाविष्ट करने वाला दूसरा मासिक प्रकाशन, जनवरी, 1969 में आरंभ किया गया था और इसे "उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका" नाम दिया गया था। वर्ष 1987 में, "उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका" को दो निर्णय पत्रिकाओं, अर्थात् "उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका" और "उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका" में विभाजित कर दिया गया था। 1990 से उच्चतम न्यायालय के रिपोर्ट किए जाने योग्य निर्णयों में लगातार वृद्धि होने और विधि साहित्य प्रकाशन में अपेक्षित संपादकीय कर्मचारीवृन्द की कमी होने के कारण, 'उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका' में केवल उच्चतम न्यायालय के रिपोर्ट किए जाने योग्य चयनित निर्णय होते हैं। 'उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका' तथा 'उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका' में भी सिविल और दांडिक मामलों के केवल महत्वपूर्ण और चयनित निर्णय होते हैं।

(3) उपर्युक्त तीन पत्रिकाओं के अतिरिक्त, विधि साहित्य प्रकाशन निम्नलिखित कार्य भी करता है :–

(क) शैक्षणिक और अन्य क्षेत्रों में तथा निर्देश पुस्तकों के रूप में उपयोग के लिए विधि के क्षेत्र में हिन्दी में पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन;

(ख) हिन्दी में विधिक उच्च साहित्य का अनुवाद और प्रकाशन ;

(ग) विधि के क्षेत्र में हिन्दी में सर्वोत्तम प्रकाशनों के लिए विभिन्न पुरस्कारों का दिया जाना ;

(घ) विधि साहित्य प्रकाशन के हिन्दी प्रकाशनों और विधायी विभाग के एक दूसरे खंड अर्थात् राजभाषा खंड, विधि और न्याय मंत्रालय के द्विभाषी संस्करणों आदि का विक्रय; और

(ङ) भारत के विभिन्न स्थानों में, विशिष्टतया हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी में विधिक साहित्य को लोकप्रिय बनाने और उनमें सुधार करने के लिए सम्मेलन, संगोष्ठियां और पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित करना।

(4) इसके अतिरिक्त, विधि के विद्यार्थियों, विधि के प्राध्यापकों, अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों के उपयोग के लिए हिन्दी में सुविख्यात विधि विशेषज्ञों द्वारा लिखित विधि की मानक पुस्तकें भी प्रकाशित की जा रही हैं। प्राइवेट सेक्टर में मूल रूप से हिन्दी में विधि पुस्तकें लिखने वाले लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए विधि के क्षेत्र में हिन्दी में लिखी गई सर्वोत्तम पुस्तकों पर प्रतिवर्ष पुरस्कार भी दिए जाते हैं।

(5) विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए समय–समय पर हिन्दी भाषी और साथ ही गैर–हिन्दी भाषी राज्यों के विधि महाविद्यालयों, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों आदि में संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। विधि साहित्य प्रकाशन अपने और राजभाषा खंड के प्रकाशनों की, जिनमें केन्द्रीय अधिनियमों के द्विभाषी (हिन्दी–अंग्रेजी) संस्करण भी हैं, विभिन्न हिन्दी भाषी/ हिन्दीतर भाषी राज्यों में प्रदर्शनियां लगाता है और इन प्रकाशनों के विक्रय का कार्य भी करता है।

(6) "विधि साहित्य समाचार" नामक एक त्रैमासिक जर्नल भी प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें विधि के क्षेत्र में विभिन्न कार्यकलापों और विधि साहित्य प्रकाशन के प्रकाशनों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी

जाती है। एक "प्रकाशन सूची" भी, जिसमें विधि साहित्य प्रकाशन के पास विक्रय के लिए उपलब्ध प्रकाशनों की जानकारी होती है, ग्राहकों को समय–समय पर उपलब्ध करवाई जाती है।

वर्ष 2018 के दौरान हुई प्रगति का विवरण इस प्रकार है:

(7) निर्णय पत्रिकाओं का प्रकाशन : रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, संपादन/अनुवाद के स्तर पर "उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका" अप्रैल, 2019 तक अद्यतन कर दी गई है और "उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका" फरवरी, 2019 तक अद्यतन कर दी गई है तथा "उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका" नवंबर, 2018 तक अद्यतन कर दी गई है। पत्रिकाओं को विधि एवं न्याय मंत्रालय की वेबसाइट http://lawmin.nic.in/vsp/vsp.htm पर अपलोड किया गया है तथा ये ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

वर्ष 2018 के दौरान पत्रिकाओं के ग्राहकों की स्थिति :

पत्रिका का नाम	ग्राहकों की संख्या
उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका	37
उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका	36
उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका	36

(8) पुरस्कार प्रदान करना: उपर्युक्त तीन विधि पत्रिकाओं तथा विधि पुस्तकों के प्रकाशन के अतिरिक्त, विधि साहित्यः प्रकाशन द्वारा हिन्दी भाषा में विधि पुस्तकों के लेखन, अनुवाद और प्रकाशन तथा हिन्दी में लिखी गई और प्रकाशित ऐसी पुस्तकों, जिनका उपयोग विधि की पाठय् पुस्तकों के रूप में या निर्देश पुस्तकों के रूप में किया जाता है, पर पुरस्कार देने की स्कीम के अंतर्गत, प्रतिवर्ष 5,00,000/– रु. (पांच लाख रुपए) के पुरस्कार दिए जाते हैं। इस स्कीम में, प्रथम पुरस्कार 50,000/– रुपए (पचास हज़ार रुपए), द्वितीय पुरस्कार 30,000/– रुपए (तीस हज़ार रुपए) तथा तृतीय पुरस्कार 20,000/– रुपए (बीस हज़ार रुपए) दिए जाते हैं। ये पुरस्कार गैर सरकारी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित की गई सर्वोत्कृष्ट पुस्तकों के लेखकों को प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2017 के दौरान इस योजना के अंतर्गत हिंदी में विधि की पांच सर्वोत्कृष्ट पुस्तकों पर रू 1,20,000/– की राशि का पुरस्कार प्रदान किया गया।

(9) विधि पुस्तकों का प्रकाशन: संदर्भ पुस्तकों के रूप में प्रयोग में लाए जाने के लिए विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा हिंदी में अब तक विधि की चौंतीस मानक पुस्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है। 'भारतीय संविधान के प्रमुख तत्व,' 'निर्णय लेखन', 'अपकृत्यक विधि के प्रमुख निर्णय' और 'भारत का संविधानिक इतिहास' नामक पुस्तकें संशोधन और पुनःमुद्रण हेतु प्रक्रिया में है।

(10) संगोष्ठियां/प्रदर्शनियों का आयोजन और विधि पुस्तकों, केंद्रीय अधिनियमों के द्विभाषी पाठ (हिंदी–अंग्रेज़ी), विधि शब्दावली, निर्वाचन विधि निर्देशिका, भारत संहिता इत्यादि का विक्रय : संगोष्ठियों तथा पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित करने के क्रम में वर्ष 2018 में सिटी सिविल कोर्ट बम्बई, बम्बई उच्च न्यायालय गोवा बेंच, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय (शिमला), शिमला जिला न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय चेन्नई बेंच में पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित की गईं। इन प्रदर्शनियों में अधिवक्ताओं और आम जनता ने अपनी गहरी रूचि दिखाई तथा प्रदर्शनी की अत्यंत सराहना की। सभी प्रकाशन https://bharatkosh.gov.in पर ऑनलाइन विक्रय हेतु उपलब्ध हैं।

1 जनवरी, 2018 से 31 दिसंबर, 2018 की अवधि के दौरान विधि साहित्य प्रकाशन का 14,08,440/– रुपए (चौदह लाख आठ हजार चार सौ चालीस रुपए) का सकल विक्रय हुआ।

46. अधिकारियों/प्रतिनिधिमण्डल के विदेश दौरे : विधायी विभाग

डॉ जी. नारायण राजू, सचिव, विधायी विभाग ने आठवें सेंट पीट्र्सबर्ग इंटरनेशनल लीगल फोरम में भाग लेने के लिए 15 मई, 2018 से 19 मई, 2018 के दौरान सेंट पीट्र्सबर्ग, रूस का दौरा किया। डॉ रीटा वशिष्ट, अपर सचिव, विधायी विभाग ने यूएनसीआईटीआरएएल के छत्तीसवें अधिवेशन में वर्किंग ग्रुप III इन्वेस्टिर स्टेट डिस्यूलट सेटलमेंट रिफॉर्म में भाग लेने के लिए 29 अक्तूबर, 2018 से 2 नवंबर, 2018 के दौरान ऑस्ट्रिया का दौरा किया। श्री कोंडारी विजया कुमार, अपर विधायी परामर्शी ने युनाइटिड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ (यूएनसीआईटीआरएएल) के इक्यानवें अधिवेशन में भाग लेने के लिए 25 जून, 2018 से 3 जुलाई, 2018 के दौरान न्यूयॉर्क, यू.एस.ए. का दौरा किया।

47. सरकारी सेवा/पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग जनों हेतु आरक्षण

विधायी विभाग के तीन प्रशासनिक खण्डों अर्थात विधायी विभाग (मुख्य), राजभाषा खण्ड तथा विधि साहित्य प्रकाशन की संबंधित इकाइयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांगजनों के लिए सरकारी पदों में आरक्षण संबंधी सरकार के आदेशों/अनुदेशों के कार्यान्वयन पर नज़र रखने के लिए उप सचिव/निदेशक स्तर का एक अधिकारी संपर्क अधिकारी के रूप में कार्यरत है।

विधायी विभाग (मुख्य), राजभाषा खण्ड तथा विधि साहित्य प्रकाशन में 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों, दिव्यांगजनों तथा उनमें महिला कर्मचारियों की संख्या को दर्शाने वाली विवरणी संलग्न है। (**अनुबंध–XI** तथा **अनुबंध–XII**)

48. स्वच्छता कार्य योजना:

स्वच्छता कार्य योजना के अंतर्गत विधायी विभाग ने दिव्यांग महिलाओं के लिए चतुर्थ तल, ए विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली पर के.लो.नि.वि. द्वारा एक महिला शौचालय का निर्माण कराया। 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलाप किए गए **(अनुबंध 13)**

49. लोक शिकायत:

1 जनवरी, 2018 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के दौरान, विधायी विभाग में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 907 लोक शिकायतें प्राप्त हुईं। इसके अतिरिक्त, 1 जनवरी, 2018 से पहले 162 लोक शिकायतें लंबित थीं। उक्त अवधि के दौरान, 879 लोक शिकायतों का निपटान किया गया तथा शेष शिकायतों के निपटान के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।

50. विभाग का लेखाकरण

विधि और न्याय मंत्रालय में सचिव मुख्य लेखा प्राधिकारी हैं। वे अपर सचिव (वित्तीय सलाहकार) और मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से अपना कार्य करते हैं।

(2) सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 70 के अनुसार, किसी मंत्रालय/ विभाग के सचिव, जो मंत्रालय/विभाग के मुख्य लेखा प्राधिकारी होते हैं, वे:–

(i) अपने मंत्रालय या विभाग के वितीय प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होंगे।

(ii) यह सुनिश्चित करेंगे कि मंत्रालय को विनियोजित सार्वजनिक निधि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए हो, जिसके लिए वह निर्धारित की गई है।

(iii) निष्पादन के मानकों का अनुपालन करते हुए मंत्रालय के लिए बताए गए परियोजना –लक्ष्यों को प्राप्त करने में मंत्रालय के संसाधनों के प्रभावी, कुशल, किफायती और पारदर्शी उपयोग के लिए उतरदायी होंगे।

(iv) लोक–लेखा समिति और किसी अन्य संसदीय समिति के समक्ष जांच के लिए उपस्थित होंगे।

(v) उनके मंत्रालय को सौपे गए कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्य निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा करेंगे और यह देखेंगे कि मंत्रालय के घोषित लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाएं।

(vi) वित्त मंत्रालय द्वारा जारी विनियमों, दिशा –निर्देशों या निदेशो के अनुसार अपने मंत्रालय के व्यय–संबंधी और अन्य विवरण तैयार करने के लिए उतरदायी होंगे।

(vii) यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके मंत्रालय के वितीय संव्यवहारों का पूर्ण और उचित रिकार्ड रखा जाए तथा इसके लिए ऐसी प्रणालियां व प्रक्रियाएं अपनाई जाएं जिनसे हर समय आंतरिक नियंत्रण बना रहे।

(viii) यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका मंत्रालय कार्य–पालन के लिए और साथ ही सेवाओं और आपूर्तियों की प्राप्ति के लिए सरकारी खरीद प्रक्रिया का पालन करे और उसे निष्पक्ष, न्यायोचित, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक और लागत–प्रभावी तरीके से लागू करे।

(ix) यह सुनिश्चित करने के लिए उचित और प्रभावी कदम उठाएंगे कि उनका मंत्रालयः

(क) सरकार को शोध्य सभी धन एकत्रित करे।

(ख) अप्राधिकृत, अनियमित और व्यर्थ के व्यय से बचे।

(3) सिविल लेखा मैनुअल के पैरा 1.2.2 के अनुसार, मुख्य लेखा नियंत्रक मुख्य लेखा प्राधिकारी के लिए और उसकी ओर से निम्नलिखित के लिए उतरदायी होगाः –

(क) समस्त भुगतान वेतन और लेखा कार्यालयों/प्रधान लेखा कार्यालय के माध्यम से करने की व्यवस्था करना, केवल उन कुछ विशेष प्रकार के मामलों को छोड़कर जिनके लिए आहरण और संवितरण अधिकारी भुगतान करने के लिए प्राधिकृत किए गए हैं।

(ख) मंत्रालय/ विभाग के लेखों का संकलन और समेकन करना और उन्हें निर्धारित प्रपत्र में मुख्य लेखा नियंत्रक को प्रस्तुत करना, अपने मंत्रालय/विभाग की अनुदान मांगों के लिए वार्षिक विनियोजन लेखा को तैयार करना, उनकी विधिवत लेखा–परीक्षा करवाकर और मुख्य लेखा प्राधिकारी से हस्ताक्षर करवाकर उसे महालेखा–नियंत्रक को प्रस्तुत कराना।

(ग) विभाग की विभिन्न अधीनस्थ इकाइयों और वेतन और लेखा कार्यालयों द्वारा रखे गए भुगतान और लेखा के रिकॉर्ड के आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्था करना और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रखे जा रहे सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लेनदेन के रिकॉर्ड के निरीक्षण की व्यवस्था करना।

4. मुख्या लेखा नियंत्रक, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत का उच्चतम न्यायालय दो प्रधान लेखा अधिकारियों, चार वेतन और लेखा अधिकारियों और अन्य, कर्मचारियों की सहायता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं।

5. विधि और न्याय मंत्रालय, उच्चतम न्यायालय में 33 सीडीडीओ और 20 एनसीडीडीओ सहित 53 डीडीओ हैं। गैर–चेक वाले आहरण और संवितरण अधिकारी बिलों को भुगतान की "प्री–चैक" प्रणाली के अर्न्तगत वेतन और लेखा अधिकारी को प्रस्तुत करते हैं। सीडीडीओ और एनसीडीडीओ का वेतन और लेखा कार्यालय–वार विवरण नीचे दिया गया है–

क्र.सं.	वेतन और लेखा कार्यालय	आहरण और संवितरण अधिकारी	
		CDDOs	NCDDOs
1	वेतन और लेखा कार्यालय (ईओ)	4	3
2.	वेतन और लेखा कार्यालय (वि.का.)	29	12
3.	वेतन और लेखा कार्यालय (एससीआई)	0	1
4.	वेतन और लेखा कार्यालय (वि.वि.)	0	4

(6) सिविल लेखा मैनुअल के पैरा 1.2.3 के अनुसार, नई दिल्ली स्थित प्रधान कार्यालय एक प्रधान लेखा अधिकारी के अधीन कार्य करता है, जो निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है.–

(क) मंत्रालय/विभाग के लेखों का महालेखा नियंत्रक द्वारा निर्धारित की गई रीति से समेकित करना।

(ख) मंत्रालय/विभाग द्वारा नियंत्रित अनुदानों की मांगों के वार्षिक विनियोजन लेखा को तैयार करना, संघ सरकार (सिविल) के वित्त लेखे के लिए केन्द्रीय लेन–देन के विवरण और सामग्री को महालेखा नियंत्रक को प्रस्तुत करना।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से राज्य सरकार को ऋण और अनुदानों की अदायगी करना, और जहां भी इस कार्यालय का आहरण लेखा हो, उसमें से संघ राज्य क्षेत्र सरकार/प्रशासन को भुगतान करना।

(घ) प्रबंध लेखा प्रणाली, यदि कोई हो, के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तथा वेतन और लेखा कार्यालयों को तकनीकी सलाह देने के लिए नियम–पुस्तिकाएं (मैनुअल) तैयार करना, महालेखा नियंत्रक कार्यालय के साथ आवश्यक सम्पर्क बनाए रखना और लेखा संबंधी मामलों में समग्र समन्वय और नियंत्रण रखना।

(ड.) मंत्रालय/विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अनुदान–कार्यक्रमों के अधीन व्यय की प्रगति पर नजर रखने के लिए पूरे मंत्रालय/विभाग के लिए विनियोग लेखा–परीक्षा रजिस्टरों का रखरखाव करना।

प्रधान लेखा कार्यालय/अधिकारी लेखा संगठन के सभी प्रशासनिक और समन्वय कर्तव्यों को निभाता है और स्थानीय वेतन ओर लेखा कार्यालयों सहित विभाग को आवश्यक वित्तीय, तकनीकी, लेखा सबंधी सलाह भी देता है।

(7) सिविल लेखा नियम–पुस्तिका (मैनुअल) में निहित प्रावधानों के अनुसार, वेतन और लेखा कार्यालय संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भुगतान करते हैं और कुछ मामलों मे भुगतान निधियां आहरित करने के लिए प्राधिकृत किए गए विभागीय आहरण और संवितरण अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं। यह भुगतान प्रत्यायित बैंक के उन कार्यालयों/शाखाओं के चेक के जरिए किया जाएगा जिन्हें उस मंत्रालय/ विभाग की प्राप्तियों और भुगतान के लिए प्राधिकृत किया गया हो। इन भुगतानों का अलग सूचियों में संबंधित

मंत्रालय/विभाग के वेतन और लेखा कार्यालयों में दिए जाने के लिए लेखा–जोखा दिया जाना होगा। चेक से भुगतान के लिए प्राधिकृत प्रत्येक वेतन और लेखा कार्यालय अथवा आहरण और संवितरण अधिकारी प्रत्यायित बैंक की केवल उसी विशेष शाखा/शाखाओं, जिसके साथ वेतन और लेखा कार्यालय अथवा आहरण और संवितरण अधिकारी, जैसा भी मामला हो, लेखा में रखा गया है, से ही आरहण करेगा। मंत्रालय/विभाग की सभी प्राप्तियों का लेखा–जोखा अंतिम रुप से वेतन और लेखा कार्यालय की बहियों में भी रखा जाएगा। वेतन और लेखा कार्यालय विभागीकृत लेखा संगठन की एक मूल इकाई है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैः–

- एनसीडीडीओ द्वारा प्रस्तुत ऋणों और सहायता अनुदानों सहित सभी बिलों की पहले जांच करना और भुगतान।
- निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुरूप सही और समय पर भुगतान।
- प्राप्तियों की समय पर वसूली।
- चैक आहरित करने वाले आहरण और संवितरण अधिकारियों को त्रैमासिक "लेटर ऑफ क्रेडिट" जारी करना और उनके वाउचर/बिलों की जांच–पड़ताल करना
- चैक आहरित करने वाले आहरण और संवितरण अधिकारियों के लेखों को शामिल करते हुए प्राप्तियों और व्यय के मासिक लेखों का संकलन।
- सम्मिलित डीडीओ को छोड़कर जी.पी.एफ. लेखों का रख–रखाव और सेवानिवृत्ति लाभों को प्राधिकृत करना।
- सभी डीडीआर शीर्षों का रखरखाव।
- बैंकिंग प्रणाली द्वारा ई–भुगतान के जरिये मंत्रालय/विभाग को कुशल सेवा प्रदान करना।
- निर्धारित लेखा मानकों, नियमों और सिद्धांतों का पालन करना।
- समय पर सही, व्यापक, संगत और उपयोग वित्तीय सूचना देना।

(8) किसी नए वेतन और लेखा कार्यालय का सृजन (अथवा पुनर्गठन) करने के लिए अथवा मंत्रालय/विभाग की लेखा की विभागीकरण योजना में शामिल चेक आहरित करने वाले आहरण व संवितरण अधिकारियों की सूची में नाम जोड़ने के लिए मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय का विशेष अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(9) विधि और न्याय मंत्रालय, उच्चतम न्यायालय के संबंध में विभागीय लेखा संगठन के समग्र उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैः–

- मंत्रालय के मासिक लेखा को समेकित करना और उसे मुख्य लेखा नियंत्रक को प्रस्तुत करना।
- वार्षिक विनियोग लेखा।
- केन्द्रीय लेन–देन का विवरण।
- "लेखा एक नजर में" तैयार करना।
- मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय और प्रधान लेखा–परीक्षा निदेशक को प्रस्तुत किए जाने के लिए संघीय वित्तीय लेखा।

- राज्य सरकार/अनुदानग्राही संस्थानों/ स्वायत्त निकायों आदि को सहायता अनुदान का भुगतान।
- मंत्रालय और वेतन व लेखा अधिकारियों को तकनीकी सलाह देना, यदि इसके लिए आवश्यकता हो, तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय और मुख्यक लेखा नियंत्रक आदि अन्य संगठनों से परामर्श करना।
- प्राप्ति बजट तैयार करना।
- पेंशन बजट तैयार करना।
- पीएओ/चेक आहरण कर्ता डीडीओ एवं वैयक्तिक जमा खाता धारकों के लिए और उनकी ओर से चेक बुक प्राप्त करना और प्रदान करना।
- मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय के साथ आवश्यक संपर्क बनाए रखना और लेखा मामलों और प्रत्यायित बैंक के साथ समग्र समन्वय व नियंत्रण रखना।
- विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से अधिकृत बैंक के माध्यम से किए गए समस्त भुगतान और प्राप्तियों का समाधान व सत्यापन करना।
- भारतीय रिजर्व बैंक में विधि और न्याय मंत्रालय, उच्चतम न्यायालय के खाते रखना और नकद शेष का मिलान करना।
- शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करना।
- पेंशन/भविष्य निधि और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का शीघ्र निपटान।
- विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन मंत्रालय, अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों तथा उनके अनुदानग्राही संस्थानों आदि की आंतरिक लेखा परीक्षा।
- सभी संबधित प्राधिकारियों को लेखा संबंधी सूचना उलब्ध कराना।
- विधि और न्याय मंत्रालय, भारत के उच्चतम न्यायालय के बजट का समन्वय का कार्य।
- नई पेंशन योजना और 2006 से पूर्व के और 1990 के पूर्व के सेवानिवृत्त व्यक्तियों के पेंशन संबंधी मामलों की मानिटरिंग करना।
- लेखा और ई–भुगतान का कम्प्यूटरीकरण।
- लेखा संगठन के कार्य का समन्वय और प्रशासन।
- केन्द्रीय क्षेत्र योजना के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को सार्वभौमिक रूप से लागू करना।
- वित्त मंत्रालय के मार्ग–निर्देशों के अनुसार, नॉन–टैक्स रिसीट पोर्टल (एनटीआरपी) को सार्वभौमिक रूप से लागू करना।

(10) प्रभावी बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की सुविधा के लिए मंत्रालय को लेखा सूचना और डाटा भी उपलब्ध कराया जाता है। विधि और न्याय मंत्रालय, भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुदान के विभिन्न उप–शीर्षकों के अधीन मासिक और किए जा रहे व्यय के आंकड़े बजट अनुभाग को प्रस्तुत किए जाते हैं। बजट प्रावधानों के बजट व्यय की मासिक प्रगति रिपोर्ट सचिव, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार के

साथ–साथ मंत्रालय के प्रभागों के प्रमुखों को प्रस्तुत की जाती है ताकि अनुदानों पर नियंत्रण रहे और व्यय की बेहतर मानीटरिंग हो।

(11) लेखा संगठन मंत्रालय के कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों से लिए जाने वाले अग्रिम और मोटर कार अग्रिम व गृह निर्माण अग्रिम जैसे दीर्घकालीन अग्रिमों का भी लेखा रखता है।

(12) मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय, कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा प्रस्तुत किए गए सेवा के ब्यौरों और पेंशन कागजात के आधार पर अधिकारियों और स्टाफ के सदस्यों की पेंशन की हकदारियों का सत्यापन करता है और उन्हें प्राधिकृत करता है। सभी सेवानिवृत्ति लाभों और भुगतान जैसे कि ग्रेच्युटी, छुट्टी अवकाश के बराबर नकद राशि तथा केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना, सामान्य भविष्य निधि के अधीन भुगतान आदि डीडीओ कार्यालय से बिल/आवश्यक सूचना की प्राप्ति पर मुख्य लेखा–नियंत्रक के कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है।

(13) **आंतरिक लेखा–परीक्षा खंडः** आंतरिक लेखा परीक्षा खंड मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों के लेखा की जांच करके यह सुनिश्चित करता है कि इन कार्यालयों द्वारा अपने दैनिक कार्यों में सरकार द्वारा निर्धारित नियमों–विनियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया गया है।

(i) आंतरिक लेखा परीक्षा एक संगठन के संचालन को बेहतर बनाने और सुधार करने के लिए बनाई गई एक स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ जांच और परामर्श की गतिविधि है। इसका मूल उद्देश्य जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और शासन प्रक्रियाओं की कारगरता का मूल्यांकन करके उनमें सुधार लाने के लिए एक व्यवस्थित, अनुशासित दृष्टिकोण पेश करके संगठन को सहायता प्रदान करना है। यह वस्तुनिष्ठ जांच और सलाह प्रदान करने का एक प्रभावी उपकरण भी है, जिससे शासन की गुणवत्ता बढ़ती है, परिवर्तन को बल मिलता है, जोखिम प्रबंधन और नियंत्रण प्रक्रिया में सहायता मिलती है और परिणामों के लिए जवाबदेही में सुधार होता है। यह प्रक्रियागत त्रुटियों और कमियों को दूर करने के लिए बहुमूल्य सूचना भी प्रदान करता है और इस प्रकार प्रबंधन के लिए एक सहायक के रूप में कार्य करता है। एक इकाई की लेखा परीक्षा की आवर्तिता उसकी प्रकृति और काम और धन की मात्रा से विनियमित होती है।

(ii) मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकायों और अनुदानग्राही संस्थाओं तथा विशिष्ट योजनाओं को छोड़कर, विधि और न्याय मंत्रालय के विभिन्न विभागों और भारत के उच्चतम न्यायालय के अधीन 51 ऑडिट–यूनिटें/आहरण एवं संवितरण अधिकारी हैं। वित्तीय वर्ष 2018–19 में विधि और न्याय मंत्रालय की केवल **बारह (12) यूनिटों** की ही लेखा–परीक्षा की गई है। और अधिक यूनिटों/डीडीओ की लेखा–परीक्षा इसलिए नहीं की जा सकी क्योंकि इस मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय के आंतरिक लेखा परीक्षा खंड के लिए कोई स्वीकृत पद/स्थायी कर्मचारी नहीं है। लेखा–परीक्षा का कार्य विभिन्न वेतन एवं लेखा कार्यालयों और प्रधान लेखा कार्यालय में नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा भारत के महालेखा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा पैनल में नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची में से दो परामर्शदाताओं की सहायता से किया जा रहा है।

उपलब्धियांः विधि और न्याय मंत्रालय में वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल 323 लेखापरीक्षा पैरा लंबित थे जबकि पिछले वर्ष 265 पैरा उठाये गये। बाद में कई अनुस्मारक एवं परिपत्र सबंधित कार्यालयों/विभागों को भेजे गए, वर्ष 2015–16 की अवधि के दौरान 200 पैरा तथा वर्ष 2016–17 में आंतरिक ऑडिट विंग द्वारा 171 पैरा निपटाए गये। हालांकि, लंबित लेखापरीक्षा पैरा की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है:

वित्तीय वर्ष	लंबित पैरा की संख्या	ड्राप किये गए पैरा की संख्या	शेष पैरा
2015–16 तक	323	200	123
2016–17	251	171	80
2017–18	60	24	36
2018–19	138	10	128
	772	405	367

14. बैंकिंग व्यवस्था : इंडियन बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक और देना बैंक विधि और न्याय मंत्रालय और एससीआई के पीएओ और इसके क्षेत्र अधिकारियों के लिए प्रत्यायित बैंक हैं। संबंधित सीडीडीओ/पीएओ द्वारा प्रत्यायित बैंकों को प्राप्तियां प्रेषित की गईं। प्रत्यायित बैंक में किसी भी प्रभार के लिए महालेखा–नियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के विशेष अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

(15) नई पहलें

(i) सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली:

प्रारंभिक रूप से सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को वर्ष 2008–2009 में योजना आयोग के सीपीएसएमएस नामक आयोजना स्कीम के रूप में एमजीएनआरईजीएस, एनआरएचएम, एसएसए और पीएमजीएसवाई जैसी चार प्रमुख योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब और मिजोरम में प्रारंभ किया गया। मंत्रालयों/विभागों में नेटवर्क स्थापित करने के प्रारंभिक चरण के बाद, केन्द्र, राज्य सरकार और राज्य सरकारों की एजेंसियों के वित्तीय नेटवर्क को जोड़ने के लिए सीपीएसएमएस (पीएफएमएस) को देश भर में लागू करने का निर्णय लिया गया। योजना को पूर्व योजना आयोग और वित्त मंत्रालय की 12वीं योजना पहल में शामिल किया गया।

पीएफएमएस को मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा निम्नलिखित हेतु अधिदेशित किया गया है :

- सभी आयोजना स्कीमों के लिए वित्तीय प्रबंध मंच, सभी प्रापक एजेंसियों का डाटाबेस, योजनागत निधि को देखने के लिए बैंक के कोर बैंकिंग समाधान में एकीकरण, राज्य कोषगारों के साथ एकीकरण और सरकार की आयोजन स्कीम के कार्यान्वयन के न्यूनतम स्तर में निधि प्रवाह की प्रभावशाली और कुशल ट्रैकिंग।

- निधि उपयोगिता पर देश में सभी आयोजना स्कीमों/कार्यान्वयन एजेंसियों को जानकारी उपलब्ध कराना जिससे आयोजन स्कीम के कार्यान्वयन में सार्वजनिक जवाबदेही को बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट मानीटरिंग, समीक्षा और निर्णय सहायता प्रणाली बनाई जा सके।

- सार्वजनिक व्यय में सरकारी पारदर्शिता और योजनाओं में संसाधन उपलब्धता और उपयोगिता के संबंध में तथ्यपरक जानकारी के लिए बेहतर वित्त प्रबंधन के माध्यम से सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में प्रभावशीलता और अर्थव्यवस्था में परिणाम के लिए इस योजना को लागू किए जाने से कार्यक्रम के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार होगा, व्यवस्था में फ्लोटिंग में कमी, लाभार्थियों को सीधा भुगतान और सार्वजनिक निधि के उपयोग में बड़ी पारदर्शिता और जवाबदेही की स्थिति उत्पन्न होगी। प्रस्तावित प्रणाली अभिशासन में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण सिद्ध होगी।

अधिदेश को कार्यान्वित करने के लिए मॉडयूल

केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अनुसार हितधारकों के लिए पीएफएमएस द्वारा विकसित/विकसित किए जा रहे मॉड्यूल का उपर्युक्त अधिदेश निम्नानुसार हैः

I निधि प्रवाह मानीटरिंग

(क) एजेंसी पंजीकरण

(ख) पीएफएमएस ईएटी माड्यूल के माध्यम से व्यय प्रबंधन और निधि उपयोगिता

(ग) पंजीकृत एजेंसियो के लिए लेखांकन माड्यूल

(घ) कोषागार इंटरफेस

(ड) पीएफएमएस–पीआरआई निधि प्रवाह और उपयोगिता इंटरफेस

(च) राज्य योजनाओं के लिए निधि ट्रेकिंग हेतु राज्यु सरकार के लिए तंत्र

(छ) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) की मानीटरिंग

II सीधा लाभ अंतरण डीबीटी माड्यूल

(क) लाभार्थियों के लिए पीएओ

(ख) लाभार्थियों के लिए एजेंसी

(ग) लाभार्थियों के लिए राज्यी कोषागार

III बैंकिंग के लिए इंटरफेस

(क) सीबीएस

(ख) इंडिया पोस्टं

(ग) आरबीआई

(घ) नाबार्ड और सहकारी बैंक

वर्धित अधिदेश को कार्यान्वित करने के लिए माड्यूल

IV पीएओ कंप्यूटरीकरण– भारत सरकार में किए जाने वाले भुगतान,
प्राप्तियों तथा लेखांकन की ऑनलाइन व्यवस्था

(क) कार्याक्रम प्रभाग माड्यूल

(ख) डीडीओ माड्यूल

(ग) पीएओ माड्यूल

(घ) पेंशन माड्यूल

(ड) जीपीएफ और एचआर माड्यूल

(च) जीएसटीएन सहित प्राप्तियां

(छ) वार्षिक वित्तीय विवरण

(ज) नकद प्रवाह प्रबंधन

(झ) नॉन सिविल मंत्रालयों के साथ इंटरफेस

(V) नान टैक्स रिसीट पोर्टल

अन्य विभागीय पहल :

पीएफएमएस की क्षमताओं को प्रयोग में लाने के लिए, अनेक अन्य विभागों ने अपने विभाग की आवश्यकताओं के लिए उपयोगिताओं को विकसित करने के लिए पीएफएमएस से संपर्क किया है।

VI एमएचए के लिए इंटरफेस (विदेश प्रभाग) एफसीआरए के तहत निधि प्राप्ति करने वाली एजेंसियों की मानीटरिंग

VII सीबीडीटी पीएएन मान्य करण

VIII जीएसटीएन बैंक खाता मान्यकरण

कार्यान्वयन कार्यनीतिः

वित्त मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए कार्ययोजना तैयार और अनुमोदित की गई है।

उन्नत वित्तीय प्रबंधन द्वाराः

- निधियों की जस्ट इन टाईम (जेआईटी) निर्मुक्ति
- अंततः उपयोग सहित निधियों के उपयोग की निगरानी।

कार्यनीतिः

- पीएफएमएस की सार्वभौमिक शुरूआत, जिसमें अन्या बातों के साथ–साथ शामिल है
- पीएफएमएस पर सभी कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) का अनिवार्य पंजीकरण और
- सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पीएफएमएस के व्यय अग्रिम और अंतरण (ईएटी) मॉड्यूल का अनिवार्य उपयोग।

I. केन्द्रीय क्षेत्र (सीएस) योजनाओं / संव्यवहारों के लिए कार्यान्वयन कार्यनीति

- पूरे किए जाने वाले क्रियाकलाप
- कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अनिवार्य पंजीकरण और ईएटी मॉड्यूल का उपयोग।
- योजनाओं की सभी प्रासंगिक सूचना की मैपिंग।
- पीएफएमएस की प्रत्येक योजना के बजट को अपलोड करना।
- प्रत्येक स्कीम की कार्यान्वयन से संबंधित क्रमबद्धता की पहचान करना
- पीएफएसएस के साथ विशिष्ट योजनाओं अर्थात नरेगासॉफ्ट, आवाससॉफ्ट के प्रणालीगत इंटरफेस का एकीकरण।
- प्रशिक्षकों की तैनाती और प्रशिक्षण

II. राज्य योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता (सीएएसपी) के लिए कार्यान्वयन

- राज्यों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप
- राज्य राजकोष का पीएफएमएस के साथ एकीकरण
- सभी एसआईए का पीएफएमएस में पंजीकरण (स्तर 1 और नीचे)

- राज्य योजनाओं की संबधित केन्द्रीय योजनाओं के साथ मैपिंग
- पीएफएमएस पर राज्य योजनाओं का संविन्यास
- राज्य योजना घटकों का संविन्यास
- प्रत्येक राज्य योजना की क्रमबद्धता की पहचान और संविन्यास
- पीएफएमएस का योजना विशिष्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के साथ एकीकरण
- प्रशिक्षकों की तैनाती और प्रशिक्षण
- कार्यान्वयन के लिए निरंतर सहायता

2017–18 में विधि एवं न्यायय मंत्रालय और उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत चार (04) वेतन एवं लेखा कार्यालयों अर्थात वेतन एवं लेखा कार्यालय (एलए), वेतन एवं लेखा कार्यालय (एलडी), वेतन एवं लेखा कार्यालय (ईओ) और वेतन एवं लेखा कार्यालय (एससीआई) में से वेतन एवं लेखा कार्यालय (एससीआई), जो अभी भी सीजीए द्वारा दी गई अनुमति के अनुरुप काम्पैक्ट माड्यूल पर काम कर रहा है, को छोड़कर तीन (03) वेतन एवं लेखा कार्यालयों अर्थात वेतन एवं लेखा कार्यालय (एलए), वेतन एवं लेखा कार्यालय (एलडी) और वेतन एवं लेखा कार्यालय (ईओ) के संबंध में पीएफएमएस के भुगतान एवं लेखा माड्यूल का सफलतापूर्वक कार्यान्व्यन किया गया है।

विधि एवं न्याय मंत्रालय में ईआईएस/सीडीडीओ/एनटीआरपी माड्यूल की स्थितिः–

1. सीडीडीओ द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए सीडीडीओ मॉडयूल का कार्यान्वीयन						
मंत्रालय/विभाग	सीडीडीओ की कुल सं.	पीएफएमएस को प्रयोग में लाने वाले सीडीडीओ की सं.	शेष सीडीडीओ की सं.	पीएफएमएस पर लाने के लिए माह–वार योजना		
				जनवरी, 19	फरवरी, 19	मार्च, 19
विधि एवं न्याय मंत्रालय	33	29	4	–	–	4

2. कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस) मॉड्यूल						
मंत्रालय/विभाग	डीडीओ की कुल सं.	पीएफएमएस को प्रयोग में लाने वाले डीडीओ की सं.	शेष डीडीओ की सं.	पीएफएमएस पर लाने के लिए माह–वार योजना		
				जनवरी, 19	फरवरी, 19	मार्च, 19
विधि एवं न्याय मंत्रालय	53	47	6*	–	–	4

*दो(02) आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) के मामलें में फिलहाल ईआईएस की आवश्यकता नहीं है।

3. नान टैक्स रिसीट पोर्टल (एनटीआरपी) मॉडयूल						
मंत्रालय/विभाग	पीएओ की कुल सं.	पीएफएमएस को प्रयोग में लाने वाले पीएओ की सं.	शेष पीएओ की सं.	पीएफएमएस पर लाने के लिए माह–वार योजना		
				जनवरी, 19	फरवरी, 19	मार्च, 19
विधि एवं न्याय मंत्रालय	4	4	–	–	–	–

विनियोग लेखा, 2018–19 की मुख्य विशेषताएं (रू करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	अंतिम अनुमान	व्यय	अधिशेष(+) बचत (–)
अनुदान सं. 61 2052–सचिवालय सामान्य सेवाएं	120.15	124.17	117.73	–6.44
2014–न्याय प्रशासन	598.03	519.78	515.04	–4.74
2015–निर्वाचन	1087.12	912.10	912.84	0.74
2020–आय और व्यय पर करों का संग्रहण	90.35	100.27	94.25	–6.02
2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं	12.98	11.79	10.81	–0.98
2552–उत्तर–पूर्वी क्षेत्र	112.70	28.94	0	–28.94
3601–राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	515.00	656.69	656.69	0
3602–संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सहायता अनुदान	50	0	0	0
4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1800	3678.57	3676.96	–1.61
वर्ष के दौरान वापस की गई राशि				–526.20
योग	**4386.33**	**6032.31**	**5984.32**	**–574.19**
विनियोग सं. 63–भारत का उच्चतम न्यायालय मुख्य शीर्ष–2014 न्याय प्रशासन (प्रभारित)	251.06	258.53	258.53	0

(स्रोतः विनियोग लेखा 2018–19)

अध्याय III
न्याय विभाग
(NYAYA VIBHAG)

1. संगठन और कार्य

न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय का हिस्सा है। विधि और न्याय मंत्री इसके अध्यक्ष हैं, उसके बाद राज्य मंत्री (विधि और न्याय) हैं। सचिव (न्याय) सचिवालय के प्रमुख हैं। संगठनात्मक ढांचे में चार संयुक्त सचिव, सात निदेशक/उप सचिव और नौ अवर सचिव शामिल हैं। न्याय विभाग की स्वीकृत कार्मिक संख्याबल 103 है, जिसमें से 48 पद रिक्त हैं। वर्तमान में 55 वर्तमान पदाधिकारियों में से केवल 08 महिला अधिकारी/कर्मचारी इस विभाग में काम कर रही हैं। न्याय विभाग के कार्य में भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्याग पत्र और पद से हटाया जाना तथा उनके सेवा संबंधी मामले शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, यह विभाग अधीनस्थ न्यायालयों की आधारभूत संरचना विकास से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ–साथ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य भी कार्यान्वित करता है। न्याय विभाग का संगठनात्मक चार्ट **अनुबंध–XIV** पर है।

1.1 भारत सरकार (समय–समय पर यथासंशोधित आवंटन नियम–1961) के अनुसार, अन्य बातों के साथ–साथ न्याय विभाग द्वारा देखे जा रहे विषयों में निम्नलिखित शामिल हैंः–

i. भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्यागपत्र और पद से हटाना, उनका वेतन, अनुपस्थिति की अनुमति (छुट्टी भत्ते सहित) के बारे मेँ अधिकार, पेंशन और यात्रा भत्ते।

ii. राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्यागपत्र और पद से हटाना, उनके वेतन, अनुपस्थिति की अनुमति (छुट्टी भत्ते सहित) के बारे में अधिकार, पेंशन और यात्रा भत्ते।

iii. संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायिक आयुक्तों और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति।

iv. उच्चतम न्यायालय का संघटन और संगठन (न्यायिक क्षेत्राधिकार और शक्तियों को छोडकर) (किंतु इस न्यायालय की अवमानना सहित) और इनमें लिया गया शुल्क।

v. उच्च न्यायालयों और न्यायिक आयुक्तों के न्यायालयों के अधिकारियों और सेवकों के प्रावधानों को छोड़कर इन न्यायालयों का गठन और संस्थान ।

vi. संघ राज्य क्षेत्रों में न्याय का प्रशासन और न्यायालयों का गठन और संस्थान तथा इस प्रकार के न्यायालयों में लिया जाने वाला शुल्क।

vii. संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायालय शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी।

viii. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन।

ix. जिला न्यायाधीशों और संघ राज्य क्षेत्रों की उच्चतर न्यायिक सेवा के अन्य सदस्यों की सेवा संबंधी शर्तें।

x. किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का किसी संघ राज्यो क्षेत्र तक विस्तोर करना अथवा किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से किसी संघ राज्य क्षेत्र को बाहर रखना।

xi. गरीबों को विधिक सहायता

xii. न्याय का प्रशासन

xiii. न्याय प्रदायगी तक पहुंच और विधिक सुधार।

2. न्यायाधीशों की नियुक्ति

2.1 भारत का उच्चतम न्यायालय :

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या (भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित) 31 है। 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, न्यायाधीशों की 31 की स्वीकृत संख्या के प्रति 27 न्यायाधीश पदासीन थे और न्यायाधीशों के 04 पद रिक्त थे। 01–04–2018 से 31–03–2019 तक की अवधि के दौरान, भारत के उच्चतम न्यायालय में 10 न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे।

2.2 उच्च न्यायालय :

31–03–2019 की स्थिति के अनुसार उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की 1079 की संस्वीकृत संख्या 679 पदासीन थे और न्यायाधीशो के 400 पद रिक्त थे।

01.04.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की 110 नई नियुक्ति की गई थी, और उच्च न्यायालयों के 50 अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति की गई थी। इसके अलावा, उच्च न्यायालयों के 21 मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी; 04 मुख्य न्यायाधीशों को स्थानांतरित किया गया था और उच्च न्यायालयों के 24 न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित किया गया था।

2.3 आंध्र प्रदेश राज्य के लिए अलग उच्च न्यायालय :

हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय का विभाजन किया गया है। 1 जनवरी, 2019 से आंध्र प्रदेश राज्य के लिए अमरावती में प्रमुख सीट के साथ एक नया उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय को अब तेलंगाना के उच्च न्यायालय के रूप में नामित किया गया है।

2.4 कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच की स्थापना :

07.02.2019 को जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की दूसरी सर्किट बेंच की स्थापना की गई जो उस क्षेत्र के वादीगणों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी। उपर्युक्त उच्च न्यायालय की पहली सर्किट बेंच पोर्ट ब्लेयर में कार्य कर रही है।

3. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

3.1 राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत 1993 में स्थापित (17.08.1993 से प्रभावी) एक स्वायत्त शासी संस्था है। यह स्वतंत्र निकाय, भारत के उच्चतम न्यायालय में स्थित अपने कार्यालय से कार्य करता है और इसका कैम्पस भोपाल, मध्य प्रदेश में है। यह देश के न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों को न्यायिक प्रशिक्षण प्रदान करने और उच्चतम न्यायालय में

कार्यरत अनुसचिवीय अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायालय प्रबंधन तथा प्रशासन से संबंधित मामलों में सम्मेलनों, संगोष्ठियों व्याख्यानों का आयोजन तथा अनुसंधान करने के लिए एक प्रमुख निकाय है। इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य देश में राष्ट्रीय न्यायपालिका के विकास को बढ़ावा देना और न्याय, न्यायिक शिक्षा, अनुसंधान और नीति तैयार करने के प्रशासन को मजबूत करना रहा है।

3.2 भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की आम सभा (जनरल बाडी) और साथ ही साथ शासी परिषद (गर्वनिंग काउंसिल) के अध्यक्ष हैं और साथ ही वे कार्यकारी समिति और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की अकादमी परिषद के अध्यक्ष भी हैं। अकादमी के मामले एक शासी परिषद द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। अकादमी पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित–पोषित है। निदेशक, इसके प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हैं। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के कर्मचारियों में एक निदेशक के अलावा अपर निदेशक (अनुसंधान) का एक पद, प्रोफेसर के 3 पद, सहायक प्रोफेसर के 6 पद, अनुसंधान फैलो के 6 पद और विधि सहायक के 6 पद शामिल हैं। न्यायिक अकादमी के प्रशासनिक अधिकारियों और स्टाफ में निदेशक के अलावा, रजिस्ट्रार, अतिरिक्त रजिस्ट्रार, मुख्य लेखा अधिकारी, अनुरक्षण अभियंता और दूसरे प्रबंधकीय और प्रकार्यात्मक पद शामिल हैं।

3.3 वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान "अनुदान सहायता (सामान्य)" शीर्ष के तहत 9.00 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी, "अनुदान सहायता (स्वच्छता कार्रवाई योजना)"शीर्ष के तहत 1.00 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे और "अनुदान सहायता (पूंजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन)" शीर्ष के तहत 1.15 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल को कुल 11.15 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

3.4 वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के दौरान, अकादमी ने न्यायिक अधिकारियों के लिए 90 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मंजूरी दी है। इन कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ–साथ सीबीआई अधिकारियों/विशेष न्यायालयों के लिए रिफ्रेशर पाठ्यक्रम, न्यायिक नैतिकता और जवाबदेही पर सम्मेलन, सार्क देशों के न्यायाधीशों के लिए कार्यशालाएं, भारत में युवा न्याय बोर्डों के काम पर राष्ट्रीय सेमिनार, परिवार/पोक्सो/मानवाधिकार/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पीओए) न्यायालयों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आतंकवाद रोध, पर कार्यशालाएं आदि शामिल हैं।

4. कुटुंब न्यायालय

4.1 कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 मेँ उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा सुलह को बढ़ावा देने और विवाह और परिवार के मामलों से संबंधित विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए कुटुंब न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 3 (1) (क) के तहत राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य है की दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर या कस्बे में हर क्षेत्र के लिए एक कुटुंब न्यायालय स्थापित करें। यदि राज्य सरकारें आवश्यक समझें तो वे राज्योँ के अन्य क्षेत्रों में भी, कुटुंब न्यायालयों की स्थापना कर सकती हैं।

4.2 कुटुंब न्यायालयों की स्थापना के लिए मुख्य उद्देश्य और कारण निम्नांकित हैं :

i. इस तरह के विशेष न्यायालय बनाना जो विशेष रूप से परिवार के मामलों को देखेंगे ताकि उनके पास ऐसे मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता हो। इस प्रकार, विशेषज्ञता और मामलों का शीघ्र निपटान ऐसे न्यायालय स्थापित करने के लिए दो मुख्य कारक हैं ;

ii. परिवार से संबंधित विवादों के समाधान के लिए एक तंत्र की स्थापना करना;

iii. सस्ता समाधान प्रदान करना; और

iv. कार्यवाहियों के संचालन में लचीला और एक अनौपचारिक वातावरण रखना।

4.3 कुटुंब न्यायालय स्थापित करने के लिए वर्ष 2002—03 में केंद्रीय वित्तीय सहायता की एक योजना शुरू की गई थी। योजना के अनुसार, केन्द्र सरकार ने, कुटुंब न्यायालय भवन और न्यायाधीशों के लिए रिहायशी आवास का निर्माण करने के लिए योजनागत सहायता के रूप में एक—बारगी के अनुदान के रूप में 10 लाख रुपए और गैर योजना के अंतर्गत आवर्ती लागत के रूप में वर्ष में 5 लाख रुपए की उच्चतम सीमा के अध्यधीन कुल लागत का 50 प्रतिशत मुहैया कराया। वर्ष 2012—13 से इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को 11.50 करोड़ रुपए का अनुदान निर्मुक्त किया गया है। अधीनस्थ न्यापलिका के लिए बुनियादी सुविधाओं की केन्द्र प्रायोजित योजना में कुटुंब न्यायालय और रिहायशी परिसर के भवन के निर्माण के लिए अनुदान की व्यवस्था करने के संघटक को शामिल कर लिया गया है।

5. फास्ट ट्रैक कोट्र्स :

राज्य सरकारों द्वारा संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से फास्ट ट्रैक कोट्र्स (थ्ज्ब्) स्थापित किए जाते हैं। 14वें वित्त आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में, केंद्र सरकार ने जघन्य अपराधों से निपटने के लिए 2015—2020 की अवधि के दौरान 4,144.00 करोड़ रुपये की लागत से 1800 फास्ट ट्रैक कोर्टों (थ्ज्ब्) की स्थापना का प्रस्ताव किया था। आयोग ने प्रस्ताव का समर्थन किया और राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे अंतरण के माध्यम से उनके लिए बढ़ाई गई राशि (फिस्कल स्पेस) (32% से 42%) का उपयोग करें। देश भर में 581 फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTC) कार्यात्मक हैं (31.03.2019 की स्थिति के अनुसार)। जघन्य प्रकृति के अपराधों से निपटने, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और अन्य हाशिए पड़ने वाली श्रेणियों से संबंधित मामलों और पांच से अधिक वर्षों के संपत्ति के विवादों से जुड़े नागरिक मामलों को देखने के लिए 15वें वित्त आयोग को सौंपे गए न्याय क्षेत्र के ज्ञापन में 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान 2397 फास्ट ट्रैक कोर्टों का समर्थन करने के लिए एक प्रस्ताव शामिल किया गया है।

6. निर्वाचित सांसदों/विधायकों के आपराधिक मामलों की जाँच के लिए विशेष न्यायालय :

निर्वाचित सांसदों / विधायकों के आपराधिक मामलों का शीघ्रता से विचारण और निपटान करने के लिए 12 विशेष न्यायालय स्थापित किए गए थे (दिल्ली राजधानी क्षेत्र में 02 विशेष न्यायालय और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्यों प्रत्येक में 01 विशेष न्यायालय)। वित्तीय वर्ष 2017—18 के दौरान 65.04 लाख और वित्तीय वर्ष 2018—19 के दौरान 714.96 लाख आवंटित किए गए। शीर्ष न्यायालय ने अगले आदेश तक उपर्युक्त 10 न्यायालयों को (बिहार और केरल के न्यायालय को छोड़कर) जारी रखने का निर्देश दिया है।

7. पन्द्रहवां वित्त आयोग

न्याय क्षेत्र का एक ज्ञापन तैयार किया गया और 15 वें वित्त आयोग को प्रस्तुत किया गया। फास्ट ट्रैक न्यायालयों का समर्थन करने वाले प्रस्तावों के लिए, न्यायालय परिसरों में न्याय घड़ी (जस्टिस क्लॉक) और सूचना केंद्र की स्थापना, न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए अलग—अलग प्रस्तावों, वकीलों के हॉल और प्रि—इन्स्टीट्यूशन्स मिडीएशन सेंटरों के निर्माण के लिए कुल वित्तीय निहितार्थ 14380.66 करोड़ रुपए है।

8. आईएसओ 9001: 2015 प्रमाणनः

न्याय विभाग को 18.04.2016 को आईएसओ 9001: 2008 मानकों के अनुसार पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया गया था। यह 14.09.2018 तक मान्य था।

इंटरटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई एक व्यापक निगरानी और उन्नयन के बाद, न्याय विभाग को आईएसओ 9001: 2015 मानकों (उन्नत संस्करण) के अनुसार 06.11.2018 से प्रभावी है और पंजीकरण का प्रमाणपत्र जारी किया गया था जो 17.04.2019 तक वैध है।

9. ई–कोर्ट मिशन मोड परियोजना चरण–II

9.1 परिचय :

जिला और अधीनस्थ न्यायालय परिसरों के सार्वभौमिक कंप्यूटरीकरण के अपने उद्देश्य के साथ न्याय विभाग, उच्चतम न्यायालय की ई–समिति के साथ नजदीकी समन्वयन में ई–कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट परियोजना–II को कार्यान्वित कर रहा है। ई–कोर्ट परियोजना के कार्यान्वयन की अवधि चार वर्ष (2015–19) है अथवा जब तक भी यह परियोजना पूरी हो, जो भी बाद में हो। अभी तक 1670 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में से सरकार ने परियोजना के कार्यान्वयन में शामिल विभिन्न संगठनों को 31–03–2019 तक 1213 करोड़ रुपए की धनराशि निर्मुक्त की है (आज की तिथि तक 1248 करोड़ रुपए)। इसमें उच्च न्यायालयों को निर्मुक्त की गई 955.86 करोड़ रुपए की धनराशि शामिल है।

9.2 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईसीटी सक्रियण :

सार्वभौमिक कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से वादियों, वकीलों और न्यायपालिका को नामित सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से, न्याय विभाग ने ई–काट्र्स मिशन मोड परियोजना के तहत 16,845 जिलों और अधीनस्थ न्यायालयों को आईसीटी सक्षम किया है। प्रमुख विशेषताओं में आईसीटी सक्षमता के लिए बुनियादी डिजिटल बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करना शामिल है जिसमें विभिन्न मॉड्यूल, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर, डीएसएलए / टीएलसी का कम्प्यूटरीकरण, लोकल एरिया नेटवर्क (लैन), इंटरनेट कनेक्टिविटी और प्रत्येक न्यायालय परिसर में मानक अनुप्रयोग सॉफ़्टवेयर की स्थापना करना, एसजेएएस में प्रशिक्षण देना, कियोस्क की स्थापना करना, प्रबंधन परिवर्तन आदि करना शामिल है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा 488 न्यायालयों और 342 संबंधित जेलों के बीच शुरू की गई है। परियोजना की अतिरिक्त सुविधाओं में सेवाओं का वितरण; अन्य बातों के साथ–साथ मामला पंजीकरण, कारण–सूचियां, दैनिक मामले की स्थिति, और अंतिम आदेश/निर्णय शामिल हैं। अंतरसंचालित आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) के तहत जेलों, पुलिस और फोरेंसिक्स के साथ ई–कोर्टों का एकीकरण करने की परिकल्पना की गई है।

9.3 राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) : (njdg-ecourts.gov.in)

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड, परियोजना के तहत एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में सृजित किया गया है, जिसमें देश के कंप्यूटरीकृत जिलों और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही/उनके फैसलों से संबंधित जानकारी उपलब्ध है। वर्तमान में, वादीगण इन कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों से संबंधित 11.63 करोड़ से अधिक मामलों के संबंध में मामले की स्थिति की जानकारी और 9. 16 करोड़ से अधिक ऑर्डरों/फैसलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह पोर्टल, वादीगणों को ऑनलाइन

सूचना भी प्रदान करता है, जैसे केस पंजीकरण, कारण सूची, केस स्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय।

9.4 ई–कोर्ट परियोजना के तहत सेवाएं :

क. एसएमएस भेजना :

- वादीगणों और वकीलों के लाभ के लिए एसएमएस के माध्यम से केस सूचना सेवा (एस) उपलब्ध कराने की सुविधा कार्यान्वित की गई है और प्रणाली जनरेटेड एसएमएस भेजने की प्रक्रिया परिचालन में है।

ख एसएमएस प्राप्त करना :

- 22 सितंबर, 2017 को ई–कोर्ट्स परियोजना के तहत एसएमएस प्राप्त करने की सुविधा का उद्घाटन किया गया था।
- एसएमएस प्राप्त करने की सुविधा के तहत 9766899899 पर एसएमएस द्वारा केस सीएनआर नंबर (केस नंबर रिकॉर्ड) भेजकर मामले का विवरण प्राप्त किया जा सकता है।

ग. ई–मेलः

- देश में सभी जिला और तालुका न्यायालयों के लिए स्वचालित मेलिंग चालू की गई है।
- वर्तमान में रोज 1 लाख से अधिक मेल भेजे जा रहे हैं। ई–मेल सेवा के माध्यम से ई–कोर्ट परियोजना के तहत संबन्धित न्यायालयों के साथ ई–मेल पते का पंजीकरण करने पर वादियों के मेल–बॉक्स में कारण सूचियों, फैसलों, मामलों की स्थिति आदि प्राप्त की जा सकती है।

घ. वेबः

- URL : https://ecourts.gov.in का इस्तेमाल करके ई–कोर्ट्स पोटल की वेबसाइट के माध्यम से वादीगणों से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

ड़. मोबाइल एप्लिकेशनः

- वादीगणों और वकीलों के इस्तेमाल के लिए ई–कोर्ट मोबाइल एप को क्यूआर कोड की सुविधा के साथ भी शुरू किया गया है।
- विभिन्न कैप्शन के तहत सेवाएं जैसे कि सीएनआर, मामले की स्थिति, कारण सूची और मेरे मामले, इस एप पर उपलब्ध हैं।
- प्ले स्टोर और एप स्टोर दोनों की उपलब्धता के साथ 31.12.2018 तक कुल डाउनलोड की संख्या 4.43 लाख पार कर गई है।

च. न्यायिक सेवा केंद्रः

- वादीगणों/वकीलों द्वारा याचिकाओं और आवेदन पत्र दाखिल करने और चल रहे मामलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने और आदेशों और निर्णय आदि की प्रतियां प्राप्त करने के लिए एक एकल खिड़की के रूप में सेवा देने के लिए सभी कंप्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं।

ज. कियोस्कः

- वादीगणों और वकीलों को कारण सूचियों और अन्य मामलों से संबंधित न्यायिक जानकारी देने के लिए सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालय परिसरों में सूचना कियोस्क स्थापित किए गए हैं।

9.5 केस सूचना प्रणाली :

मामला सूचना (केस इन्फोर्मेशन) सॉफ्टवेयर (सीआईएस 3.0 का नया और अधिक उपयोगकर्ता–अनुकूल संस्करण विकसित किया गया है और सभी कम्प्यूटरीकृत जिलों और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है। इस सॉफ्टवेयर में क्यूआर कोड सुविधा को चालू किया गया है। मुद्रित क्यूआर कोड के आधार पर, कोई भी मामले की वर्तमान स्थिति को देख सकता है। अब तक 21 उच्च न्यायालयों ने केस इंफॉर्मेशन प्रणाली नेशनल कोर संस्करण 1.0 को अपना लिया है।

9.6 वाइड एरिया नेटवर्क (WAN) कनेक्टिविटीः

पूरे देश में फैले सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालय परिसरों को जोड़ने वाले वाइड एरिया नेटवर्क (WAN) की स्थापना करना ई–कोर्ट परियोजना के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। भारत के उच्चतम न्यायालय की ई–कमेटी ने ई–कॉर्ट्स की वाइड एरिया नेटवर्क (WAN) परियोजना को भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को देने की स्वीकृति प्रदान की है। बीएसएनएल को बिना कनेक्टिविटी वाले 547 न्यायालयों परिसरों सहित देश भर में 2992 जिला और अधीनस्थ न्यायालय परिसरों को जोड़ने वाले वाइड एरिया नेटवर्क (WAN) की स्थापना के लिए 169 करोड़ रुपये के वर्क ऑर्डर दिए गए हैं, सुस्पष्ट चरणों, कार्यों, उपलब्धियों और समय–सीमा के साथ बीएसएनएल की गतिविधियों की साप्ताहिक आधार पर निगरानी की जाती है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने सेट बेसलाइन के प्रति अखिल भारतीय वाइड एरिया नेटवर्क परियोजना की रियल टाइम प्रगति का पता लगाने और उसका प्रबोधन करने के लिए एक ऑनलाइन प्रबोधन उपकरण का संचालन किया है। 31–03–2019 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल ने 2762 न्यायालय परिसरों में ओएफसी बिछा दी हैं और 703 साइटों को चालू कर दिया है।

9.7 त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन :

परियोजना अवधि की समाप्त होने के बाद परिसंपत्तियों का रखरखाव करने व उन्हें बनाए रखने के लिए न्याय विभाग, 36 राज्य सरकारों / संघ शासित क्षेत्रों और उनके संबंधित उच्च न्यायालयों / शाखाओं के बीच त्रिपक्षीय समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

9.8 प्रचार :

- व्यावसायिक परामर्शः एक पेशेवर संचार सलाहकार एजेंसी–मैसर्स पर्पल फोकस प्राइवेट लिमिटेड, विभिन्न प्रचार उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने और परियोजना के आउटपुट और ई–कोर्ट्स सेवाओं के बारे में जागरूकता में सुधार करने के लिए प्रभावी संचार रणनीति और कार्रवाई के लिए एक सुसंगत मीडिया योजना को विकसित और कार्यान्वित करने के लिए ई–कोर्ट्स पीएमयू की सहायता के लिए कार्यरत है। पोस्टर, ब्रोशर और उपयोगकर्ता मैनुअल डिज़ाइन किए गए हैं और मुद्रित किए गए हैं। इन्हें 14 अगस्त, 2018 को माननीय मंत्री, विधि और न्याय द्वारा लॉन्च किया गया था और उन्हें देश भर के सभी हितधारकों में वितरित किया गया था।

- ई–संपर्क : 3 जुलाई, 1 अगस्त 2018, 18 अक्टूबर, 2018 और 14 नवंबर, 2018 को निकनेट (छप्छम्ज) ई–मेल डेटाबेस पर सूचना और सार्वजनिक सेवा संदेशों को साझा करने के लिए ई–संपर्क, एनआईसी के मंच के माध्यम से चार ई–कोर्ट कंपेन किए गए थे।
- न्यूज़प्रिंट अभियान : 1 करोड़ रुपये की लागत से 3 और 10 नवंबर, 2018 को अंग्रेजी और हिंदी में दो न्यूज पेपर प्रिंट कैम्पेन पूरे किए गए। नवंबर 2018 – जनवरी, 2019 के दौरान अंग्रेजी, हिंदी और 16 क्षेत्रीय भाषाओं में न्यूजप्रिंट कैम्पेनों को पूरा किया गया।
- एसएमएस अभियान : प्रासंगिक प्राप्तर्ताओं तक पहुंचने के लिए 109 करोड़ मोबाइल नंबरों के ई–संपर्क (मेंउचंता) डेटाबेस से एसएमएस अभियान चलाया जा रहा है।
- रेडियो अभियान : 30 सेकंड वाले ऑडियो जिंगल के माध्यम से ई–कोर्ट्स सेवाओं पर जागरूकता फैलाने के लिए हिंदी और 10 क्षेत्रीय भाषाओं में रेडियो अभियान जनवरी – मार्च, 2019 के दौरान पूरा किया गया।
- प्रचार अभियान का प्रभाव : प्रचार अभियान के प्रभाव के रूप में, हमने ई–कोर्ट्स ऐप डाउनलोडों में तेजी देखी है, 11 मार्च, 2019 को किसी एक दिन में उच्चतम उछाल के साथ 1,11,218 डाउनलोड किए गए, 30 दिनों में औसतन 11,436 डाउनलोड हुए; इसकी तुलना में 31 जनवरी, 2019 में जहां से ऑडियो अभियान की शुरुआत की गई थी, 30 दिनों की 4329 डाउनलोडों की का औसत थी। यह 169% से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है।

10. न्याय प्रदायगी और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन

10.1 न्याय प्रदायगी और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन :

उद्देश्य :

न्याय प्रदायगी और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन अगस्त, 2011 में प्रणाली में देरी और बकाया को कम करने और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाकर उपयोग में वृद्धि करने के दोहरे उद्देश्य के साथ निष्पादन और क्षमताओं के मानकों को निर्धारित करने के लिए स्थापित किया गया था। यह मिशन पांच रणनीतिक पहलों का अनुसरण कर रहा है ; (i) नीति निरूपण और विधायी परिवर्तन करना; (ii) प्रक्रियाओं और अदालती प्रक्रियाओं की पुनः इंजीनियरिंग करना; (iii) मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना; (iv) बेहतर न्याय वितरण के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और उपकरणों का उत्थान करना; और (v) न्यायिक अवसंरचना में सुधार करना।

सलाहकार परिषद :

राष्ट्रीय मिशन की की एक सलाहकार परिषद है, जो इसका मार्गदर्शन और इसकी कार्य योजना की निगरानी करती है। माननीय केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय मिशन की सलाहकार परिषद की संरचना निम्नानुसार हैः –

अध्यक्षः केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री

सदस्य :

(i) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ;

(ii) कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष;

(iii) विधि और न्यायालय मंत्री, आंध्र प्रदेश के ;

(iv) विधि, न्याय और संसदीय मामलों के मंत्री, जम्मू और कश्मीर ;

(v) भारत के महान्यायवादी ;

(vi) अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग ;

(vii) सचिव, विधि कार्य विभाग ;

(viii) सचिव, विधायी विभाग ;

(ix) सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ;

(x) महासचिव, भारत का उच्चतम न्यायालय ;

(xi) निदेशक, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ; और

(xii) अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ;

सदस्य : सचिव, न्याय विभाग – राष्ट्रीय मिशन लीडर।

सलाहकार परिषद की बैठकें :

सलाहकार परिषद के लिए यह अपेक्षित होता है कि वह हर छह महीने में एक बार बैठक करे और राष्ट्रीय मिशन के लक्ष्यों, उद्देश्य और रणनीतियों पर सलाह दे। अगस्त, 2011 में मिशन की स्थापना के बाद से सलाहकार परिषद अब तक ग्यारह बैठक कर चुकी है। सलाहकार परिषद की ग्यारहवीं बैठक 19 फरवरी, 2019 को आयोजित की गई थी।

मिशन का विस्तार :

राष्ट्रीय मिशन का विस्तारित कार्यकाल 31.03.2020 तक है।

10.2 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक जनशक्ति की निगरानी करना :

संवैधानिक ढांचे के अनुसार, अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति, संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार उच्च न्यायालयों और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या 22,892 है। न्यायिक अधिकारियों के भरे हुए और खाली पदों की संख्या क्रमशः 17,702 और 5,201 है।

न्याय विभाग द्वारा की गई कार्रवाई :

सितंबर, 2016 में, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखा था कि वे जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की कैडर संख्या को बढ़ाएं और राज्य न्यायपालिका को भौतिक बुनियादी ढांचा प्रदान करें यही बात मई, 2017 में फिर से दोहराई गई थी। अगस्त, 2018 में, मामलों के बढ़ते हुए लंबन के संदर्भ में, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री ने सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखा था कि वे नियमित रूप से रिक्तियों की स्थिति की निगरानी

सुनिश्चित करें और मलिक मज़हर सुल्तान मामले में (2006 की अपील (सिविल) 1867ः मलिक मज़हर सुल्तान व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य में) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समय–सारणी के अनुसार रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के साथ उचित समन्वय सुनिश्चित करें। उच्चतम न्यायालय द्वारा 2018 की एक सुवो–मोटो रिट याचिका (सिविल) संख्या–2 में भी रिक्तियों को भरने की निगरानी की जा रही है।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के पदों को भरने के लिए जनवरी, 2018, जुलाई, 2018 और नवंबर, 2018 के महीने में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों और सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के विधि सचिवों के साथ बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी। न्याय विभाग ने जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की संस्वीकृति संख्या और कार्यकारी संख्या और मासिक आधार पर रिक्तियों की रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए अपनी वेबसाइट पर एक वेब पोर्टल भी बनाया है।

केंद्रीय चयन तंत्र :

एक सुचारू और समयबद्ध तरीके से इन रिक्तियों को नियमित रूप से भरने के लिए न्याय विभाग ने 28 अप्रैल, 2017 के अपने पत्र द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय को केंद्रीय चयन तंत्र बनाने का सुझाव दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 09 मई, 2017 को सरकार के सुझावों को स्वः प्रेरणा से (सू–मोटो) एक रिट याचिका में परिवर्तित कर दिया और सभी राज्य सरकारों (केंद्र शासित प्रदेशों सहित) को शपथ पत्र के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव दर्ज करने का निर्देश दिया। उपरोक्त मामला वर्तमान में न्यायालय के विचाराधीन है।

इम्तियाज अहमद केस :

उच्चतम न्यायालय ने 1 फरवरी, 2012 के अपने आदेश में इम्तियाज अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में भारत के विधि आयोग से कहा कि वे मामलों के लंबन (बैकलॉग) को समाप्त करने के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की संख्या के वैज्ञानिक आकलन के लिए कोई विधि विकसित करें। इसके अनुसरण में विधि आयोग ने 2014 में "एरियर्स एंड बैकलॉगः एडिशनल ज्यूडिशियल (वू) मैनपावर" शीर्षक से अपनी 245वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में विधि आयोग ने पाया कि लंबन (बैकलॉग) को समाप्त करने और साथ के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि नए लंबित मामले न हों, के लिए अपेक्षित अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या की गणना करने हेतु "निपटान दर" विधि अधिक व्यावहारिक और उपयोगी है।

राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली रिपोर्ट :

मई, 2014 में, उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार और उच्च न्यायालयों से कहा कि वे विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करें। 20.08.2014 के आदेश से माननीय उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली समिति (छब्डै समिति) को निर्देश दिया कि वे अपेक्षित अतिरिक्त अदालतों के निर्धारण के लिए अपनाए जाने वाले मापदण्डों पर भारत के विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की जाँच करें और इस माननीय न्यायालय को इस विषय पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें।

राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली समिति (छब्डै समिति), मार्च, 2016 में उच्चतम न्यायालय को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। अन्य बातों के साथ–साथ यह पाया गया है कि प्रत्येक न्यायालय के केस

लोड के निपटान के लिए आवश्यक "न्यायिक घंटों" की कुल संख्या निर्धारित करने के लिए अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायाधीश संख्या का आकलन, एक दीर्घावधि में किसी वैज्ञानिक विधि द्वारा किया जाना होगा। फिलहाल, इस समिति ने "भारित" निपटान दृष्टिकोण का प्रस्ताव किया है – स्थानीय परिस्थितियों में मामलों की प्रकृति और जटिलता द्वारा 'भारित' निपटान (वेटड डिस्पोजल)। वर्तमान में यह मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। इम्तियाज अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार व अन्य शीर्षक वाले 2012 के आपराधिक अपील संख्या–254262 में दिनांक 02–01–2017 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश में दिए गए निर्देश के अनुसार न्याय विभाग ने सभी राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को एनसीएमएस समिति की अंतरिम रिपोर्ट की एक प्रति भेज दी है ताकि वे एनसीएमएस की रिपोर्ट के आधार पर जिला न्यायपालिका के लिए आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करने के लिए कार्रवाई करने में सक्षम हो सकें।

10.3 न्यायिक डेटा के लिए एमआईएस पोर्टल :

न्याय विभाग द्वारा एक एमआईएस पोर्टल विकसित किया गया है, जो उच्च न्यायालयों को सक्षम बनाता है कि वे हर महीने न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यकारी संख्या और न्यायिक अधिकारियों की आवासीय इकाइयों की संख्या से संबंधित डेटा को अपलोड कर सकें। यह, नीति निर्माताओं को मासिक न्यायिक डेटा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

10.4 न्यायालयों में लंबित मामले :

उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार, 31.03.2019 को उच्चतम न्यायालय में 58072 मामले लंबित थे, 31.03.2019 को विभिन्न उच्च न्यायालयों में 44.03 लाख मामले और 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार विभिन्न जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 2.97 करोड़ मामले लंबित हैं।

न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटान, कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों की उपलब्धता, न्यायालय के कर्मचारियों और भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता, शामिल तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, हितधारकों अर्थात बार, जांच एजेंसियों, गवाहों और वादियों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित उपयोग शामिल है। संबंधित अदालतों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

सरकार द्वारा की गई कार्यवाही :

सरकार, मामलों के तेजी से निपटारे के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। सरकार द्वारा स्थापित न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार के राष्ट्रीय मिशन (नेशनल डिलीवरी फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स) ने बेहतर न्याय के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सहित विभिन्न रणनीतिक पहलों के माध्यम से, जिसमें न्यायालयों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना, बेहतर न्याय प्रदायगी के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को अपनाना और उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरना शामिल है, न्यायिक प्रशासन में मामलों के बकाया और लंबन के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया है।

(i) बकाया (एरियर्स) समितियों के माध्यम से लंबन में कमी और अनुवर्ती कार्रवाई :

अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अनुपालन में, पांच से अधिक वर्षों से लंबित मामलों को निपटाने के लिए 24 उच्च न्यायालयों में बकाया (एरियर) समितियों का

गठन किया गया है। जिला न्यायाधीशों के अधीन भी एरियर्स समितियाँ स्थापित की गई हैं। उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में मामलों के लंबन को कम करने के लिए कदम उठाने के लिए उच्चतम न्यायालय में बकाया समिति का गठन किया गया है।

(ii) वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) पर जोर :

20 अगस्त, 2018 को यथा संशोधित वाणिज्यिक न्यायालय, अधिनियम, 2015 ने वाणिज्यिक विवादों के निपटान के लिए अनिवार्य रूप से संस्थान–पूर्व प्रि–इन्स्टीट्यूशन) मध्यस्थता तंत्र की शुरुआत की। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 द्वारा माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 में संशोधन किया गया है जिससे कि समय–सीमा निर्धारित करके विवादों के शीघ्र समाधान में तेजी लाई जा सके। माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2018, 10.08.2018 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया, जिसका प्रयोजन अन्य बातों के साथ–साथ मध्यस्थता करने वाले संस्थानों की कोटि का निर्धारण करना, मध्यस्थों को मान्यता देने के लिए भारतीय मध्यस्थता परिषद (एसीआई) स्थापित करना और वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) के क्षेत्र में प्रशिक्षण और पुरस्कार प्रमाण पत्र प्रदान करना है। लेकिन 16वीं लोक सभा के विसर्जन के कारण यह विधेयक समाप्त (लैप्स) हो गया है।

(iii) विशेष प्रकार के मामलों की त्वरित सुनवाई (फास्ट ट्रैक) के लिए पहल :

केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता के साथ, जघन्य अपराधों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए देश भर में 581 फास्ट ट्रैक कोर्ट काम कर रहे हैं; सांसदों / विधायकों के आपराधिक मामलों को फास्ट ट्रैक करने के लिए, बारह (12) विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई थी और सरकार द्वारा राज्यों को आनुपातिक धनराशि जारी की गई है। भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 में संशोधन करने के लिए 16वीं लोक सभा द्वारा 11.08.2018 को आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया गया है।

10.5 न्यायिक सुधारों पर कार्य अनुसंधान और अध्ययन की (प्लान) योजना :

योजना का दायरा :

न्यायिक सुधारों पर कार्य अनुसंधान और अध्ययन की एक प्लान योजना को राष्ट्रीय मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। योजना के तहत न्याय वितरण, कानूनी अनुसंधान और न्यायिक सुधार के क्षेत्रों में कार्य अनुसंधान/मूल्यांकन/निगरानी अध्ययन करने, सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालाओं के आयोजन करने, अनुसंधान और निगरानी गतिविधियों के लिए क्षमता निर्माण करने, रिपोर्ट/सामग्री का प्रकाशन करने, नवीन कार्यक्रमों/ गतिविधियों के प्रचार करने के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाई जा रही है।

पात्र कार्यान्वयन प्राधिकारी :

योजना के लिए पात्र कार्यान्वयन प्राधिकारी, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA), भारत का प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज (ASCI), भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), भारतीय विधि संस्थान (ILI), राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (NLS), नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर), नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी (एनजेए), राज्य न्यायिक अकादमियां (एसजेएएस) और न्याय वितरण, कानूनी शिक्षा और अनुसंधान और न्यायिक सुधारों के क्षेत्र में काम करने वाले अन्य प्रतिष्ठित संस्थान हैं।

परियोजना स्वीकृति समिति :

सचिव (न्याय) की अध्यक्षता वाली परियोजना मंजूरी समिति, परियोजना प्रस्तावों पर विचार करती है और अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी देती है। परियोजना स्वीकृति समिति में उच्चतम न्यायालय, भारतीय विधि संस्थान, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भारतीय विधि आयोग और आंतरिक वित्त के सदस्य शामिल हैं। परियोजना लागत की अधिकतम सीमा 25.00 लाख रुपये है। अब तक परियोजना स्वीकृति समिति की 12 बैठकें आयोजित की गई हैं। अंतिम बैठक 15.02.2019 को आयोजित की गई है।

वर्तमान स्थिति :

योजना के तहत अब तक 40 अनुसंधान प्रस्तावों / परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें से 19 परियोजनाएं अब तक पूरी हो चुकी हैं। 21 चल रही परियोजनाएं हैं। 2013 में योजना की शुरुआत के बाद से 4.29 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान 3.19 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।

10.6 कारोबार करने में आसानी :

मापदण्ड (पैरामीटर्स) :

कारोबार करने (डूइंग बिजनेस) पर विश्व बैंक की रिपोर्ट में, जिसमें 190 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है, उन विनियमों को मापने का प्रयास किया गया है, जो व्यावसायिक गतिविधि को बढ़ाते हैं तथा जो इसे बाधित करते हैं। डूइंग बिजनेस रैंकिंग, मामले के मानकीकृत परिदृश्यों के आधार पर प्रत्येक देश में सबसे बड़े शहर में स्थित छोटी और मध्यम आकार की फर्मों के लिए कारोबार विनियमन के दस पहलुओं का मूल्यांकन करती है। ये मापदंड हैं: कोई कारोबार शुरू करना, निर्माण परमिट से निपटना, बिजली प्राप्त करना, संपत्ति का पंजीकरण करना, ऋण प्राप्त करना, अल्पसंख्यक निवेशकों की रक्षा करना, करों का भुगतान करना, सीमाओं के पार व्यापार करना, संविदाएं लागू करना और दिवालिया होने का समाधान करना। इस वर्ष, विश्व बैंक ने रिपोर्ट में भारत की स्थिति का आकलन करते हुए श्रम बाजार विनियमों के एक अतिरिक्त पैरामीटर का भी उपयोग किया।

पद्धति :

विश्व बैंक निम्न मापदंडों पर देश के कार्यनिष्पादन को मापता है:

(i) स्थानीय प्रथम दृष्टया न्यायालय के माध्यम से किसी वाणिज्यिक विवाद के समाधान के लिए समय और लागत। समय कारक में, फाइलिंग और सर्विस चरण ट्रायल और जजमेंट चरण और इंफोर्समेंट ऑफ जजमेंट चरण के लिए लिया गया समय शामिल होता है। लागत कारक में अटॉर्नी शुल्क, न्यायालय शुल्क (केवल निर्णय तक) और विशेषज्ञ शुल्क, और प्रवर्तन शुल्क शामिल है।

(ii) न्यायिक प्रक्रिया सूचकांक की गुणवत्ता। इसमें, कोर्ट स्ट्रक्चर और प्रोसीडिंग्स, केस मैनेजमेंट, कोर्ट ऑटोमेशन और वैकल्पिक विवाद समाधान शामिल हैं।

(iii) बेहतर कार्यप्रणाली (गुड प्रेक्टिसेस) की श्रृंखला का मूल्यांकन, और

(iv) न्यायालय प्रणाली में गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ावा देना।

सरकार दिल्ली और मुंबई में वाणिज्यिक विवादों के संबंध में विश्व बैंक द्वारा प्रदान की गई प्रश्नावली की प्रतिक्रिया के माध्यम से देश में कारोबार करने में सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) के लिए

किए जा रहे सुधारों पर सूचना (इनपुट) प्रदान करती है। विश्व बैंक की टीम, सरकार द्वारा किए गए दावों को सत्यापित करने के लिए वकीलों, कानूनी फर्मों और देश के अन्य हितधारकों के साथ बातचीत करती है। विश्व बैंक की टीम सरकार के साथ भी बातचीत करती है और अदालतों का दौरा करती है। सभी मापदंडों की गहन जांच के बाद, विश्व बैंक, देशों को रैंकिंग प्रदान करता है।

2019 में कार्य निष्पादन :

31 अक्टूबर 2018 को जारी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में, भारत ने 190 अर्थव्यवस्थाओं में से 77वां स्थान प्राप्त किया, यह पिछली रिपोर्ट से 23 स्थान की छलांग है। संविदाओं के संकेतक को लागू करने में, रैंकिंग में 01 स्थिति का सुधार हुआ और यह 2018 की 164 की रेंकिंग से सुधर कर 2019 की रिपोर्ट में 163 पर आ गई।

'संविदा को लागू करने के लिए न्याय विभाग, नोडल विभाग है :

संविदाओं के मापदण्डों को लागू करने के लिए न्याय विभाग को नोडल विभाग के रूप में नियुक्त किया गया है। न्याय विभाग से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुधार किए जाएं कि इस पैरामीटर में भारत की रैंकिंग इस रिपोर्ट में शीर्ष 50 में आ जाए है।

कृतक बल

24 नवंबर, 2016 को सचिवों की समिति (सीओएस) की हुई बैठक में इसकी सिफारिशों के अनुसार और कैबिनेट सचिव के अ.शा. पत्र क्रमांक 082/2/1/2016 – CA–IV दिनांक 11 नवंबर, 2016 में दिए गए निर्देश के अनुसार भी भारत में कारोबार करने के लिए संविदा लागू करने के मापदण्ड पर कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए सचिव, न्याय विभाग की अध्यक्षता में एक कृतकबल का गठन किया गया है, इसमें औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP), विधि कार्य विभाग (DoLA), दिल्ली और बॉम्बे के उच्च न्यायालय, दिल्ली और महाराष्ट्र के विधि विभागों और उच्चतम न्यायालय के ई–समिति से सदस्य हैं। टास्क फोर्स ने अब तक 9 बैठकें की हैं। नौवीं बैठक 04.04.2019 को आयोजित की गई थी।

2018–19 के दौरान सरकार की पहलः

(i) वाणिज्यिक न्यायालय, अधिनियम, 2015ः इसे निम्नलिखित सुधारों को लागू करने के लिए 20 अगस्त, 2018 को संशोधित किया गया थाः

क) दिल्ली और मुंबई में जिला न्यायाधीश स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना (अधिनियम की धारा 3 (1) में संशोधन)

ख) वाणिज्यिक विवादों के उस विशिष्ट मूल्य को, जो वाणिज्यिक न्यायालयों द्वारा में तय किया जा सकता है, कम करके 3 लाख तक कर दिया गया है (अधिनियम की धारा 2 (1) (प))

ग) संस्थान–पूर्व मध्यस्थता और निपटान तंत्र ने की शुरुआत की गई (नई धारा 12 (ए)) वाणिज्यिक न्यायालय (संस्थान–पूर्व मध्यस्थता और निपटान) नियम, 2018, 3 जुलाई, 2018 को अधिसूचित किए गए।

(ii) वाणिज्यिक मामलों का यादृच्छिक और स्वचालित आवंटनः दिल्ली और मुंबई जिला वाणिज्यिक न्यायालयों में शुरू किया गया है।

(iii) केस मैनेजमेंट हियरिंग (प्री–ट्रायल कॉन्फ्रेंस): दिल्ली जिला वाणिज्यिक न्यायालयों में शुरू की गई।

(iv) 8 इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट टूल दिल्ली और मुंबई जिला वाणिज्यिक न्यायालयों में ई–कोर्टों सेवाओं के पोर्टल और जस्टिस ऐप के माध्यम से न्यायिक अधिकारियों को उपलब्ध कराए गए।

(v) 7 इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट टूल वकीलों को मब्वनतजे सर्विसेज पोर्टल और ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई गई ई–कोर्ट सेवाओं के ऐप के 1.4 मिलियन सक्रिय उपयोगकर्ता हैं, जिनमें से लगभग 0.8 मिलियन वकील हैं।

(vi) राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड : विश्व बैंक ने स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड की शुरूआत करने से कारोबार करने में आसानी हुई है। यह राज्यवार और जिलेवार देश भर के अदालती मामलों की सांख्यिकीय जानकारी प्रदान करता है। सभी चार प्रदर्शन रिपोर्ट, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पर उपलब्ध हैं:

क. क्लियरेंस रेट रिपोर्ट

ख. लंबित मामलों की आयु रिपोर्ट

ग. एकल मामला प्रगति रिपोर्ट

घ. निस्तारण रिपोर्टों के लिए समय

(vii) नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेजस (NSTEP) को 14 अगस्त, 2018 को रियल टाइम अपडेट और सम्मन की ट्रैकिंग को सक्षम करने के लिए प्रारम्भ किया गया था।

(viii) वकीलों और वादीगणों के ऑनलाइन पंजीकरण को सक्षम करने के लिए 14 अगस्त, 2018 को ई–फाइलिंग (मथ्पसपदह) आवेदन शुरू किया गया था।

दिल्ली में सुधारों का अद्यतन

(क) सभी जिला न्यायाधीश/दिल्ली के 11 जिला न्यायालयों में 75 न्यायालयों के अपर न्यायाधीशों को 07.07.2018 को निर्दिष्ट वाणिज्यिक न्यायालयों के रूप में अधिसूचित किया गया; और 67 अदालतें कार्यात्मक हैं।

(ख) 15.02.2019 से मामले, बटन के क्लिक से केस इंफॉर्मेशन सिस्टम (ब्ष् 3.0) सॉफ्टवेयर का उपयोग करके वाणिज्यिक न्यायालयों सहित सभी जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों को यादृच्छिक रूप से और स्वचालित रूप से सौंपे जा रहे हैं। 15.02.2019 से 31.03.2019 के बीच 410 वाणिज्यिक मामले यादृच्छिक और स्वचालित रूप से आवंटित किए गए हैं।

(ग) 56 वाणिज्यिक मामलों में केस प्रबंधन की सुनवाई हुई।

(घ) दिल्ली में वाणिज्यिक न्यायालयों के 49 न्यायिक अधिकारी, जस्टिस (श्रनेजप्ै) ऐप का उपयोग कर रहे हैं।

मुंबई में सुधारों का अद्यतन (अपडेट)

(क) 16 न्यायालय अर्थात सिटी सिविल और सेशंस न्यायालय, मुंबई और 5 सिटी सिविल और सत्र न्यायालय, डिंडोशी को 15.12.2018 को वाणिज्यिक न्यायालयों के रूप में नामित किया गया हैं।

(ख) 13.02.2019 से बटन के क्लिक से केस इंफॉर्मेशन सिस्टम (बैं 3.0) सॉफ्टवेयर का उपयोग करके मामलों को यादृच्छिक और स्वचालित रूप से वाणिज्यिक न्यायालयों सहित सभी जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों को सौंपा जा रहा है। 31.03.2019 तक 6 वाणिज्यिक मामलों को यादृच्छिक और स्वचालित रूप से आवंटित किया गया है।

(ग) मुंबई में वाणिज्यिक न्यायालयों के 15 न्यायिक अधिकारी जस्टिस ऐप (श्रनेजै) का उपयोग कर रहे हैं।

(घ) बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र, गोवा और सिलवासा में केंद्र शासित प्रदेश दीव, दमन और दादरा और नागर हवेली के सभी न्यायिक अधिकारियों के लिए केस इन्फोर्मेशन सिस्टम 3.0, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (NJDG), इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट टूल्स के प्रभावी उपयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम साझा किया गया है।

मौजूदा स्कोर

2019 की रिपोर्ट में भारत का सकल स्कोर निम्नलिखित है :

घटक (कम्पोनेंट) (0–18)	वर्तमान बिन्दु (प्वाइंट)
न्यायालय की संरचना और कार्यवाहियाँ (0–5)	4.5
मामला प्रबंधन (0–6)	1.5
कोर्ट आटोमेशन (0–4)	2.0
वैकल्पिक विवाद समाधान (0–3)	2.5
कुल	10.5 / 18

11. उपेक्षितों के लिए न्याय तक पहुँच :

न्याय विभाग : न्याय तक पहुँच के लिए संवैधानिक अधिदेश

11.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 39। के तहत न्याय विभाग को "न्याय तक पहुंच" के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने का अधिदेश है। अनुच्छेद 39ए में यह उपबंध है कि (राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह, विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, और उपर्युक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।)

11.2 न्याय तक पहुँच के तहत न्याय विभाग के सकारात्मक हस्तक्षेप

11.2.1 सभी के लिए न्याय तक पहुँच के अपने लक्ष्य को पूरा करने की आकांक्षा करते हुए, न्याय विभाग ने तीन कार्यक्रमों की शुरुआत की है, जिसके नाम हैं टेली–लॉ; कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से कानूनी सेवा; देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में मार्गदर्शी आधार पर न्याय बंधु (प्रो–बोनो लीगल सर्विसेज), और न्याय मित्र।

11.2.2 टेली लॉ कार्यक्रम – पैनल के वकीलों से विधिक सलाह और परामर्श प्रदान करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई, टेली लॉ सेवा का उद्देश्य (सीएससी) ग्रामीण स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटरों में उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और ऑनलाइन चैट सुविधा के माध्यम से पैनल के वकीलों से जरूरतमंद और वंचितों को विशेष रूप से जोड़ना है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत पात्र सीमांत और व्यक्तियों को निः शुल्क कानूनी सलाह प्रदान की जाती है, जिसमें स्त्री, बच्चे, दिव्यांग व्यक्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आपदा के शिकार, दुर्व्यापार के शिकार व्यक्ति आदि शामिल हैं। यह सेवा वर्तमान में 11 राज्यों में चयनित 1800 कॉमन सर्विस सेंटर में चालू है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर–पूर्वी राज्य और जम्मू–कश्मीर राज्य शामिल हैं। यह कार्यक्रम दो अलग कार्यान्वयन ढांचे के साथ चलने के लिए बनाया गया है। न्याय विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में टेली–लॉ सर्विस, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) – ई–गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से प्रदान की जा रही है और उत्तर–पूर्वी राज्यों और जम्मू और कश्मीर में न्याय विभाग द्वारा यह सेवा कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) – ई–गवर्नेंस सर्विसेज की साझेदारी में कार्यान्वित की जा रही है।। इस कार्यक्रम को वर्तमान वर्ष तक सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव किया गया है। मार्च 2019 तक 62,761 लाभार्थियों को कानूनी सलाह प्रदान की गई है जिसमें 23658 (महिलाएं); 5007 (अनुसूचित जाति) और 8345 (अनुसूचित जनजाति) शामिल हैं। और अधिक लोगों तक सेवाओं की पहुँच को सुगम बनाने के लिए, पैरा लीगल वालंटियर्स (पीएलवी) को टेली–लॉ मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से मामलों के पंजीकरण की सुविधा के लिए मोबाइल एप्लिकेशन तक पहुंच प्रदान की गई है। एक टेली लॉ डैशबोर्ड भी विकसित किया गया है, जो हितधारकों को कॉमन सर्विस सेंटर–वार और ग्राम–वार प्रिरजिस्टर्ड मामलों, पंजीकृत मामलों और पैनल के वकीलों द्वारा सलाह वाले मामलों का विश्लेषण करने की सुविधा प्रदान करता है। एक समर्पित टेली–लॉ पोर्टल विकसित किया गया है जिसे http://www.tele-law.in/ पर देखा जा सकता है और यह पाँच भाषाओं में उपलब्ध है, जिनमें अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, उर्दू और असमी शामिल हैं।

11.2.3 न्याय बंधु (प्रो–बोनो लीगल सर्विसेज) – उपरोक्त के अलावा, न्याय बंधु (प्रो–बोनो लीगल सर्विसेज) कार्यक्रम का उद्देश्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत पात्र व्यक्तियों को मुफ्त विधिक सहायता और परामर्श प्रदान करना है। यह सेवा उन अधिवक्ताओं द्वारा प्रदान की जाती है, जो न्याय विभाग के साथ उन पंजीकृत आवेदकों/वादीगणों के मामलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वैछा से अपने समय और सेवाओं को देने के लिए न्याय विभाग के साथ पंजीकृत होते हैं। पंजीकृत वादीगण और पंजीकृत प्रो–बोनो अधिवक्ता के बीच सहज संपर्क सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसा न्याय बंधु मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया गया है, जिसे Google Play Store से डाउनलोड किया जा सकता है। मार्च 2019 तक, 512 वकीलों को पंजीकृत किया गया है और 354 मामलों को सौंपा गया है। आईओएस (iOS) उपयोगकर्ताओं के लिए न्याय बंधु मोबाइल एप्लिकेशन विकसित करने और देश में मुफ्त कानूनी ढांचे को संस्थागत बनाने के प्रयासों को सुविधाजनक बनाने और मजबूत करने के लिए उन्हें एकीकृत करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

11.2.4 न्याय मित्र कार्यक्रम – जिला न्यायालयों में 10 वर्ष पुराने लंबित मामलों के निपटारे की सुविधा के लिए एक तीसरा कार्यक्रम अर्थात् न्याय मित्र शुरू किया गया है। कोई भी व्यक्ति जिसका मामला पिछले 10 वर्षों से जिला न्यायालय में लंबित है, वह न्याय मित्र से मिल सकता है, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला न्यायालय में बैठता है। यह कार्यक्रम 16 राज्यों के उन 227 जिलों में संचालित किया गया है, जिन्हें राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) से दस साल से अधिक की अवधि के अदालती मामलों में

अधिकतम लंबन के आधार पर चुना गया है.. वर्तमान में 5 न्याय मित्र त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य में कार्यरत हैं। कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए रजिस्ट्रार जनरलों (आरजी) से आवधिक प्रतिक्रिया आमंत्रित की जाती है। वर्ष 2019—2020 के लिए 7 सात राज्यों में 100 न्याय मित्रों को कार्य पर लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

11.2.5 दूर तक पहुँच और जागरूकता के लिए रणनीतिक सूचना शिक्षा और संचार (IEC) – होर्डिंग, पोस्टर, फ्लायर और रेडियो जिंगल्स आदि के माध्यम से जनता को शिक्षित करने के लिए आउटडोर प्रचार और प्रचार अभियान किए गए हैं। 11 राज्यों के लगभग 3527 स्थानों को जिसमें विभिन्न तेल कंपनियों के पेट्रोल पंप, ऑटो हुड रैप्स, बस पैनल, बस पैनल्स शेल्टर्स आदि शामिल हैं, सूचना के प्रदर्शन के लिए शामिल किया जा रहा है। ग्राम पंचायत में 1800 सीएससी में प्रसार के लिए स्थानीय बोलियों सहित 13 भाषाओं में पोस्टर और फ़्लोयर्स जिनमें अंग्रेजी, हिंदी असमिया, बंगाली, नेपाली, लेप्चा, गारो, खासी, मणिपुरी, नागामी, उर्दू, डोगरी और मिजो शामिल हैं।

11.2.6 उत्तर पूर्वी और जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशिष्ट पहलें – उपरोक्त के अलावा, समाज के हाशिये और कमजोर वर्गों, विशेषकर महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों समुदायों की कानूनी जरूरतों का समाधान करने, लोगों को बेहतर सेवा देने, न्याय वितरण प्रणाली और विधिक सेवा प्राधिकरण की क्षमता में सुधार करने, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड और जम्मू राज्यों में कमजोर आबादी की कानूनी जागरूकता बढ़ाने के लिए पूर्वोत्तर और जम्मू और कश्मीर राज्य में न्याय तक पहुँच की इस योजना के तहत कई विशिष्ट स्थानीय पहलें कार्यान्वित की जा रही हैं। इसके लिए न्याय विभाग ने मंत्रालयों (केंद्रीय/राज्य) और सम्बद्ध विभागों के साथ जैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण आदि से सहयोग और साझेदारी की है। इस संबंध में गांवों में 130 विधिक सहायता क्लीनिक स्थापित किए गए हैं, जिससे 21823 हाशिए पर रहने वाले लोग लाभान्वित हुए हैं। जमीनी स्तर के अधिकारियों उदाहरणार्थ, प्रेरकों (1128), वीएलई (1400),समुदायिक सदस्यों (58000), अर्ध विधिक स्वयं सेवकों (1479), पैनल वकीलों (170),छात्रों (1000), महिलाओं (1050) आदि की क्षमता बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। आदिवासी ग्राम सभाओं और नियमित न्याय प्रणाली के बीच तालमेल बनाने के लिए प्रशिक्षण भी आयोजित किए जाते हैं, उदाहरण के लिए, (911) गाँव बुरास और देबाशीस को प्रशिक्षित किया गया है ; (15498) पंचायत राज अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कानूनी साक्षरता को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस संबंध में समाज के सीमांत वर्गों को लाभान्वित करने वाले कल्याण और स्थानीय कानूनों से संबंधित आईईसी को 23 स्थानीय बोलियों में विकसित किया गया है और 7 भाषाओं में वीडियो विकसित किए गए हैं।

12. 2018—19 के दौरान प्रमुख उपलब्धि

12.1 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का संशोधन।

संसद द्वारा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2018 पारित किया गया था और 27.01.2018 को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई थी।

12.2 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के यात्रा भत्ता नियमों में संशोधनः

सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में देश के भीतर दौरे या प्रशिक्षण पर

यात्राओं, स्थानांतरण पर यात्रा के लिए पात्रता, दौरे पर दैनिक भत्ते की दरों के संबंध में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की यात्रा भत्ते में वृद्धि की गई। अतः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के यात्रा भत्ता नियम, 1959 और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के यात्रा भत्ता नियम, 1956 में संशोधन किया गया है।

12.3 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आधिकारिक निवास पर मुफ्त साज–सज्जा करने के भत्तों में संशोधन।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के संशोधन के अनुसरण में, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के साज–सज्जा भत्ते को संशोधित किया गया है। इसलिए उच्चतम न्यायालय (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 में संशोधन किए गए हैं।

12.4 दूसरा राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी)।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 643/2015 में अपने 9.05.2017 के आदेश के तहत भारत में अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के वेतनमान, वेतन और सेवा शर्तों की समीक्षा करने के लिए एक न्यायिक वेतन आयोग की नियुक्ति करने का निर्देश दिया था। तदानुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के (सेवानिवृत) न्यायाधीश श्री पी.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में दूसरा राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) गठित किया गया है।

दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ने न्यायिक अधिकारियों की सभी श्रेणियों/रैंकों को उपार्जित वेतन वृद्धि के साथ मूल वेतन में 30% की वृद्धि की अन्तरिम राहत दी है।

आयोग की अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

12.5 जाम्बिया के साथ समझौता ज्ञापन।

न्यायिक क्षेत्र सहयोग पर 11.4.2018 को जाम्बिया के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

12.6 शिकायतों का निवारण।

(क) न्याय विभाग को राष्ट्रपति के सचिवालय / उपराष्ट्रपति के सचिवालय / प्रधानमंत्री कार्यालय / CPGRAMS पोर्टल के माध्यम से नागरिकों से बड़ी संख्या में नागरिकों की शिकायतें सीधे ऑनलाइन से प्राप्त करता होती हैं। 01–04–2018 से 31.3.2019 तक 7534 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस दौरान, 7816 शिकायतों का निस्तारण किया गया है। इस विभाग को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा 20 विभागों में से एक विभाग आँका गया है, जिन्हें सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त होती हैं। इसके अलावा, डाक विभाग में भी बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं।

(ख) न्याय विभाग को उच्चतम न्यायालय / उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, विधिक सहायता / कानूनी मदद / कानूनी जागरूकता / ई–कोर्ट / न्यायिक सुधार आदि से संबन्धित शिकायतों को देखने का अधिदेश है। केवल इन विषयों से संबन्धित शिकायतें न्याय विभाग द्वारा देखी जाती हैं।

(ग) न्यायपालिका से संबंधित शिकायतों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आगे के कार्यवाही के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय के महा सचिव, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को भेज दिया जाता है। सूचना के

लिए एक प्रति शिकायतकर्ता को पृष्ठांकित कर दी जाती है।

(घ) न्याय विभाग द्वारा अग्रेषित की गई शिकायतों पर न्यायपालिका द्वारा उनकी स्वयं की इन–हाउस पद्धति के अनुसार विचार किया जाता है व उनकी जांच की जाती है और शिकायतों से निपटने के लिए प्रणाली / प्रक्रिया को सामान्यतया साझा नहीं किया जाता है। ऐसे मामलों में, न्याय विभाग शिकायतकर्ताओं को नतीजे को सूचित करने की स्थिति में नहीं होता है।

न्याय विभाग द्वारा शिकायतों के निपटान के लिए विस्तृत दिशानिर्देश शिकायत धारकों / नागरिकों की जानकारी / मार्गदर्शन के लिए वेबसाइट www.doj.gov.in पर अपलोड किए गए हैं।

13. विभाग की विविध गतिविधियां

13.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत न्याय विभाग ने निम्नांकित कार्य शुरू कर दिए हैं :

(क) विभाग के एक अनुभाग अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आरटीआई आवेदनों को प्राप्त करने और संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी को आवेदन पत्र हस्तांतरित करने और आरटीआई आवेदनों/अपीलों की प्राप्ति और निपटान के बारे में केंद्रीय सूचना आयोग को त्रैमासिक रिटर्न जमा करने के लिए केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है।

(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) के तहत जैसा कि अपेक्षित है, विभाग के पदाधिकारियों द्वारा देखे जा रहे विषयों के साथ–साथ विभाग के कार्यों का विवरण आदि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (ीजजचः//कवर.हवअ.पद) के आरटीआई पोर्टल पर रखा गया है।

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के तहत सभी अवर सचिवों और कुछ उप सचिवों को, जहां अवर सचिवों के पद रिक्त हैं, उनके द्वारा देखे जा रहे विषय के संबंध में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) नामित किया गया है।

(घ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के संदर्भ में, सभी निदेशक/उप सचिव स्तर के अधिकारियों और कुछ संयुक्त सचिवों को, जहां उप सचिव सीपीआईओ हैं, अपने अधीनस्थ अवर सचिवों / उप सचिवों जिन्हें केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है, के मामलों में अपीलीय प्राधिकारी के पद नामित किया गया है।

(ङ) 01–01–2018 से 31–03–2019 तक के दौरान विभाग में 1225 आरटीआई आवेदन और 27 अपीलें और 4593 आरटीआई आवेदन दस्ती रूप से और 151 अपीलें ऑनलाइन प्राप्त हुईं, उन्हें अपेक्षित सूचना प्रदान करने के लिए संबन्धित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों/लोक प्राधिकारियों को अग्रेषित कर दिया गया।

(च) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15–04–2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/5/2011–आईआर द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के पैरा 1.4.1 के अनुसार विभाग, सभी आरटीआई आवेदनों और अपीलों के उत्तरों को नियमित रूप से वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है।

13.2 महिलाओं का सशक्तीकरणः

कार्य – स्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का निवारण : कार्य–स्थल पर महिला यौन

उत्पीड़न (निवारण, निषेध और प्रतिबंध) अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) के अनुपालन में विभाग की पीड़ित महिलाओं की शिकायतों के निवारण के लिए 04–06–2018 को एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। समिति में तीन महिला कर्मचारी (गैर सरकारी संगठन से एक सदस्य सहित) और दो पुरुष कर्मचारी हैं।

13.3 स्वच्छ भारत अभियान

भारत सरकार के नीतिगत दिशा–निर्देशों के अनुसार, विभाग में स्वच्छ भारत कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है। वर्ष 2018–2019 के दौरान, न्याय विभाग में 1.4.2018 से 15.4.2018 तक स्वच्छता पखवाड़ा और 01.09.2018 से 02.10.2018 तक स्वच्छता ही सेवा नामक दो कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनके दौरान कई कार्यकलापों जैसे कि लॉन का सौंदर्यीकरण, परिसरों के अंदर वृक्षारोपण, मॉड्यूलर फर्नीचर की स्थापना, व्यापक सफाई अभियान, परिसर के अंदर पुराने रिकार्डों की छंटाई, जंक/ पुरानी वस्तुओं का निपटान, और न्याय विभाग के अधिकारी द्वारा स्वैच्छिक अधिकारियों / श्रमदान आदि के कार्यकलाप किए गए।

सन 2018–19 के दौरान, स्वच्छता कार्रवाई योजना के तहत कार्यों के लिए जैसे कि शौचालयों और कैंटीन क्षेत्र का नवीकरण, सफाई उपकरणों और अन्य उपकरणों की खरीद के लिए 15.00 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं।

13.4 ई–ऑफिस का कार्यान्वयन

कागज रहित कार्यालय की ओर अग्रसर होने की सरकार की नीतियों को ध्यान में रखते हुए, इस विभाग ने ई–ऑफ़िस को संचालित करने के लिए पहल की है। ई–ऑफिस प्रणाली के सुचारू कार्यान्वयन और इष्टतम उपयोग के लिए ई–ऑफिस पर सभी अधिकारियों / कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए एनआईसी की मदद से विशेष कदम उठाए गए हैं। परिणामस्वरूप, न्याय विभाग, भारत सरकार के शीर्ष कार्यनिष्पादन करने वाले उन मंत्रालयों / विभागों में से एक है, जिन्होंने पूर्ण ई–ऑफिस प्लेटफॉर्म में प्रवेश कर लिया है।

14. राजभाषा अनुभाग :

विभाग में राजभाषा अनुभाग फरवरी, 2016 में गठित किया गया था। न्याय विभाग का राजभाषा अनुभाग भारत संघ की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के कारगर कार्यान्वयन और राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों / अनुदेशों का अनुपालन करने में विभाग को सहायता देता है। इस अनुभाग को विभाग की विभिन्न सामग्रियों का अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद के अतिरिक्त सरकार के कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है।

14.1 राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु तिमाही प्रगति रिपोर्टों का संग्रहण और विश्लेषण:

विभाग के सभी अनुभागों से राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु तिमाही प्रगति रिपोर्टें संग्रहीत करके उनकी समीक्षा की गई। रिपोर्टों में पाई गई कमियों के बारे में अनुभागों को सूचित किया गया तथा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उपायों के बारे में सुझाव दिए गए। इन रिपोर्टों के आधार पर समेकित विवरण तैयार किया गया और उसे राजभाषा विभाग को भेजा गया। इन रिपोर्टों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में समीक्षा भी की गई।

14.2 राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें :

वर्ष 2018–19 के दौरान राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रत्येक तिमाही में एक–एक बैठक आयोजित की गई और विभाग के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग में प्रगति की समीक्षा की गई। इन बैठकों के कार्यवृत विभाग के सभी अधिकारियों और अनुभागों में परिचालित किए गए। यह समिति, विभाग में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की पुनरीक्षा करती है और उसके बारे में निर्णय लेती है। इस समिति की बैठकों में संघ सरकार का अधिकाधिक कार्य हिंदी में किए जाने के संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस समिति की दिनांक 21–03–2018 (पहली), 29–06–2018 (दूसरी), 14–09–2018 (तीसरी) और 28–03–2019 (चौथी) को बैठकें आयोजित की गईं।

14.3 सरकारी कामकाज में हिंदी पत्राचार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजनाओं का कार्यान्वयन

विभाग में कर्मचारियों के लिए सरकारी कामकाज में मूल रूप से हिन्दी में टिप्पण और आलेखन के लिए प्रोत्साहन योजना और अधिकारियों के लिए हिन्दी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना भी वर्ष 2016–17 से आरंभ की गई है। हिन्दी में टिप्पण और आलेखन प्रोत्साहन योजना के तहत सचिव महोदय ने दिनांक 14 सितंबर, 2018 को हिन्दी दिवस के अवसर पर 5 अधिकारियों / कर्मचारियों को नकद पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए।

14.4 हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन

विभाग में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। दिनांक 14–05–2018 से 29–05–2018 (पहली), 21–08–2018 से 27–08–2018 तक (दूसरी), 05–09–2018 (तीसरी) और 25–02–2019 से 08–03–2019 तक (चौथी) को आयोजित की गईं और इनमें विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में काम करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के प्रयास किए गए और उन्हें राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 के विभिन्न नियमों और विनियमों की जानकारी प्रदान की गई। इससे सरकारी कामकाज में हिंदी टिप्पण और हिंदी पत्राचार के प्रतिशत में उत्तरोत्तर सुधार हुआ।

14.5 विभाग के विभिन्न दस्तावेजों का हिंदी अनुवाद

समीक्षाधीन अवधि के दौरान विभाग की वार्षिक रिपोर्ट, ई–बुक, निष्पादन बजट, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया–ज्ञापन, मंत्रिमण्डल हेतु टिप्पणियों (केबिनेट नोट), संसद प्रश्नों में दिए गए आश्वासनों पर कार्यान्वयन रिपोर्टों, नालसा से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों और सामान्य रूप से जारी किए जाने वाले दस्तावेजों, जिनमें अधिसूचनाएं, मंत्री महोदय की ओर से भेजे जाने वाले अर्ध शासकीय पत्र, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जारी किए जाने वाले पत्र और दैनिक प्रकृति के सामान्य आदेश शामिल हैं, आदि का अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद कार्य सम्पन्न किया गया।

14.6 हिन्दी दिवस और हिंदी पखवाड़े का आयोजन

विभाग में 14 सितंबर, 2018 को हिन्दी दिवस मनाया गया। हिंदी दिवस पर माननीय सचिव महोदय

की उपस्थिति में माननीय गृह मंत्री महोदय के संदेश का वाचन किया गया। सचिव (न्याय) ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। इसके अलावा, विभाग में 01–09–2018 से 14–09–2018 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान 4 लिखित प्रतियोगिताओं नामतः हिंदी निबंध प्रतियोगिता, हिन्दी अनुवाद, हिंदी टंकण प्रतियोगिता और श्रुत लेखन प्रतियोगिता तथा 2 मौखिक प्रतियोगिताओं अर्थात काव्य पाठ प्रतियोगिता और आशु संभाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिनमें कुल 87 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रत्येक प्रतियोगिता के विजेताओं को 4 नकद पुरस्कार (प्रथम : 3000 रुपए, द्वितीय : 2000 रुपए, तृतीयः 1500 रुपए और प्रोत्साहन : 500 रुपए) और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। सचिव (न्याय) महोदय ने दिनांक 14–09–2018 को विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए।

14.7 हिंदी पुस्तकों की खरीद

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विभाग में पुस्तकालय हेतु हिंदी पुस्तकों की खरीद के लिए प्रतिष्ठित हिंदी लेखकों और विशिष्ट व्यक्तियों की पुस्तकों की सूची सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन से तैयार की गई और लगभग 5200/– रुपए मूल्य की हिन्दी पुस्तकों की खरीद की गई।

15. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

भारत के संविधान का अनुच्छेद 39क समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त विधिक सहायता के लिए व्यवस्था प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22 (1) भी राज्यों के लिए यह अनिवार्य करते हैं कि कि वे विधि और ऐसी विधिक प्रणाली के समक्ष समानता सुनिश्चित करें जो सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देती हो। वर्ष 1987 में, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, जो समाज के कमजोर वर्गों के लिए समान अवसर के आधार पर स्वतंत्र और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी समान नेटवर्क स्थापित करने के लिए 9 नवम्बर, 1995 को अस्तित्व में आया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत विधिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करने और इस अधिनियम के तहत उपलब्ध विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए नीतियां और सिद्धांत निर्धारित करने के लिए गठित किया गया है।

हर राज्य में, एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रत्येक उच्च न्यायालय में, एक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है। नालसा की नीतियों और निर्देशों को प्रभावी बनाने और लोगों को मुफ्त विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए जिलों में और अधिकतर तालुकों में लोक अदालतों का संचालन करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुक विधिक सेवा समितियों का गठन किया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय से संबंधित विधिक सेवा कार्यक्रम के प्रशासन और इसको कार्यान्वित करने के लिए उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति को गठित किया गया है।

15.1 नालसा का कामकाज

नालसा, देश भर में विधिक सेवा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए नीतियों, सिद्धांतों, दिशा–निर्देशों को निर्धारित करता है और प्रभावी और किफायती योजनाएं बनाता है। मुख्यतया राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुक विधिक सेवा समितियों को नियमित आधार पर निम्नलिखित मुख्य कार्यों का निर्वहन करने के लिए कहा गया है :

- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत शामिल किए गए पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करना ;
- विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना; और
- ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन करना।

1. निःशुल्क विधिक सेवाएं

निःशुल्क विधिक सेवाओं में निम्नांकित शामिल हैं: –

(क) कोर्ट फीस, प्रक्रिया फीस और किसी विधिक कार्यवाही के संबंध में देय या किए गए अन्य सभी प्रभारों का भुगतान;

(ख) विधिक कार्यवाहियों में वकीलों की सेवा प्रदान करना;

(ग) विधिक कार्यवाही में आदेश प्राप्त करना और अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों की आपूर्ति करना।

(घ) मुद्रण और विधिक कार्यवाही में दस्तावेजों के अनुवाद सहित अपील, पेपर बुक की तैयारी।

अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 तक की अवधि के दौरान देश भर में विधिक सहायता सेवाओं के माध्यम से 14.72 लाख पात्र व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।

II लोक अदालत

विवाद समाधान की वैकल्पिक विधि की सुविधा के लिए, नालसा लोक अदालतों का आयोजन करता है। यह एक ऐसा मंच है, जहां न्यायालय में लंबित मामले/विवाद अथवा मुक़दमेबाज़ी से पूर्व के चरण में मामलों का निपटारा सौहार्दपूर्वक ढंग किया जाता है। लोक अदालतों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। उक्त अधिनियम के तहत, लोक अदालत द्वारा दिए गए निर्णय को एक दीवानी न्यायालय का निर्णय माना जाता है और यह सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है। इस तरह के निर्णय के खिलाफ कोई अपील कानून के किसी न्यायालय के समक्ष नहीं की जा सकती है। तीन प्रकार के लोक अदालतें हैं, जैसे कि नियमित लोक अदालतें, राष्ट्रीय लोक अदालतें और स्थायी लोक अदालतें।

1) मुकदमेबाजी–पूर्व और मुकदमेबाजी के बाद के दोनों प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए विधिक सेवा प्राधिकारियों / समितियों द्वारा राज्य/जिला अधिकारियों की सुविधा/विवेक के अनुसार नियमित लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है।

2) भारत के उच्चतम न्यायालय से लेकर तालुक न्यायालयों तक एक ही दिन में मामलों (मुकदमेबाजी–पूर्व और मुकदमेबाजी के बाद दोनों प्रकार के मामलों) के निपटारे के लिए हर तिमाही में राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं।

3) जन सुविधा सेवाओं से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए रूप से मुकदमेबाजी से पहले का तंत्र प्रदान करने के लिए अधिकांश जिलों में स्थायी लोक अदालतें, स्थायी प्रतिष्ठान हैं।

2015–16, 2016–17, 2017–18 और 2018–19 के दौरान आयोजित की गई लोक अदालतों और उनमें निपटाए गए मामलों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

(लाख में)

क्रम संख्या	वर्ष	लोक अदालत		राष्ट्रीय लोक अदालत
		देश में आयोजित की गई लोक अदालतों की संख्या	वाद से पहले के और वाद के बाद के मामलों की संख्या	देखे गए कुल मामलों की संख्या
12015–16	1.68	152.99	196.78	
22016–17	1.19	17.24	96.92	
32017–18	1.09	19.28	57.31	
42018–19	1.16	10.46	58.95	
कुल	5.12	199.97	409.96	

टिप्पणीः निपटाए गए मामलों में वाद से पहले के और वाद के बाद के मामले शामिल हैं। .

इसके अलावा, 2018–19 के दौरान स्थायी लोक अदालतों की 26615 बैठकें हुई थी और 102625 मामलों को निपटाया गया था और निपटाए गए मामलों का कुल मूल्य 387.05 करोड़ बैठता है।

III विधिक जागरूकता कार्यक्रम

निवारक और यौक्तिक विधिक सहायता के एक भाग के रूप में, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से, विधिक साक्षरता कार्यक्रमों का संचालन करती है। कुछ राज्यों में, स्कूलों और कॉलेजों में हर वर्ष विधिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और स्कूलों और कॉलेजों में विधिक साक्षरता क्लबों के अलावा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी नियमित रूप से इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

IV राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की 16वीं अखिल भारतीय बैठक

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की 16वीं अखिल भारतीय बैठक 17 और 18 मार्च, 2018 के गुवाहाटी, असम में आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन माननीय श्री न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश व नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा श्री सर्बानंद सोनोवाल, असम के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय न्यायमूर्ति अजीत सिंह, मुख्य न्यायाधीश, गोहाटी उच्च न्यायालय और असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक और माननीय न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायाधीश गोहाटी उच्च न्यायालय और असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया।

माननीय श्री न्यायमूर्ति रंजन गोगोई द्वारा उद्घाटन भाषण दिया गया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा की गई नई पहलों उल्लेख किया, जिनके परिणामस्वरूप, कानूनी सहायता की चुनौती, जागरूकता से सशक्तिकरण तक आगे बढ़ी हैं और उन्होंने हाशिए पर पड़े वर्गों के लोगों के लिए कुशल और प्रभावी विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए नवीनतम तकनीक को अपनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

V विधिक सेवा प्राधिकरणों का डिजिटलीकरण

डिजिटल इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने और प्रभावशाली विधिक सेवाओं को प्रदान करने के लिए,

देश भर की जेलों में लगभग 659 विधिक सेवा क्लीनिकों का डिजिटलीकरण किया गया। डिजिटलीकरण से सुनवाई की अगली तारीख, जमानत के आवेदनों की स्थिति, विचारण, अपील, कैदियों की याचिकाओं के बारे में शीघ्रता से जानकारी प्रदान होगी।

VI नई दिल्ली में सीएचआरआई की सिफारिशों के आधार पर विधिक सेवाओं के अधिकारियों के साथ गोलमेज परामर्श – 26 और 27 जुलाई, 2018 तक

विधिक सेवाओं की गतिविधियों के तेजी से विस्तार के बीच, संगठनात्मक प्रथाओं, गुणात्मक पहलुओं और निरंतर मूल्यांकन और कानूनी सेवाओं की गतिविधियों की निगरानी पर ध्यान केंद्रित करके मौजूदा कानूनी सेवा गतिविधियों, विशेष रूप से अदालत आधारित कानूनी सहायता को मजबूत करने की आवश्यकता थी। इस दृष्टि के साथ, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्याय तक पहुँच पर अपने कार्यक्रमीय कार्यकलापों के ढांचे में 26 से 27 जुलाई, 2018 तक सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के सदस्य सचिवों के साथ एक गोलमेज परामर्श आयोजित किया गया था।

7. इंटर्नशिप कार्यक्रम

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), देश भर के विधि स्कूलों के लॉ छात्रों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम भी आयोजित करता है। विधि के छात्रों को जेलों, संप्रेक्षण गृहों, मानसिक अस्पतालों, जिला अदालतों, मध्यस्थता केंद्रों आदि का दौरा करके प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिला।

8. प्रशिक्षण कार्यक्रम

पैनल वकीलों की क्षमता निर्माण के लिए, नालसा ने तीन प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए हैं। प्रशिक्षण मॉड्यूल भाग 3, वर्ष 2018 में जारी किया गया था। विधिक सेवा संस्थानों ने इस वर्ष के दौरान पैनल वकीलों के लिए 1,086 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इसी तरह, पीएलवी के प्रशिक्षण के लिए 1,432 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

9. नई दिल्ली में 15.12.2018 को आयोजित सर्वश्रेष्ठ अर्ध विधिक स्वयं सेवकों, पैनल वकीलों, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों और राज्य विधिक सेवा प्राधिकारणों का अभिनंदन समारोह

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने 15 दिसंबर, 2018 को विज्ञान भवन, दिल्ली में 'प्रशंसा समारोह' का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पैनल वकील और अर्ध विधिक स्वयं सेवकों (पीएलवी) को सम्मानित करना था। श्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की अध्यक्षता की। राष्ट्रीय स्तर के साथ–साथ जोनल स्तर पर विभिन्न राज्यों के सर्वश्रेष्ठ अर्ध विधिक स्वयं सेवकों (पीएलवी), पैनल वकीलों, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

अनुबंध–I

(देखें अध्याय–I पैरा –2)

विधि कार्य विभाग का संगठनात्मक चार्ट

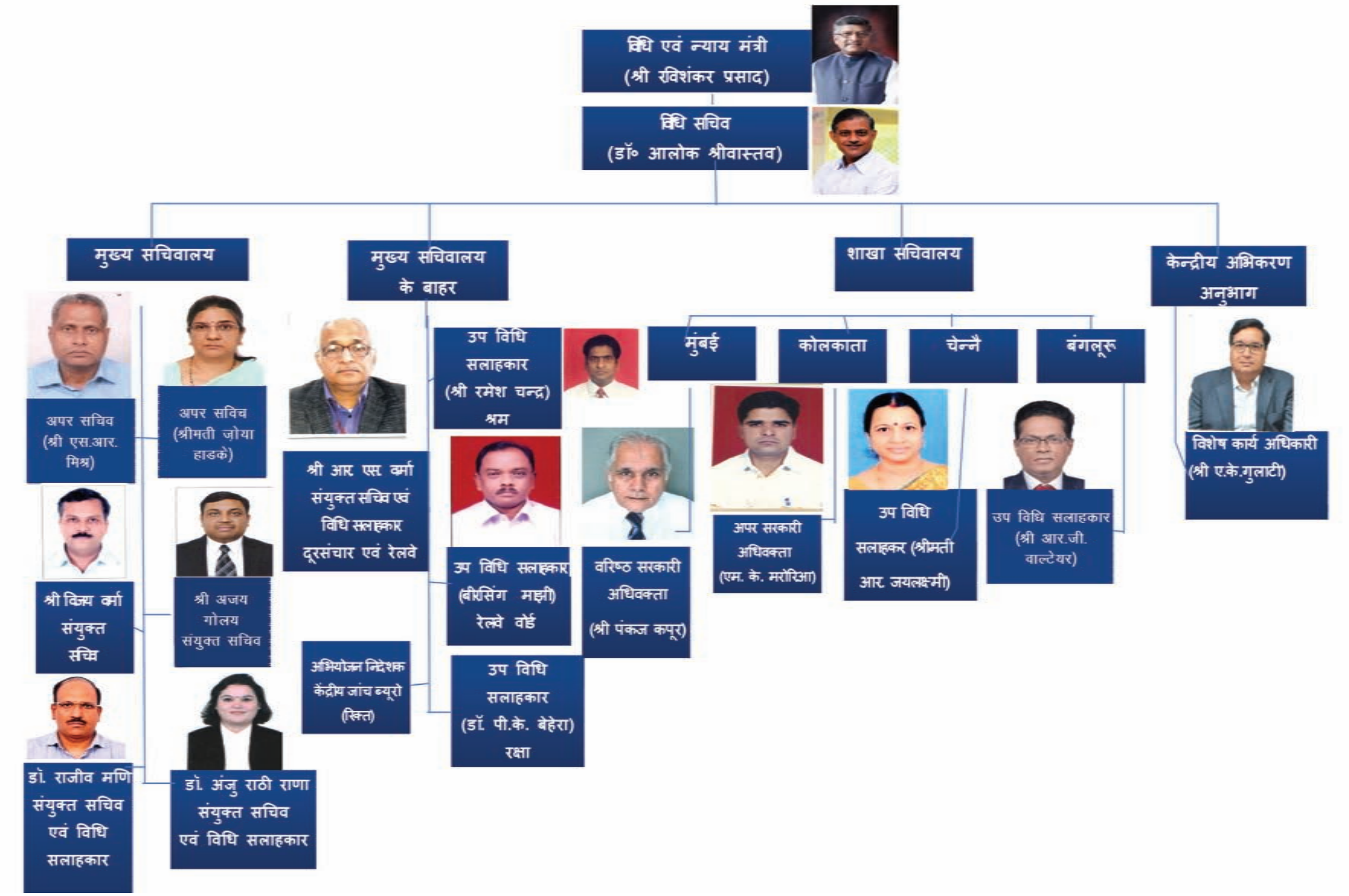

अनुबंध –II

(देखें अध्याय–I पैरा –10(8))

हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार प्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों का ब्यौरा

	1	2	3
	कुल अधिकारी एवं कार्यरत कर्मचारी	हिन्दी जानने वाले तथा हिन्दी में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	जिन्हें हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाना है।
विधि कार्य विभाग	472	388	84
	4	5	6
विधि कार्य विभाग	कुल टंकक (कोर्ट क्लर्क/अवर श्रेणी लिपिक)	हिंदी टंकण में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	जिन्हें हिन्दीं टंकण में प्रशिक्षण दिया जाना है।
	76	9	67
	7	8	9
विधि कार्य विभाग	आशुलिपिकों की कुल संख्या	हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	जिन्हें हिन्दीं आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया जाना है।
	86	22	64

अनुबंध–III

(देखें अध्याय–I पैरा –10(8))

दिनांक 1 जनवरी, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के दौरान हिंदी शिक्षण योजना सहित हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का ब्यौरा

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए गए दस्तावेजों की संख्या	हिंदी में जारी किए गए दस्तावेजों की संख्या	अंग्रेजी में जारी किए गए दस्तावेजों की संख्या	हिंदी में प्राप्त पत्र	पत्र जिनके उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	पत्र जिनके उत्तर हिंदी में दिए गए	भेजे गए मूल पत्रों की कुल संख्या	हिंदी में भेजे गए पत्र	अंग्रेजी में भेजे गए पत्र
विधि कार्य विभाग	3625	0	0	6123	किसी भी पत्र का उत्तर अंग्रेजी में नहीं दिया गया।	5054	26426	16770	9656

	10	11	12	13		14		15		16	
	कम्प्यूटरों की कुल संख्या	देवनागरी/ द्विभाषी कम्प्यूटरों की संख्या	अंग्रेजी कम्प्यूटरों की संख्या	कर्मचारिवृन्द की कुल संख्या		हिन्दी में प्रवीण कर्मचारिवृन्द की संख्या		रबड़ की मुहरें		नाम – पट्टिकाएं	
				राजपत्रित	अराजपत्रित	राजपत्रित	अराजपत्रित	द्विभाषिक	अंग्रेजी में	द्विभाषिक	अंग्रेजी में
विधि कार्य विभाग	247	247	0	168	304	72	81	450	—	70	—

अनुबंध–IV

(देखें अध्याय–I पैरा –18)

21वें विधि आयोग द्वारा भारत सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट

क्र.सं.	रिपोर्ट सं. और रिपोर्ट का शीर्षक	केन्द्र सरकार/उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त संदर्भों का विवरण	प्रस्तुत करने की तारीख
1.	**रिपोर्ट सं. 263:** बालकों का संरक्षण (अंतरदेशीय अपसारण और प्रतिधारण) विधेयक, 2016	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में सीआर सं. 6449/2006 सीमा कपूर और अन्य बनाम दीपक कपूर और अन्य (आदेश दिनांक 24.02.2016)	17.10.2016
2.	**रिपोर्ट सं.264:** दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2017 (खाद्य अपमिश्रण संबंधी उपबंध)	उच्चतम न्यायालय, सिविल मूल अधिकारिता, रिट याचिका सं. 2012 का 159 स्वालमी अच्यूतानंदतीर्थ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य	17.01.2017
3.	**रिपोर्ट सं. 265:** 'अवयस्क' के भरण–पोषण धन से उद्भूत आय को छूट देने की प्रत्याशाएं	दिनांक 27.10.2016 के मा.पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का एफएओ–एम–2012 का 183 पायल मेहता बनाम संजय सरीन मामले में आदेश	20.03.2017
4.	**रिपोर्ट सं. 266** अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (विधिक वृत्ति का विनिमयन)	उच्चतम न्यायालय, दांडिक अपील सं.63/2006 महीपाल सिंह राणा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य	23.03.2017
5.	**रिपोर्ट सं. 267:** घृणापूर्ण भाषण	रिट याचिका (सी) 157/2013 प्रवासी भलाई संगठन भारत संघ और अन्य) मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय	23.03.2017
6.	**रिपोर्ट सं.268 :** दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का संशोधन जमानत संबंधी उपबंध	विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, नई दिल्ली	23.05.2017
7.	**रिपोर्ट सं. 269:** अंडे देने वाली मुर्गियों (लेयरों) और ब्रोयलर चिकन का परिवहन और उनकी आवस–व्यवस्था	विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, नई दिल्ली (दिनांक 02.03.2017 का पत्र)	03.07.2017
8.	**रिपोर्ट सं. 270:** विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण	विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, नई दिल्ली (दिनांक 16.02.2017 का पत्र)	04.07.2017

9.	**रिपोर्ट सं.271:** मानव डी.एन.ए. प्रोफाइल डी.एन.ए. आधारित तकनीक के उपयोग और विनियमन का प्रारूप विधेयक	विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय, बायोटेकनॉलाजी विभाग, नई दिल्ली (प्रधान मंत्री कार्यालय के संदर्भ से)	26.07.2017
10.	राष्ट्रीय वाद नीति, 2016 की जांच	(i) विधि कार्य विभाग (ii) प्रधान मंत्री कार्यालय	05.06.2017
11.	**रिपोर्ट सं. 272:** भारत में अधिकरणों की कानूनी संरचना : एक मूल्यांकन	उच्चतम न्यायालय, सिविल अपील सं.3455/2010 गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमि. बनाम एस्सार पॉवर लिम.	27.10.2017
12.	**रिपोर्ट सं. 273:** यातना और अन्य क्रूरतापूर्ण, अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहार या दंड के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का विधान के माध्यम से कार्यान्वयन	विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, नई दिल्ली	30.10.2017
13.	**रिपोर्ट सं. 274:** न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की समीक्षा (अधिनियम की धारा 2 तक सीमित)	विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, नई दिल्ली	17.4.2018
14.	**रिपोर्ट सं. 275:** विधिक अवसंरचनाः सूचना का अधिकार नियम, 2005 के संबंध में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड	क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बनाम बिहार क्रिकेट एसोसिएश्न और अन्य (2015) 3 एससीसी 251 में उच्चतम न्यायालय का निर्णय	18.04.2018
15.	**रिपोर्ट सं. 276:** कानूनी संरचना : द्यूत और खेलों में दांव, जिसके अंतर्गत भारत में क्रिकेट में दांव भी है	बीसीसीआई बनाम बिहार क्रिकेट एसोसिएश्नत और अन्य (2016) 8 एससीसी 535 मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय	05.07.2018
16.	**रिपोर्ट सं. 277:** अनुचित अभियोजन (न्याय की हत्या): विधिक उपचार	दिल्ली उच्च न्यायालय (बबलू चौहान / डबलू बनाम दिल्लीा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्य सरकार, 247 (2018) डीएलटी 31)	30.08.2018

अनुबंध – V

(देखें अध्याय–I पैरा –23)

आयकर अपीलीय अधिकरण में दिनांक 31.03.2019 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग व्यक्तियों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या

समूह क	कर्मचारियों की संख्या	सा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.व.पि.	भू.सै.	शा.वि.
अध्यक्ष	1	1	–	–	–	–	–
उपाध्यक्ष	8	6	–	–	2	–	–
लेखा सदस्य	41	20	5	2	13	–	1 (ओ.एच.)
न्यायिक सदस्य)	39	23	7	1	8	–	–
रजिस्ट्रार	1	1	–	–	–	–	–
उप रजिस्ट्रार	3	2	–	–	1	–	–
सहायक रजिस्ट्रार	12	5	3	1	3	–	–
हिंदी अधिकारी	–	–	–	–	–	–	–
कुल	**105**	**58**	**15**	**4**	**27**	**0**	**1**

समूह ख	कर्मचारियों की संख्या	सा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.व.पि.	भू.सै.				शा.वि.			
						अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.व.पि.	सा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.व.पि.	सा.
वरिष्ठ निजी सचिव	89	51	13	1	24	–	–	–	–	–	–	–	–
निजी सचिव	23	8	5	1	9	–	–	–	–	–	–	–	–
अधीक्षक	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कार्यालय अधीक्षक	65	45	9	2	8	–	–	–	–	–	1	–	–
हिन्दी अनुवादक	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
वरिष्ठ लेखाकार	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पुस्तकालयाध्यक्ष	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	181	108	27	4	41	0	0	0	0	0	1	0	0

समूह ग	कर्मचारियों की संख्या	सा.	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.व. पि.	भू.सै.				शा.वि.			
						अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.व. पि.	सा.	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.व. पि.	सा.
उच्च श्रेणी लिपिक	75	33	9	5	24	—	—	2	—	—	—	—	2
स्टेनो ग्रेड 'घ'	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
अवर श्रेणी लिपिक	115	57	25	8	22	—	—	1	—	—	—	2	—
स्टाफ कार चालक	30	3	9	1	4	1	1	7	4	—	—	—	—
कुल	**221**	**94**	**43**	**14**	**50**	**1**	**1**	**10**	**4**	**0**	**0**	**2**	**2**

	कर्मचारियों की संख्या	सा.	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.व. पि.	भू.सै.				शा.वि.			
						अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.व. पि.	सा.	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.व. पि.	सा.
मल्टीटास्किंग स्टाफ	198	90	44	16	48	0	1	8	11	1	0	3	3
कुल	**198**	**90**	**44**	**16**	**48**	**0**	**1**	**8**	**11**	**1**	**0**	**3**	**3**

अनुबंध –VI

(देखें अध्याय–I पैरा –25)

विधि कार्य विभाग में दिनांक 31 मार्च, 2019 तक सरकारी सेवकों की कुल संख्या और उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों, भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	कुल कर्मचारियों का %	अनुसूचित जनजाति	कुल कर्मचारियों का %	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल कर्मचारियों का %	भूतपूर्व सैनिक	कुल कर्मचारियों का %	शारीरिक रूप से विकलांग	कुल कर्मचारियों का %
समूह 'क'	122	26	21.31	6	4.91	15	12.29	–	–	3	2.45
समूह 'ख'	192	32	16.66	7	3.64	21	10.93	3	1.56	6	3.12
समूह 'ग' (सफाई कर्मचारियों का छोड़कर)	284	75	26.4	15	5.28	34	11.97	–	–	3	1.05
समूह 'ग' (सफाई कर्मचारी)	7	7	100	–	–	–	–	–	–	–	–
योग	605	140	23.14	28	4.62	70	11.57	3	0.49	12	1.98

- उपर्युक्त विवरण में विधायी विभाग, विधि आयोग और केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के उन वर्तमान पदों की सूचना भी शामिल है, जिनका संवर्ग नियंत्रण इस विभाग द्वारा किया जा रहा है।
- उपर्युक्त विवरण में आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी) के पदों के बारे में सूचना शामिल नहीं है।

वर्ष 2018–19 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों में से भरे गए आरक्षित रिक्त पदों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

विधि कार्य विभाग

अनुसूचित जाति

पदों का समूह	रिक्त पदों की कुल संख्या	रिक्त पदों की कुल संख्या	आरक्षित रिक्ति पदों की कुल संख्या	आरक्षित रिक्ति पदों की कुल संख्या	नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों की संख्या	कमी	अग्रनीत किए जाने के तीसरे वर्ष में अनु–सूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्ति पदों पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की संख्या	अगले वर्ष में अग्रनीत किए गए अनुसूचित जाति के रिक्त पदों की संख्या	तीन वर्ष तक अग्रनीत किए जाने के बाद व्यगत हुए आरक्षणों की संख्या	वर्ष 1980 से समीक्षाधीन वर्ष के पूर्व वर्ष तक व्यगत हुए आरक्षणों की संख्या	व्यगत आरक्षण का अनुक्रमिक योग (स्तंभ 10+11)
	अधिसूचित	भरे गए	स्तंभ 2 में से	स्तंभ 3 में से							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
निम्नतम पंक्ति से भिन्न समूह 'क' तथा समूह ''क'' की निम्नतम पंक्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह 'ख'	–	5	–	–	2	–	–	–	–	–	–
समूह 'ग' (सफाई कर्मचारियों का छोड़कर)	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह 'ग' (सफाई कर्मचारी)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

अनुसूचित जनजाति

पदों का समूह	आरक्षित रिक्त पदों की कुल संख्या स्तंभ 2 में से	आरक्षित रिक्त पदों की कुल संख्या स्तंभ 3 में से	नियुक्त किए गए अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की संख्या	कमी	अग्रनीत किए जाने के तीसरे वर्ष में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की संख्या	अगले वर्ष में अग्रनीत किए गए अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों की संख्या	तीन वर्ष तक अग्रनीत किए जाने के बाद व्यगत हुए आरक्षणों की संख्या	वर्ष 1980 से समीक्षाधीन वर्ष के पूर्व वर्ष तक व्यगत हुए आरक्षणों की संख्या	व्यगत आरक्षण का अनुक्रमिक योग (स्तंभ 19+20)
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
निम्नतम पंक्ति से भिन्न समूह 'क' तथा समूह 'क' की निम्नतम पंक्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह 'ख'	–	–	1	–	–	–	–	–	–
समूह 'ग' (सफाई कर्मचारियों का छोड़कर)	–	–	1	–	–	–	–	–	–
समूह 'ग' (सफाई कर्मचारी)	–	–	–	–	–	–	–	––	–

- सीएसएस और सीएसएसएस के संवर्गों के विभिन्न पदों की रिक्तियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा परिकलित की जाती हैं। इस विभाग द्वारा सीएससीएस संवर्ग के केवल समूह 'ग' के पदों की रिक्तियों का परिकलन किया जाता है, जिन्हें अभी अधिसूचित किया जाना बाकी है।

भाग II – प्रोन्नति द्वारा भरे गए पद (वरिष्ठता–सह–उपयुक्तता के आधार पर)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
समूह 'क' (i) निम्नतम पंक्ति से भिन्न समूह 'क' (ii) समूह 'क' की निम्नतम पंक्ति	–	37	–	–	8	–	–	–	–	–	–
समूह 'ख'	–	34	–	–	2	–	–	–	–	–	–
समूह 'ग' (सफाई कर्मचारियों का छोड़कर)	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह 'ग' (सफाई कर्मचारी)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
'क'	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
'ख'	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
'ग' (सफाई कर्मचारियों का छोड़कर)	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
'ग' (सफाई कर्मचारी)	–	–	–	–	–	–	–	–	–		

भाग III–प्रोन्नति द्वारा (चयन द्वारा) भरे गए पद

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
समूह 'क' (i) निम्नतम पंक्ति से भिन्न समूह 'क' (ii) समूह 'क' की निम्नतम पंक्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह 'ख'	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह 'ग' (सफाई कर्मचारियों का छोड़कर)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह 'ग' (सफाई कर्मचारी)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
'क'	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
'ख'	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
'ग' (सफाई कर्मचारियों का छोड़कर)	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
'ग' (सफाई कर्मचारी)	–	–	–	–	–	–	–	–	–		

अनुबंध – VII

(देखें अध्याय–I पैरा –25)

विधि कार्य विभाग में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

समूह	विधि कार्य विभाग (विधायी विभाग सहित)		आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	
	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या
समूह क	122	29	105	10
समूह ख	192	61	181	59
समूह 'ग' (सफाई कर्मचारियों का छोड़कर)	284	16	221	56
समूह 'ग' (सफाई कर्मचारी)	7	2	198	10
कुल	605	108	705	135

अनुबंध – VIII

(देखें अध्याय–I पैरा–26)

अनुबंध– IX

(देखें अध्याय–I पैरा –27)

अनुबंध– X

(देखें अध्याय–II पैरा–2)

विधायी विभाग (मुख्य) का संगठनात्मक चार्ट
(31.03.2019 के अनुसार)

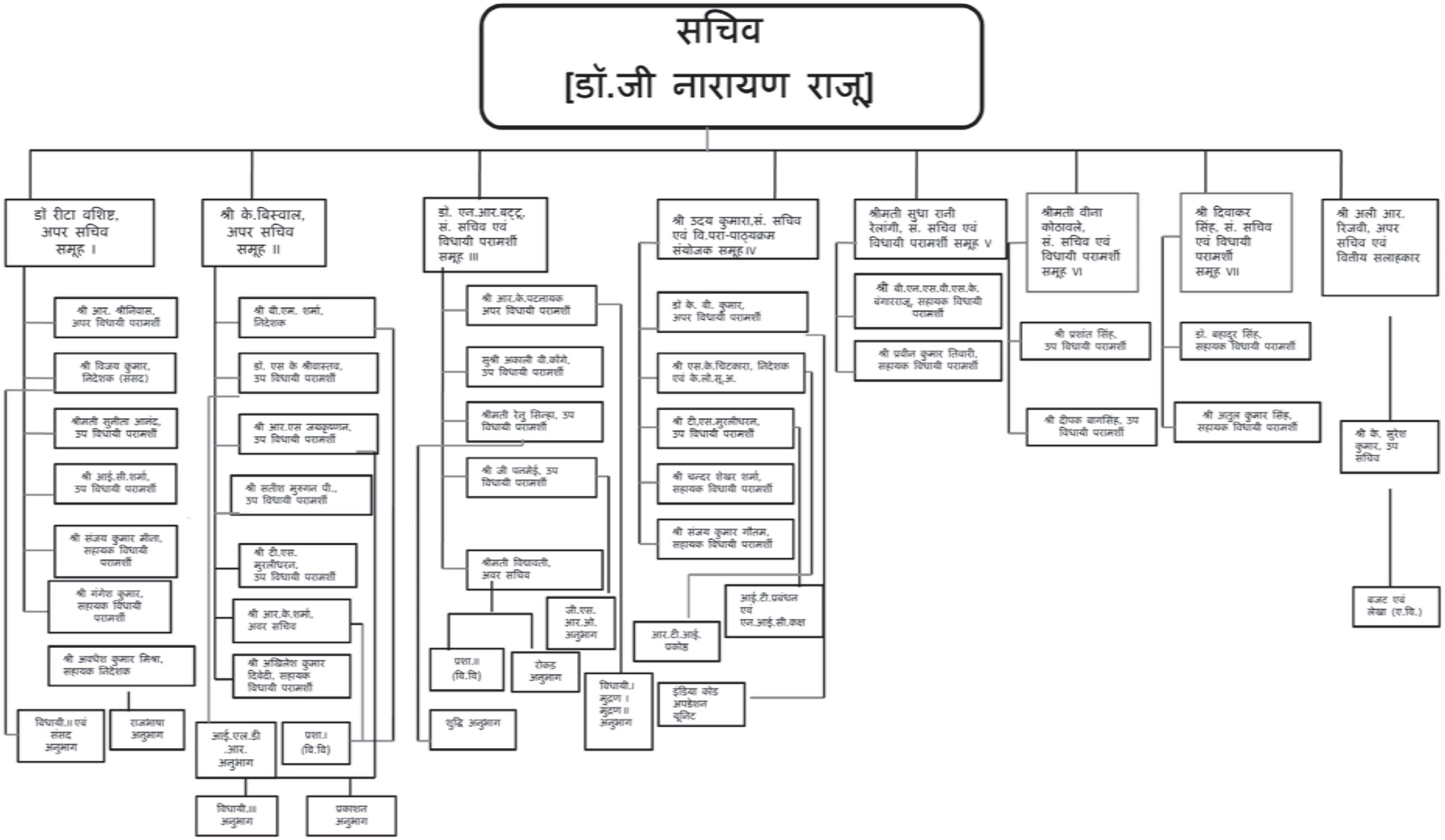

अनुबंध –XI

(अध्याय–।।, पैरा–47 देखें)

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार विधायी विभाग में सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनके बीच अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांगजनों की संख्या दर्शाने हेतु सारणी

समूह	कर्मचारियों की संख्या	अनु. जाति	%	अनु. जन जाति	%	अन्य पिछड़ा वर्ग	%	भूतपूर्व सैनिक	%	दिव्यांग जन	%
क	81	9	11.11	6	7.41	19	23.45	–	–	2	2.47
ख	102	20	19.61	2	1.96	17	16.69	–	–	3	2.94
ग	120	34	28.33	9	7.5	16	13.33	–	–	–	–
कुल	303	63	20.79	17	5.61	52	17.16	–	–	5	1.65

अनुबंध –XII

(अध्याय–II, पैरा–47 देखें)

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार विधायी विभाग में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्वः

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की कुल संख्या	प्रतिशत (%)
समूह क	81	18	22.22
समूह ख	102	36	35.29
समूह ग	120	16	13.33
कुल	303	70	23.10

अनुबंध–XIII

(देखें अध्याय–2, पैरा–48)

स्वच्छता ही सेवा

अनुबंध–XIV

(अध्याय–3, पैरा–1)

न्याय विभाग का संगठनात्मक चार्ट

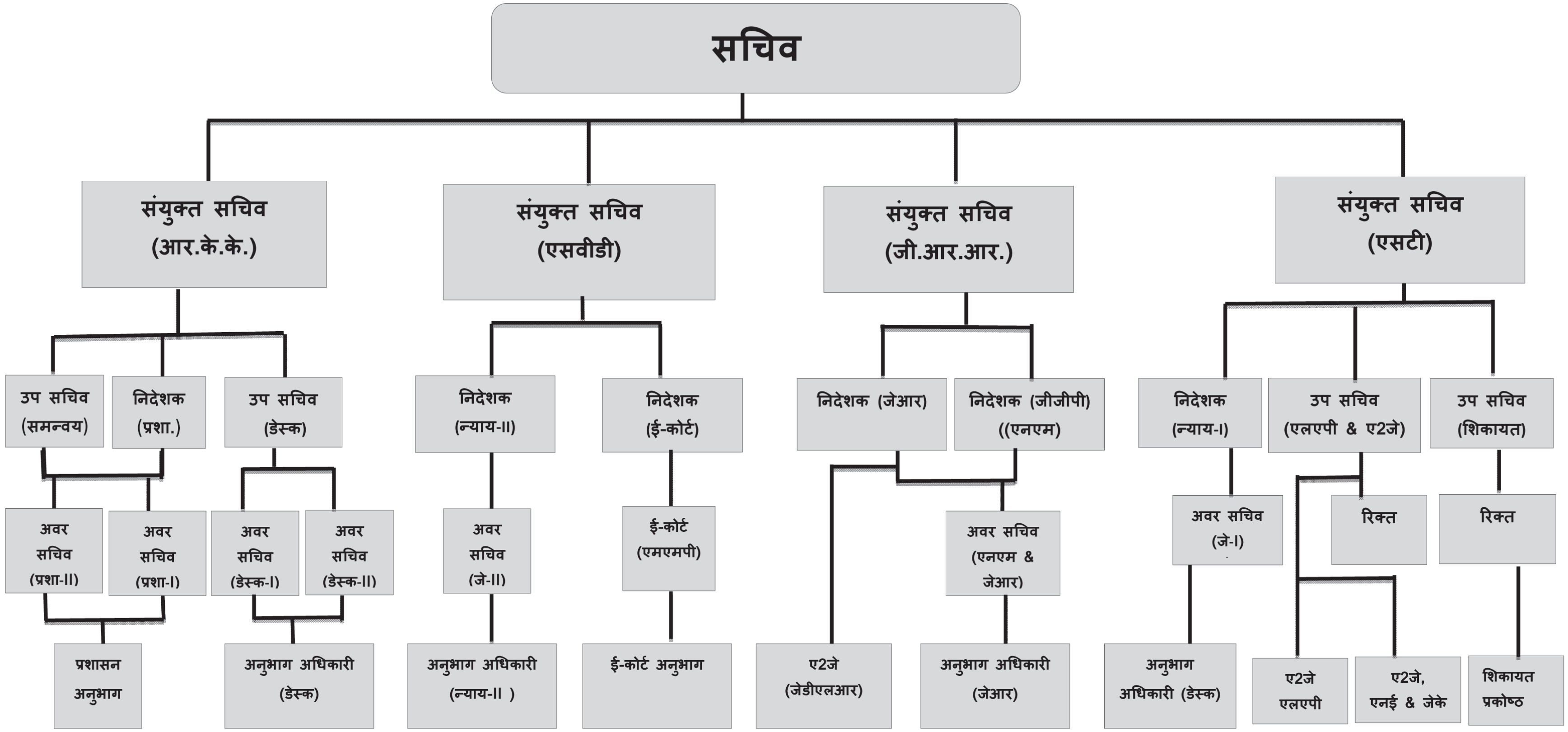

आर.के.के. : श्री राजिन्द्र कुमार कश्यप
एसवीडी : श्री सदानंद वसंत दाते

जी.आर.आर. : श्री जी.आर. राघवेन्द्र
एसटी : श्रीमती सुषमा तायशेटे

Contents

S.No.	Chapter No.	Subject	Page No.
1.		Introduction and composition of the Ministry of Law and Justice	(i-ii)
2.	Chapter-I	Department of Legal Affairs	1-46
3.	Chapter-II	Legislative Department	47-94
4.	Chapter-III	Department of Justice	95-117
5.	Annexure-I	Organisation Chart of Department of Legal Affairs	118
6.	Annexure-II, III & IV	Progressive use of Hindi in Department of Legal Affairs	119-122
7.	Annexure-V	Total number of Employees of I.T.A.T. including SCs, STs, OBCs, Ex-Servicemen, PH	123-124
8.	Annexure-VI	No. of SC/ST/OBC/Ex-Servicemen/Physically Handicapped in Department of Legal Affairs	125-128
9.	Annexure-VII	Representation of female employees in Department of Legal Affairs	129
10.	Annexure-VIII	Celebration of International Yoga Day	130
11.	Annexure-IX	Swachh Bharat Abhiyan	131
12.	Annexure-X	Organisation Chart of Legislative Department	132
13.	Annexure-XI	No. of SC/ST/OBC/Ex-Servicemen/Physically Handicapped in Legislative Department	133
14.	Annexure-XII	Representation of female employees in Legislative Department	134
15.	Annexure-XIII	Swacchta hi Seva Abhiyaan	135-138
16.	Annexure-XIV	Organisation Chart of Department of Justice	139

INTRODUCTION

Ministry of Law and Justice in the oldest limb of the Government of India dating back to 1833 when the Charter Act, 1833 was enacted by the British Parliament. The said Act vested legislative power in a single authority for the first time, namely the Governor General of Council. By virtue of this authority and the authority vested under him under section 22 of the Indian Councils Act, 1861 the Governor General in Council enacted laws for the country from 1834 to 1920. After the commencement of the Government of India Act, 1919 the legislative power was exercised by the Indian Legislature constituted thereunder. The Government of India Act, 1919 was followed by the Government of India Act, 1935. With the passing of the Indian Independence Act, 1947, India became a Dominion and the Dominion Legislature made laws from 1947 to 1949 under the provisions of section 100 of the Government of India Act, 1935 as adapted by the India (Provisional Constitution) Order, 1947. Under the Constitution of India which came into force on the 26th January, 1950 the legislative power is vested in Parliament.

COMPOSITION OF THE MINISTRY

Ministry of Law and Justice comprises of the Legislative Department and the Department of Legal Affairs and Department of Justice. In so far as Department of Justice is concerned, a separate Chapter (Chapter III) has been brought out covering all details.

The Department of Legal Affairs is concerned with advising the various Ministries of the Central Government while the Legislative Department is concerned with drafting of principal legislation for the Central Government.

MISSION

To transform Government into an efficient and responsible litigant;

To bring reforms in the Indian Legal System to achieve expansion, inclusion and excellence in Legal Education, the Legal Profession and legal services, including the Indian Legal Service.

To develop a system towards creating legal professionals so that they can meet future challenges not only for India but also of the World both in litigation and non-litigation field and to focus on their social responsibility and strong professional ethics. Having realized the aspirations of the Twelfth Five-Year Plan, constraints such as enormous litigation (3.3 Cr.), consequent burden on the public exchequer or on resources including man power and need to confer wide discretionary powers on government authorities, our mission is aimed to have proper legal framework to channelize administrative power, conflict management, help in enforcing rule of law & achieving the objectives set by various wings of government.

OBJECTIVES

- To facilitate the functioning of Ministries and Departments for good governance by providing legal advice/opinion relating to matters referred to by them as well as examination of legislative proposals.
- To reform the Indian Legal Service to make it efficient, responsive and globally competitive.
- To develop a comprehensive e-governance solution for Central Agency Section IT enabled transformation of the Department of Legal Affairs.
- To reduce litigation and encourage settlement of disputes by Alternative Dispute Resolution (ADR) methods.
- To promote excellence in the Legal Profession and to develop a frame work to usher in a new era in the field of legal education.
- To bring in Legal reforms.
- To effectively administer the acts under the purview of this Department viz., the Advocates Act, 1961, the Notaries Act, 1952, the Legal Services Authorities Act, 1987 and the Advocates Welfare Fund Act, 2001

CHAPTER-I
DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS
(VIDHI KARYA VIBHAG)

1. FUNCTIONS AND ORGANISATIONAL SET UP

1.1 The Department has been allocated the following items as per the Government of India {Allocation of Business} Rules, 1961:-

1. Advice to Ministries on legal matters including interpretation of the Constitution and the laws, conveyancing and engagement of counsel to appear on behalf of the Union of India in the High Courts and subordinate courts where the Union of India is a party.

2. Attorney General of India, Solicitor General of India, and other Central Government law officers of the States whose services are shared by the Ministries of the Government of India.

3. Conduct of cases in the Supreme Court and the High Courts on behalf of the Central Government and on behalf of the Governments of States participating in the Central Agency Scheme.

4. Reciprocal arrangements with foreign countries for the service of summons in civil suits for the execution of decrees of Civil Courts, for the enforcement of maintenance orders, and for the administration of the estates of foreigners dying in India intestate.

5. Authorization of officers to execute contracts and assurances and of property on behalf of the President under Article 299(1) of the Constitution, and authorization of officers to sign and verify plaints or written statements in suits by or against the Central Government.

6. Indian Legal Service.

7. Treaties and agreements with foreign countries in matters of civil law.

8. Law Commission.

9. Legal Profession including the Advocates Act, 1961 (25 of 1961) and persons entitled to practice before High Courts.

10. Enlargement of the jurisdiction of Supreme Court and the conferring thereon of further powers; persons entitled to practice before the Supreme Court, references to the Supreme Court under Article 143 of the Constitution of India.

11. Administration of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952)

12. Income-tax Appellate Tribunal.

The Department has also been allocated administration of the following Acts:-

(a) The Advocates Act, 1961

(b) The Notaries Act, 1952

(c) The Advocates' Welfare Fund Act, 2001;

In addition, the Commercial Courts Act, 2015 and the New Delhi International Arbitration Centre Ordinance, 2019 is also being administered by the Department.

1.2 The Department is also administratively in-charge of the Income Tax Appellate Tribunal and the Law Commission of India. The Department is also administratively concerned with all the matters relating to the Indian Legal Service. It is further connected with the appointment of Law Officers namely the Attorney General of India, the Solicitor General of India and the Additional Solicitor Generals of India. With a view to promote studies and research in law and for improvement in legal profession, this Department sanctions grant-in-aid to certain institutions engaged in these fields like Indian Law Institute and Bar Council of India.

2. ORGANISATIONAL SET-UP

The Department of Legal Affairs has a two tier set up, namely, the Main Secretariat at New Delhi and the Branch Secretariats at Mumbai, Kolkata, Chennai and Bengaluru. The nature of duties discharged can be broadly classified into two areas- Advice work and Litigation work. The Organisational Chart of the Department of Legal Affairs is at **Annexure-I**.

(1) MAIN SECRETARIAT

(i) The set up at the Main Secretariat includes Law Secretary, Additional Secretaries, Joint Secretary and Legal Advisers and other Legal Advisers at various levels. The work relating to tendering of legal advice and conveyancing has been distributed amongst groups of officers. Each group is normally headed by an Additional Secretary or a Joint Secretary or a Joint Secretary and Legal Adviser, who, in turn, is assisted by a number of other Legal Advisers at different levels.

(ii) The litigation work in the Supreme Court on behalf of all the Ministries/Departments of the Government of India and some administrations of the Union Territories is handled by the Central Agency Section presently headed by an officer of the rank of Additional Secretary who is assisted by a Senior Government Advocate, two Additional Government Advocate, two Deputy Government Advocate, three Assistant Government Advocate, one Under Secretary, one Section Officer and other staff.

(iii) The litigation work in the High Court of Delhi and CAT (Principal Bench) on behalf of all the Ministries/Departments of the Government of India is processed by the Litigation (High Court) Section presently headed by a Deputy Legal Adviser.

(iv) The litigation work in the Subordinate Courts in Delhi is handled by the Litigation (Lower Court) Section presently headed by an Assistant Legal Adviser.

(v) The Department has a special cell, namely, Implementation Cell for dealing with the implementation of the recommendations of the Law Commission and the administration of the Advocates Act, 1961 and the Advocates Welfare Fund Act, 2015. It also deals with the legal profession. This Cell has also been entrusted with the work of coordination under the Right to Information Act, 2005.

(vi) There is one post of Joint Secretary & Legal Adviser each in Railway Board and Department of Telecommunications respectively and the incumbents to the posts function from the said

offices. Presently, a Deputy Legal Adviser is functioning in Railway Board. One Assistant Legal Adviser functions from the Army Purchase Organisation under the Ministry of Defence. In addition, some posts of different levels such as Deputy Legal Adviser and Assistant Legal Adviser also exist in the Ministry of Defence, Ministry of Labour, Ministry of Urban Development, SFIO, NTRO and CBI.

(2) CREATION OF ILS

With the development of the society the legal profession underwent a metamorphosis and several attempts have been made for proper dispensation of justice and to cater the legal needs of the society. One such attempt made in 1956 to cater the needs of the Government qualitatively is creation of Central Legal Service (the forerunner of the present Indian Legal Service). The Government of India in the Ministry of Law and Justice established Indian Legal Service under the Indian Legal Service Rules, 1957, which came into force on the 1st October 1957. Since inception the officers of the Indian Legal Service have been rendering dedicated service to the nation by giving legal advice in important matters to various Ministries/ Departments of the Government of India and drafting bills and ordinances which are introduced in Parliament. This service has given Governors to States, Secretary General to both the Houses of Parliament, Chief Election Commissioner and Election Commissioners, Judges to High Courts and Judicial Members to various Tribunals like CAT, ITAT, DRT etc. and Information Commissioner.

(3) ROLE OF ILS

The officers of the Indian Legal Service (ILS) manning the Department of Legal Affairs and Legislative Department being the principal legal organ of the Government of India have risen to the challenges and performed at optimum levels. The digital revolution has changed the dynamics of information sharing and the economy has created new areas of wealth creation. This necessitates the ILS officers to update the legal skill and acumen to cater to emerging legal needs. They being the Principal Legal Advisers to the Government have responded effectively and speedily to the demands made upon them by the various organs of the Government and play a pivotal role in both advisory as well as in drafting work.

3. ADVICE 'A' SECTION

Advice 'A' Section has received 4234 references from various Ministries/ Departments of the Government of India for vetting of Documents and Legal opinions/Advices on various issues (including references for advice received from the office of Law Secretary, Addl. Secretaries and Joint Secretaries) which were duly attended and the opinion tendered by the officers of this Department were forwarded to the respective Ministries/ Departments, for needful action. In addition, the officers of this Department also participated in various National/ International Meetings and Conferences.

2. Apart from tendering legal advice, this section has dealt with references and other communications received by the Hon'ble Minister and Officers of this Department.

3. 75 matters relating to RTI Application pertaining to the Advice A & B Sections were also dealt with.

4. 208 references relating to conveyancing including a number of international agreements were also dealt with.

5. During the aforesaid period, 121 Cabinet Notes and 82 references relating to State Bills and Ordinances were received for examination.

6. During the aforesaid period a total of 20 Public Grievances were dealt with by the Section.

4. ADVICE 'B' SECTION

Advice 'B' Section has received a total of 5038 references during the period from 01.01.2018 to 31.03.2019 from various Ministries/ Departments of the Government of India for vetting of Documents and Legal opinions/advice on various Legal issues which were duly attended to by Advice B Section

2. During the aforesaid period total 214 Cabinet Notes/Legislative Proposals, around 2272 SLPs along with opinions tendered by Law Officers and around 5 opinions tendered by Ld. AG, 41 opinions tendered by Ld. SG and 208 opinions tendered by Ld. ASGs were received for examination from Legal and Constitutional angle

3. In addition to this, the officers of this Department have participated in 249 National/International Meetings and Conferences.

4. This section has also dealt with references and official communications received by the Hon'ble Minister(s) office and officers of this department.

5. Further, 8 matters relating to Parliament Question and assurances pertaining to the Advice A & B Section were also dealt by Advice B Section. As of date, no Parliament Assurance is pending in this section.

5. JUDICIAL SECTION

1) Conduct of Central Govt. litigation before various courts of law through Law Officers/ Panel Counsel:

a). During the period from 01.01.2018 to 31.03.2019, one Additional Solicitor General of India (ASGI) in Supreme Court of India has been elevated as the Solicitor General of India, four new ASGIs have been appointed for the Supreme Court of India. Two new ASGIs have been appointed one for the High Court of Delhi and other for the Allahabad High Court. Term of ASGI for the High Court of Calcutta, has been extended. Besides this, resignations of three earlier ASGIs (two for the Supreme Court of India and one for the High Court of Delhi) have been processed.

b). During the said period, six new Assistant Solicitors General of India (Asst. SGI) have been engaged one for each of the High Courts at Jammu, Bengaluru, Dharwad (Karnataka), Ernakulam (Kerala), Imphal (Manipur) and two for High Court at Indore (Madhya Pradesh). Besides this the terms of two Asst. SGIs for the High Courts of Tripura and Meghalaya have been extended and resignations of three earlier Asst. SGIs, one for the J&K High Court at Jammu, one for the High Court of Karnataka at Bengaluru and one for the High Court of Kerala at Ernakulam, have also been processed.

c). During the said period, 674 panel counsel for the Supreme Court of India have been empanelled afresh.

d). During the said period, 35 Sr. Arbitration Panel Counsel have been empanelled for conducting Arbitration cases before the Arbitrators in Delhi.

e). During the said period, good number of Advocates have been empanelled for conducting Central Govt. litigation before various Courts / Tribunals across the country. State-wise details, in this regard, are as under:

Sl. No.	State/UT	No. of counsel whose terms extended	Total Number of Advocates empanelled in various categories	No. of resignations processed
1.	Delhi	418	629	—
2.	Uttar Pradesh	453	179	03
3.	West Bengal	153	124	—
4.	Maharashtra	12	411	—
5.	Bihar	59	06	—
6.	Telangana	—	229	—
7.	Andhra Pradesh	—	79	—
8.	Punjab & Haryana	134	156	01
9.	Gujarat	32	—	03
10.	Himachal Pradesh	17	—	03
11.	Chhattisgarh	13	—	—
12.	Assam	—	50	—
13.	Nagaland	05	—	—
14.	Mizoram	01	—	—
15.	Arunachal Pradesh	03	—	—
16.	Jammu & Kashmir	40	63	01
17.	Jharkhand	—	160	—
18.	Karnataka	64	01	01
19.	Kerala	68	196	01
20.	Madhya Pradesh	43	34	—
21.	Tamilnadu	—	178	—
22.	Manipur	01	02	—
23.	Meghalaya	02	—	01
24.	Odisha	41	147	—
25.	Rajasthan	119	273	03
26.	Tripura	—	18	01
27.	Uttarakhand	—	44	—
	TOTAL	1678	2979	18

f). Proposals are received regarding separate panels of advocates for the specific representation of some particular Ministries / Departments / Boards for the approval of this Ministry. The detail regarding such proposals which have been approved during the said period, is as under:

Sl. No.	Name of Ministry / Department/Board	Region / Courts approved for
1.	Railways	Lucknow
2.	Central Board of Direct Taxes	Delhi, Bengaluru, Mumbai, Nagpur, Nashik, Amritsar, Bathinda
3.	Central Board of Excise & Customs	One panel for various High Courts and one panel for exclusively for Mumbai region
4.	Department of Personnel & Training	Shillong, Bengaluru, Goa
5.	Enforcement Directorate	One panel for various High Courts and one panel exclusively for Raipur (Chhattisgarh) region

g). Requests / proposals are received from a number of Ministries / Departments of the Government of India for the engagement of Law Officers (i.e. Attorney General for India, Solicitor General of India & Additional Solicitors General of India), of panel counsel and of private Advocates to represent them in various courts in the country on normal or special terms & conditions. During the said period, about 160 such proposals have been processed.

2). Clarification on various issues viz. terms of engagement of panel counsel, issues related to fee schedule etc.

Various issues are received from time to time regarding the terms & conditions of engagement of panel counsel, their fee schedule etc. During the said period, 120 such clarifications have been issued.

3). Appointment/nomination of Arbitrators and Arbitration panel counsel in domestic as well International commercial disputes, involving Government/PSE on the one hand and PSE/private party on the other:

Requests / proposals are received from various Ministries/Departments/PSE etc. regarding appointment of Arbitrators in their Arbitration cases arising out of dispute on various kinds of agreements with other parties. During the said period, total 19 Arbitrators have been appointed in such matters. Besides this, requests are also received regarding engagement of Arbitration Panel Counsel to represent various Ministries / Departments in Arbitration cases. During the said period, in response to such requests, Arbitration panel counsel have been engaged in about 185 Arbitration cases.

4). Entering into Treaties and Agreements with foreign countries in matters of civil law:

a). Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs, is the nodal Ministry for reciprocal arrangement with foreign countries. During the said period, Mutual Legal Assistance Treaty in Civil & Commercial matters with Oman and Morocco have been signed.

b). Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs undergoes various agreements on legal co-operation under civil law with other countries. During the said period, three Memorandum of Understanding (MoU) have been signed with Morocco, United Kingdom and Uzbekistan, as detailed below:

(i) Morocco : MoU on co-operation in the field of Law & Justice.

(ii) United Kingdom : MoU on co-operation in the sphere of Law & Justice and establishing a joint consultative Committee.

(iii) Uzbekistan : MoU on co-operation in the sphere of Law & Justice.

5). Examination and processing of requests arising out of bilateral treaties in respect of service of summons etc. (Mutual Legal Assistance Treaties/reciprocal arrangements) and multilateral treaties (the Hague convention of 1965/1971):

M/o Law & Justice, Department of Legal Affairs is the Central Authority under Hague Convention, 1965 for service abroad of judicial & extra judicial documents in civil and commercial matters. Under this obligation, around 4000 requests have been processed.

6). RTI related work:

During the said period about 14 physically received RTI Applications have been processed. This section also deals with the online RTI applications and 180 such online RTI applications have been processed during the said period.

7). Public Grievances:

During the said period, 10 physically received public grievances/ representation have been processed. This section also deals with online public grievance on the PG portal and 124 such grievances / representations have been disposed of during the said period.

6. NOTARY CELL

The administration of the Notaries Act, 1952 and the Rules, 1956 framed thereunder comes under the purview of the Notary cell. The Notary Cell deals with examination/scrutiny of the memorials/applications received from different States/Union Territories in the country and processing of these memorials for appointment of Notaries. This Cell conducts inquiries into the allegations of professional misconduct on the part of the Notaries. The Notary Cell also renews certificates of practice of notaries, issued by the Central Government every five years. For sufficient reasons, it also grants extension of the area of practice to the notary public, on receipt of an application for the purpose.

So far, approximately, 14,214 notaries have been appointed by the Central Government in various parts of the country. However, since May 2018, as a special drive, 12 Interview Boards were constituted for the selection of Notary Public in the States/UTs of North East (Assam, Meghalaya and Tripura), Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, Rajasthan, Tamilnadu & Puducherry, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Telangana, Delhi, Gujarat, Karnataka, Kerala, Lakshadweep, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Chandigarh, Maharashtra & Goa. Interviews in respect of aforementioned States/UTs

have already been completed and 8960 candidates have been recommended by the Interview Boards to be appointed as Notary Public during the year 2018-19. Till date 4043 appointment letters have also been issued. The process of issuing remaining appointment letters as well as Certificates of Practice is going on for these states. Besides, about 3200 Notary Certificates have been renewed during the period under consideration.

7. IMPLEMENTATION CELL

LAW COMMISSION REPORTS – Publication: The Implementation Cell is responsible for processing of reports of the Law Commission, laying them before the Parliament and forward reports to the concerned Ministries/Departments for their examination/implementation. In accordance with the terms of reference, the Commission submits its reports in Hindi and English with enough copies facilitating placing it on the Tables of both Houses of Parliament. The Commission also makes its reports available through website or otherwise as soon as reports are submitted to the Government. Therefore, the reports of the Law Commission are not published. The Law Commission of India has submitted total 277 Reports till 31.12.2018 out of which 276 Reports have been laid before both the Houses of the Parliament. The remaining reports will be laid in the Parliament in due course. All the reports received till 31.12.2018 had also been forwarded to the concerned Ministries/Departments for their examination/implementation or further action at their end. The Implementation Cell, in pursuance of the recommendations of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law & Justice, since 2005 has been continuously laying Annual statement showing the status of pending Law Commission Reports before both the Houses of the Parliament. The last of such Statement (13th Statement) was laid on the Table of both the Houses of Parliament (in Lok Sabha on 03.01.2018 and Rajya Sabha on 05.01.2018).

LEGAL EDUCATION: The Cell is responsible for further improvement in legal education besides Bar Council of India.

ADMINISTRATION OF STATUTES: The Cell is also concerned with the administration of the following Acts :-

THE ADVOCATES ACT, 1961: The Advocates Act, 1961 ("Act") which was enacted to amend and consolidate the law relating to legal practitioners and to provide for the constitution of Bar Councils at State level and an All India Bar. The Act vide its section 29 recognizes only advocates being one class of persons who are entitled to practise the profession of law in India. Section 30 of the Act, providing right of practice to advocates which was not in force, has been brought into force w.e.f. 15th June, 2011 (vide Notification No. S.O. 1349(E) dated 09.06.2011)

THE ADVOCATES WELFARE FUND ACT, 2001: Social security in the form of financial assistance to junior lawyers and welfare schemes for indigent or disabled advocates has always been a matter of concern for the legal fraternity. Certain States enacted their own legislation on the subject. The Parliament enacted "Advocates Welfare Fund Act, 2001" applicable to the Union Territories and the States which do not have their own enactments on the subject, for creation of "Advocates Welfare Fund" by the appropriate Government. This Act makes it compulsory for every advocate to affix stamps of the requisite value on every Vakalatnama filed in any court, tribunal or other authority. Sums collected by the way of sale of "Advocates' Welfare Funds Stamps" constitute an important source of the Advocates' Welfare Fund. Any practicing Advocate may become member of the Advocates' Welfare Fund on payment of an application

fee and annual subscription. The Fund shall vest in and be held and applied by the Trustee Committee established by the appropriate Government. The Fund shall, inter alia, be used for making ex-gratia grant to a member of the fund in case of a serious health problem, payment of a fixed amount on cessation of practice and in case of death of a member, to his nominee or legal heir, medical and educational facilities for the members and their dependants, purchase of books and for common facilities for advocates.

8. RTI CELL

Under the provisions of the Right to Information Act, 2005 the RTI Cell acts as a nodal agency for RTI matters. The RTI Cell receives and thereafter forwards the RTI application to the concerned Central Public Information Officers/Public Authorities. It also coordinates follow-up action on Appeals/orders received from the Central Information Commission. The RTI Applications/Appeals received online on RTI Web Portal are also being forwarded online to the concerned CPIO/Public Authority and Appellate Authority.

2. Department of Legal Affairs has presently 11 CPIOs at the level of Deputy Secretary/Under Secretary and 7 Appellate Authorities at level of Additional Secretaries, Joint Secretaries and equivalent Officers. The details of the RTI Applications/Appeals received from 01.01.2018 to 31.03.2019 are as follows:-

S.No.	RTI Matters	Total (01.01.2018 to 31.03.2019)
1.	RTI Requests	934
2.	Total RTI request received online	1785
3.	First Appeals Disposed	149
4.	Second Appeals before the Hon'ble Central Information Commission	36

9. LIBRARY & RESEARCH SECTION

The Library and Research Section is a specialized research oriented unit which looks after the requirements of Legal Books/Journals/Online IP base Software's and other research materials of the Ministry of Law and Justice. This section provides reference and legal research services to the Hon'ble MLJ, MSLJ, Law Officers and ILS Officers of Department of Legal Affairs and Legislative Department.

2. During this year, Library and Research Section acquired 428(approx.) numbers of books.

3. The Library and Research Section subscribes to 16 Indian law Journals, 2 Foreign Law Journals.

4. The Library and Research Section has acquired/subscribed to the following Online Services/CD ROM for retrieval of Case Laws, Judgments and Articles etc. for the use of Officers of this Ministry.

a) AIR Comprehensive Software/Database

b) SCC online case finder.

c) SCC Online (IP) Services.

d) Manupatra Online (IP) Services.

e) Westlaw India Online (IP) Services.

f) CLA Online (IP) Services.

10. PROGRESSIVE USE OF HINDI IN OFFICIAL WORK IN THE DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

The Department of Legal Affairs has taken following steps to implement various instructions issued by the Department of Official Language on the progressive use of Hindi for official purposes of the Union as contained in the Official Languages Act, 1963 and the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules 1976 :-

A. Notification under the Rule 10(4) of the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules 1976 :

This Department was notified under Rule 10(4) of the Official Languages Rules, 1976 on 21-3-1980. Orders were issued on 25-07-1989 directing all officers and employees proficient in Hindi to submit drafts etc. of all communications addressed to State Governments/Union Territories and to private individuals and also to Central Government offices located in Regions "A" and "B" and of communications in reply to letters etc., received in Hindi or signed in Hindi, including appeals, representations etc., from the employees only in Hindi. Instructions in this regard are reiterated every year for strict compliance.

B. Organisation of Hindi Day/Hindi Month

With a view to accelerating the use of the Official Language and to increase the awareness of the employees as regards the Official Language policy and the various incentive schemes for using Hindi in official work, Hindi Day was celebrated in the Department on 14-9-2018. Hon'ble Minister for Law & Justice, Hon'ble Minister of State for Law & Justice, Law Secretary and Rajbhasha Adhikari in their messages appealed to the officers and employees of the Department to adopt Hindi in their day-to-day official work. Hindi Day message received from Hon'ble Home Minister was also circulated in the Department and its sub-ordinate offices. In order to make the various programmes organised in this connection effective, 'Hindi Month' was organised in the Department from 1.9.2018 to 30.9.2018. This was done with the twin objectives of (a) giving wider publicity to the various schemes and (b) generating maximum output in terms of work done in Hindi. This year, during the 'Hindi Month', 6 competitions viz, 'Hindi Essay Competition', 'Hindi Typing Competition', 'Translation Competition', 'Hindi Noting and Drafting Competition', 'Hindi dictation Competition' for group 'c' employees and LDC & court clerks, and 'Official work in Hindi' Competition were organised in the Department. 89 officers/employees participated in these competitions. Out of which, 81 successful participants were awarded with cash prizes amounting to Rs. 86,500/-. 'Hindi Day' was also celebrated in the Branch secretariats and other offices under administrative control of the Department. Various competitions were organised on this occasion and successful participants were awarded with cash prizes.

C. Creation of check points for implementation of orders relating to the Official Language.

A review of the check points for implementation of orders relating to the Official Language was made and orders for creation of adequate number of check points (eight) in accordance with Rule 12 of the Official Languages Rules, 1976 were issued on 16-11-1994. The effectiveness of check points is being regularly monitored through the quarterly progress reports received from sections/offices.

(1) In Sections / Units where the staff are proficient in Hindi, the use of Hindi in their day to day work is being encouraged. Work relating to grant of various types of leave is being done in Hindi. Almost all cases relating to House Building Advances, GPF Advances and Withdrawals etc. are also being processed in Hindi and orders are also being issued in Hindi.

(2) All general orders, notifications, resolutions and administrative reports etc. are invariably issued in bilingual form. All letters received in Hindi are invariably replied to in Hindi only. Strict vigilance is maintained to ensure that there is no violation of the relevant rules in this regard. The position in this regard is being regularly monitored in the meetings of Departmental Official Language Implementation Committee to be held in every quarter.

(3) Hindi specimen of standard drafts of letters sent frequently by various sections and all forms used in the Department are being translated into Hindi so that employees can use them without any difficulty. Entries in service books are also being made in Hindi. All rubber stamps, name plates, sign boards etc., are invariably prepared in bilingual form.

(4) All the 247 computers in the Department are bilingual. Facility to work in Hindi is available on the computers provided to the officers and sections of the Department.

(5) Hindi/ Hindi Stenography/ Hindi Typing Training is being imparted to the employees of the Department and its sub-ordinate offices under the Hindi Teaching Scheme. Employees are awarded personal pay/ Advance increments/ Cash Awards etc. on passing the examination after successful completion of the training as per the instructions of the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language.

(6) In pursuance of the instructions of the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language and assurances given to the First Sub-Committee of the Committee of Parliament on Official Language, in order to review compliance of the statutory provisions relating to Official Language and discuss problems faced in this regard, an Inspection Team has been constituted in the Department of Legal Affairs under the chairmanship of Rajbhasha Adhikari for inspection of Sections, Branch Secretariats and Benches of ITAT and other offices under the administrative control of the Department.

(7) Presidential orders issued by the Department of Official Language on the recommendations contained in 9 parts of the Report of the Committee of Parliament on Official Language are being implemented in the Department and its sub-ordinate offices. The position in this regard is being regularly reviewed in the meeting of the Departmental Official Language Implementation Committee to be held in every quarter.

(8) The meetings of Official Language Implementation Committee of the Department are held regularly. Rajbhasha Adhikari of the Department is the chairman of this committee and Deputy Secretary (Admn.), all USs and all Section Incharges and Branch Officers are members of this committee whereas Deputy Director (O.L.)/Assistant Director (O.L.) is the member secretary. In these meetings, Compliance Status of Quarterly progressive report and implementation of orders related to Official Language are reviewed. Minutes of the meetings are circulated to all concerned for follow-up action. Last meeting of the committee was held on 27th March, 2019.

Details regarding the progressive use of Hindi including training aspect covering the period from 1st January, 2018 to 31st March, 2019 are given in **Annexure- II and Annexure-III**

11. LITIGATION (HIGH COURT)

The Litigation (HC) Section handles the Litigation work in Delhi High Court on behalf of all the Ministries/ Departments of Govt. of India except for Railways and Income Tax Departments. Officer-in-Charge assisted by Superintendent (L) and other staff look-after the Litigation work as follows: -

(a) The cases dealt with and contested in Delhi High Court are generally related to: -

Civil and Criminal Writ Petitions under Article 226 & 227 of the Constitution of India, Civil Misc. Applications, Division Bench Appeals, Company Applications, Execution Applications and Criminal Misc.

(b) And the cases dealt with and contested in Courts other than Delhi High Court are generally related to:-National Consumer Dispute Redressal Commission, Industrial Tribunal-cum-Labour Court, NCLT, NCLAT, Un-lawful activities (Prevention Tribunal), Debt Recovery Tribunal, Debt Recovery Appellant Tribunal, Immigration Appellate Committee, Appellate Tribunal for Electricity, Central Information Commission, District Consumer Form, NGT etc.

2. The Litigation work is dealt with by two Sections- Litigation (HC) Section 'A' and 'B' being supervised by Superintendent (L). Section 'A' deals with the advance notices pertaining to the Writ Petitions, Letters Patent Appeals (LPA), and Miscellaneous Petitions under Article 226 & 227 of the Constitution of India including matters of general natures. Section 'B' deals with the Original Revisions etc. and the Writ Petitions filed on behalf of the Union of India in the Hon'ble Delhi High Court. This Section also deals with in matters related to other Courts/Tribunals as mentioned in para 1(b) above.

3. To conduct Central Govt. litigation, there is one Additional Solicitor General of India (ASG), thirty numbers of Govt. Standing Counsel (CGSC), panels of 220 Senior Counsel and 158 Govt. Pleaders (GP). In matters of public importance and also involving complicated questions of Law, one of the Law Officers namely- Attorney General of India/ Solicitor General of India/ Additional Solicitor General of India is engaged. Close liaison is being maintained with the concerned Departments and Counsels to safeguard the Govt. interests in Delhi High Court. The Deputy Legal Adviser and other Officers keep a close watch over the progress of the cases at each stage.

4. During the period from 01.01.2018 to 31.03.2019 this Unit has paid the payment of around 3500 professional fee bills amounting to Rs. 1,35,72,415/-. Further this Unit was allocated budget of Rs. 7 Crore in the B.E. for F.Y 2018-19. During the period 01.04.2018 to 31.03.2019 this unit has fully utilized the allocations of Rs. 7 Crore and passed and paid approximately 7500 professional fee bills pertaining to the concerned Law Officers and Govt. Counsel.

5. During the period from 01.01.2018 to 31.03.2019 Litigation (HC) Section has engaged Law Officers and Govt. Counsel in 9411 cases to conduct the litigation in Delhi High Court. Section wise details of receipt of cases and engagement of Govt. Counsel are as follow: -

LITIGATION HIGH COURT SECTIONS

SECTION	Cases received from 01.01.2018 to 31.03.2019
A	8642
B	769
Total	9411

LITIGATION IN CAT (PRINCIPAL BRANCH)

6. The Litigation CAT (PB) Delhi Cell looks after the Cases/Litigation work related to the Ministries and Department of UOI and nominate the Counsel from the approved panel to defend the interest of Ministries/Departments of UOI in CAT (PB), Delhi.

7. During the period from 1.1.2018 to 31.03.2019, Litigation CAT (PB) Cell has engaged Govt. Counsel in 2482 cases to conduct the litigation in CAT (PB). Details of receipt of cases are as follow: -

LITIGATION IN CAT (PB) DELHI

SECTION	Cases received from 01/01/2018 to 31/03/2019	Total
CAT (PB) Cell	2482	2482

12. LITIGATION (LOWER COURT) SECTION, TIS HAZARI

The Litigation work in the various District Courts as well as Consumer Forums/Tribunals in Delhi / New Delhi on behalf of all Ministries / Departments of Government of India except Railways and Income-tax Department is handled by Litigation (Lower Court) Section. The Litigation work, in the above said Courts / Tribunals are look after by an Assistant Legal Adviser & In charge assisted by a Superintendent. (Legal/ Assistant(Legal)). The Post of Superindtendent (Legal) is lying vacant since September, 2016 to as on date.

2. There is a panel of Senior Panel Counsels and Additional Central Government Counsels are nominated for contesting the cases on behalf of Union of India, i.e. Government of India. On receipt of request from the Administrative Ministry / Department, action is taken to engage a suitable counsel to appear on their behalf in the Courts. During the period under report this Section engaged Counsels in 939 cases. Close liaison is maintained with various Department as well as Govt. Counsels at all times to safeguard the interest of the Government(Union of India) in the District Courts / Consumer Forums / Tribunals.

3. When cases, the Govt. Counsels has submitted their fee bill in a prescribed format. The fee bills are scrutinized very carefully, having regard to the terms and conditions of their appointment before certifying and making payment at the prescribed rates. The period under report this section received 803 fee bills from Government Counsel/Senior Panel Counsels. Finance Year 2018-19, this section has allocated budget of Rs. 1 Crore. Out of this amount Rs. 999380/- has been paid to the Government Counsel/Senior Panel Counsel.

4. In order to keep pace with the development of Information Technology in the Judiciary especially at the level of District Courts / Sub-ordinate Courts and also to ensure effective functioning of Lower

Court (Litigation) Section, a proposal for computerization of this Section was submitted to the Competent Authority along with the System-study Report conducted by the National Informatics Center (NIC) server of District and Session Court with the Litigation(LC) Section.

5. The Assistant Legal Adviser who is also the Branch Officer of this Section has been designated as Central Public Information Officer under the Right to Information Act, 2005.

13. CENTRAL AGENCY SECTION

Central Agency Section (CAS) was set-up in the year 1950. This office is responsible for conducting litigation before Hon'ble Supreme Court of India on behalf of all Ministries / Departments of the Central Government and also on behalf of National Capital Territory of Delhi, Union Territories, the office of the Comptroller & Auditor General of India and all field offices under CAG. Special Leave Petitions and Appeals in certain matters on behalf of Union of India are filed after obtaining opinion of Law Officers on the feasibility of filing Special Leave Petitions/Appeals in the Supreme Court through Central Agency Section. An officer of the level of Additional Secretary is functioning as In-charge of this Office and has been delegated the power of Head of Department. He is assisted by 7 Government Advocates and two Consultants (Advocates-on-Record). There are 671 Government Panel Counsels. The Central Agency Section functions from the Supreme Court Compound, New Delhi.

The functions of the Central Agency Section are as under:

- References of the Ministries/ Departments of Government of India received through the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice to obtain the opinion of Ld. Attorney General, Ld. Solicitor General and Ld. Additional Solicitor Generals.
- Engagement of Law Officers / approved Panel Counsels for various cases.
- Conduct and supervision of litigation on behalf of Union of India/ NCT of Delhi, C & AG and Union Territories in the Supreme Court of India.
- Supervision of Records, payment of fee bills of Law Officers, Panel Counsels, Computer Typists and Photocopy Machine Operators.

2. Government Advocates in the Central Agency Section require the qualification of Advocate-on-Record of the Supreme Court. They appear before the Supreme Court in matters pertaining to the Union of India, NCT of Delhi, C&AG and Union Territories as per the Supreme Court Rules.

3. As per computerized record of Central Agency Section during the period from 01.01.2018 to 31.03.2019, it has received 6704 new cases from various Ministries/Departments of Government of India, NCT of Delhi, CAG and Union Territories in which the Union of India or Union Territories are either petitioner or respondent.

14. BRANCH SECRETARIAT, KOLKATA

During the period 01.01.2018 to 31.03.2019, the Branch Secretariat, Kolkata is headed by one Additional Government Advocate/Incharge upto 18.06.2018 and by another Additional Government Advocate/In-charge from 19.06.2018 till date, who also function as overall In-charge. It has eight wings

viz. Advice, Administration, Cash & Accounts, Hindi, Counsel Fee Bill, Litigation, CAT/Lower Court and R & I Section. In addition, this Branch Secretariat has a Library containing more than 10260 books under the supervision of one Assistant Legal Adviser.

2. The Litigation Wing of the Branch Secretariat, Kolkata looks after the entire litigation matters pertaining to the High Court at Calcutta both in the Original and Appellate Side. The Branch Secretariat is looking after litigation for the Union of India in the High Courts including Circuit Benches at Port Blair and Tribunals, District Forums, State Commissions and Lower Courts covering 12 States and one Union Territory. The Branch Secretariat also looks after the service matters relating to Central Government employees before the Central Administrative Tribunal, Calcutta Bench as well as the other benches at Cuttack, Guwahati, Patna and Circuit Benches at Andaman & Nicobar Islands, CGIT, Arbitration, NGT, NCLT. Panel Counsel are also engaged to appear before the various Tribunals like NGT, CESTAT, ITAT, State Consumer Forums and DRAT, DRT, Consumer Forum, Lower Courts etc. and in Arbitration matters before the Ld. Arbitrators on receipt of specific requests from Ministries/Departments concerned.

3. The Advice Wing of this Branch Secretariat renders legal advice and Litigation Wing conducts litigation pertaining to all the Ministries including the Income Tax Department, Enforcement Directorate, Ministry of Defence, Ministry of Home, Ministry of External Affairs and all other Ministries/ Departments having their offices at West Bengal, Assam, Nagaland, Manipur, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Bihar, Jharkhand, Odisha, Tripura, Mizoram and Sikkim and Union Territory of Andaman and Nicobar Islands and any other Autonomous bodies situated outside the Eastern Zone or being their headquarter i.e, Ordnance Factory Board is in Kolkata on receipt of references from concerned Departments/Ministries.

4. During the period 01.01.2018 to 31.03.2019, the Advice Wing is headed by the Additional Government Advocate. Total 1529 number of references have been received from various Ministries/ Departments of Central Government by the Advice Wing up to March, 2019. Pleadings, Agreements/ contracts filed in various Courts as well as before Central Administrative Tribunals are also vetted by this Branch Secretariat.

5. In litigation wing, Government advocates who are regular employees act as Advocate-on-Records as well as Government Pleader within the meaning of Order-XXVII Rule 8B(a) of the Code of Civil Procedure, 1908 and get the matter heard/argued through a panel Counsel engaged for this purpose.

6. During the period 01.01.2018 to 31.03.2019, the Additional Government Advocate and three Junior Central Government Advocate act as Advocate-on-Records for and on behalf of the Union of India in the Calcutta High Court and also appear before the Court as Government Pleader. One Deputy Legal Adviser and two Assistant Legal Advisers (one upto January, 2019) are also posted to look after Advice and Litigation work.

7. The total number of High Court cases received by the Litigation Division of the Branch Secretariat, Kolkata during the period 01.01.2018 to 31.03.2019 was 3479 and the number of cases disposed of during the said period was 4491. Similarly, the number of cases received in the Branch Secretariat, Kolkata for engagement on service matters before CAT, Calcutta Bench during the period 01.01.2018 to 31.03.2019 is 772. The number of cases in Courts below and

National Company Law Tribunal including arbitration cases handled during the period 01.01.2018 to 31.03.2019 is 609.

8. Branch Secretariat, Kolkata has Appellate Authority (Additional Government Advocate), CPIO and ACPIO to deal with the RTI matters. During the period 01.01.2018 to 31.03.2019 total 27 RTI references are received and duly disposed of within stipulated time.

9. During the period 01.01.2018 to 31.03.2019 claims of the professional fee bills submitted by the panel counsel have been speedily processed and out of the sanctioned Budget Estimates of Rs.3,00,00,000/- (Rupees three crores only) for payment towards Professional Fees to the Counsel, an amount of Rs.2,99,94,381/- (Rupees two crore ninety nine lakh ninety four thousand three hundred eighty one only) have been utilised to make payments to them till March, 2019 for the cases relating to High Court at Calcutta.

10. The Hindi Section is under the supervision of the Deputy Legal Adviser with the assistance of Junior Hindi Translator for enhancing use of Hindi as official language in this Branch Secretariat. Each Friday has been earmarked to be observed as 'Hindi Day. During January, 2018 to March, 2019 quarterly meetings of Rajbhasha Coordination Committee has been organised regularly and Hindi workshops were also organised regularly. Two employees were deputed for training in Hindi under training of Central Teaching Scheme. Reference matter has been prepared and distributed among Sections for doing work of regular nature in Hindi. 'HINDI PAKHWADA' was also celebrated in this Branch Secretariat with great enthusiasm during September 2018. During Hindi Pakhwada eight competitions were organised and the winners were granted prizes alongwith certificates. Required reports are forwarded on regular basis in the prescribed proforma to Main Secretariat. The closing ceremony of 'Swachchta Pakhwada' was celebrated in Hindi. The telephone directory, various stamps, the statement regarding Earned Leave, Half Pay Leave and Commuted Leave of the Branch Secretariat, Kolkata have been made bi-lingual. In the 54th 'Kolkata Town Official Language Implementation Committee' Branch Secretariat, Kolkata has been awarded first prize for commendable work in implementation of Hindi.

11. Various accounts and budget related work in the Branch Secretariat, Kolkata are being done online using various software provided by NIC and also using the portal based payment system 'PFMS' developed by NIC. All payments to employees, Government Counsels and other service providers are being made online. Further, the quarterly returns of Income Tax deducted at source are being prepared in the Electronic Media and submitted to Income Tax Department through TIN Facilitation Centre in floppies/CDs. A format i.e. Form-24G has been introduced by the Income Tax Authority which is required to be filled up and submitted in electronic format by 10th of the following month in which TDS has been deducted by this Office. Periodicals reports are directly submitted to Pay & Accounts Office online. In addition information regarding license fee payment for Government quarters is also required to be sent online to the Directorate of Estates using Government Accounting Management System (GAMS). For procurement of Goods and stationery Government e-procurement website https://gem.gov.in is being used extensively. New pension cases are being processed through 'Bhavishya' online portal.

12. The Branch Secretariat, Kolkata have a Local Area Network connected with each Section/ Officer's room. Almost all the Computers in the Branch Secretariat, Kolkata now have internet connection. A leased line from 'National Informatics Centre' has been acquired for implementation of e-Office.

13. Under the supervision of Assistant Legal Adviser, the Library of this Branch Secretariat, Kolkata, containing more than 10260 books and journals, is proving its worthiness and is very helpful for use in Litigation and also adhering advice. The journals/books are also being utilised by the Counsels while conducting cases. Online legal journal 'Manupatra', and 'SCC Online' have also been subscribed by this Branch Secretariat.

14. One biometric attendance system, for employees in the Branch Secretariat, Kolkata, is in operation w.e.f. 12th April, 2011. In addition to this Aadhar based Biometric Attendance System has also been introduced successfully in this Branch Secretariat.

15. The software 'LIMBS', developed by NIC, is also functional in the Branch Secretariat, Kolkata. The matters pertaining to Ministry of Law are duly updated by Litigation section. The programme is proving very useful in monitoring the litigation bringing down costs as well. In this regard it is stated that to reduce the paper work and ease the functioning of litigation work and records, Branch Secretariat, Kolkata has entered list of cases from 2005 onwards, pertaining to High Court, in the Computers allotted to different Sections.

16. International Yoga Day was observed in the Branch Secretariat, Kolkata with much enthusiasm on 21st June, 2018.

17. The last audit of the Branch Secretariat, Kolkata was conducted by an Audit Party from the Office of the Director General of Audit: Central, Kolkata with effect from 13.04.2018 to 23.04.2018. Six audit objections were made during the course of periodical inspection of accounts by the Audit Party. Action has already been taken and status of the objections will be verified by the next audit.

18. Cleanliness Drive under 'Swachch Bharat Abhiyaan' is being continued in the Branch Secretariat, Kolkata as a regular process. A Committee headed by Assistant Legal Adviser has been constituted for supervision of cleanliness drive and weeding out of old records. 'Swachchta Pakhwada' has been observed during 1st to 15th April, 2018. This Branch Secretariat has got a cleaner and beautiful look due to constant endeavour of Officers and members of staff and is continuing process of its further betterment. Number of female employees working in the Branch Secretariat, Kolkata: 2.

Audit Observation on the accounts of the Branch Secretariat, Kolkata, Department of Legal Affair for the period from 1.4.2016 to 31.3.2018.

S. No.	Particulars	Status
1.	Observation on implementation of LIMBS	Action taken, will be verified by next audit
2.	Irregularity in tendering of Security Services	-do-
3.	Observation on outsourcing of services	-do-
4.	Observation maintenance of Assets	-do-
5.	Irregularities in payment towards Journey by owned/Arranged/Private Vehicle amounting to 0.33 lakh	-do-
6.	Short deduction of Licence Fee amounting to 0.06 lakhs	-do-

15. BRANCH SECRETARIAT, BENGALURU

The Branch Secretariat has jurisdiction over the States of Karnataka and Andhra Pradesh in handling litigation and advice of various Central Government Departments/Ministries. Deputy Legal Adviser heads the Branch Secretariat, Bengaluru.

ADVICE: The Branch Secretariat renders legal advice to all the Central Government Departments and offices located in the States of Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana. 741 references were received during the year 2018-19 for advice and all advice cases were disposed of. The advice work includes scrutiny and vetting of pleadings i.e., statement of objections, counter affidavits to be filed before the High Courts i.e., High court of Karnataka, Bengaluru, Circuit Benches of High Court of Karnataka at Dharwad and Gulbarga and High court of Andhra Pradesh, Amravati/High Court for the State of Telangana at Hyderabad respectively, reply statement filed before Central Administrative Tribunal, written statement, counter affidavits, counter statements, versions filed before District Courts, Subordinate Courts and various other Tribunals.

Examined the feasibility of filing SLP, Appeals, review etc. interpretation of laws guiding Departments on legal sustainability of their action and holding discussions with the administrative Departments, whenever necessary.

LITIGATION: The Branch Secretariat supervises the entire litigation of the Central Government Departments and offices in the High court of Karnataka, Bengaluru, Circuit Benches of High Court of Karnataka at Dharwad & Gulbarga and High Court of Andhra Pradesh Amravati/High Court for the State of Telangana at Hyderabad, Subordinate Courts located at Bengaluru and twin cities of Hyderabad and Secunderabad and CAT Benches in both the States. This Branch Secretariat also looks after the work of Government litigation in the District Consumer Dispute Redressal Fora, the State Consumer Redressal Commissions of the States, Central Govt. Industrial Tribunal and Debt Recovery Tribunal. 5212 litigation matters, which include nomination of counsel, counsel fee bills and general correspondence relating to litigation, were received during the year 2018-19. The function of the Branch Secretariat in this regard includes engagement/ nomination of the Counsel and distribution of cases among the Central Government Counsel.

COUNSEL'S FEE BILLS: This Branch Secretariat itself processes counsel fee bills and pays the fees directly from its centralized funds to the Assistant Solicitor General of India and Central Government Counsel in the High Court of Karnataka, Bengaluru. 497 fee bills were received during the year 2018-19. So far as the Circuit Benches of High Court of Karnataka at Dharwad and Gulbarga are concerned, the counsel fee bill is borne by the Department concerned on whose behalf the Counsel conducts the cases and not by the Branch Secretariat, Bengaluru. The Departments concerned pay the fee for Central Government panel Counsel in CAT, District and subordinate Courts. Hence this Branch Secretariat is not certifying counsel fee bills. However, this Ministry clarify as and when requests are received.

OFFICE OF ADDITIONAL SOLICITER GENERAL OF INDIA

Government of India has appointed Shri K.M. Nataraj, Senior Advocate and Shri Prabhuling K. Navadgi, Senior Advocate as Additional Solicitor General of India for the Southern Zone and in the High Court of Karnataka respectively for a period of three years with effect from 8th April, 2015 with Bengaluru as

Headquarters. Their term was further extended for a period of three years, However, Shri K.M. Nataraj has been appointed as Additional Solicitor General of India for Supreme Court of India on 14.01.2019.

Further, this Branch Secretariat, Bengaluru, has observed/celebrated various weeks/fortnight/days as stated under:

SWATCH BHARAT MISSION

Swachchta Pakhwara observed during the period from 01.04.2018 to 15.04.2018 in a befitting manner by adhering to the objectives behind the Swachh Bharat Mission of the Government.

INTERNATIONAL YOGA DAY

Observed 4th International Yoga Day in a befitting manner on 21.06.2018.

CELEBRATION OF VIGILANCE AWARENESS WEEK

Celebrated Vigilance Awareness Week in a befitting manner from 29th October, 2018 to 3rd November, 2018 the theme "Eradicate Corruption – Build a New India".

In addition to the above, DLA & In-Charge was invited as Chief Guest for a session during vigilance awareness week, 2018 organized by Post Master General, South Karnataka Region and he attended the session as Chief Guest and delivered a lecture on the theme 'Eradicate corruption – Build a New India'' on 02.11.2018.

NOTARY INTERVIEW

This Branch Secretariat facilitated the smooth conduct of interview for appointment of Notaries for the States of Karnataka, Kerala & UT of Lakshadweep in its office by the officers of the Main Secretariat from 08.10.2018 to 20.10.2018.

OFFICIAL TOURS

i) DLA & In-Charge attended a meeting convened by Union Law Secretary at Hyderabad on 22.09.2018 to review the pending cases of Freedom Fighters in Hon'ble High Court of Hyderabad.

ii) DLA & In-Charge visited Main Secretariat, New Delhi on 26-27.11.2018 and discussed various administrative issues relating to Branch Secretariat with Law Secretary and Dr. Rajiv Mani, JS & LA, Shri Ajay Gupta, OSD (IT) & JA (Admn) and Shri K.Ginkhan Thang, Deputy Secretary.

MEETING WITH JUDICIAL MEMBER/HOD, CAT BENGALURU BENCH

DLA & In-Charge had a meeting with Dr. K.B. Suresh, Judicial Member/HoD, CAT Bengaluru Bench on 11.12.2018 to discuss performance of CAT Panel Counsels.

16. BRANCH SECRETARIAT, CHENNAI

Deputy Legal Adviser heads the Branch Secretariat at Chennai.

ADVICE: The Branch Secretariat renders legal advice to all Central Government Offices located in the

States of Tamil Nadu, Kerala and the Union Territory of Pudhucherry. Around 1282 references have been received for advice and disposed of.

LITIGATION: The Branch Secretariat, Chennai looks after the entire litigation work of Central Government (except cases relating to Railways, Income-Tax, Central Excise and Customs, etc.) in the High Court of Madras, Madurai Bench of Madras High Court and High Court of Kerala. It also looks after the Central Government litigation work in the City Civil Courts, Presidency Courts of Small Causes, Subordinate Courts, Tribunals, Consumer Fora, etc. in Tamil Nadu and Kerala. Besides, the Branch Secretariat, Chennai has also been entrusted with the work of Central Government litigation before the Madras Bench of Central Administrative Tribunal at Chennai and Ernakulam Bench of Central Administrative Tribunal in Kerala. During the given period about 9365 litigation matters received and disposed of accordingly which include receipts, fee bills and files opened regarding High Court/CAT/LC etc.

The Branch Secretariat keeps the Ministries and Departments of the Central Government informed about the important developments of their cases as well as the results of the litigation with suitable advice for further action, if required. Pleadings, affidavits etc., to be filed in the Courts/ Tribunals / Consumer Fora / Arbitration matters in Tamil Nadu and Kerala are scrutinized and vetted at the draft stage. Functions of Branch Secretariat, Chennai also include engagement / nominations of the Counsel and collection of materials from the Central Government Departments involved in the cases for being passed on to the Counsel after necessary scrutiny of the documents from the legal angle.

COUNSEL FEE BILLS: The Branch Secretariat itself makes payment of professional fees directly from its funds to the Additional Solicitor General of India, Assistant Solicitor General, Senior Panel Counsel and the Central Government Standing Counsel in respect of cases before the Madras High Court and Madurai Bench of Madras High Court. During the given period around 2561 bills were received and an amount of Rs. 3,74,70,353/- was paid towards settlement of fee bills of the counsel of High Court, Madras and Madurai Bench of Madras High Court. Fee Bills preferred by the Central Government Counsel for appearance before the Central Administrative Tribunal and Subordinate Courts are scrutinized / certified and sent to the Departments concerned for payment.

MEETING OF CENTRAL GOVT. COUNSELS

A meeting of all Central Govt. Counsel was convened on 12th July, 2018 and 19th December 2018 to review the conduct of litigation which was attended by Shri G. Rajagopalan, Additional Solicitor General of India, Shri G. Karthikeyan, Assistant Solicitor General and all other Central Govt. panel counsel.

INTERVIEW FOR APPOINTMENT OF NOTARIES FOR TAMIL NADU & PUDUCHERRY

Interview for Appointment of Notaries for the states of Tamil Nadu & Puducherry was conducted in this Branch Secretariat during 19th September, 2018 to 12th October, 2018 headed by Chairman- Shri S.R. Mishra, Additional Secretary alongwith Smt. R. Jayalakshmi, Deputy Legal Adviser & Shri Jaspal Singh Dhanju, Assistant Legal Adviser as Members of the panel. Also, an Assistant Section Officer from Main Secretariat was deputed for the purpose of verification of documents etc. Around 150 candidates participated in the interview per day equally divided in 2 sessions, i.e. morning and evening between 9.00 A.M to 6.00 P.M. The above process required continuous presence of all panel members alongwith staff members of this Branch Secretariat.

AUCTION OF CONDEMNED/OBSOLETE ITEMS

Certain office furniture, equipment and machineries of this Branch Secretariat that had become old, obsolete and unserviceable were disposed by auction during September 2018.

Celebration of 4th 'International Day of Yoga' on 21st June, 2018

The 4th 'International Day of Yoga' was celebrated on 21st June, 2018 in this Branch Secretariat. A yoga session of two hours was conducted by a faculty of Krishnamachari Yoga Mandiram, Chennai on 19th & 21st June, 2018 and all officers and staff of this Branch Secretariat participated.

Observance of 'VIGILANCE AWARENESS WEEK'

As per CVC guidelines, 'VIGILANCE AWARENESS WEEK' was observed in this Branch Secretariat from 29th October to 3rd November, 2018 with the theme, 'Eradicate Corruption - Build a New India'. In this regard, 'Integrity pledge' was administered to all officials of this Branch Secretariat by the Deputy Legal Adviser/In-charge on 29th October, 2018.

'Swachcha Bharath' Mission

The Deputy Legal Adviser & Incharge of this Branch Secretariat has been periodically monitoring and inspecting cleanliness activities of the office.

Retainer Fees

Out of its allotted funds, the Branch Secretariat has been entrusted with the job of making payment of Retainer Fee to Standing Government Counsel of district & subordinate courts in Tamil Nadu. An amount of Rs. 29,58,000/- has been paid towards Retainer fees during 01-01-2018 to 31-3-2019 which includes payment for the period October – December 2017 also. Payment is made on a quarterly basis to all counsel.

Implementation of e-office

This office initiated correspondence with NIC, Chennai and BSNL, Chennai for provision of necessary pre-requisites towards implementation of e-office in this Branch Secretariat.

RTI receipts

During the period 01-01-2018 to 31-3-2019, 41 online RTI applications were received and disposed; 13 RTI applications were physically received (by post) and disposed; and 3 RTI appeals were physically received (by post) and disposed.

Female employees

With the retirement of one female employee (Senior Court Clerk) on 31st December 2018, there are 4 female employees working in this office, viz., 1 Deputy Legal Adviser, 1 Personal Assistant (CSSS) and 2 Assistant Section Officers (CSS).

Statistics of Employees working under the following categories:

With the retirement of one Senior Court Clerk (SC) on 31st December 2018, there are 7 employees falling under various categories other than General Category employees, i.e., SC – 3; ST – 1; OBC – 2; and Ex-servicemen – 1.

17. BRACH SECRETARIAT, MUMBAI

ORGANIZATION:

The Ministry of Law & Justice has been basically divided into two sets, i.e. the Main Secretariat and its Branch Secretariats at Mumbai, Kolkata, Chennai and Bangalore.

As far as the work handled by Mumbai Branch Secretariat is concerned, it includes tendering of legal advice, handling of litigation work pertaining to Bombay High Court, litigation pertaining to other subordinate courts which falls under the entire Western Region consisting of Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat and Goa States and the administration of the Branch Secretariat.

The Senior Govt. Advocate, at present, is the overall In-charge of the Branch Secretariat. Two Additional Govt. Advocate, Two Assistant Legal Adviser (Ad-hoc) & One Superintendent (Legal) are assisting the Senior Govt. Advocate in handling the advice, litigation and administrative matters of the Branch Secretariat. The Assistant Section Officers assist the Senior Govt. Advocate in the Administration and Accounts matters.

In addition to the above, the work of the Branch Secretariat is bifurcated into separate sections for its smooth functioning, i.e. Advice Section, Misc. Original Side Litigation Section consisting of now consists of erstwhile Misc. Original Side Litigation, Arbitration, Suits, Land Acquisition References, Company matters and cases pertaining to DGFT/FERA/FEMA in Original Side as well as Appellate Side and Appellate Side Litigation Section consisting of now consists of Misc. Appellate Side Section and Criminal Side Matters. Each Section is headed by a senior Officer of this Branch Secretariat who is assisted by an officer.

There are one Assistant (Legal), four Assistant Section Officers (CSS), one Senior Principal Private Secretary, four Private Secretary, one Personal Assistant, five Senior Court Clerk Grade-I, two Senior Court Clerk Grade-II and three Court Clerk, who assist the Officers in discharging their duties. However, one Personal Assistant is transferred to Main Secretary on 29th Mar 2019, one Court Clerk is retired on 30th November, 2018. Moreover, one Sr. Court Clerk Gr.I is retired on 31st May, 2019.

FUNCTIONS & DUTIES:

The Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs, Branch Secretariat, Mumbai renders advice to various Ministries/Departments of Government of India on receipt of the respective references by it on different kinds of legal matters and attends to the litigation work of the Central Government in Bombay High Court, C.A.T., National Company Law Tribunal other Tribunals and before all the Subordinate Courts of entire Western Region. The entire work is performed by its Officers under the guidance of the Senior Govt. Advocate / In-charge of this Branch Secretariat. This Branch Secretariat is always guided by the Hon’ble Law Secretary. A copy of organization chart of Branch Secretariat, Mumbai is given as under:

LEGAL ADVICE:

The references received from various Ministries/Departments of Central Government seeking legal advice are examined at the first instance by the Superintendent (Legal) and thereafter put up to the Senior Govt. Advocate /In-charge who in turn mark the cases as per extant work allocation Order. If required, the advice matters are also referred to the Ld. Additional Solicitor General of India for his expert opinion.

As far as the current year is concerned, this Branch Secretariat has received about 3597 cases being reference seeking advice and this Branch Secretariat has disposed 3578 cases and 19 cases is pending on date.

LITIGATION:

The litigation of this Branch Secretariat is headed by the Senior Government Advocate, Additional Govt. Advocate(s), Assistant Legal Adviser(s) and Superintendent (Legal) in discharging the duties and in handling the litigation matters filed in Bombay High Court either filed by the Government of India or against it. So also, the litigation pertaining to Sub-ordinate Courts is handled by the Branch Secretariat. Wherever necessary the litigation is handled through the Advocates / Counsel appointed / empanelled on the Panel of Government of India for Bombay High Court on its Ordinary Original Civil Jurisdiction, Appellate Jurisdiction & Criminal Jurisdiction and through other Counsel empanelled on different Panels appearing before the different Courts of law.

As far as the 2017-18 year is concerned, this Branch Secretariat has received about 1466 cases in different litigation sections. The Counsel were engaged for protecting the interest of Government of India involved in the matter through different Central Govt. Ministries/Departments and on or about 1003 litigation cases have been disposed of before the Hon'ble High Court and 463 cases is pending on date.

ADMINISTRATION:

The Senior Govt. Advocate / In-charge is the head of the Administration of the Branch Secretariat, Mumbai. He is normally assisted by DDO and Assistant Section Officers in handling the day-to-day administrative matters of the Branch Secretariat. However, post of the Section Officer is vacant w.e.f. 27.01.2017.

OFFICIAL LANGUAGE:

The Senior Govt. Advocate & In-charge of this Branch Secretariat also works in the capacity of "Vibhagiya Rajbhasha Adhikar" and other officers nominated by him work for promotion and maximum usage of Official Language in the Branch Secretariat. A "Rajbhasha Samiti" is constituted in this Branch Secretariat with Members as under:

1.	Shri Pankaj Kapoor, Senior Govt. Advocate	:	Chairman
2.	Shri A.A.Ansari, Addl. Govt. Advocate	:	Executive Chairman
3.	Shri N A Pande,Asst. Legal Adviser	:	Coordinator
4.	Shri Anup Kumar,Assistant (Legal)	:	Executive Member

5. Smt.Usha V. Salian,Personal Assistant : Executive Member

6. Smt. Vaishali Karmale,Multi Tasking Staff : Executive Member

The above Committee is submitting the periodical Reports to the In-charge.

18. LAW COMMISSION OF INDIA

The Law Commission of India is constituted every three years with a definite terms of reference to work for Law Reforms. The Twenty-First Law Commission of India was the last Law Commission constituted for a period of three years from 1st September, 2015 to 31st August, 2018. The 21st Law Commission consisted of a Chairman, two full-time Members, one Member-Secretary, two Ex-officio Members and three Part-time Members. The Commission consists of Law Officers of Indian Legal Service. A small group of secretarial staff looks after the administration.

Terms of Reference:

The Terms of Reference of the Twenty-first Law Commission consisted the following:

A. Review/Repeal of obsolete laws:

- i. Identify laws which are no longer needed or relevant and can be immediately repealed.
- ii. Identify laws which are not in harmony with the existing climate of economic liberalization and need change.
- iii. Identify laws which otherwise require changes or amendments and to make suggestions for their amendment.
- iv. Consider in a wider perspective the suggestions for revision/amendment given by Expert Groups in various Ministries/Departments with a view to coordinating and harmonizing them.
- v. Consider references made to it by Ministries/Departments through the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice in respect of legislations having bearing on the working of more than one Ministry/Department.
- vi. Suggest suitable measures for quick redressal of citizens grievances, in the field of law.

B. Law and Poverty:

- i. Examine the Laws which affect the poor and carry out post-audit for socio-economic legislations.
- ii. Take all such measures as may be necessary to harness law and the legal process in the service of the poor.

C. Keep under review the system of judicial administration to ensure that it is responsive to the reasonable demands of the times and in particular to secure:

- i. Elimination of delays, speedy clearance of arrears and reduction in costs so as to secure

quick and economical disposal of cases without affecting the cardinal principle that decision should be just and fair.

ii. Simplification of procedure to reduce and eliminate technicalities and devices for delay so that it operates not as an end in itself but as a means of achieving justice.

iii. Improvement of standards of all concerned with the administration of justice.

D. Examine the existing laws in the light of Directive Principles of State Policy and to suggest ways of improvement and reform and also to suggest such legislations as might be necessary to implement the Directive Principles and to attain the objectives set out in the Preamble to the Constitution.

E. Examine the existing laws with a view for promoting gender equality and suggesting amendments thereto.

F. Revise the Central Acts of general importance so as to simplify them and to remove anomalies, ambiguities and inequities.

G. Recommend to the Government measures for making the statute book up-to-date by repealing obsolete laws and enactments or parts thereof which have outlived their utility.

H. Consider and to convey to the Government its views on any subject relating to law and judicial administration that may be specifically referred to it by the Government through Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs).

I. Consider the requests for providing research to any foreign countries as may be referred to it by the Government through Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs).

J. Examine the impact of globalization on food security, unemployment and recommend measures for the protection of the interests of the marginalized.

Encouragement to students:

The Commission conducts voluntary internship programmes, viz., Summer Internship Programme and Winter Internship Programme. The internship programme is conducted by the Law Commission with a view to train and inculcate orientation in legal research and law reform amongst law students to have better understanding of Law in its making and establishment of the Rule of Law.

Objectives & Achievements:

The Law Commission of India has submitted 277 Reports so far on different subjects. The 21st Law Commission had taken up various subjects on references made by Department of Legal Affairs, Supreme Court and High Courts and submitted Fifteen Reports including a Report on the draft National Litigation Policy 2016. Reports given by the 21st Law Commission to the Government of India are at **Annexure IV.**

Visit of Foreign Delegations:

The 21st Law Commission held discussions with the delegations from United States of America and with the German delegation on law reforms and strengthening of the rule of Law.

Law Day Celebration:

On 25th -26th November, 2017, the Law Commission in co-ordination with the Niti Ayog organised the National Law Day function in Vigyan Bhawan, New Delhi. The broad theme for the Law Day Celebration 2017 was 'Interface between three wings of State, i.e, Executive, Legislature and Judiciary towards a developing nation based on the theme of inclusiveness, development and justice to all'.

Follow-Up:

The Reports of the Law Commission are laid in Parliament from time to time by the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice and forwarded to the concerned administrative Departments/Ministries for implementation. They are acted upon by concerned Departments/ Ministries depending on the Government's decision. Invariably, the Reports are cited in Courts, Parliamentary Standing Committees, in academic and public discourses.

19. STEPS TAKEN TOWARDS EASE OF DOING BUSINESS- 'ENFORCING CONTRACTS'

Commercial and financial markets have a big role to promote a country's economic standing in the comity of nations. For such economic activities to prosper, simple framework of rules that encourage investors and promote business activities is a pre-requisite. Therefore, the Government has given high priority to frame business facilitating laws and rules inter alia with a view to make India one of the preferred destinations for investment and business. In this context, the Government had earlier enacted the Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts Act, 2015, and amended the Arbitration and Conciliation Act, 1996, by the Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2015.

Carrying the agenda forward and to continue with the economic reforms in the country, the Central Government has taken several steps for improving the ranking of India in World Bank "Doing Business Report" (DBR) to boost the investment and business friendly atmosphere in the country and facilitate quick resolution of disputes with least interference of the courts. In this endeavor, the Central Government has amended the Commercial Courts, Act, 2015 in 2018. The Amendments have facilitated the fast tracking of Commercial disputes by reducing the specified value of a commercial dispute to Rs. 3 lakh from the earlier Rs. 1.00 Crore and establishment of Commercial Courts at District Judge level in the jurisdiction of High Courts enjoining Ordinary Original Civil Jurisdiction. And to ease the load on the judicial system, a necessary "Pre-Institution Mediation and Settlement" (PIMS) (an ADR Mechanism) which provides for certain cases being referred for Mediation at the first instance for its settlement has been introduced. The mediation is to be conducted under the aegis of the State Legal Services Authority and District Legal Services Authority as provided under the National Legal Services Authorities Act, 1987. On failure to resolve dispute through PIMS mechanism, the claimant can approach the courts for resolution of their commercial dispute. The amended Act also provides for establishment of Commercial Appellate Court at District level in such territories wherein the High Courts do not enjoy ordinary original civil jurisdiction and the commercial dispute case at the first instance is decided by a Court subordinate to that of District Judge.

20. STEPS TAKEN FOR STRENGTHENING THE ARBITRATION MECHANISM

The Central Government had amended the Arbitration and Commercial Act, 1996, by the Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2015, inter-alia, in order to make arbitration process user friendly, cost

effective and expeditious. However, some practical difficulties in applicability of the amendment Act were brought to notice of the Department of Legal Affairs. Further, it was also felt that there is need to strengthen institutional Arbitration mechanism in the country. In this regard, a High Level Committee (HLC) under the Chairmanship of Justice B. N. Srikrishna, Retired Judge, Supreme Court of India, was constituted by the Central Government to review the institutionalization of arbitration mechanisms in India and submit a Report on suggested Reforms. The Committee submitted its Report on 30th July, 2017 and recommended some amendments in the Act. The Department of Legal Affairs has taken substantive steps on the recommendation of the Committee.

Taking in to the consideration of the recommendation of the Committee, and the World Bank's Doing Business Report 2019, wherein India is ranked at 163 out of 190 nations in the realm of contract enforcement have further strengthen the Government's resolve to make additional efforts to facilitate Ease of Doing Business by boosting investor confidence by having credible arbitral Institutions headed by eminent experts, a Bill namely "The New Delhi International Arbitration Centre Bill, 2018" was introduced in and passed by the Lok Sabha on 4th January, 2019. However, the same could not be taken in to consideration by the Rajya Sabha. Therefore, the New Delhi International Arbitration Centre Ordinance, 2019 was promulgated on 2nd March, 2019, by the President as Parliament was not in session and in addition to the above mentioned reasons, immediate steps were required to be taken to provide impetus to the dispute resolution landscape in India and to make India as a preferred seat for Institutional Arbitration for both International commercial arbitration and Domestic arbitration..

As per the provisions of the ordinance, all the undertakings of the International Centre for Alternative Dispute Resolution (ICADR) have been vested in the Central Government. The undertakings of the ICADR vested in the Central Government, shall be transferred to NDIAC , which will be a Centre of National Importance.

21. INDIAN LAW INSTITUTE (ILI)

Introduction: ILI is a Premier Legal Research Institute founded on 27th December, 1956. The prime objective of the Institute is to promote advanced studies and research in law and to contribute substantially in reforming the administration of Justice, so as to meet the socio economic aspirations of the people through law and its instrumentalities. The Institute got the status of Deemed University in the year 2004. The Institute got its first ever accreditation with 'A' grade by the National Assessment and Accreditation Council (NAAC) during March, 2017 with a CGPA of 3.35 on a 4.00 point scale. The Institute conducting Masters in Law and Doctoral courses as well as few PG Diploma Courses in various areas of law, i.e., Alternative Dispute Resolution, Corporate Laws and Management, Cyber Law and Intellectual Property Rights Laws.

ACADEMIC PROGRAMMES:

After the declaration of Deemed University in the year 2004, the institute launched research oriented LL.M. programme. The admission in LLM programme is strictly on merit in Common Admission Test (CAT) conducting every year and Interview. Presently the following programmes are conducted by the Institute:

Programme(s)	Students Enrolled in academic session 2018-19
LL.M.- 1 Year (Full Time)	38
P G Diploma Courses(Alternative Dispute Resolution, Corporate Laws and Management, Cyber Law and Intellectual Property Rights Laws)	303
Ph.D in Law	08
Total No. of Students	349

- The Institute has a Ph.D. programme. There are 29 scholars enrolled as on date.
- The Institute also conducts 'on-line' e-learning certificate courses on IPR and Cyber Law of three months duration. The Online Cyber Law Course batch No. 32 and Batch No.43 of Online IPR Course have successfully completed their courses.

The admission process for Academic Session 2018-2019 started with the release of Prospectus on 01.05.2018 as per the approved schedule. Common Admission test for LL.M. Programme was conducted on June 09, 2018. The admissions were made strictly on merit based on Entrance Test and viva voce. The result for the same was notified on June 28, 2018. Classes commenced for LL.M. (1 Year) and Post Graduate Diploma Courses from August 1, 2018.

CONFERENCE/ SEMINARS/ WORKSHOPS/ DISCUSSION

· **VAF (Voter Awareness Forum) Programme (January 24, 2019)**

The Indian Law Institute organised a Voter Awareness Forum (VAF) Programme on January 24, 2019 for the Employees and students of ILI as per the directives of Election Commission of India.

- **Training Session on Mendeley: Reference Management Tool**

The Indian Law Institute organised a Training Session of "Mendeley: Reference Management Tool" for the active researchers to understand the research management tools on January 29, 2019 at the ILI.

- **National Seminar on Children of Incarcerated Parents: Issues and Challenges (March 27, 2019)**

The Indian Law Institute and Centre for Comparative Studies in Personal Laws, National Law University jointly organized a National Seminar on Children of Incarcerated Parents: Issues and Challenges on March 27, 2019 at the Plenary Hall of the Institute.

- **Two days National Seminar on "100 years of ILO and Future of Work : Labour Policy and the Law" on March 13-14, 2019**

National Labour Law Association and Indian Law Institute jointly organized two days National Seminar on "100 Years of ILO and Future of Work : Labour Policy and the Law" on March 13-14, 2019.

- **Conference on “A 3-D Perspective on Indian Intellectual Property Distinct, Diverse and Democratic?” on March 5, 2019**

The Indian Law Institute in collaboration with University of Pennsylvania Law School and IDIA organised a Conference on the Increasing Diversity by Increasing Access to Legal Education (IDIA), a Charitable Trust organised the Annual Conference on “Law and Storytelling” on December 8, 2018

- **International Conference on “Quality Control in Criminal Investigation” on February 22-23, 2019**

Centre for International Law Research and Policy (CILRAP) and Indian Law Institute (ILI) organised an International Conference on Quality Control in Criminal Investigation on February 22-23, 2019

- **One Day Consultation on “Child Welfare Committees” (DCPCR) on December 15, 2018**

The Indian Law Institute in collaboration with Delhi Commission for the Protection of Child rights (DCPCR) organized a One-Day Consultation on Child Welfare Committees on December 15, 2018.

- **IDIA-ILI Annual Awards and Conference on December 8, 2018**

The Indian Law Institute in collaboration with the Increasing Diversity by Increasing Access to Legal Education (IDIA), a Charitable Trust organised the Annual Conference on “Law and Storytelling” on December 8, 2018.

- **Conference on “Digital Transformation : Preservation, Policy and Privacy (ICDT-2018)”**

National Law University, Delhi jointly with Indian Law Institute and other organisations organised an International Conference on “Digital Transformation: Preservation, Policy and Privacy (ICDT-2018) on November 29-December 1, 2018 at National Law University, Delhi.

- **Niti Manthan Lecture Series has been started with NLU Delhi**

Lectures was organised on “Constitutional Underprinnings for Minority Rights” on October 11, 2018 and “Dynamics of Governance and the Role of Youth in Good Governance” on September 07, 2018 under Niti Manthan Lecture Series.

- **Panel Discussion on September 15, 2018**

A Panel Discussion on Ratna Kapur’s “Gender, Alterity and Human Rights : Freedom in a Fishbowl (Elgar Studies in Legal Theory, 2018)” held on 15th September, 2018 from 11.00 a.m.

- **Indian Law Institute conducted following two Conference in collaboration with the Supreme Court of India**

- **Conference of Vice-Chancellors of National Law Universities on Legal Education Reforms on September 1-2, 2018.**

- **Conference on National Initiative to Reduce Pendency and Delay in Judicial System on July 27-28, 2018.**

- **Two Day National Workshop on "Intellectual Property: Procedure and Practice"**

The Indian Law Institute organized two days National Workshop on "Intellectual Property: Procedure and Practice" on April 20-21, 2018 at the Plenary Hall of ILI.

TRAINING PROGRAMMES

The Indian Law Institute in collaboration with National Human Rights Commission organized the following Training Programmes:

- Two Days Training Programme for Police Personnel on Police and Human Rights : Issues and Challenges on March 30-31, 2019.

- Two Days Training Programme for Judicial Officials on Human Rights : Issues and Challenges on February 23-24, 2019

- Two Days Training Programme for Prison Officials on Human Rights : Issues and Challenges on January 19-20, 2019

- One Day Training Programme for Media Personnel & Government Public Relation Officers on "Media and Human Rights: Issues and Challenges" on December 22, 2018

- Two Days Training Programme for First Class Judicial Magistrates on Human Rights: Issues and Challenges held on November 17-18, 2018

- One Day Training Programme for Officials Working in Juvenile Homes, Old Age Homes and Health Sector held on October 6, 2018

Training Programme for Law officers from Myanmar

The Indian Law Institute organised a Training Programme for Law officers from Myanmar on various subjects i.e "Comparative Constitutional Law, Intellectual Property Rights, Cyber Law, Refugee Law, International Criminal Law' from May 6-13, 2018. The training programme was conducted at Rajasthan Guest House and twenty law officers from Myanmar participated in the programme.

PUBLICATIONS

- Law of Sedition in India and Freedom of Expression - (Prof. Manoj Kumar Sinha, Dr. Anurag Deep)

- IPR and Human Rights with Special Emphasis on India - (Prof. Manoj Kumar Sinha, Ms. Jupi Gogoi)

- Towards the Renaissance : Shibli and Maulana Thanvi on Sharia - (Prof. Furqan Ahmad)

Special Lectures/ Panel Discussion

- Prof. Emeritus Virendra Kumar delivered a Special Lecture on the topic "Dynamics of the Right to Privacy Its Characterization under the Indian Constitution" (A Juridical Critique of the 9 Judge Bench Judgments in Justice K.S.Puttaswamy Case) on February 25, 2019.
- Prof. Meera Furtado, Head of Law & Social Sciences, University of Sussex, ISC, London, UK & Secretary General, Common Wealth Legal Education Association delivered a Special Lecture on the topic "Impact of Brexit in EU & UK" on February 19, 2019.
- Mr. P. K. Malhotra, Secretary General, International Centre for Alternative Dispute Resolution, Former Law Secretary delivered a Special Lecture on the topic "Indian Arbitration Law" on February 01, 2019.
- Prof. Thomas E. Nanney, University of Missouri, Kansas City delivered a Special Lecture on "Islamic Law" on January 22, 2019.
- ILI hosted a talk on "International Commercial and Transport Law" by Dr. Tabetha Kurtz-Shefford, Swansea University, U.K. on January 21, 2019.
- Professor Jeroen Varlet, Director, Peace Palace Library, International Court of Justice, delivered a Special Lecture on 28th, November 2018.
- Hon'ble Mr. Justice Vineet Kothari delivered a Special Lecture on "A talk on Contemporary Issues and Challenges in Indian Tax Laws" on October 3, 2018.
- ILI organised a Panel Discussion on Prof. Ratna Kapur's book titled "Gender, Alterity and Human Rights : Freedom in a Fishbowl" on September 15, 2018. The Panel comprised of Prof. Ratna Kapur, Professor, Queen Mary University of London and four commentators on the books : Prof. Upendra Baxi, Professor of Law in Development, University of Warwick, Prof. Shohini Ghosh, Professor, Jamia Millia Islamia, Prof. Rajshree Chandra, Associate Professor, Janki Devi Memorial College and Prof. Lakshmi Arya, Associate Professor, Auro University, Gujarat.
- ILI in collaboration with SGT University, Gurugram organised a lecture on "Fundamental Duties of Citizens and Indian Constitutionalism" on September 10, 2018. The panellists were Ms. Pinky Anand, Additional Solicitor General of India, Mr. Parag Tripathi, Senior Advocate and Shri P. K. Malhotra, Secretary General, International Centre for Alternative Dispute Resolution, and Former Union Law Secretary.
- Professor G. Mohan Gopal, Director, Rajiv Gandhi Institute for Contemporary Studies discussed on the judgment of Dr. Subhash Kashinath Mahajan v. The State of Mahaarashtra, 2018 (4) SCALE 661 on April 24, 2018.
- Ms. Christine Haight Farley, Professor of Law at American University Washington College of Law delivered a Special Lecture on the topic "Non-Traditional Trademarks under U.S. Law" on May 4, 2018.

22. BAR COUNCIL OF INDIA (BCI)

The Bar Council of India was constituted under the Advocates Act, 1961 and it has been empowered among other things, to lay down standards of professional conduct and etiquette for lawyers and to maintain and improve the standards of legal education in the country. While the State Bar Councils are the authorities for enrolment of Advocates, the State Bar Councils and the Bar Council of India together enforce discipline among Lawyers. The Bar Council of India acts as appellate authority in respect of disciplinary matters.

The Council meets at regular intervals to transact business in accordance with the agenda circulated to the Members. At the meetings, the Council also conduct removal proceedings under Section 26(1) where persons are enrolled either by misrepresentation or by suppressing essential facts; deals with references received from State Bar Councils under Section 26(1) where the State Bar Council proposes to reject the enrolment application due to any reason; and hear and decide revision petitions under Section 48A of the Advocates Act, 1961 where complaints against advocates for professional or other misconducts filed by individuals are dismissed by State Bar Councils summarily.

23. INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL (ITAT)

Section 252 of the Income-tax Act, 1961 provides that the Central Government shall constitute an Appellate Tribunal consisting of as many Judicial Members and Accountant Members as it thought fit, to exercise the powers and discharge the functions conferred on the Appellate Tribunal by the said Act. The Income-tax Appellate Tribunal was established on 25th January, 1941, in pursuance of a similar provision contained in the Indian Income-tax Act, 1922.

POWERS AND FUNCTIONS:

The Income-tax Appellate Tribunal, constituted under the Income-tax Act, deals with second appeals in all matters of direct taxes and appeals against the revision orders of administrative Commissioners as well as orders denying registration Under Section 12A or under Section 80G of the Income tax Act 1961 .

The powers and functions of the Appellate tribunal are exercised and discharged by the Benches constituted by the President of the Tribunal from amongst the Members thereof. Generally, a Bench consists of one Judicial Member and one Accountant Member. However, in appropriate cases, at the discretion of the President, a Bench may consist of more than two Members. The President or any other Member of Tribunal authorised in this behalf by the Central Government may, sitting singly, dispose of any case which has been allotted to the Bench of which he is a Member and which pertains to an assessee whose total income as computed by the Assessing Officer does not exceed fifty (50) lakhs rupees, and the President may, for the disposal of any particular case, constitute a Special Bench consisting of three or more Members, one of whom shall necessarily be a Judicial Member and one Accountant Member, subject to the provisions of the Income-tax Act, 1961.

PENDENCY OF APPEALS:

At the conclusion of the Financial Year 2017-18, the pendency of the appeals was 92817 and as on 31st March, 2019 the number of appeals pending in the Income-tax Appellate Tribunal stands at 92205.

It will be seen from the following table that the commitment to reduce pendency is showing encouraging results after all the newly created Benches were made functional:

Year (April to March)	Institution	Disposal	Pendency at the end of year
2004-2005	57331	78901	137164
2005-2006	45283	73979	108468
2006-2007	43192	65524	86136
2007-2008	44356	59653	70839
2008-2009	40372	55889	55322
2009-2010	41648	49353	47617
2010-2011	44250	36293	55574
2011-2012	42346	33816	64104
2012-2013	43934	33752	74286
2013-2014	46031	31886	88643
2014-2015	45072	30494	103238
2015-2016	40087	51010	91971
2016-2017	48328	48385	92386
2017-2018	49693	49791	92817
2018-2019	50735	51766	92205

EFFORTS FOR REDUCTION OF PENDENCY:

Necessary instructions have been issued to all the Benches to scrutinize and identify cases which are covered by decisions of ITAT, High Courts, and the Supreme Court and post them on priority basis. This includes group and small matters. Besides, appeals dealing with Search & Seizure matters and appeals against Order passed under Section 263 by the administrative Commissioners are also given priority in their disposal. Similarly, appeals against the denial of registration to charitable institutions under Section 12A and denial of recognition under Section 80G are also given priority . Appeals of Senior Citizens are also taken up for priority hearing, wherever the Tribunal is so approached. Further, vide Finance Act 2015 an amendment in Income Tax Act 1961 was made that the appeal involving assessed income upto Rs. 50 lakhs can be heard by Single Member Bench and accordingly the same has been implemented. During the period, 07 Judicial Members and 04 Accountant Members have been authorized to sit singly for the purpose of sub-section (3) of section 255 of the Income Tax Act, 1961.

The pendency figure of Single Member Cases is as under:-

Month	Total Pendency
January, 2018	8634
February, 2018	8831
March, 2018	9122
April,2018	9592
May,2018	10155
June,2018	10295
July,2018	10647
August,2018	10968
September,2018	11327
October,2018	11414
November,2018	11266
December,2018	11741
January,2019	11982
February,2019	12459
March,2019	12657

The pendency figure of Wealth Tax Cases is as under:-

Month	Total Pendency
January, 2018	470
February, 2018	451
March, 2018	486
April,2018	481
May,2018	487
June,2018	526
July,2018	576
August,2018	569
September,2018	587
October,2018	588
November,2018	591
December,2018	635
January,2019	631
February,2019	604
March,2019	610

COMPUTERIZATION:

The process of computerization started in the Income Tax Appellate Tribunal in early 2000 and in recent years, this process has gained great momentum with several innovative projects being implemented in day-to-day activities of the Tribunal. Over the years, various projects have been undertaken and implemented by the Tribunal to live upto its motto **"Nishpaksh Sulabh Satvar Nyay".**

ACHIEVEMENTS:

a) ITAT Online Project

This pilot project is the first initiative to automate the process of judicial administration in the Tribunal starting from receipt and registration of appeals and applications till disposal and uploading of Tribunal orders. This project has been commissioned and implemented in all Benches of the Tribunal in a phased manner. ITAT Online is a web-based application which can be accessed from anywhere and anytime. As of now, all Benches of ITAT have been connected to the ITAT Online database and activities like registration, data updation, Tribunal order uploading, etc., are being carried out through the web application. Web-cum-Database Server of this project has been setup in-house and connected by an exclusive high speed 4 Mbps (1.1) Internet Leased Line on Fiber Optic Cable Technology.

b) ITAT Official Website

As an extension of the ITAT Online Project, Official Website of Income Tax Appellate Tribunal has been created and commissioned to deliver judicial and general information to the public. The Official website has been redesigned to make it more user friendly, informative, responsive, updated and compliant with the Government of India, Guidelines for Websites. Dynamic information like Cause Lists, Constitution, Case Status, Order Search, Pronouncement Search, etc. have been provided to cater to the judicial information needs of the litigants before the Tribunal. This apart, static information like Holiday Lists, Tenders and Auctions, Notice Board, Right to Information, etc. has been made accessible to the litigants in particular and public in general. This website is widely used and appreciated.

c) NIC E-Mail

In furthering the utilization of Information and Communication Technology in general administration and effective communication between various Benches, Members and officers, ITAT has subscribed for E-mail services offered by National Informatics Centre. NIC E-Mail accounts have been created for all Benches, Zones, Members, Registry Officers, Sr. PS/PS and all sections of Head Office also as per requirement of officials. In recent years, due to its ease, fastness, simplicity and economic-and-ecological advantage over conventional methods of communication, usage of E-Mail has started to gain acceptance of the users.

d) Infrastructure Up-gradation

ITAT has always been conscious that better computerization needs better infrastructure. Accordingly, ITAT has been replacing the old and obsolete Computers, printers and other equipment with the latest ones in a phased manner. All Members of ITAT have already been provided with laptops for their official use.

e) Installation of CCTVs

As per Hon'ble Supreme Court of India, vide judgment dated 14.08.2017 in Writ Petition (Criminal) No.

99/2015 titled 'Pradyuman Bisht versus Union of India & Others', directed that CCTV Cameras with audio and video recording be installed in all Tribunals including the Income Tax Appellate Tribunal.

In this context, procurement of CCTV Cameras was done initially for the 17 functional Location (ITAT Benches). CCTV Cameras are working in good condition and recording are regularly done and report has been received from Benches located at 17 different stations viz. Mumbai, Delhi, Ahmedabad, Agra, Amritsar, Bangalore, Chandigarh, Chennai, Hyderabad, Kolkata, Lucknow, Pune, Cochin, Indore, Jaipur, Surat, and Visakhapatnam.

f) Redevelopment of Web Application and launching of E-Filing

For long, ITAT has been contemplating to revamp its Official Website and Web Application to make them more informative, user friendly and compliant to the guidelines and standards of the Government of India. ITAT is also considering the request of Income Tax Department for sharing the ITAT Online data with the National Judicial Reference System (NJRS) project, for which certain features are required to be developed in the Web Application. Accordingly, to fulfill the above requirements, ITAT has taken up redevelopment of the Bi-lingual Project. ITAT has also included in the project, a new Citizen-To-Government (C2G) Module namely 'e-Filing' to enable the litigants before the Tribunal to file appeals and applications online from their door-steps; and to disseminate information through SMS, Email and Mobile Application. Provision is also made in the project to facilitate and ensure paperless courts in due course. The development of this project has already been entrusted to a NICSI-Empanelled vendor. The official website has already been launched alongwith the Android based Mobile application, and the web-application and e-filing module are likely to be rolled out in coming two months.

g) E-Court

During the period, E-courts were setup at Ranchi, Patna Benches. Bench proceedings were conducted at ITAT Rajkot, Guwahati, Ranchi, Patna and Jabalpur Bench by connecting to ITAT Ahmedabad, Kolkata and Delhi Benches respectively. A total number of 1005 appeals were heard through E-court at these places respectively.

Presently, three more Benches are under process for development of E-Court at Surat, Amritsar and Cuttack Bench.

Following is the status of development of E-Court in various Benches of ITAT is as under :-

S. No.	Status	Benches
01.	Functioning Bench(es)	Ahmedabad Zonal Office, New Delhi Zonal Office, Kolkata Zonal Office, Jabalpur Bench, Rajkot Bench, Guwahati Bench, Ranchi Bench, Patna Bench
02.	Ready for Process Bench(es)	Mumbai Head Office, Bangalore Zonal Office, Chennai Zonal Office, Hyderabad Zonal Office, Chandigarh Zonal Office, Lucknow Zonal Office, Pune Zonal Office, Jaipur Bench, Allahabad Bench
03.	Under Process Bench(es)	Amritsar Bench, Cuttack Bench, Surat Bench, Nagpur Bench, Panaji Bench

h) Establishment of New Benches

During the period one Bench of ITAT at Surat has been established. Thereafter, suitable amendments were made in the Standing order of ITAT regarding change of jurisdiction.

During the period a Circuit Bench of ITAT at Varanasi has been established and the same was inaugurated by the Hon'ble Prime Minister on 14th July, 2018.

During the period, a Circuit Bench of ITAT at Dehradun has been set up and it is expected to be made operational shortly.

i) Own Buildings of ITAT

ITAT has acquired land at Pune, Bengaluru, Jaipur, Lucknow & Guwahati for office-cum-residential accommodation. The Govt. of Odisha has allotted a plot of land measuring 1.601 acre to ITAT, Cuttack Bench for construction of office building and staff quarters at Cuttack. Further, ITAT has signed agreement with NBCC Ltd. to acquire space for office premises at World Trade Centre, Nauroji Nagar, New Delhi.

j) Benevolent Fund:

A Benevolent Fund, the corpus of which has been built out of voluntary contributions by the officers and staff, also exists in the Income-tax Appellate Tribunal. The President, Income-tax Appellate Tribunal, is the patron. Officers and staff contribute voluntarily to this fund and disbursements are made to officials in need of medical or other emergent situations on the recommendation of Committee formed under the Rules.

k) Implementation of Official Language Policy:

Official Language Implementation Committees have been constituted at all the Benches of Income-tax Appellate Tribunal, with a view of keeping a watch and providing guidance for proper implementation of the official language policy prescribed by Department of official language, Government of India.

Progress in achieving the targets set for Hindi correspondence and its implementation is monitored by the concerned Benches and their quarterly reports regarding progressive use of Hindi is regularly scrutinized by Head Quarters at Mumbai. Training in Hindi/Hindi Typing/Hindi Stenography is offered by nominating sufficient number of officials under Hindi Teaching Scheme., Department of official language, Government of India.

Hindi workshops are also held in all the Benches for proper implementation of the Official Language policy and to encourage use of Hindi and to remove the hesitation of officers / employees to work in Hindi.

Every endeavor is being made for the progressive use of Hindi by doing the work in Hindi as much as required in accordance with the provisions of the Official Language Act, 1963.

This year sufficient funds were provided to purchase Hindi Books at all the Benches. All offices of Income Tax Appellate Tribunal were instructed to make expenditure towards purchase of Hindi Books (i.e. 50% of total library grant) as per the Official Language policy and in accordance with the targets fixed by the Department of Official Language, Government of India.

With a view to create awareness in regard to the use of Official Language Hindi in official work as well as to accelerate the pace of its progressive use, Hindi Day & Hindi Fortnight have been organized at all benches.

An Annual Journal ‘Srijan” is published by Income Tax Appellate Tribunal, Head Office, Mumbai. It contains photos of the Hindi Pakhwada Programmes, Hindi Workshops, besides articles, stories, poems and travelogues, etc. written by Members, Officers and employees of ITAT.

l) Other Important Events and Activities

“Swachhta Pakhwada” was organized at all the Benches of Income Tax Appellate Tribunal as per the guidelines of Ministry of Drinking Water and Sanitization, Government of India. “Swachhta Pledge” was administered to all officers and staff of ITAT.

National Judicial Academy, Bhopal organized two Seminars for Members of the Income Tax Appellate Tribunal with a view to capacity building and enhancing excellence in justice delivery. The first such Seminar was organized from 21st to 23rd September, 2018, in which 42 Members participated. The second Seminar was organized from 4th to 6th January, 2019, in which 38 Members participated.

An All India Refresher Training Programme for supervisory staff of Income Tax Appellate Tribunal was held on 15th & 16th February, 2019 at Jaipur. The staff and officials of ITAT are sent all throughout the year, for training on various subjects like handling of CAT Cases, Administration matters and training to Cashiers. They are sent to various training institutes like ISTM at New Delhi, INGAF at Mumbai, and NIFM at Faridabad.

The Income Tax Appellate Tribunal celebrated its 78th Foundation Day on 25th January, 2019 at all its Benches.

The Hon’ble Prime Minister inaugurated the newly constructed building at Bengaluru by Video Conference mode on 06.03.2019. The state of art building houses 04 courts.

IMPLEMENTATION OF INSTRUCTIONS REGARDING REPRESENTATION IN SERVICES OF HANDICAPPED, SHEDULED CASTES & SCHEDULED TRIBES, AND EX-SERVICEMEN ETC.

The Government of India’s instructions regarding the concessions in appointments to the Handicapped, Scheduled Castes & Scheduled Tribes and Ex-Serviceman etc., were duly implemented during the year 2018-2019 and the statistics relating to representation of these categories in services of the Income-tax Appellate Tribunal is at **Annexure V.**

24. VIGILANCE ACTIVITIES

The Vigilance Unit in the Ministry of Law and Justice caters to Department of Legal Affairs (including Income Tax Appellate Tribunal) and Legislative Department. The Vigilance Unit is headed by Chief Vigilance Officer of the rank of Joint Secretary who is appointed with the concurrence of Central Vigilance Commission. Vigilance Unit is presently headed by Dr. Rajiv Mani, Joint Secretary and Legal Adviser. The overall responsibility of vigilance activities of both of these Departments rests with the Chief Vigilance Officer. The

Chief Vigilance Officer is the nodal point in the vigilance unit set up for these Departments and is entrusted with the following:

- Identification of sensitive areas prone to malpractices/ temptation and taking preventive measures to ensure integrity/ efficiency in government functioning.
- Taking suitable action to achieve the targets fixed by the Department of Personnel & Training on anti-corruption measures;
- Scrutiny of complaints and initiation of appropriate investigation measures;
- Inspection and follow up action on the same;
- Furnishing comments of the Department to the Central Vigilance Communication on the investigation reports of the Central Bureau of Investigation;
- Taking appropriate action in respect of departmental proceedings on the advice of Central Vigilance Commission or otherwise;
- Obtaining first and second stage advice of the Central Vigilance Commission wherever necessary; and
- Obtaining the advice of Union Public service Commission in regard to the nature and quantum of penalty to be imposed, wherever necessary.

Preventive vigilance continues to receive priority attention with emphasis on identification of areas sensitive or prone to malpractices and temptation. The guidelines/ instructions issued from time to time by the Department of Personnel & Training and Central Vigilance Commission in this regard are followed. Vigilance Awareness Week was observed in the week starting from 29.10.2018 to 03.11.2018.

25. GENDER ISSUES

The Complaints Committee under Section 4 of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 has been set up by the Department vide Order dated 7th February,2019, to look into the complaints on sexual harassment from employees of both the departments i.e. Department of Legal Affairs and Legislative Department. The Complaints Committee shall be deemed to be the inquiring authority appointed by the disciplinary authority for the purpose of CCS (CCA) Rules, 1965. The report of the Complaints Committee should be treated as enquiry report. It will examine the complaints made against sexual harassment by women employee(s) and, if necessary, conduct an enquiry. On completion of the same, the Committee will submit its findings to the Joint Secretary (Admin.I), D/o Legal Affairs for further necessary action. The Committee is presently headed by Dr. Reeta Vasishta, Additional Secretary, Legislative Department.

Statements showing the total number of government servants, number of Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward classes, Ex-Servicemen and physically handicapped amongst them in the Department of Legal Affairs and Legislative Department as on 31.03.2019 is enclosed at **Annexures - VI**.

The representation of female employees in the Department of Legal Affairs (including Legislative Department) is given at **Annexure - VII**.

26. CELEBRATION OF INTERNAIONAL YOGA DAY 2018

International Yoga Day was celebrated by the Department of Legal Affairs in its Main Secretariat and all the Branch Secretariats i.e. Kolkata, Chennai, Mumbai and Bengaluru. In the Department of Legal Affairs, a Yoga Demonstration under the supervision of trained Yoga Teachers was held for the benefit of Officers & Staff. Law Secretary alongwith other Officers/Officials of the Department of Legal Affairs have participated in the celebration and performed Yogasanas demonstrated by the trainers.

At the Branch Secretariat, Chennai, Yoga session for two hours was conducted by a faculty of Krishnamachari Yoga Mandiram, Chennai on 19th & 21st of June, 2018 and all the Officers and staff participated. Similarly, Branch Secretariat, Kolkata, Mumbai and Bengaluru has also celebrated International Yoga Day with enthusiasm on 21st June, 2018. Photographs of the Celebration are placed at **Annexure VIII.**

27. SWACHH BHARAT ABHIYAAN

In pursuance of directions of the Government, Swachhta Pakhwara was observed for the period from 1st April to 15th April 2018 by the Department of Legal Affairs and its Branch Secretariats located at Kolkata, Mumbai, Chennai and Bengaluru as well as the offices of the ITAT in the Country.

Shri Ravi Shankar Prasad, Hon'ble Minister of Law & Justice & IT gave message on the observance of Swachhta Pakhwara by Department of Legal Affairs as part of the Swachh Bharat Mission. The period from 15th September 2018 to 2nd October 2018 was also observed as SWACHHTA HI SEWA by the Department including the Brach Secretariats. The Hon'ble Minister personally took part in the cleanliness drive in and around Shastri Bhavan premises alongwith staff and officers. Posters and banners were displayed in the Main Secretariat, Branch Secretariats so that message of cleanliness spreads throughout. Activities as envisaged under Swachhta Action Plan like digitization of office records, basic maintenance, sanitation and SWM, cleaning and beautification of surrounding areas, swahhhta workshops etc., were also undertaken during the period. Photographs depicting the Swachh Bharat Abhiyaan activities in Department of Legal Affairs are at **Annexure IX.**

28. CONSTITUTION DAY

26th Nov, 2018 was celebrated as 'Constitution Day'. The Celebration consisted of reading out of 'Preamble' to the Constitution of India.

सत्यमेव जयते

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity;

and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

29. INITIATIVES TAKEN UNDER 'MINIMUM GOVERNMENT AND MAXIMUM GOVERNANCE'

(i) Simplification of official procedure:-

Admn.IV Section is cadre controlling authority for the employees belonging to the three services of Central Secretariat Service viz. CSS, CSSS and CSCS. The Procedure prescribed by DOP&T is being followed in dealing with administrative matters.

i. Digital India - Following initiatives have been taken under the Digital India Program.

a. LIMBS (Legal Information and Management Briefing System)

The Legal Information Management & Briefing System (LIMBS) is a web based application for proactive monitoring of court cases. Through a Gazette Notification issued on Feb. 08, 2016 by Department of Legal Affairs, all the ministries of Government of India and their departments, sub departments, attached offices are brought under the ambit of LIMBS.

It is an innovative and easy to access online tool which is available 24x7 to all the stakeholders viz., government officials, department users, nodal officers, higher officials of ministries, advocates, arbitrators and claimants of 62 ministries to upload the latest information which is concurrently available on real time basis on a single unified platform to avoid confusion, delay and further reduce financial burden on public exchequer.

In the short span of 3.5 years, LIMBS has a centralized database of 4.61 lakh court cases in which Union of India (UOI) is one of the party, 4410 arbitration cases and details of more than 16000 advocates (as on 31.03.2019).

LIMBS captures the basic details such as court name, case no, date of filing, petitioner & respondent names, history of case, name and mobile no of respondent's advocate and petitioner's advocate, judge's name, category of case, status of case, next hearing date, details of last hearing etc. Contempt cases and important cases have highest priority therefore displayed separately. Auto generated SMS alerts are sent to users, advocates, concerned officer, nodal officers and secretaries of ministries/departments regarding upcoming Important Cases, Contempt Cases, SLPs /Appeals etc. One page summary report and graphs have made a perceptible improvement in the working of legal process in ministries. Also, a simple interface is developed in the LIMBS to monitor the important cases in more proactive manner. The highest priority has been assigned to the important cases. The Nodal Officer of a ministry can mark the cases as important with approval of the Secretary. The Single Window Clearance (SWC) utility has been developed to capture timelines of physical process of filing of SLPs/Appeals. Recently, LIMBS has been integrated with eCourts website for sharing of data through API.

b. NDSAP (National Data Sharing and Accessibility Policy)

The objective of this policy is to facilitate the access to Government of India owned shareable data and information in both human readable and machine readable forms through a network all over the country in a proactive and periodically updatable manner, within the framework of various related policies, Acts and rules of Government of India, thereby permitting wider accessibility and use of public data and information.

Benefits of NDSAP:-

a) Maximising use
b) Avoiding duplication
c) Maximised integration
d) Ownership information
e) Better decision-making

c. E-Office

The main objectives of e-office are:-

a) To improve efficiency, consistency and effectiveness of government responses
b) To reduce turnaround time and to meet the demands of the citizens charter
c) To provide for effective resource management to improve the quality of administration
d) To reduce processing delays
e) To establish transparency and accountability
f) The system will automate movement of files within government offices.
   (i) Reduction of Decision making level - In some cases like sanction of leave etc. power has been delegated.
   (ii) On-line processing of Pension cases – Pension cases are dealt online.

30. DETAILS OF FOREIGN VISITS UNDERTAKEN BY THE HON'BLE MINISTER, OFFICERS OF DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS AND LAW OFFICERS W.E.F. FROM 01-01-2018 TO 31-03-2019.

S.No.	Name	Country	Purpose of Visit
1.	Shri Suresh Chandra, then Secretary, Department of Legal Affairs	Geneva, Switzerland	To finalize draft appeal for challenging the interim award in the matter Deutsche Telekom AG Germany Vs Republic of India through Swiss Law firm from 25th to 27th January, 2018.
		The Hague, Netherlands	To attend court hearing in the matter of Antrix Devas Case on 30th March, 2018.
		Bishkek, Kyrgzstan	To attend meetings of expert group on Legal Services and forensic experts of SCO Member States of Ministries of Justice from 3rd to 4th May, 2018
		London, United Kingdom	As a member of the delegation led by Hon'ble Minister of Law & Justice and Electronics & IT to finalise the MoU on legal and judicial cooperation between India and UK from 6th to 10th July, 2018.

2.	Shri Ramayan Yadav, Addl Secretary	Mauritius	To attend the 11th World Hindi Conference from 18th to 20th August, 2018.
3.	Shri G. S. Yadav, Joint Secretary & Legal Adviser	Minsk, Belarus	To discuss draft agreement on Mutual Legal Assistance in civil and commercial matters between the Republic on India and Republic of Belarus from 3rd to 7th September, 2018.
4.	Dr. Rajiv Mani, Joint Secretary & Legal Adviser	London, United Kingdom	As a member of the delegation led by Hon'ble Minister of Law & Justice and Electronics & IT to finalise the MoU on legal and judicial cooperation between India and UK from from 6th to 10th July, 2018.
		London, United Kingdom	As leader of Indian delegation at Meeting of Senior Officials of Commonwealth Law Ministries from 1st to 3rd October, 2018.
		Washington DC	To participate in the World Bank's Law, Justice and Development (LJD) week- 2018 from 5th to 9th November, 2018.
5.	Dr. Anju Rathi Rana, Joint Secretary & Legal Adviser	Moscow, Russia	To attend the meeting of Experts of the Prosecution Services of Member States of the SCO and the Commonwealth of Independent States on 7th June, 2018.
		Dushanbe, Tajikistan	To attend the 16th Meeting of the Prosecutor General of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) on 20th September, 2018.
		Vienna, Austria	To attend Cross-Regional workshop in implementing project "Strengthening Gender Mainstreaming in the Criminal Justice Responses to Violent Extremism leading to Terrorism in South and South East Asia" by The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) from 15th to 17th January, 2019.
6.	Sh. M. Khandelwal, Addl. Govt. Advocate	Marrakesh, Morocco	To attend the first International Justice Conference from 2nd to 4th April, 2018.
7.	Shri R. K. Srivastava, Additional Legal Adviser	Rabat, Morocco	To attend the Negotiation from 3rd to 4th May, 2018.
		Minsk, Belarus	To discuss on draft Agreement between the Republic of India and the Republic of Belarus on Mutual Legal Assistance Treaty in Civil and Commercial Matters from 3rd to 7th September, 2018.

8.	Dr. R.J.R. Kasibhatla, Deputy Legal Adviser	Yogyakarta, Indonesia	To attend 21st Regional Cooperation Economic partnership (RCEP) and related meeting from 5th to 9th February, 2018.
		Taipei, Taiwan	To attend 4th round of Negotiations on Bilateral investment Agreement (BIA) between India Taipei Association in Taipei and Taipei Economic and Cultural Centre (TECC) in India from 29th to 30th March, 2018.
		New York, USA	To attend 51st Annual Session of United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) from 28th June to 6th July, 2018
		Bangkok	To attend 23rd Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Negotiations from 20-27th July, 2018.
		Singapore	To attend Inter-sessional meeting of Regional Comprehensive Economic Partnership Working Group on Investment (RCEP- WGI) from 12th to 14th August, 2018.
		Auckland, New Zealand	To attend 24th meeting of the Regional Comprehensive Economic Partnership Trade Negotiation Committee (RCEP TNC 24) from 21st to 27th October, 2018.
		Singapore	To attend Jurisdictional hearing in the International Arbitration concerning Nissan Motors Ltd. from 8th to 11th November, 2018.
		Paris, France	To attend final oral hearings in the Cairn Energy Arbitration Case from 19th to 20th December, 2018.
		The Hague, Netherlands	To attend final hearing in Vodafone Arbitration matter from 11th to 14th February, 2019
		Bali, Indonesia	To attend Working Group on Investment (WGI) in the 25th round of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) from 21st to 28th February, 2019.
		Singapore	To attend final Hearings in the Vedanta Arbitration Case from 29th April to 10th May, 2019.
		Bangkok,Thailand	To attend the 5th Inter-sessional Meeting of the Regional Comprehensive Economic Partnership Working Group on Investment (RCEP-WGI) from 28th to 31st May, 2019

9.	Sh. O Venkateswarlu, Deputy Legal Adviser	St. Petersburg	To attend the VIII St. Petersburg International Legal Forum from 15th to 19th May, 2018.
10.	Mrs. Poonam Suri, Deputy Legal Adviser	Vienna	To attend the 36th session of UNCITRAL Working Group-II — Investor-State Dispute Settlement Reforms from 29th October to 3rd November, 2018.
11.	Dr.D.V.Rao, Deputy Legal Adviser	Bangkok,Thailand	To attend the six days' familiarization programme of Law Enforcement Agencies from 20th to 24th August, 2018.
12.	Ms. Arti Chopra, Deputy Legal Adviser	New York, USA	To attend 68th session of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), working Group II (Dispute Settlement) from 5th to 9th February, 2018.
13.	Shri K.M.Arya, Asst. Legal Adviser	Geneva, Switzerland	To finalize draft appeal for challenging the interim award in the matter Deutsche Telekom AG Germany Vs Republic of India through Swiss Law firm from 25th to 27th January, 2018.
		The Hague, Netherlands	To attend hearing of Mauritius Quantum Arbitration case from 13th to 21st July, 2018.
		Geneva, Switzerland	To attend the Public deliberation called by Swiss Federal Tribunal in the matter of Deutsche Telecom AG Germany Vs. Republic of India, on 11th December, 2018 at Geneva.
		Paris, France	To attend the Oral Hearings for the quantum phase of Arbitration Hearing in Antrix Devas Case in Paris from 27th April to 3rd May, 2019.
14.	Shri Hemant Kumar, Asst. Legal Adviser	Nadi, Fiji	To attend Regional International Arbitration Conference of the United Nations Commission of International Trade Law (UNCITRAL), from 12th to 13th February, 2018.

CHAPTER-II
LEGISLATIVE DEPARTMENT

Legislative Department acts mainly as a service provider in so far as the legislative business of the Union Government is concerned. It ensures smooth and speedy processing of legislative proposals of various administrative Departments and Ministries.

1. FUNCTIONS

1.1 The Legislative Department, being a service-oriented Department of the Government of India, is concerned with the following matters, namely:-

(i) Scrutiny of Notes for the Cabinet in relation to all legislative proposals from drafting angle;

(ii) Drafting and scrutiny of all Government Bills including Constitution (Amendment) Bills, translation of all the Bills into Hindi and forwarding of both English and Hindi versions of the Bills to the Lok Sabha or Rajya Sabha Secretariat for introduction in Parliament; drafting of official amendments to the Bills; scrutiny of non-official amendments and rendering assistance to administrative Ministries/Departments to decide the acceptability or otherwise of non-official amendments;

(iii) Rendering assistance to Parliament and its Joint/Standing Committees at all stages through which a Bill passes before enactment. This includes scrutiny of, and assistance in, preparation of reports and revised Bills for the Committees;

(iv) Drafting of Ordinances to be promulgated by the President;

(v) Drafting of legislation to be enacted as President's Acts in respect of States under President's rule;

(vi) Drafting of Regulations to be made by the President;

(vii) Drafting of Constitution Orders, *i.e.* Orders required to be issued under the Constitution;

(viii) Scrutiny and vetting of all statutory rules, regulations, orders, notifications, resolutions, schemes, etc., and their translation into Hindi;

(ix) Scrutiny of State legislation in the concurrent field, which require assent of the President under article 254 of the Constitution;

(x) Scrutiny of legislation to be enacted by the Union territory Legislatures;

(xi) Elections to Parliament, the Legislatures of States and Union territories and Offices of the President and Vice-President;

(xii) Apportionment of expenditure on elections between the Union and the States/Union territories having Legislatures;

(xiii) Election Commission of India and electoral reforms;

(xiv) Administration of the Representation of the People Act, 1950; the Representation of the People Act, 1951; the Election Commission (Conditions of Service of Election Commissioners and Transaction of Business) Act, 1991;

(xv) Matters relating to Chief Election Commissioner and other Election Commissioners under the Election Commission (Conditions of Service of Election Commissioners and Transaction of Business) Act, 1991;

(xvi) Matters relating to the Delimitation of Parliamentary and Legislative Assembly Constituencies.

(xvii) Legislation on matters relating to personal laws, transfer of property, contracts, evidence, civil procedure, etc., in the Concurrent List of the Seventh Schedule to the Constitution;

(xviii) Imparting training in legislative drafting to the officers of the Union/State Governments, etc.

(xix) Publication of Central Acts, Ordinances and Regulations and their authorised translations in Hindi and other languages specified in the Eighth Schedule to the Constitution and also translation of legal and statutory documents.

(xx) Publication of Hindi translation of selected judgments of the Supreme Court and High Courts on cases pertaining to constitutional, civil and criminal laws in the form of law Journals (Patrikas).

2 Legislative Department does not have any statutory or autonomous body under its control. It has two other wings under it, namely, the Official Languages Wing and Vidhi Sahitya Prakashan, which are responsible for propagation of Hindi and other Official Languages in the field of law.

(a) **Official Languages Wing** of the Legislative Department is responsible for preparing and publishing standard legal terminology and also for translating into Hindi, all the Bills to be introduced in Parliament, all Central Acts, Ordinances, Subordinate legislations, etc., as required under the Official Languages Act, 1963. This Wing is also responsible for arranging translation of the Central Acts, Ordinances, etc., into the Official Languages as specified in the Eighth Schedule to the Constitution as required under the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973. The Official Languages Wing also releases grants-in-aid to various registered voluntary organisations engaged in promotion and propagation of Hindi and other regional languages and those organisations, which are directly engaged in the publication of legal literature and propagation of Hindi and other Languages in the field of law.

(b) **Vidhi Sahitya Prakashan** is mainly concerned with bringing out authoritative Hindi versions of reportable judgements of the Supreme Court and the High Courts with the objective of promoting the progressive use of Hindi in the legal field. Vidhi Sahitya Prakashan brings out various publications of legal literature in Hindi. It also holds exhibitions in various States for giving wide publicity to legal literatures available in Hindi and to promote their sales.

2. ORGANISATIONAL SET UP

The organisational set-up of the Legislative Department includes the Secretary, Additional Secretary, Joint

Secretary & Legislative Counsel, Additional Legislative Counsel, Deputy Legislative Counsel and Assistant Legislative Counsel and other supporting staff. The work relating to legislative drafting in the case of principal legislation and to scrutinising and vetting of subordinate legislation have been distributed among various Legislative Groups. Each Legislative Group is headed by a Joint Secretary & Legislative Counsel or Additional Secretary, who in turn is assisted by a number of Legislative Counsel at different levels. The Secretary of the Legislative Department acts as the Chief Parliamentary Counsel and the Additional Secretary is in charge of all subordinate legislation. The Organisational Chart of the Legislative Department is at **Annexure-X.**

3. LEGISLATION

Legislation is one of the major instruments of articulating the policy of the Government. In this context, the Legislative Department plays an important role to secure the policy objectives, which the Government may wish to achieve through legislation.

(2) Legislative Department not only performs functions as a servicing Department for drafting the legislation initiated by the administrative Ministries and Departments but also initiates legislative proposals in respect of the matters with which it is administratively concerned.

(3) Legislative Department drafts the Finance Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government every year. This exercise is undertaken in the Legislative Department on the budget proposals being brought before it by the Ministry of Finance. For the purposes of convenience, the various subjects on which Bills are drafted in the Legislative Department at the behest of administrative Ministries/ Departments may be broadly categorised as under:-

(a) Constitutional amendments;

(b) Economic and corporate laws;

(c) Civil Procedure and other social welfare legislation;

(d) Repeal of obsolete laws; and

(e) Miscellaneous laws

4. During the period from 1st January, 2018 to 31st March, 2019, this Department has examined **164** Notes for the Cabinet/new legislative proposals in consultation with different Ministries/Departments for drafting Bills/Ordinances for introduction in the Houses of the Parliament. A total number of **56** legislative Bills were forwarded to Parliament for introduction during this period.

The list of Bills forwarded to Parliament and introduced during this period is as follows:-

Sl. No.	Title
1.	The Consumer Protection Bill, 2018
2.	The New Delhi International Arbitration Centre Bill, 2018
3.	The Appropriation Bill, 2018
4.	The Finance Bill, 2018
5.	The Appropriation (No.2) Bill, 2018

6.	The Appropriation (No.3) Bill, 2018
7.	The Chit Funds (Amendment) Bill, 2018
8.	The Fugitive Economic Offenders Bill, 2018
9.	The Airports Economic Regulatory Authority of India (Amendment) Bill, 2018
10.	The Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2018
11.	The Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill, 2018
12.	The National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities (Amendment) Bill, 2018.
13.	The Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2018
14.	The Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill, 2018
15.	The Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2018
16.	The Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts (Amendment) Bill, 2018
17.	The Criminal Law (Amendment) Bill, 2018
18.	The National Sports University Bill, 2018
19.	The Micro, Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill, 2018
20.	The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2018
21.	The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2018
22.	The Appropriation (No.4) Bill, 2018
23.	The Appropriation (No.5) Bill, 2018
24.	The Central Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2018
25.	The Integrated Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2018
26.	The Union Territory Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2018
27.	The Goods and Services Tax (Compensation to States) Amendment Bill, 2018
28.	The DNA Technology (Use and Application) Regulation Bill, 2018
29.	The Protection of Human Rights (Amendment) Bill, 2018
30.	The Personal Laws (Amendment) Bill, 2018
31.	The Dam Safety Bill, 2018
32.	The Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2018
33.	The Central Universities (Amendment) Bill, 2018
34.	The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2018
35.	The National Institute of Design (Amendment) Bill, 2018
36.	The Companies (Amendment) Bill, 2018

37.	The Jallianwala Bagh National Memorial (Amendment) Bill, 2018
38.	The Allied and Healthcare Professions Bill, 2018
39.	The Appropriation (No.6) Bill, 2018
40.	The Aadhaar and Other Law (Amendment) Bill, 2018
41.	The National Commission for Indian System of Medicine Bill, 2019
42.	The National Commission for Homoeopathy Bill, 2019
43.	The Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2019
44.	The Trade Unions (Amendment) Bill, 2019
45.	The Constitution (One Hundred and Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019
46.	The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2019.
47.	The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill, 2019.
48.	The Finance Bill, 2019
49.	The Constitution (One Hundred and Twenty-fifth Amendment) Bill, 2019
50.	The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Third Amendment) Bill, 2019
51.	The Registration of Marriage of Non-Resident Indian Bill, 2019
52.	The Appropriation Bill, 2019
53.	The Appropriation (Vote on Account) Bill, 2019
54.	The International Financial Services Centres Authority Bill, 2019
55.	The Cinematograph (Amendment) Bill, 2019.
56.	The National Institutes of Food Technology Entrepreneurship and Management Bill, 2019

5. Out of the Bills which were pending before Parliament and those introduced during the period from 01-01-2018 to 31-03-2019, 44 Bills have been enacted into Acts including 2 Constitutional amendment Acts. The list of the Acts enacted during this period is as follows:-

Sl.No.	**Title of the Act**
1.	The Companies (Amendment) Act, 2017 **(1 of 2018)**
2.	The Repealing and Amending Act, 2017 **(2 of 2018)**
3.	The Indian Institute of Petroleum and Energy Act, 2017 **(3 of 2018)**
4.	The Repealing and Amending (Second) Act, 2017 **(4 of 2018)**
5.	The Indian Forest (Amendment) Act, 2017 **(5 of 2018)**
6.	The Appropriation (No.5) Act, 2017 **(6 of 2018)**
7.	The National Bank for Agriculture and Rural Development (Amendment) Act, 2018 **(7 of 2018)**
8.	The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Act, 2018 **(8 of 2018)**
9.	The Goods and Services Tax (Compensation to States) Amendment Act, 2017 **(9 of 2018)**

10.	The High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Act, 2018 **(10 of 2018)**
11.	The Appropriation Act, 2018 **(11 of 2018)**
12.	The Payment of Gratuity (Amendment), Act, 2018 **(12 of 2018)**
13.	The Finance Act, 2018 **(13 of 2018)**
14.	The Appropriation (No.2) Act, 2018 **(14 of 2018)**
15.	The Appropriation (No.3) Act, 2018 **(15 of 2018)**
16.	The Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018 (**16 of 2018**)
17.	The Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (**17 of 2018**)
18.	The Specific Relief (Amendment) Act, 2018 (**18 of 2018**)
19.	The State Banks (Repeal and Amendment) Act, 2018 (**19 of 2018**)
20.	The Negotiable Instruments (Amendment) Act, 2018 **(20 of 2018)**
21.	The Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Act, 2018 **(21 of 2018)**
22.	The Constitution (One Hundred and Second Amendment) Act, 2018
23.	The Criminal Law (Amendment) Act, 2018 **(22 of 2018)**
24.	The Homoeopathy Central Council (Amendment) Act, 2018 **(23 of 2018)**
25.	The National Commission for Backward Classes (Repeal) Act, 2018 **(24 of 2018)**
26.	The National Sports University Act, 2018 **(25 of 2018)**
27.	The Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Act, 2018 **(26 of 2018)**
28.	The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act, 2018 **(27 of 2018)**
29.	The Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts (Amendment) Act, 2018 **(28 of 2018)**
30.	The Appropriation (No.4) Act, 2018 **(29 of 2018)**
31.	The Appropriation (No.5) Act, 2018 **(30 of 2018)**
32.	The Central Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2018 **(31 of 2018)**
33.	The Integrated Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2018 **(32 of 2018)**
34.	The Union Territory Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2018 **(33 of 2018)**
35.	The Goods and Services Tax (Compensation to States) Amendment Act, 2018 **(34 of 2018)**
36.	The National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities (Amendment) Act, 2018. **(35 of 2018)**
37.	The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Act, 2019 **(1 of 2019)**
38.	The National Council for Teacher Education (Amendment) Act, 2019 **(2 of 2019)**

39.	The Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act, 2019
40.	The Appropriation (No.6) Act, 2018 **(3 of 2019)**
41.	The Appropriation Act, 2019 **(4 of 2019)**
42.	The Appropriation (Vote on Account) Act, 2019 **(5 of 2019)**
43.	The Personal Laws (Amendment) Act, 2019 **(6 of 2019)**
44.	The Finance Act, 2019 **(7 of 2019)**

6. ORDINANCES

The Legislative Department drafted 22 Ordinances which have been promulgated by the President under article 123 of the Constitution during the period 1st January, 2018 to 31st March, 2019.

Sl. No.	Title of the Ordinance
1.	The Fugitive Economic Offenders Ordinance, 2018 **(1 of 2018)**
2.	The Criminal Law (Amendment) Ordinance, 2018 **(2 of 2018)**
3.	The Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts Amendment) Ordinance, 2018 **(3 of 2018)**
4.	The Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2018 **(4 of 2018)**
5.	The National Sports University Ordinance, 2018 **(5 of 2018)**
6.	The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2018 **(6 of 2018)**
7.	The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Ordinance, 2018 **(7 of 2018)**
8.	The Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2018 **(8 of 2018)**
9.	The Companies (Amendment) Ordinance, 2018 **(9 of 2018)**
10.	The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Ordinance, 2019 **(1 of 2019)**
11.	The Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2019 **(2 of 2019)**
12.	The Companies (Amendment) Ordinance, 2019 **(3 of 2019)**
13.	The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Second Ordinance, 2019 **(4 of 2019)**
14.	The Indian Medical Council (Amendment) Second Ordinance, 2019 **(5 of 2019)**
15.	The Companies (Amendment) Second Ordinance, 2019 **(6 of 2019)**
16.	The Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance, 2019 **(7 of 2019)**
17.	The Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Ordinance, 2019 **(8 of 2019)**
18.	The Aadhaar and Other Laws (Amendment) Ordinance, 2019 **(9 of 2019)**
19.	The New Delhi International Arbitration Centre Ordinance, 2019 **(10 of 2019)**
20.	The Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2019 **(11 of 2019)**
21.	The Special Economic Zones (Amendment) Ordinance, 2019 **(12 of 2019)**
22.	The Central Educational Institutions (Reservation in Teacher's Cadre) Ordinance, 2019 **(13 of 2019)**

7. REGULATIONS

Five Regulations have been issued under article 240 of the Constitution:-

Sl. No.	Title of the Regulation
1.	The Daman and Diu Municipalities (Amendment) Regulation, 2018
2.	The Dadra and Nagar Haveli Municipal Council (Amendment) Regulation, 2018
3.	The Andaman and Nicobar Islands (Municipal) Amendment Regulation, 2018
4.	The Daman and Diu Civil Courts (Amendment) Regulation, 2019
5.	The Dadra and Nagar Haveli (Civil Courts and Miscellaneous Provisions) Amendment Regulation, 2019

8. CONSTITUTION ORDER

Two Constitution Orders have been issued under article 342 of the Constitution:

Sl. No.	Title of the Constitution Order
1.	The Scheduled Areas (State of Rajasthan) Order, 2018
2.	The Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Amendment Order, 2019

9. SUBORDINATE LEGISLATION

During the period from 1st January, 2018 to 31st March, 2019, the number of statutory rules, regulations, orders and notifications scrutinized and vetted by this Department was 3559.

10. FUNCTIONS OF THE ELECTION COMMISSION

Since the time of independence, free and fair elections are being held as per the principles enshrined in the Constitution and the laws governing elections in India. The Constitution has vested in the Election Commission the superintendence, direction and control of the entire process of conducting elections to Parliament, State Legislatures and to the offices of the President and Vice President of India.

(2) Election Commission is a permanent constitutional body. Initially, the Election Commission had only a Chief Election Commissioner. At present, it consists of Chief Election Commissioner and two Election Commissioners. For the first time, two additional Election Commissioners were appointed on 16th October,1989 but they had a short tenure till 1st January,1990. Later, on 1st October,1993, two additional Election Commissioners were appointed. Since then, the multi-member Election Commission has been in operation.

(3) The Chief Election Commissioner and Election Commissioners are appointed by the President of India. As per the Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Conditions of Service) Act, 1991 (11 of 1991), they have tenure of six years, or up to the age of 65 years, whichever is earlier. They enjoy the same status and receive salary and perks as are available to Judges of the Supreme Court of India. The Chief Election Commissioner can be removed from office only in the like manner and on the like grounds as a Judge of the Supreme Court.

(4) Political parties are registered with the Election Commission in terms of section 29A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951). The Election Commission ensures inner party democracy in their functioning by insisting upon them to hold organisational elections at periodic intervals. Political parties registered with the Commission are granted recognition at the State and National levels on the basis of their poll performance at general elections according to criteria specified by it.

(5) The Election Commission has its independent Secretariat for the work relating to the smooth conduct of elections to Parliament and State Legislatures. Legislative Department is entrusted with the functions as the nodal Department for providing Governmental sanctions.

(6) In the year 1950, in the matters of election expenses, it was decided by the Central Government in consultation with the State Governments that the expenditure incurred in relation to the preparation of electoral roll to the Assembly constituencies would be shared on 50:50 basis between the Central Government and the State Governments. Further, the expenditure on account of conduct of elections to the House of the People and the State Legislative Assembly would be borne by the Central Government and the concerned State Government and if the election to the House of the People and the State Legislative Assembly are held simultaneously, then, the expenditure would be shared on 50:50 basis between Central and concerned State Government. The initial expenditure will be borne by the respective State Governments and on submission of the audited report, the Central Government's share will be reimbursed.

11. ELECTION LAWS AND ELECTORAL REFORMS

Legislative Department is administratively concerned with the following Acts in connection with the conduct of elections to Parliament, State Legislatures and to the offices of the President and the Vice-President, amendment of these Acts and Rules made thereunder and matters pertaining/incidental thereto:

(i) The Representation of the People Act, 1950,

(ii) The Representation of the People Act, 1951,

(iii) The Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952,

(iv) The Delimitation Act, 2002,

(v) The Andhra Pradesh Legislative Council Act, 2005,

(vi) The Tamil Nadu Legislative Council Act, 2010.

2. The electoral system of our country, which is also called the first-past-the-post system of elections, has completed sixty nine years. We have covered the journey of these sixty-eight years (after India became Republic) with glory and exemplary successes in all the fields. This has been the result of the relentless toil and continuous struggle of the millions who have shaped the present and future of this great country with their sweat and blood. Undoubtedly, this journey has not been an easy sail and we have witnessed much turbulence and turmoil during this period. During this period, the political scenario and the electoral process of the country have undergone continuous epoch-making changes. With each election, the complexities of the electoral process and the election management have been increasing. Of late, the Indian polity is witnessing the era of coalition politics, which has put

premium on every single seat in the legislative bodies. This has resulted in healthy competition as the election mandate has fractured extensively. Every single ballot has proved extremely valuable. In such a scenario, allegations and counter-allegations are invariably made. Some inroads by corrupt and criminal elements have posed a challenging task for the conduct of free and fair elections.

3. The aforesaid scenario, which has been continuously changing, has necessitated reforms of electoral laws on several occasions. In the light of the experience gained during elections, recommendations of the Election Commission, the proposals from different sources including political parties, eminent men in public life and the deliberations in the Legislatures and various public bodies, the successive Governments have taken a number of measures, from time to time, to bring about electoral reforms; though need to effect a comprehensive package of electoral reforms cannot be gainsaid.

4. The Representation of the People Act, 1951 and the Conduct of Elections Rules, 1961 were amended vide notification dated 10th October, 2018. The object of the amendment is to amend rule 90 to specify the limit of expenses for Parliamentary and State Legislative Assembly Constituencies in respect of the State of Telangana and amendment in the Form No. 26 to publicize information regarding criminal cases pending against contesting candidates and source of income of dependents etc.

5. On the 16th January, 2013 the issue of electoral reforms in its entirety has been referred to the Law Commission of India by the Hon'ble Minister of Law and Justice for its consideration, after taking into consideration the reports of various committees in the past, views of the Election Commission and other stakeholders, and to suggest comprehensive measures for changes in the law expeditiously, preferably within a period of three months. After consideration of these entire things, Law Commission of India submitted its 255th Report on 'Electoral Reforms' in 2015. The Legislative Department has constituted a task force to examine the 244th and 255th report on 'electoral reforms'. The Task Force has submitted its reports with certain suggestion. At present, the 244th & 255th Law Commission Reports are under consideration for implementation of the same.

12. ELECTRONIC VOTING MACHINES

The Electronic Voting Machine (EVM), the replacement of the ballot box is mainstay in the electoral process. First conceived in 1977 in the Election Commission, the Electronics Corporation of India Ltd. (ECIL), Hyderabad was assigned the task to design and develop it. In 1979, a proto-type was developed, which was demonstrated by the Election Commission before the representatives of political parties on 6th August, 1980. The Bharat Electronic Ltd. (BEL), Bangaluru, another public sector undertaking, was co-opted along with ECIL to manufacture EVMs once a broad consensus was reached on its introduction.

(2) First time use of EVMs occurred in a bye-election in Kerala in May, 1982. However, the absence of a specific law prescribing its use led to the Supreme Court striking down that election. Subsequently, in 1989, the Parliament amended the Representation of the People Act, 1951 to create a provision for the use of EVMs in the elections. A general consensus on its introduction could be reached only in 1998 and these were used in 25 legislative assembly constituencies spread across three States of Madhya Pradesh, Rajasthan and Delhi. Its use was further expanded in 1999 to 45 parliamentary constituencies and later, in February 2000, to 45 assembly constituencies of the Haryana assembly elections. In the State assembly elections, held in May 2001, in the States of Tamil Nadu, Kerala, Puducherry and West Bengal, the EVMs were used in all the assembly constituencies. Since then,

for every State assembly elections, the Commission used the EVMs. In 2004, in the general elections to the Lok Sabha, the EVMs (more than one million) were used in all 543 parliamentary constituencies in the country. EVMs have been used in all elections since 2004.

(3) The design and application of EVMs in the elections are considered a significant achievement in global democracy. It has brought more transparency, swiftness, and acceptability in the system. It has also helped in creating a vast pool of election officials well versed in its use. In its evolution, the Commission has issued series of instructions, frequently asked questions, and technical guidelines. A number of judicial pronouncements has also helped in making the EVMs an integral component of our electoral system.

13. EVOLVEMENT AND DISPOSAL OF EVMS, FORMATION OF TECHNICAL EXPERT COMMITTEE

ECI-EVMs were endorsed by a technical experts sub-committee appointed by the Government of India at the initiative of the Goswami Committee on Electoral Reforms in 1990. This Committee was headed by Prof. S. Sampath, then Chairman RAC, Defense Research and Development Organization, with Prof. P.V. Indiresan, then with IIT, Delhi and Dr. C. Rao Kasarbada, the then Director, Electronics Research and Development Center, Trivandrum as members. The Commission has been consulting a group of technical experts on all EVM related technical issues. In November, 2010, the Commission has expanded its Technical Expert Committee by including two more experts.

(2) All the matters, related to upgradation and disposal of EVMs, are consulted with the Technical Expert Committee (TEC) and thereafter a decision in the matter is taken. At present, the Commission has three versions of EVMs in use i.e. Pre-2006, Post-2006 and Upgraded Post-2006. The upgraded Post-2006 (Post-2013) EVMs were used in the General Elections to the House of the People, 2014.

(3) The details of EVMs, procured till date are as under-

S.No.	Financial year	Total nos. of BU	Total nos. of CU	Total amount paid/ Amount Sanctioned (in Rs.)	Total amount paid/ Amount Sanctioned (in Crores)
1	2000-01	142631	142631	1499880443	**149.99**
2	2001-02	135481	135481	1422900000	**142.29**
3	2002-03	190592	190592	2006100000	**200.61**
4	2003-04	336045	336045	3530000000	**353.00**
5	2004-05	125681	125681	1315400000	**131.54**
6	2006-07	250000	250000	2893742332	**289.38**
7	2008-09	180000	180000	1900000000	**190.00**
8	2009-10	127000	100000	1150000000	**115.00**
9	2013-14	382876	251650	2159435745	**215.94**
	Total	**1870306**	**1712080**	**17877458520**	**1787.75**

(4) Further, the approval for procurement of EVMs/VVPAT units in the three financial years was accorded as under:

Sl.No.	Financial Year	EVM				VVPAT		EVM (BU & CU) & VVPAT
		BU Qty	Basic Tentative Cost @ Rs.7700/-	CU Qty	Basic Tentative Cost @ Rs.9300/-	VVPAT Qty	Basic Cost @ Rs. 16200/-	Total Basic Cost
1	2	3	4=(3*7700)	5	6=(5*9300)	7	8 =(7*16200)	9 =(4+6+8)
1	2016-17	1395306	10743856200	930716	8655658800	-	-	19399515000
2	2017-18	-	-	-	-	1615000	26163000000	26163000000
3	2018-19	-	-	125000	1162500000	130830	2119446000	3281946000
	2016-19	**1395306**	**10743856200**	**1055716**	**9818158800**	**1745830**	**28282446000**	**48844461000**

14. STATUS FOR THE PROGRESS OF ELECTORS' PHOTO IDENTITY CARD (EPIC)

The use of electors' photo identity cards by the Election Commission is slowly and surely making the electoral process simple, smoother and quicker. A decision was taken by the Election Commission of India in 1993 to issue photo identity cards to electors throughout the country to check bogus voting and impersonation of electors at elections. The electoral roll is the basis for issue of EPICs to the registered electors. The electoral rolls are normally revised every year with 1st January of the year as the qualifying date. Every Indian citizen who attains the age of 18 years or above as on that date is eligible for inclusion in the electoral roll and can apply for the same. Once he is registered in the roll, he would be eligible for getting an EPIC. The scheme of issuing the EPICs is, therefore, a continuous and ongoing process for the completion of which no time limit can be fixed as the registration of electors is a continuous and ongoing process (excepting for a brief period between the last date for filing nomination and completion of electoral process) on account of more number of persons becoming eligible for the right of franchise on attaining the age of eighteen. The Commission's continuous effort is to provide the EPICs to the electors who have been left out in the previous campaigns as well as the new electors. The Election Commission, which is in overall charge of implementation of the scheme of issuance of photo identity cards to electors, has been monitoring its progress on regular basis.

(2) It has been the endeavor of the Election Commission to achieve the target of 100% coverage under the EPIC scheme, as far as practicable, in a time-bound manner. No standard time period is defined by the Commission for issue of EPIC. However, constant efforts are being made to issue EPIC to all such persons whose names have already been enrolled in the electoral roll:----

(i) Special photography campaigns are organized to make EPIC of all voters.

(ii) Photographs of electors in the cases where these are not available in the electoral database are collected/taken by conducting a special drive from time to time.

(iii) Booth Level Officers are appointed by the Commission to collect photographs and make EPIC of all voters;

(iv) 25th January has been declared as the National Voters' Day so as to ensure hassle free enrolment and issue of EPIC to all newly registered electors.

(3) Latest data (2019) in respect of coverage of EPIC in States/UTs, available in the Commission is given below:-

STATEMENT SHOWING THE STATUS OF EPIC, 2019

S. No.	Name of the State	EPIC %
1	Andhra Pradesh	100.00
2	Arunachal Pradesh	99.97
3	Assam	94.07
4	Bihar	100.00
5	Chhattisgarh	100.00
6	Goa	97.98
7	Gujarat	99.99
8	Haryana	100.00
9	Himachal Pradesh	100.00
10	Jammu & Kashmir	93.00
11	Jharkhand	100.00
12	Karnataka	100.00
13	Kerala	100.00
14	Madhya Pradesh	100.00
15	Maharashtra	96.68
16	Manipur	100.00
17	Meghalaya	100.00
18	Mizoram	100.00
19	Nagaland	98.36
20	Odisha	98.38
21	Punjab	100.00
22	Rajasthan	100.00
23	Sikkim	100.00
24	Tamil Nadu	100.00
25	Telangana	100.00
26	Tripura	100.00

27	Uttrakhand	100.00
28	Uttar Pradesh	99.99
29	West Bengal	100.00
30	Andaman & Nicobar Islands	97.36
31	Chandigarh	100.00
32	Dadra and Nagar Haveli	100.00
33	Daman and Diu	100.00
34	National Capital Territory of Delhi	100.00
35	Lakshadweep	100.00
36	Puducherry	99.98
	ALL India	**99.36**

15. VOTER VERIFIABLE PAPER AUDIT TRAIL (VVPAT)

In a meeting of all political parties held on 4th October, 2010, the parties expressed satisfaction with the EVM but some parties requested the Commission to consider introducing Voter Verifiable Paper Audit Trail for further transparency and verifiability in poll process. The Commission referred the matter to its Technical Expert Committee on EVMs for examining and making a recommendation in this regard. The Expert Committee had several rounds of meeting with the manufacturers of EVM, namely, BEL & ECIL, on this issue and then had met the political parties and other civil society members to explore the design requirement of the VVPAT system with the EVM. Election Commission has informed vide letter dated 26th December, 2016 that after considering various aspects, Election Commission of India has identified two CPSUs i.e. ITI Ltd, Bangaluru and CEL, Ghaziabad besides BEL and ECIL for manufacturing of VVPATs.

(2) The Government of India notified the amended Conduct of Elections Rules, 1961 on 14th August, 2013, enabling the Commission to use VVPAT with EVMs. The Commission used VVPAT with EVMs first time in bye-election from 51-Noksen (ST) Assembly Constituency of Nagaland. Thereafter, VVPAT units were used in selected constituencies in every election to Legislative Assembly and 8 Parliamentary Constituencies in General Election to the House of the People-2014. The Election Commission has used VVPAT units in all constituencies in the assembly elections recently held in Gujarat and Himachal Pradesh in November- December 2017.

(3) The Commission has procured 17.45 Lakh VVPAT units on the manufacturers namely; M/s. Bharat Electronics Limited, Bangaluru and M/s. Electronics Corporation of India Limited, Hyderabad for use in all constituencies in General Election, 2019.

16. FACTS OF VVPAT

Voter Verifiable Paper Audit Trail is an independent system attached with the Electronic Voting Machines that allows the voters to verify that their votes are cast as intended. When a vote is cast, a slip is printed containing the serial number, name and symbol of the candidate and remains exposed through a transparent window for 7 seconds. Thereafter, this printed slip automatically gets cut and falls in sealed drop box of the VVPAT.

17. COURT CASES INVOLVING ELECTION LAWS

Legislative Department, being administratively in-charge of election laws has also to handle various court cases involving validity of election and election laws. In the beginning of the year 2018, there were 267 cases pending in the Supreme Court and different High Courts on election related matter. During the said year, 21 fresh cases were received and during the period from 01-01-2019 to 31-03-2019, 7 fresh cases were received in which para wise comments, counter affidavits and appropriate instructions, as the case may be, have been conveyed to the concerned Government Counsel. During the period from 01-01-2018 to 31-03-2019, 15 cases have been disposed of. As on 01-04-2019, there are about 280 cases pending before the Supreme Court and various High Courts. All cases are being effectively monitored.

18. CONDUCT OF PARLIAMENTRAY WORK

During the year 2018-19, the Legislative Department, which has been allocated the job of coordination/ conduct of Parliamentary business of the Ministry of Law and Justice, handled the following work:-

S. No.	Item of Business	Figures for the Ministry of Law and Justice.
1.	Lok Sabha Questions	257
2.	Rajya Sabha Questions.	219
3.	Private Members' Bill in Lok Sabha.	33
4.	Private Members' Bills in RajyaSabha	3
5.	Private Members' Resolutions	1
6.	Calling Attention Notices in Lok Sabha.	-
7.	Calling Attention Notices in Rajya Sabha.	-
8.	Short Duration Discussion in Lok Sabha.	-
9.	Matter raised during Zero Hour	9
10.	Matter raised under Rule 377 in Lok Sabha.	19
11.	Special Mention in Rajya Sabha .	3

19. CONSULTATIVE COMMITTEE:

The Consultative Committee of Members of Parliament attached to the Ministry of Law and Justice was constituted on the 16th September, 2009 with 15 Members under the Chairmanship of Hon'ble Minister of Law and Justice.

20. THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL, 2017:-

As per the existing provisions of section 20A of the Representation of the People Act, 1951 and rules made thereunder, a Non-Resident Indian (NRI) who wishes to cast his vote has to be present in his constituency at the time of election and that the said provisions do not allow for the mode of external voting which is in vogue in some other countries. A proposal for introduction of voting by proxy for overseas electors has been approved by the Cabinet in its meeting held on 2nd August, 2017. A Bill in this regard namely; the

Representation of the People Bill, 2017 envisaging proxy voting by overseas electors was passed by Lok Sabha on 09.08.2018 and was pending consideration by Rajya Sabha. However, on dissolution on 16th Lok Sabha, the said Bill has lapsed. A case is being presented for reintroduction of the Bill.

21. LEGISLATION IN CONCURRENT LIST

As per the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, the following subjects which fall under List III- Concurrent List of the Seventh Schedule to the Constitution have been allocated to this Department as regards legislation: –

(a) marriage and divorce, infants and minors, adoption, wills, intestate and succession, joint family and partition;

(b) transfer of property other than agricultural land (excluding benami transactions, registration of deeds and documents);

(c) contracts, but not including those relating to agricultural land;

(d) actionable wrongs;

(e) trusts and trustees, administrators-General and Official Trustees;

(f) evidence and oaths;

(g) civil procedure including limitation and arbitration;

(h) charitable and religious endowments and religious institutions.

22. REPORTS OF THE LAW COMMISSION OF INDIA

Reports of the Law Commission of India on personal laws and on certain subjects mentioned in List III-Concurrent List of the Seventh Schedule to the Constitution, with which this Department is administratively concerned are being examined in consultation with the concerned Ministries/Departments of Central Government, State Governments/ Union territories.

23. JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

The Joint Committee on Offices of Profit, which is constituted during the tenure of each Lok Sabha (since the Second Lok Sabha), undertakes the work of continuous scrutiny in respect of nature, character and composition of Offices of Profit, statutory and non-statutory bodies under the Government of India or any State Government with a view to recommend to the Government of India for amending the Schedule to the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959.

24. THE SPECIFIC RELIEF (AMENDMENT) ACT, 2018

The Specific Relief Act, 1963 (47 of 1963) is an Act to define and amend law relating to certain kinds of specific relief. As part of the Government's endeavour to promote and improve 'ease doing business', the said Act has been amended by the Specific Relief (Amendment) Act, 2018 (18 of 2018).

25. THE PERSONAL LAWS (AMENDMENT) ACT, 2018

The Personal Laws (Amendment) Act, 2019 (6 of 2019) further amended the Divorce Act, 1869 (4 of 1869), the Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939 (8 of 1939), the Special Marriage Act, 1954 (43 of 1954), the Hindu Marriage Act, 1955 (25 of 1955) and the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 (78 of 1956) to omit the provisions that are discriminatory to the leprosy affected persons contained therein.

26. THE MUSLIM WOMEN (PROTECTION OF RIGHTS ON MARRIAGE) BILL, 2017

In spite of the Supreme Court setting aside *talaq-e-biddat,* there have been reports of divorce by way of *talaq-e-biddat* from different parts of the country. Therefore, to protect the rights of married Muslim women who are being divorced by triple *talaq,* a Bill, namely, the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2017, was introduced in, and passed by, the Lok Sabha on the 28th December, 2017 and was pending in Rajya Sabha.

(2) The Bill proposed to declare the practice of triple *talaq* as *void* and illegal and made it an offence punishable with imprisonment up to three years and fine, and triable by a Judicial Magistrate of the first class. It was also proposed to provide subsistence allowance to married Muslim women and dependent children and also for the custody of minor children. The Bill further provided to make the offence cognizable and non-bailable. However, apprehensions have been raised in and outside Parliament regarding the provisions of the pending Bill which enables any person to give information to an officer in-charge of a police station to take cognizance of the offence and making the offence non-bailable.

(3) In order to address the above concerns, it has been decided to make the offence cognizable, if the information relating to the commission of an offence is given to an officer in charge of a police station by the married Muslim women upon whom *talaq* is pronounced or any person related to her by blood or marriage. It was also decided to make the offence non-bailable and compoundable at the instance of the married Muslim woman with the permission of the Magistrate, on such terms and conditions as he may determine. Accordingly, official amendments have been moved in Rajya Sabha.

27. THE MUSLIM WOMEN (PROTECTION OF RIGHTS ON MARRIAGE) ORDINANCE, 2018

As the Bill was pending for consideration in Rajya Sabha and the practice of divorce by triple *talaq (i.e., talaq-e-biddat)* was continuing, there was an urgent need to take immediate action to prevent such practice by making stringent provisions in the law. Since both Houses of Parliament were not in session and circumstances existed which render it necessary for the President to take the immediate action in the matter, the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Ordinance, 2018 (Ord. 7 of 2018), was promulgated on the 19th September, 2018.

28. THE MUSLIM WOMEN (PROTECTION OF RIGHTS ON MARRIAGE) BILL, 2018

In order to replace the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Ordinance, 2018, the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2018 was introduced in Lok Sabha on the 17th December, 2018 and was passed by that House on the 27th December, 2018.

29. THE MUSLIM WOMEN (PROTECTION OF RIGHTS ON MARRIAGE) ORDINANCE, 2019

While the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2018 was pending consideration in Rajya Sabha, both Houses were adjourned. As both Houses of Parliament were not in session and the practice of divorce by triple *talaq* (*i.e talaq-e-biddat)* was continuing, in order to prevent such practices and to give continued effect to the provisions of the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Ordinance, 2018, the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Ordinance, 2019 (Ord. 1 of 2019) was promulgated on the 12th January, 2019.

30. THE MUSLIM WOMEN (PROTECTION OF RIGHTS ON MARRIAGE) SECOND ORDINANCE, 2019

In order to replace the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Ordinance, 2019, necessary official amendments to the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2018 were moved in Rajya Sabha. However, the Bill could not be taken up for consideration in Rajya Sabha and both Houses were adjourned. Since both Houses of Parliament were not in session and the practice of divorce by triple *talaq* (*i.e talaq-e-biddat)* was continuing, in order to prevent such practices and to give continued effect to the provisions of the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Ordinance, 2019, the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Second Ordinance, 2019 (Ord. 4 of 2019) was promulgated on the 21st February, 2019.

31. PETIONS AND OTHER COURT CASES RELATING TO PERSONAL LAWS AND OTHER SUBJECTS

The Legislative Department, being in-charge of personal laws and matters relating to List III- Concurrent List of the Seventh Schedule to the Constitution, such as, the Contract Act, 1872, the Evidence Act, 1872, the Indian Trust Act, 1882, the Transfer of Property Act, 1882, the Partition Act, 1893, the Code of Civil procedure, 1908, the Limitation Act, 1963, etc.; including office of profit, handled various petitions and other court cases in the Supreme Court and various High Courts. During the period from 1st January, 2018 to 31st March, 2019, 38 fresh cases have been received. Parawise comments, counter affidavits and appropriate instructions, as the case may be, have been prepared and conveyed to the Government Counsel.

32. STATE LEGISLATIVE PROPOSALS

Legislative proposals relating to the subjects allocated to this Department sponsored by the State Governments, which, by virtue of the provisions of clause (2) of article 254 of the Constitution, require assent of the President, are scrutinised in the Department. During the period from 1st January, 2018 to 31st March, 2019, 94 references relating to State Bills/Ordinances have been scrutinised.

33. INSTITUTE OF LEGISLATIVE DRAFTING AND REASEARCH (ILDR)

Legislative drafting is a specialised job which involves drafting skills and expertise. Apart from indepth knowledge of laws and their regular updation, continuous and sustainable efforts are required to enhance the skills of legislative drafting. The Officers of the Central Government, State Governments and Union territory Administrations dealing with legislative proposals and the students of law need training and orientation to develop the aptitude and the skills in legislative drafting.

(2) In January, 1989, with a view to increase the availability of trained officers to deal with legislative proposals as also trained Legislative Counsel in the country, the Institute of Legislative Drafting and Research (ILDR) was established as a Wing of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice. So far, the ILDR has conducted 22 Appreciation Courses and 30 Basic Courses on Legislative Drafting. A total of 322 officers of State Governments handling legislative proposals have been trained through Basic Course and 353 officers from Central Government Ministries / Departments associated with legislative proposals have been benefitted through Appreciation Course.

(3) The ILDR conducts one Basic Course and one Appreciation Course in Legislative Drafting every year which are as follows:

(i) The Basic Course is of three months' duration and meant for the middle level officers of the State Governments/Union territory Administrations;

(ii) The Appreciation Course is of fifteen days' duration for middle level officers of Central Government Ministries/Departments/Attached/Subordinate Offices and Central Public Sector Undertakings;

(iii) Voluntary Internship Scheme for students of law. This Scheme is intended to motivate students in creating interest in legislative drafting skills and secure knowledge about the nature and working of the Legislative Department.

(4) The following activities have been performed by ILDR during the period 2018-2019: -

(i) Thirtieth Basic Course in Legislative Drafting from 2nd July, 2018 to 28th September, 2018. Nineteen trainee officers were benefitted by the said Course.

(ii) Twenty-second Appreciation Course in Legislative Drafting from 4th February, 2019 to 18th February, 2019 . Thirty six trainee officers were benefitted by the said Course.

(iii) Imparted training to the trainee officers of Thirty-fourth International Training Programme in Legislative Drafting course conducted by the Bureau of Parliamentary Studies and Training, Lok Sabha Secretariat 17th January, 2019 to 15th February, 2019. Forty participants from Foreign countries were benefitted.

(iv) Voluntary Internship programme has been started from the year 2013 and is open throughout the year.

(5) On the basis of evaluation of activities of ILDR complying with the guidelines of Quality Management System Manual (QMSM), ILDR has secured the upgradation of ISO certification from ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015.

34. E- GOVERNANCE INITIATIVES

(i) Content Management Framework (CMF based official website): The Legislative Department has launched its Content Management Framework (CMF) based official website. The said CMF based website of the Department has been issued with 'Certified Quality Website' (CQW) Certificate after due verification by the Standardisation Testing and Quality Certification Directorate, Ministry

of Electronics and Information Technology.

(ii) The said Open Source Content Management Framework developed by National Informatics Centre (NIC) is Guidelines for Indian Government Websites (GIGW) compliant and would enable static sites to migrate to a dynamic portal automatically making available certain special features like Mobile Friendliness (adaptable screen sizes to use in Android, IOS and Windows); Text Speech Enablement (option for visually challenged persons to read the content of the webpage); Language Translation/Transliteration (Translation of English content to local language); and Visitor Analytic Dashboard. Users can easily navigate and search for the content they are looking for.

(iii) Implementation of e-Office Lite: Implementation of e-Office(Lite), as part of good governance and being an important part of the Mission Mode Projects of the Government, is in progress. The project is being implemented in coordination with National Informatics Centre(NIC) as per the schedule proposed by the National Informatics Centre Services Incorporated (NICSI) in a phased manner.

(iv) Cyber Security Instructions to thwart any possible cyber attack in the Legislative Department: Compliance of E-Governance Policy under Information Technology in coordination with National Informatics Centre to counter cyber threats are done periodically. The Cyber Security Instructions as provided by the Government from time to time to sensitise the officers and staff of the Legislative Department on the continuing threat of data pilferage, hacking and similar cyber attacks by non-State entities have also been circulated for strict adherence in order to thwart any possible cyber attack and secure the Department's website.

35. RTI APPLICATIONS

Consequent upon the enactment of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the Legislative Department constituted a Right to Information Cell with effect from the 12th August, 2005 with one Appellate Officer, one Central Public Information Officer and one Central Assistant Public Information Officer. At present Shri Udaya Kumara, Joint Secretary, Shri S.K.Chitkara, Director and Ms. Vidyawati, Under Secretary are functioning as the Appellate Authority, Central Public Information Officer and the Central Assistant Public Information Officer, respectively. This Department has launched a separate webpage under the caption *"Right to Information"* on the Department's official website and maximum information pertaining to this Department have been disseminated therein in consonance with the provisions of the Right to Information Act, 2005 so as to ensure the object of proactive disclosure of information envisaged under the said Act. Further, contact E-mail addresses have been created in coordination with the NIC Cell for Appellate Authority and Central Public Information Officer of this Department, so as to make this Department's official website more user friendly for the public to utilize the provisions of the said Act. The contact e-mail address of the Appellate Authority is aa-rti-legis@nic.in and that of the Central Public Information Officer is cpio-rti-legis@nic.in.

(2) Keeping in view, the various provisions of RTI Act, 2005, the applications received from the applicants are thoroughly examined and the available information collected from the concerned administrative units of the Legislative Department is provided to the applicants. Also, the applications which contain the subject matter pertaining to other Ministries/Departments of the Central Government

are promptly transferred to the concerned Ministries/Departments in consonance with the relevant provision of the said Act. Further, in case of First appeals, the same are independently examined by the Appellate Authority and disposed of within the prescribed time limit. During the period from 1st January, 2018 to 31st March, 2019, One thousand eight hundred twenty seven (1827) applications seeking information under the said Act were received, which were promptly attended to by giving due reply to the applicants as per the provisions of the Right to Information Act, 2005 and the rules made thereunder. One hundred twenty two (122) first appeals were preferred before the Appellate Authority out of which 122 (One hundred twenty two) cases were duly disposed off on merits during the period from 1st January, 2018 to 31st March, 2019. On account of handling of RTI cases this Department has earned Rs.4,400/- towards application fee and copying charges during the period from 1st January, 2018 to 31st March, 2019.

36. CORRECTION SECTION

(1) Maintenance of Central and State Codes

The Correction Section is responsible for maintenance and updation of the Central legislations, the Constitution of India and Orders issued thereunder, Manual of Election Laws, Central Ordinances, Regulations, President's Acts and compilation of State Acts for the use of officers in the Ministry of Law and Justice. This Section maintains master copies of the India Code, which contains unrepealed Central Acts and acts as a reference for the Minister-in-charge, officers in the Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs and Legislative Department) and the Law Officers of the Government of India. These are valuable reference books and are also used for publishing the revised editions of Acts by the Central Government. The Central Acts have been updated in the master copy of the India Code upto the year 2018. The work of updation of Central Acts is an ongoing process and the work for the year 2019 is under process.

(2) This Section has been entrusted with the work of updation of unrepealed Central Acts, Regulations, Ordinances etc. from the year 2017 onwards on the official website of Legislative Department at www.legislative.gov.in under the heading 'Legislative References' and was also directed to upload them on the India Code Portal at https://indiacode.nic.in. This work is also being monitored by the Cabinet Secretariat and the Delhi High Court. In addition to this, the Section has also uploaded unrepealed Central Acts in force from the year 1838 upto 1892 on the official website of the Department. A List of Central Acts arranged, both alphabetically and chronologically, have also been made available on the official website of Legislative Department at www.legislative.gov.in under the heading 'Documents'.

(3) In the year 2018-19, the Section has uploaded 6 principal Acts, updated 42 Central Acts with their current amendments (including amendments in multiple Acts through a single Amendment Act), 22 Central Ordinances and 3 Central Regulations on the official website of the Department as well as on the India Code Portal.

(4) During the year 2018-19, the Section has downloaded Gazette copies of forty-two Acts of Parliament (including two Finance Acts and nine Appropriation Acts) and two Constitution Amendment Acts, twenty-two Central Ordinances and three Central Regulations from the official website of the Directorate of Printing, Department of Publication at http://www.egazette.nic.in.

A. Principal Acts downloaded and uploaded in the year 2018-19 (excluding Appropriation Acts and Finance Act):

2018

1. The Repealing and Amending Act, 2017 (2 of 2018).
2. The Indian Institute of Petroleum and Energy Act, 2017 (3 of 2018).
3. The Repealing and Amending (Second) Act, 2018 (4 of 2018)
4. The Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (17 of 2018).
5. The National Commission for Backward Classes (Repeal) Act, 2018 (24 of 2018).
6. The National Sports University Act, 2018 (25 of 2018).

B. Amendment Acts including one Constitution Amendment Act downloaded in the year 2018-19:

2018

1. The Companies (Amendment) Act, 2017 (1 of 2018).
2. The Indian Forest (Amendment) Act, 2018 (5 of 2018).
3. The National Bank for Agriculture and Rural Development (Amendment) Act, 2018 (7 of 2018).
4. The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Act, 2018 (8 of 2018).
5. The Goods and Services Tax (Compensation to States) Amendment Act, 2017 (9 of 2018).
6. The High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Act, 2018 (10 of 2018).
7. The Payment of Gratuity (Amendment) Act, 2018 (12 of 2018).
8. The Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018 (16 of 2018).
9. The Specific Relief (Amendment) Act, 2018 (18 of 2018).
10. The State Bank (Repeal and Amendment) Act, 2018 (19 of 2018).
11. The Negotiable Instruments (Amendment) Act, 2018 (20 of 2018).
12. The Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Act, 2018 (21 of 2018).
13. The Criminal (Amendment) Act, 2018 (22 of 2018).
14. The Constitution (One Hundred and Second Amendment) Act, 2018
15. The Homoeopathy Central Council (Amendment) Act, 2018 (23 of 2018).
16. The Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Act, 2018 (26 of 2018).
17. The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act, 2018 (27 of 2018).
18. The Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts

(Amendment) Act, 2018 (28 of 2018).

19. The Central Goods and Services Tax (Amendment), Act, 2018 (31 of 2018).

20. The Integrated Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2018 (32 of 2018).

21. The Union Territory Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2018 (33 of 2018).

22. The Goods and Services Tax (Compensation of States) Amendment Act, 2018 (34 of 2018).

23. The National Trust For Welfare of Persons With Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities (Amendment) Act, 2018 (35 of 2018).

2019

1. The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Act, 2019 (1 of 2019).
2. The National Council for Teacher Education (Amendment) Act, 2019 (2 of 2019).
3. The Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act, 2019.
4. The Personal Laws (Amendment) Act, 2019 (6 of 2019).

C. Ordinances downloaded and uploaded during the year 2018-19

2018

1. The Fugitive Economic Offenders Ordinance, 2018 (1 of 2018).
2. The Criminal Law (Amendment) Ordinance, 2018 (2 of 2018).
3. The Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts (Amendment) Ordinance, 2018 (3 of 2018).
4. The Homeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2018 (4 of 2018).
5. The National Sports University Ordinance, 2018 (5 of 2018).
6. The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2018 (6 of 2018).
7. The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Ordinance, 2018 (7 of 2018).
8. The Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2018 (8 of 2018).
9. The Companies (Amendment) Ordinance, 2018 (9 of 2018).

2019 (till 31-3-2019)

1. The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Ordinance, 2019 (1 of 2019).
2. The Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2019 (2 of 2019).
3. The Companies (Amendment) Ordinance, 2019 (3 of 2019).
4. The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Second Ordinance, 2019 (4 of 2019).
5. The Indian Medical Council (Amendment) Second Ordinance, 2019 (5 of 2019).
6. The Companies (Amendment) Second Ordinance, 2019 (6 of 2019).

7. The Banning Of Unregulated Deposit Schemes Ordinance, 2019 (7 of 2019).

8. The Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Ordinance, 2019 (8 of 2019).

9. The Aadhaar and other Laws (Amendment) Ordinance, 2019 (9 of 2019).

10. The New Delhi International Arbitration Centre Ordinance, 2019. (10 of 2019).

11. The Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2019 (11 of 2019).

12. The Special Economic Zones (Amendment) Ordinance, 2019 (12 of 2019).

13. The Central Educational Institutions (Reservation in Teachers Cadre) Ordinance, 2019 (13 of 2019).

D. Central Regulations downloaded and uploaded during the year 2018-19

2018

1. The Daman and Diu Municipalities (Amendment) Regulation, 2018 (1 of 2018).

2. The Dadra and Nagar Haveli Municipal Council (Amendment) Regulation, 2018 (2 of 2018).

3. The Andaman and Nicobar Islands (Municipal) (Amendment) Regulation, 2018 (3 of 2018).

(5) Based on the Acts of Parliament, the amendments have been carried out in the master copies of the principal Acts. During the year 2018-19, the Acts which have been brought into force by the respective administrative Ministries, date of enforcement and their notification numbers have been entered at the relevant places of master copies of the respective Acts and also uploaded on the official website of the Department as well as on the India Code Portal.

37. STATE ACTS

During the year 2018-19, the Section has received a total 189 State Acts and 65 Ordinances from 12 States, namely Andhra Pradesh, Assam, Delhi, Jammu and Kashmir, Kerala, Maharashtra, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh and West Bengal. All Acts and Ordinances have been entered in the relevant registers and folders.

38. INDIA CODE UPDATION UNIT

Each year number of legislations (both principal Acts and Amending Acts) are passed by the legislature and it is difficult for judiciary, lawyers as well as citizens to refer relevant and up to date Acts when required. This can be solved by building up an exhaustive repository of all the Acts and Amendments in one place which is open to all. A need has been felt for the development of building up Central repository of all the Acts and their subordinate legislations (made from time to time) at one place which are easily accessible to all stakeholders with a view to make such laws available in up-to-date form when required by public, lawyers, judges, etc., and to avoid private publishers from exploiting the general public with enormous prices by claiming published updated laws as their copyright work. In fact, this is the most vital reason why should make India Code available over Internet. Keeping all these aspects in view, India Code Information System (ICIS), a one stop digital repository of all the Central and State Legislations including their respective subordinate legislations has been developed with the help of NIC under the guidance of Ministry of Law and Justice (Legislative Department). It is an important step in ensuing legal empowerment of all citizens as well as the object of ***ONE NATION –ONE PLATFORM***.

SALIENT FEATURES

The main object of this system is to provide a one stop repository of all the Acts and Legislations in India in the latest and updated format as and when required by the general public, lawyers, judges and all other interested parties. With the help of this system, not only the procedures of locating the relevant precedents and amendments will be highly simplified but retrieving any Central or State Act of one's interest in an up-to-date form will be made User-Friendly and accessible at push of few buttons. A mobile application has also been developed through which such information could be accessible on mobile from anywhere. This system will promote public knowledge on all laws made in India. It will also help as effective information management to support the work of the administrative authorities and provision of ready access to it by the public in digital form.

This repository shall consist of all the Central Acts and State Acts. It is a central database repository which shall contain all laws made in India. As and when any new Acts, amendments to existing Acts are passed and subordinate legislations are made, respective authority has been provided with the facility to upload on central repository.

Under ICIS, indiacode.nic.in website has been developed which consist of all Central as well as State Acts along with their Subordinate Legislations. All Central Acts and State Acts will provide details relating to Sections, Schedules, Short titles, Enactment Dates and also very significant Foot-Notes in every Act. S**earch facility has been made available on the following fields**:

1. Act Year
2. Act Number
3. Enactment Date
4. Short Title
5. Ministry
6. Department

A Free Text Search is also available.

MAJOR E-GOVERNMENT INITIATIVES

With the help of this system, any member of the public can have access to the existing enactments and also the procedures of locating the relevant precedents and amendments being simplified for retrieving any Central Act and State Act including any subordinate legislation made thereunder. The up to date legislative documents will be made extremely User-Friendly and accessible at push of few buttons.

As an on ongoing process of updating and uploading of Central Acts on the New India Code website, Central Acts from the years 1838 to 2018 have been updated and uploaded. Hindi version of these Acts are available at www.legislative.gov.in. As far as updating and uploading of subordinate legislations are concerned, all the administrative Ministries and Departments in the Government of India have been requested to make available the updated versions and many Ministries/Departments have completed uploading of their subordinate legislations.

The ICIS is a major E-Government initiative containing all existing Central and State Acts of country having largest democracy at one place, therefore, available Acts are referred nationally as well as internationally by law makers, Judiciary, Academicians, Law Students, etc. Thus, web portal is accessed globally. The ICIS prevents the monopoly of private publishers who may claim copy rights of their publication for the citizen for their own laws.

39. PRINTING SECTION

The Printing Sections of the Legislative Department, namely, the Printing I and Printing II, undertake the processing of legislation for printing at various stages. These two Sections handle the work relating to the editing of manuscripts of the Bills (including preparation of contents and annexures, wherever required), Ordinances, Regulations, Adaptation Orders, Orders issued under the Constitution of India, Delimitations Orders and other statutory instruments before sending them to Press. Proofs of the Bills, etc., are checked at multiple stages and after approval, the same are sent to Legislative I Section, which forwards them to Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariats for printing of 'To be introduced in Lok Sabha/Rajya Sabha stage copies. The Bills, which are required to be introduced at a short notice are also got printed by the Printing Sections on behalf of the Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats. Subsequently, the printed copies of the Bills are examined at various stages, namely, 'To be/As introduced' stage, 'As passed by the Lok Sabha/Rajya Sabha' stage, 'As passed by both the Houses' stage, 'Assent copy' stage, 'Signature copy' stage and at last, after assent of the President, the Act is prepared and processed for publication in the Official Gazette. Immediately thereafter, the Act is prepared and edited again for publishing the same as A-4 stage copy for public sale. Proofs of the A-4 size copies of the Acts are again scrutinized and got approved before returning to the Government Press for final printing and the printed copies of the Acts are checked for errata and released for sale.

(2) Besides the editing and proof-checking of various other publications like the Constitution of India, India Code, Acts of Parliament, the Printing Sections have also undertaken the updating of the modified editions of the Central Acts as per the requirements of the Department.

(3) During the period from 1st January, 2018 to 31st March, 2019 the Printing I and Printing II Sections have performed the following tasks, namely:

- (a) edited manuscripts and checked the proofs, scrutinized copies of 141 Bills, 42 Bill Gazettes, 22 Ordinances and 3 Regulations;
- (b) checked the computer printout of the India Code (Total 576 pages);
- (c) checked the proof and printed copies of 9 Diglot modified editions of Central Acts of Parliament;
- (d) edited and checked the proof of one Constitution Order.

(4) Further, Printing Sections have checked 245 Acts for the purpose of repeal.

40. GENERAL STATUTORY RULES AND ORDERS (GSRO) SECTION

1. The revised edition of the Central Acts is published by the Legislative Department and the subordinate

legislations made under the Acts are published by the administrative Ministry/Department concerned.

2. The subordinate legislations, namely, consisting of general statutory rules and orders, notifications, etc., under an enactment is prepared and issued by the Ministry or Department which is administratively concerned with the Act, after vetted by the Legislative Department. Pursuant to the recommendations of the Parliamentary Committee on Subordinate Legislation, a scheme for maintaining subordinate legislation up-to date and making the same available expeditiously to the public was formulated. The administrative Ministries are required under the said scheme, to maintain folders, containing up-to date copies of rules, orders and notifications issued by them.

3. The Rajya Sabha Committee on subordinate Legislation in its 135th Report has recommended that Ministries, as part of their e-governance initiative may, put all legislation on their websites, preferably bilingually. The Committee has further recommended that the Ministry of Communication and Information Technology would develop standard application software with an internet interface for use in all Ministries, which would provide a searchable database of subordinate legislation linked to the principal Acts, administered by the respective Ministry.

4. The General Statutory Rules and Orders (GSRO) Section maintains alphabetical registers of General Statutory Rules and Orders (GSRO) issued by the various Ministries/Departments published in the Gazette of India for official use.

5. The General Statutory Rules and Orders (GSRO) Section has during the year 2018-19 sorted out the Gazette notifications relating to subordinate legislation issued by various Ministries/Departments under Part-II, Section 3, Sub- sections (i) and (ii), both pertaining to Ordinary and Extraordinary notifications.Entries of various notifications have been made in the alphabetical registers along with corrections relating to Part-II, Section 3, Sub-sections (i) and (ii) of various Ordinary and Extraordinary notifications.

41. INTEGRATED FINANCE AND BUDGET AND ACCOUNTS SECTION (IFD)

The Integrated Finance and Budget and Accounts Section is responsible for the work relating to preparation of Budget Estimates and Revised Estimates for all the three Departments of the Ministry of Law and Justice, namely, Department of Legal Affairs, Legislative Department and Department of Justice and also for various autonomous bodies such as ITAT, NALSA, Supreme Court Legal Association etc. Further, the work relating to finalisation of Budget, Pre-Budget Discussion and seeking supplementary/ additional funds are also looked after by this Section. The preparation of the Detailed Demands for Grants of the whole Ministry and compiling of Election Commission of India and Supreme Court of India is also done by Budget and Accounts Section. Apart from this, the Section is also dealing with the proposals which involve financial implications for concurrence of Financial Advisor and wherever specific opinion is required to be taken from the Ministry of Finance. The work relating to Parliamentary Standing Committee on Demands for Grants for the Ministry of Law and Justice is also co-ordinated by this Section.

(2) IF&B&A Section is also responsible for the work relating to provisional release of funds to the States/Union territories (having Legislatures) on account of Election related expenditure.

42. PUBLICATION SECTION

Publication Section brings out, from time to time, modified editions of the Central Acts and other important publications like the Constitution of India, Manual of Election Law, Orders issued under the Constitution of India, Index to Central Acts in Alphabetical and Chronological orders, Index to Statutory Definitions, etc.

2. The Constitution of India (English version) incorporating the latest amendments up to and including the Constitution (103^{rd} Amendment) Act, 2019 along with the foot notes is compiled, scrutinised and vetted for being published (in Pocket Size, diglot edition) by this Department. Besides this, updated copy of the Constitution of India (English version) with foot notes is made available in the website of this Department.

3. The manuscript of English version of the Manual of Election Law (Vol. I & Vol. II) has been prepared and published (diglot edition) in the year 2018-2019.

The proof of the Constitution of India was scrutinised and vetted for being published (in Deluxe and Pocket size, diglot edition) by the Lok Sabha Secretariat.

43. THE OFFICIAL LANGUAGE SECTION

The **Official Language Section** of the Legislative Department is administratively responsible for the implementation of the Official Language Policy of the Union of India; the Official Language Act, 1963 and the Official Language Rules, 1976. This Section is also responsible for increasing the progressive use of Hindi for official purposes of the Union of India in addition to translation work from English to Hindi and *vice-versa*.

(2) **Implementation of the Constitutional and other provisions of the Official Language Policy.**

(i) During the period from 1 January, 2018 to 31 March, 2019 the Legislative Department has taken the following steps to implement the Official Language Policy in all its manifestations:-

As per the provisions of the Official Language Rules 1976 , at present, more than 88.34, 81.32 and 64.05 letters to regions 'A', 'B' and 'C' are being sent in Hindi, respectively. Constant efforts are being made to achieve the targets stipulated in the Annual Programme issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs. The replies to the letters, applications, representations etc. received in Hindi are being sent invariably in Hindi. Letters received in English are also being answered in Hindi as per the Official Language Policy. All the Resolutions, General Orders, Rules, Notifications, Administrative Reports, other Reports, Contracts, Notices and the Documents to be laid before the Parliament are prepared and issued bilingually as per sub-section(3) of section 3 of the Official Language Act, 1963 .

(ii) Legislative Department was notified on 29^{th} April, 1979 under sub-rule (4) of rule 10 of the Official Language Rules, 1976 for conducting the official business in Hindi. The officers and employees who are proficient in Hindi have been directed to submit the drafts etc. only in Hindi. For this purpose, 17 sections out of 31 have been specified to transact the official work in Hindi under sub-rule (4) of rule 8 of the Official Language Rules, 1976.

(3) The Quarterly Progressive Reports for the Progressive Use of Official Language Hindi:

The Quarterly Progressive Reports of Hindi are regularly sent to the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs. Through these Reports, position of employees regarding Hindi training and their overall work in Hindi is reflected and it is ensured that the percentage of correspondence as well as noting and drafting in Hindi increases as per the Annual Programme issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs.

(4) Meetings of the Official Language Implementation Committee:

An Official Language Implementation Committee has been constituted in this Department under the Chairmanship of Joint Secretary and Legislative Counsel (OL Wing). The meeting of this Committee is held once in every three months regularly to assess the progressive use of Hindi for official purposes. The agenda and minutes of these meetings are sent to the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs. The minutes are also circulated to all the officers and Sections of the Department for compliance. Quarterly meetings of the Official Language Implementation Committee were held during the year on 27th **March, 2018 (I), 20th June, 2018 (II), 25th September, 2018 (III) and 28th December, 2018 (IV),** respectively. The first meeting of the year 2019 has been held on 29th March, 2019. This Committee provides effective means to identify problems and suggests the solutions with regard to the progressive use of Hindi. In the meetings of this Committee, the Annual Programme issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs for transacting the official work of the Union in Hindi, is also discussed and every effort is made to achieve the prescribed targets therein. The orders, circulars, directives, notifications, resolutions, recommendations etc. regarding the implementation of Official Language Policy of the Union of India are also discussed in these meetings.

(5) The Hindi Advisory Committee of the Ministry.

As per the guidelines issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, the Hindi Advisory Committee of the Ministry was constituted on 4th August, 1967 under the Chairmanship of Hon'ble Minister for Law and Justice. This Committee has jointly been constituted for Department of Legal Affairs and Legislative Department. The Committee comprises Hon'ble Members of Parliament, nominated by Ministry of Parliamentary Affairs and the Committee of Parliament on Official Language, the nominees of Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, nominees of prominent All India Hindi Voluntary Organizations, nominees of the Ministry of Law and Justice and those of Department of Official Language as non-official members. The Secretaries, Additional Secretaries and the concerned Joint Secretaries of the Department of Legal Affairs, Legislative Department and Department of Official Language are the official members of this Committee.

After the formation of the 16th Lok Sabha, the committee was reconstituted and its first meeting was held on 7th July, 2015 in Udaipur, Rajasthan.

(6) Hindi Training:

This Department nominates its officers/employees for the various training courses of Hindi conducted by Hindi Teaching Scheme, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs. These Hindi Language Courses are *Prabodh, Praveen* and *Pragya.* There are training courses for Hindi typing and Hindi Shorthand

also. The nomination to these Hindi courses is a continuous process as the officers/employees get recruited, promoted and transferred on regular basis.

(7) Hindi Fortnight:

A 'Hindi Fortnight' from **14th September to 28th September, 2018** was organized in this Department. Various Hindi competitions were held during this period and a large number of officers and employees participated in these competitions. Out of these, two competitions were organized exclusively for non-Hindi speaking personnel. There were first, second, third and consolation prizes of Rs.4000/-, Rs.3000/- Rs.2000/- and Rs.750/-, respectively. An amount of Rs.79,500/- was sanctioned to be given to the winners of these competitions.

(8) Incentive Schemes for working in Hindi:

There are three incentive schemes in operation in this Department for the progressive use of Hindi as directed by Department of Official Language. During the year 2018-19, ten employees were awarded prizes under the incentive scheme for noting/drafting done originally in Hindi. One employee was awarded prize under the incentive scheme for typing in Hindi in addition to English. Two officers were awarded prizes for giving dictation in Hindi. Apart from these schemes, officers & employees are granted cash prizes and advance increments on passing the Hindi Training Courses of Hindi Language, Hindi shorthand and Hindi typing conducted by the Hindi Teaching Scheme.

(9) Committee of Parliament on Official Language.

The Committee of Parliament on Official language was set up in1976 to monitor and give suggestions for the progressive use of Official Language Hindi in Central Government Ministries/ Departments and their offices. As far as Legislative Department is concerned, orders issued by the Department of Official Language, based on the recommendations of this Committee are being implemented.

44. OFFICIAL LANGUAGES WING

(1) FUNCTIONS

The Official Languages Wing is a successor Organisation of the Official Languages (Legislative) Commission under the Legislative Department. It has been entrusted with the following functions :-

(i) Preparation and publication of a standard legal terminology for use, as far as possible, in all Official Languages;

(ii) Preparation of authoritative texts in Hindi of all Central Acts and Ordinances and Regulations promulgated by the President;

(iii) Preparation of authoritative texts in Hindi of all Rules, Regulations and Orders made by the Central Government under any Central Act or any Ordinance or Regulation promulgated by the President;

(iv) Preparation of authoritative texts of all Central Acts and Ordinances and Regulations promulgated by the President in the respective Official Languages of the States and to arrange

for the translation of all Acts passed and Ordinances promulgated in any State into Hindi, if the texts of such Acts or Ordinances are in a language other than Hindi; and

(v) Translation into Hindi of deeds, legal documents like contracts, agreements, leases, bonds, mortgages etc. of different Departments;

(vi) Translation into Hindi of all statutory Notifications under Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963 ;

(vii) Translation into Hindi of statutory Rules issued by Governments of States under Presidential Rule;

(viii) Translation into Hindi of all the Parliament Questions/Answers, Assurances etc, relating to the Ministry of Law and Justice;

(ix) Training in Legislative Drafting in Hindi to Officers from Hindi speaking States;

(x) Work relating to Coordination Committee of Hindi speaking States for ensuring effective coordination in the evolution of uniform legal phraseology and model of standard clauses in Hindi and publication thereof;

(xi) Work relating to Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Law and Justice;

(xii) Work relating to providing Grants-in-Aid to voluntary organisations for promotion of Official Languages in the field of law;

(xiii) Publication of diglot editions of Central Acts (with legislative history) and popularisation thereof;

(xiv) Preparation and maintenance of India Code in Hindi (Bharat Sanhita) and also in diglot form; and

(xv) Publication of regional language versions of the Constitution of India and their release.

(2) LEGAL GLOSSARY

Since the inception of Official Languages (Legislative) Commission in 1961, seven editions of Legal Glossary have been brought out and every successive edition is larger in size. While the first edition (1970) contained 20,000 entries, the sixth edition (2001) of Legal Glossary contained approximately 63,000 entries spread over in eight parts. Latest 7th Edition of Legal Glossary has been published in the year 2015 and contained approximately 65,000 entries spread over in seven parts. The Legal Glossary brought out by the Official Languages Wing, which is one of the most important and prestigious publications, has received wide acclaim by discerning men of law and letters.

(3) CONSTITUTION OF INDIA

Besides, the authoritative text of the Constitution of India in addition to Hindi (the Official Language of the Union), the authoritative texts of the Constitution of India have been brought out in 15 other regional languages, namely, Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu, Urdu, Sindhi, Nepali and Konkani. Recently competent Authority has also been pleased to approve the

publication of Constitution of India in Manipuri Language Diglot form (English-Manipuri) and Dogri language Diglot form (English-Dogri).

(4) BHARAT SANHITA

All the Central Acts have been compiled and brought out in the form of India Code in handy volumes. The last edition of India Code consisting of eight volumes was published in 1959. Action has already been initiated for bringing out Bharat Sanhita (Revised Edition of India Code) in diglot form in chronological order.

One of the salient features of the Code is that the statement of objects and reasons appended to the principal Bills have also been added at the end of each Act and included in the revised edition of India Code. Volume I to XXXI of the revised edition of India Code have already been published and manuscripts of the India Code Volume XXXII and XXXIII have been sent to Press.

(5) PREPARATION AND PUBLICATION OF AUTHORITATIVE TEXTS OF CENTRAL ACTS

During the period under report, authoritative texts of about 31 Acts in Hindi have been published in the Official Gazette under section 5 (1)(a) of the Official Languages Acts, 1963. Now the total number of such Acts since 1963 have gone up to 2448.

(6) PUBLICATION OF DIGLOT EDITIONS OF CENTRAL ACTS

Central Acts, for which there is likelihood of public demand, are published by the Official Languages Wing in diglot form. When there is a public demand for a particular Act, the same is published in diglot form (Hindi & English) for sale to general public. Total number of such Acts is 401 as on date.

(7) AUTHORISED HINDI TRANSLATION OF BILLS, ORDINANCES, ETC.

Sub-section (2) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 requires that all Bills to be introduced or amendments thereto moved in either House of the Parliament shall be accompanied by Hindi translation of the same. During the period under report, the Hindi translation of 85 Bills, simultaneously with their English texts, was supplied to the Houses of Parliament. Besides this, Hindi translation of 22 Ordinances and 9 Notes for the Cabinet and 38 Acts were also prepared.

(8) GENERAL STATUTORY RULES AND ORDERS (G.S.R.O.)

Sub-section (3) of section 3 of the Official Languages Act, 1963 lays down the foundation for bilingual working of the Central Government. Under clause (1) of that sub-section, all resolutions, general orders, rules, notifications etc., issued or made by the Central Government must be both in Hindi and English languages. During the period under report,9596 pages of such statutory rules/notifications etc., were prepared for different Departments of the Central Government.

(9) PREPARATION AND PUBLICATION OF AUTHORITATIVE TEXTS OF RULES, REGULATIONS, ORDERS ETC.

Clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 requires that translation in

Hindi published under the authority of the President in the Official Gazette of any Order, Rule, Regulation or Bye-law issued under the constitution or under any Central Act shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi. Some Rules, Regulations, Orders etc., are at different stages of translation. During the period under report, 3568 pages of Recruitment Rules were translated.

(10) MAINTENANCE OF CENTRAL ACTS, ETC.

The Correction Section of the Official Languages Wing is maintaining and updating the Central legislations kept as master copies in the form of India Code, India Code (Diglot) as well as Bharat Sanhita. It also keeps Constitution of India and important manuals including Manual of Election Law up-to- date for reference by the officers in this Wing. This Section is responsible for carrying out the amendments made by the amending Acts passed by the Parliament in the aforesaid master copies of Central legislation.

Besides, manuscripts of Hindi Central Acts for publication in Diglot form and copies of two diglot editions work prepared by O.L. Wing and manuscripts of Constitution of India (A-4 size) and information regarding E-Gazette copies published by the Wing were sent to State Govt. and High courts. The pocket edition (Hindi) was prepared by this Section during the above mentioned period.

In addition to above, this Section supplied –

(a) Information regarding publication of E-Gazette copies of Central Acts (Diglot edition) was sent to various State Governments for translation into various regional languages; and

(b) E-Gazette copies of Hindi version of Central Acts was sent to Hindi speaking States for republication in their State Gazettes.

(c) Work relating to publication is mainly undertaken by this Section.

(d) This Section also assists the Regional Languages Unit of O.L. Wing in connection with preparation of translation of Central Acts in Regional Languages this year 43 proposal were received from Regional Languag Unit (Leg.II Section) on different matter.

(e) Process of updation of India Code (Hindi) has been started and the Acts of Parliament from year 1947 to 2018, have already uploaded on the web-site of Official Languages Wing.

(11) EDITING OF MANUSCRIPTS OF BILLS, ACTS, ORDINANCES, DIGLOT EDITIONS, ETC. AND PUBLICATION THEREOF

The Printing Section of the Official Languages Wing is primarily concerned with the editing of manuscripts and checking of proofs of Bills, Ordinances, Regulations, President's Acts etc; issued under the Constitution of India, Delimitation of Council Constituencies orders, etc; Bills, which are required to be introduced in a short time, are also printed on behalf of the Houses of People or the Council of States. Editing and Proof-Checking of the publication in diglot form of the Constitution of India, Manual of Election Law, revised Edition of India Code, modified diglot edition of Central Acts, statutory Rules and Orders, Annual Reports etc. are also done in this Section. This Section is also responsible for the printing and publication of Central Acts, Ordinances, Regulations, President's Act, etc; and their subsequent reprints in diglot form as publication for sale. This Section discharged all its responsibilities during the year under review.

The Printing Section of the Official Languages Wing is also performing the duties of the publication Section. During the period under report, 31 Acts were authenticated and 22 Ordinances were got published by this Section. Moreover, Diglot Editions of six Acts were printed during the period under report and other work relating to publication of Legal Glossary VIIth Edition and Mannual of Election Law Volume I and II was also under taken.

(12) PREPARATION AND PUBLICATION OF STANDARD LEGAL DOCUMENTS

Section 3 (3)(iii) of the Official Languages Act, 1963 requires that both Hindi and English Languages are to be used for agreements, contracts, leases, bonds, tenders etc., issued by or on behalf of the Central Government. or any Ministry, Department or office thereof. In order to comply with the requirement of the said Act, the Official Languages Wing has prepared Hindi version of the documents in eight volumes for various Ministries and Departments of the Central Government with a view to achieve uniformity in their translation. During the period under report, the Hindi version of 3298 pages of Parliament Questions Answers/ Assurances of this Ministry was also prepared.

(13) ESTABLISHING THE INDIAN LANGUAGES IN THE SPHERE OF LAW

The Official Languages Wing, Regional Languages Unit is constantly doing the work of translation of Central Acts into Hindi as enshrined in the Eighth Schedule to the Constitution of India. So far as the regional languages are concerned, this work is being done with the co-operation of respective State Governments.

The Official Languages Wing has also published the authoritative texts of Central Acts in regional languages as envisaged under section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973). During the period under report, translation of 71 Central Acts have been approved by the Working Group (Regional Languages) and 87 Central Acts in Regional Languages including Hindi have been authenticated as authoritative texts by the President of India. Besides the Authoritative texts of the Constitution of India in addition to Hindi has been brought out in 15 other Regional Languages that is, Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telgu, Urdu, Sindhi, Nepali and Konkani.

(14) WIDE DISTRIBUTION OF CENTRAL ACTS, LEGAL GLOSSARY ETC.

The Gazette copies of Hindi version of Central Acts after they have been authenticated and published in the Gazette of India have been sent to Hindi speaking States. They were also sent to Gujarat and Maharashtra and the High Courts in these States. Further, these copies were sent to the concerned Ministries and Departments of Government of India, Andaman and Nicobar Islands, the Nagri Pracharini Sabha, Parliament Library and other Libraries. Copies of the Central Acts in diglot form are regularly sent to all States (Hindi as well as non-Hindi speaking States), Supreme Court of India, Parliament Library and all High Courts. The Constitution of India Legal Glossary also have be distributed into the Lok Sabha and Rajya Sabha and all the Ministries to the Government of India.

(15) WORK RELATING TO THE HINDI SALAHKAR SAMITI

The Twelfth Hindi Salahkar Samiti of this Ministry was constituted vide Resolution No.E.4(1)/2014-O.L.Wing (LD) dated 14th May, 2015 for three years and further its tenure has been extended with effect from 14th May, 2018 for one year or remaining tenure of present Lok Sabha, which consists of Lok Sabha

and Rajya Sabha Members and about eleven official members and invitees. The functions of the Samiti are normally to advise the Central Government on matter relating to :-

(i) preparation of Hindi version of Central Acts and statutory rules ;

(ii) the evolution of common legal terminology ;

(iii) the production of standard law books in Hindi for imparting legal education in Hindi in law colleges and Universities ;

(iv) publication of law journals and reports in Hindi ;

(v) matters ancillary and incidental to any of the above items ; and

(vi) suggest ways and means for the propagation and development of Hindi in the field of law for official use.

(16) GRANTS IN AID TO VOLUNTARY ORGANISATIONS

There is a scheme for the promotion of Official Languages of the Union and States for propagation and development of Hindi and other Indian languages in the field of law. Under the scheme ,Voluntary Organisations and institutions are provided with financial aid. Since 1985, the Official Languages Wing has been implementing this scheme to give financial assistance to those voluntary organisations which are engaged in the activities for development and propagation of literature in the field of law and other regional languages which could be in the form of proposed commentaries, treatises, books on legal subjects, law journals, law compendium and other publications as are conducive to enrichment, propagation and development of Hindi and other regional languages of the State. A High Powered Committee has been constituted w.e.f. 25th April 2019 for three years under the Chairmanship of Justice Dr. Satish Chandra (Retd.) Judge of High Court of Allahabad, and the other members of the Committee are Smt. Kumud L. Das, Advocate, Supreme Court of India, New Delhi, Prof. (Dr.) Subash Chandra Gupta, Professor and Head - Deptt. of Law, HNB Garhwal University, Dr. BGR, Campus, Pauri Garhwal and Joint Secretary and Legislative Counsel of Official Languages Wing as Member -Secretary.

(17) SPECIAL STEPS ADOPTED FOR THE PROGRESSIVE USE OF OFFICIAL LANGUAGES

Official Languages Wing has hosted a website on 3-12-2001 and its Universal Resource Locater is **http://lawmin.nic.in/olwing.** Apart from this, the important Acts of Parliament in various regional languages have also been hosted under the respective languages on the home page of the O.L. Wing. In order to facilitate printing of various Bills, Notifications, Orders, Recruitment Rules etc. the O.L. Wing has started using the Unicode fonts and provides soft copies of the Hindi Texts.

The Constitution of India, I.P.C., Cr. P.C. and the Manual of Election Laws have already been hosted on the net. This website has been further enriched by putting a list of Acts and a list of Rules & Regulations. Updated Central Acts from 1947 to 2018 have also been uploaded on the web site in PDF format for the benefit of legal fraternity and general public as well as the law students.

During the period under report, Bill Section, Translation-I Section, Translation-II Section, Legislative-

I, Legislative-II Section, Printing Section, Correction Section, Administration Section, Cash Section and Library of O.L. Wing were fully computerized. The Camera Ready copies of almost all the Bills were prepared during the period under report. For ease of working, the O.L. Wing has started using Mangal font which has universal functionality in Hindi Language.

A list of Names, Addresses, e-mail address and Contact Numbers of all the Group 'A' officers of the O.L. Wing in English and Hindi has also been hosted on the home page of O.L. Wing.

The Scheme for Assistance to Voluntary Organisations for promotion of Official Languages in the field of Law both in English and Hindi and has also been hosted on the Net.

45. VIDHI SAHITYA PRAKASHAN

In the year 1958, the Committee of Parliament on Official Languages recommended that arrangements be made to bring out authorised translation of important judgements of the Supreme Court of India and the High Courts and this work could be entrusted to a Central Office under the supervision of Law Department. Thereafter, on the recommendations of the Hindi Advisory Committee, a "Journal Wing" was set up in the Legislative Department in the year 1968 with the object of promoting the use of Hindi in the legal field which was subsequently redesignated as "VIDHI SAHITYA PRAKASHAN".

(2) Initially, after translating in Hindi and making headnotes thereof monthly publication of all the reportable judgements of the Supreme Court of India, as marked 'REPORTABLE' was started in April, 1968 and it was designated as "Uchchatama Nyayalaya Nirnaya Patrika". Another monthly publication containing judgements of the High Courts was started in January, 1969 and it was designated as "Uchcha Nayayalaya Nirnaya Patrika". In the year 1987 "Uchcha Nyayalaya Nirnaya Patrika" was bifurcated into two Nirnaya Patrikas i.e. "Uchcha Nyayalaya Civil Nirnaya Patrika" and "Uchcha Nyayalaya Dandik Nirnaya Patrika". Since 1990, due to ever-increasing volume of Supreme Court's reportable judgements as well as dearth of requisite editorial staff in the Vidhi Saahitya Prakashan, only important selected reportable judgements of the Supreme Court, are being published in Hindi in the "Uchchatama Nyayalaya Nirnaya Patrika". The "Uchcha Nyayalaya Civil Nirnaya Patrika" and "Uchcha Nyayalaya Dandik Nirnaya Patrika" respectively are publishing in Hindi only important selected judgements in civil and criminal matters of all High Courts of the country.

(3) Apart from the publication of the above three Patrikas, the Vidhi Sahitya Prakashan is also responsible of the following works, namely :–

- (a) Publication of text books in Hindi in the field of law for use in the academic and other circles as reference books;
- (b) translation and publication of legal classics in Hindi :
- (c) awarding of various prizes for the best publications in Hindi in the field of law;
- (d) sale of Hindi publications of the Vidhi Sahitya Prakashan and diglot editions etc. of the Official Languages Wing of the Legislative Department ; and
- (e) holding of conferences, seminars and book exhibitions at different places in India, particularly in Hindi speaking States for popularization and improvement of legal literature in Hindi.

(4) In addition to above, standard law books in Hindi written by eminent authors are also being published by the Vidhi Sahitya Prakashan for the use of law students, law teachers, lawyers and judicial officers, In order to give incentive to authors writing law books originally in Hindi, the prizes and certificates respectively are awarded annually for best publications in Hindi in the field of law.

(5) Seminars in law colleges, High Courts, District Courts etc. of the State Governments of the Hindi as well as non-Hindi speaking States are held from time to time for propagation and development of Hindi in the field of law. Vidhi Sahitya Prakashan also holds exhibitions of its own publications, including diglot (Hindi-English) editions of the Central Acts of the Official Languages Wing in different Hindi and non-Hindi speaking States and looks after the sale of these publications.

(6) A quarterly journal entitled 'Vidhi Sahitya Samachar' is also being published which contains detailed information regarding various activities in the field of law and publications of the Vidhi Sahitya Prakashan. A 'Publication List' containing priced publications available with Vidhi Sahitya Prakashan is also made available to the customers from time to time.

The details of progress made during the year 2018 are given below :–

(7) Publication of Nirnaya Patrika : During the period under report, at the editing/translation stage the 'Uchchatama Nyayalaya Nirnaya Patrika' has been updated upto April, 2019 'Uchcha Nyayalaya Civil Nirnaya Patrika' has been updated upto February, 2019 and 'Uchcha Nyayalaya Dandik Nirnaya Patrika' has been updated November, 2018. Patrikas have been uploaded on the website of Ministry of Law & Justice http.//lawmin.nic.in/vsp./vsp.htm. and the same are available on line.

During the year 2018 the number of the subscribers of the Patrikas are as under :

Name of the Patrika	No. of subscribers
Uchchatama Nyayalaya Nirnaya Patrika	37
Uchcha Nayayalaya Civil Nirnaya Patrika	36
Uchcha Nyayalaya Dandik Nirnaya Patrika	36

(8) Award of Prizes : Apart from the publication of the above three Law Patrikas (Journals) and law books, the Vidhi Sahitya Prakashan awards the prizes, under the Scheme for writing, translating and publication of law books in Hindi and awarding prizes to such books written or published in Hindi for use as text books or reference books to the tune of Rs. 5,00,000/- (Rupees five lac only), [the Ist prize for Rs. 50,000/-, the IInd prize for Rs. 30,000/- and IIIrd prize for Rs. 20,000/-]. These are awarded to the authors for the best books published by private publishers every year. Five best law books written in Hindi have been awarded for prize in the year 2017 amounting to Rs. 1,20,000/- under the Scheme.

(9) Publication of Law Books : Thirty four standard law books in Hindi have been published for use as reference books so far. Text Books titled 'Bhartiya Samvidhan ke Prumukh Tatv', 'Nirnya Lekhan', 'Apkritya Vidhi ke Prumukh Nirnay' and 'Bharat ka Samvidhanik Itihas' are in process of revision and reprinting.

(10) Organization of Seminars/exhibitions and sale of Law Books and Central Acts in Diglot

(Hindi-English), Legal Glossary, Manual of Election Law & India Code, etc. : In the sequence of holding seminars and books exhibitions, in the year 2018, Exhibitions-cum sale counter of law Publications have been organised in City Civil Court Bombay, High Court of Bombay at Goa Bench, High Court of Himachal Pardesh at Shimla, District Court Shimla and Madras High Court at Chennai Bench. In these exhibitions, the advocates and public at large showed keen interest and highly appreciated the publications of Vidhi Sahitya Prakashan. The Central Acts and Law Publications are now available for online selling on "https://bharatkosh.gov.in"

During the period from 1st January, 2018 to 31th December, 2018 the total sale figure of Vidhi Sahitya Prakashan is Rs. 14,08,440 (Rupees Fourteen Lakh Eight Thousand and Four Hundred Forty Only).

46. DEPUTATION/DELEGATION ABROAD: LEGISLATIVE DEPARTMENT

Dr. G. Narayana Raju, Secretary, Legislative Department visited St. Petersburg, Russia from 15th May, 2018 to 19th May, 2018 to attend the Eighth St. Petersburg International Legal Forum. Dr. Reeta Vasishta Additional Secretary, Legislative Department visited Austria from 29th October, 2018 to 2nd November, 2018 to participate in working Group III Investor State Dispute Settlement Reform of UNCITRAL thirty sixth session. Shri Kondari Vijaya Kumar, Additional Legislative Counsel visited New York, USA from 25th June, 2018 to 3rd July, 2018 to attend the fifty first session of United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).

47. RESERVATION FOR THE SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES, OTHER BACKWARD CLASSES, EX-SERVICEMEN AND PHYSICALLY HANDICAPPED PERSONS IN SERVICE/POSTS.

Officers of the level of Deputy Secretary/Director are functioning as Liaison Officers for the three Administrative Wings of the Legislative Department, viz., Legislative Department (Main), Official Languages Wing and Vidhi Sahitya Prakashan to oversee the implementation of Orders/Instructions of the Government on reservation for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and Physically Handicapped persons in service/posts in respective units.

A Statement showing the total number of employees in the Department (Main), Official Languages Wing and Vidhi Sahitya Prakashan and number of employees belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and Physically handicapped persons and the female employees amongst them as on 31.03.2019 is enclosed **(Annexure-XI and Annexure-XII).**

48. SWACHHTA ACTION PLAN:

Under the Swachhta Action Plan Legislative Department has constructed one lady toilet through CPWD at 4th Floor, 'A' Wing, Shastri Bhavan, New Delhi for the use of physically challenged ladies. Various activities were carried out under "Swachta Hi Sewa" Abhiyaan (**Annexure XIII**).

49. PUBLIC GRIEVANCES

During the period from 1st January, 2018 to 31st March, 2019 Legislative Department received 907 public grievances on CPGRAMS portal. Further 162 public grievances were pending before 1st January, 2018. During the said period 879 grievances have been disposed off and action is being taken for disposed of remaining grievances on priority basis.

50. DEPARTMENT ACCOUNTING ORGANISSATION

The Secretary is the Chief Accounting Authority in the Ministry of Law and Justice. He discharges his functions with the assistance of Additional Secretary (Financial Adviser) and Chief Controller of Accounts.

(2) As per Rule 70 of GFRs 2017, the Secretary of a Ministry/Department who is the Chief Accounting Authority of the Ministry/Department shall: –

(i) Be responsible and accountable for financial management of his Ministry or Department.

(ii) Ensure that the public funds appropriated to the Ministry are used for the purpose for which they were meant.

(iii) Be responsible for the effective, efficient, economical and transparent use of the resources of the Ministry in achieving the stated project objectives of that Ministry, whilst complying with performance standards.

(iv) Appear before the Committee on Public Accounts and any other Parliamentary Committee for examination.

(v) Review and monitor regularly the performance of the programs and projects assigned to his Ministry to determine whether stated objectives are achieved.

(vi) Be responsible for preparation of expenditure and other statements relating to his Ministry as required by regulations, guidelines or directives issued by Ministry of Finance.

(vii) Shall ensure that his Ministry maintains full and proper records of financial transactions and adopts systems and procedures that will at all time afford internal controls.

(viii) Shall ensure that his Ministry follows the Government procurement procedure for execution of works, as well as for procurement of services and supplies and implements it in a fair, equitable, transparent, competitive and cost-effective manner.

(ix) Shall take effective and appropriate steps to ensure his Ministry:-

(a) Collects all moneys due to the Government and

(b) Avoids unauthorized, irregular and wasteful expenditure.

3. As per Para 1.2.2 of Civil Accounts Manual, the Chief Controller of Accounts for and on behalf of the Chief Accounting Authority is responsible for :-

(a) Arranging all payments through the Pay and Accounts Offices/Principal Accounts Office except where the Drawing and Disbursing Officers are authorized to make certain types of payments.

(b) Compilation and consolidation of accounts of the Ministry/ Department and their submission in the form prescribed, to the Controller General of Accounts; preparation of Annual Appropriation Accounts for the Demands for Grants of his Ministry/Department, getting them duly audited and submitting them to the CGA, duly signed by the Chief Accounting Authority.

(c) Arranging internal inspection of payment and accounts records maintained by the various subordinate formations and Pay and Accounts Offices of the Department and inspection of records pertaining to transaction of Government Ministries/Departments, maintained in Public Sector Banks.

4. The Chief Controller of Accounts, Ministry of Law and Justice, Supreme Court of India performs his duties with the assistance of two Pr. Accounts Officers and four Pay and Accounts Officers amongst other staff.

5. The Ministry of Law and Justice, Supreme Court has 53 DDOs including 33 CDDOs and 20 NCDDOs. The non-cheque drawing DDOs submit bills to the Pay and Accounts Office under pre-check system of payment. The PAO-wise detail of the CDDOs and NCDDOs is as under:

S.No.	PAO	D.D.O.	
		CDDOs	NCDDOs
1	PAO (EO)	4	3
2	PAO (LA)	29	12
3	PAO (SCI)	0	1
4	PAO (LD)	0	4

6. As per Para 1.2.3 of Civil Accounts Manual, Principal Accounts Office in New Delhi functions under a Principal Accounts Officer who is responsible for : -

a) Consolidation of the accounts of the Ministry/Department in the manner prescribed by CGA;

b) Preparation of Annual Appropriation Accounts of the Demands for Grants controlled by that Ministry/ Department, submission of Statement of Central Transactions and material for the Finance Account of the Union Government(Civil) to the Controller General of Accounts;

c) Payment of loans and grants to State Government through Reserve Bank of India, and wherever this office has a drawing account payment there from to Union Territory Government/ Administrations;

d) Preparation of manuals keeping in view the objective of management accounting system if any, and for rendition of technical advice to Pay and Accounts Offices, maintaining necessary liaison with CGA's Office and to effect overall coordination and control in accounting matters;

e) Maintaining Appropriation Audit Registers for the Ministry/ Department as a whole to watch the progress of expenditure under the various Grants operated on by the Ministry/Department;

Principal Accounts Office/Officer also performs all administrative and coordinating function of the accounting organization and renders necessary financial, technical, accounting advice to department as well as to local Pay & Accounts offices.

7. As per provisions contained in Civil Accounts Manual, Pay & Accounts offices make payments pertaining to respective Ministries/ Departments and in certain cases payments will be made by the departmental Drawing and Disbursing Officers (DDOs) authorized to draw funds, by means of cheques drawn on the offices/branches of accredited bank that may be authorized for handling the receipts and payments of the

Ministry/Department. These payments will be accounted for in separate scrolls to be rendered to the Pay and Accounts Offices of Ministry/Department concerned. Each Pay and Accounts Office or Drawing and Disbursing Officer authorized to make payments by cheques, will draw only on the particular branch/branches of the accredited bank with which the Pay and Accounts Office or the Drawing and Disbursing Officer as the case may be, is placed in account. All receipts of the Ministry/Department are also be finally accounted for in the books of the Pay and Accounts Office. The Pay and Accounts office is the basic Unit of Departmentalized Accounting Organization. Its main function include:-

- Pre-check and payment of all bills, including those of loans and grants-in-aid, submitted by Non-Cheque Drawing DDOs.
- Accurate and timely payments in conformity with prescribed rules and regulations.
- Timely realization of receipts.
- Issue of quarterly letter of credit to Cheque Drawing DDOs and post check of their Vouchers/bills.
- Compilation of monthly accounts of receipts and expenditures made by them incorporating there with the accounts of the cheque Drawing DDOs.
- Maintenance of GPF accounts other than merged DDO and authorization of retirement benefits.
- Maintenance of all DDR Heads.
- Efficient service delivery to the Ministry/Department by the banking system by way of e-payment.
- Adherence to the prescribed Accounting Standards, rules and principles.
- Timely, accurate, comprehensive, relevant and useful financial reporting.

8. **The specific approval of the CGA, Ministry of Finance would have to be obtained in connection with any proposal for creation (or re-organization) of a new Pay & Accounts Office or for adding to the list of cheque drawing DDOs included in the Scheme of Departmentalization of Accounts of a Ministry/Department.**

9. The overall responsibilities of Departmental Accounting Organization in respect of

Ministry of Law and Justice, Supreme Court of India are:-

- Consolidation of monthly accounts of Ministry and its submission to the CGA.
- Annual Appropriation Accounts.
- Statement of Central Transactions.
- Preparation of “Accounts at a Glance”.
- Union Finance accounts which are submitted to the CGA, Ministry of Finance and Principal Director of Audit.
- Payments of grants-in-aid to State Government / Grantee Institutions / Autonomous Bodies etc.
- Rendering technical advice to all PAOs and Ministry; if necessary in consultation with other organization like DOPT, Ministry of Finance and CGA etc.

- Preparation of Receipt Budget.
- Preparation of Pension Budget.
- Procuring and supplying of cheque books for and on behalf of PAOs/Cheque drawing DDOs and Personal Deposit Account Holder.
- Maintaining necessary liaison with Controller General of Accounts office and to effect overall co-ordination and control in accounting matters and accredited Bank.
- Verify and reconcile all receipts and payments made on behalf of Ministry of Law and Justice through the accredited Bank.
- Maintaining accounts with Reserve Bank of India relating to Ministry of Law and Justice, Supreme Court of India and reconciling the cash balances.
- Ensuring prompt payments.
- Speedy settlement of Pension/Provident fund and other retirement benefits.
- Internal Audit of the Ministry, subordinate and attached offices under Ministry of Law and Justice and its Grantee institutions, etc.
- Making available accounting information to all concerned authorities.
- Budget co-ordination works of Ministry of Law and Justice, Supreme Court of India.
- Monitoring of New Pension Scheme and pension revision cases of Pre-2006 and Pre -

  -1990 retirees.
- Computerization of Accounts and e-payment.
- Administrative and co-ordination function of the accounting organization.
- Universal Roll out of Public Financial Management System (PFMS) for Central Sector Scheme.
- Universal Roll out of Non-Tax Receipt Portal (NTRP) as per M/o Finance guidelines.

10. Accounting information and data are also provided to the Ministry to facilitate effective budgetary and financial control. Monthly and progressive expenditure figures under various subheads of the grant of the Ministry of Law and Justice, Supreme Court of India are furnished to Budget Section. Progress of expenditure against budget provisions are also submitted monthly to Secretary, Addl. Secretary & Financial Adviser as well as Heads of Divisions of the Ministry controlling the grant for purposes of better monitoring of expenditure.

11. The Accounting organization also maintains accounts of long-term advances such as House Building Advance and Motor Car Advance and GPF accounts of employees of the Ministry.

12. The verification and authorization of pensionery entitlement of officers and staff members is done by the Office of the Chief Controller of Accounts on the basis of service particulars and pension papers furnished by Heads of Offices. All retirement benefits and payments like gratuity, cash equivalent to leave salary as well as payments under Central Government Employees Group Insurance Scheme; General Provident Fund etc. are released by CCA's office on receipt of relevant information / bills from DDOs.

13. **INTERNAL AUDIT WING** - The Internal Audit Wing carries out audit of accounts of various offices of the Ministry to ensure that rules, regulations and procedures prescribed by the government are adhered to by these offices in their day to day functioning.

(i) Internal Auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It basically aims at helping the organization to accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance processes. It is also an effective tool for providing objective assurance and advice that adds values, influence change that enhances governance, assist risk management and control processes and improve accountability for results. It also provides valuable information to rectify the procedural mistakes and deficiencies and, thus, acts as an aid to the management. The periodicity of audit of a unit is regulated by its nature and volume of work and quantum of funds.

(ii) There are 51 Auditee units / DDOs under various departments of Ministry of Law & Justice and Supreme Court of India excluding autonomous bodies and other grantee institutions and specific schemes under the Ministry. In the Financial Year 2018-19, **twelve (12) units** of Ministry of Law & Justice have been audited. The audit of more units/DDOs could not be conducted because there is no sanctioned post/permanent manpower for the Internal Audit Wing, Principal Accounts Office of this ministry. The audit work is being managed by officers and staffs posted in different Pay & Accounts Offices and Principal Accounts Office along with two Consultants engaged from the empanelled list of retired officers/officials being maintained by the O/o Controller General of Accounts.

Achievements:- There were a total of 323 outstanding audit paras in respect of Ministry of Law & justice till the financial year 2015-16 besides 265 outstanding paras raised in the previous year. Thereafter, several reminders and circulars were sent to the concerned Offices/Departments, 200 paras pertaining to the period till 2015-16 and 171 pertaining to the year 2016-17 have been settled by the Internal Audit Wing. However, the Current status of outstanding internal audit paras are appended below:-

F.Y.	Number of outstanding paras	Number of paras dropped	Number of paras remaining
Till 2015-16	323	200	123
2016-17	251	171	80
2017-18	60	24	36
2018-19	138	10	128
	772	**405**	**367**

(14) Banking Arrangements :- Indian Bank, State Bank of India, UCO Bank and Dena Bank are accredited banks for PAOs and its field offices of the Ministry of Law, Justice and SCI. Cheques issued by the PAOs/CDDOs are presented to the nominated branch of the accredited bank for payment. The receipts are also remitted to the accredited banks by the respective CDDOs/PAOs. Any change in accredited bank required specific approval of Controller General of Accounts, Department of Expenditure, Ministry of Finance.

(15) New Initiatives:-

(i) Public Financial Management System: Public Financial Management System (PFMS) initially started as a Plan scheme named CPSMS of the Planning Commission in 2008-09 as a pilot in four States of Madhya Pradesh, Bihar, Punjab and Mizoram for four Flagship schemes e.g. MGNREGS, NRHM, SSA and PMGSY. After the initial phase of establishing a network across Ministries / Departments, it has been decided to undertake National rollout of CPSMS (PFMS) to link the financial networks of Central, State Governments and the agencies of State Governments. The scheme was included in 12th Plan initiative of erstwhile Planning Commission and Ministry of Finance.

The mandate given to PFMS by Cabinet decision is to provide:

- A financial management platform for all plan schemes, a database of all recipient agencies, integration with core banking solution of banks handling plan funds, integration with State Treasuries and efficient and effective tracking of fund flow to the lowest level of implementation for plan scheme of the Government.
- To provide information across all plan schemes/ implementation agencies in the country on fund utilization leading to better monitoring, review and decision support system to enhance public accountability in the implementation of plan schemes.
- To result in effectiveness and economy in Public Finance Management through better cash management for Government transparency in public expenditure and real-time information on resource availability and utilization across schemes. The roll-out will also result in improved programme administration and management, reduction of float in the system, direct payment to beneficiaries and greater transparency and accountability in the use of public funds. The proposed system will be an important tool for improving governance.

Modules to implement the Mandate

Modules developed /under development by PFMS for stakeholders as per the Union Cabinet above mandate are as under:

I. Fund Flow Monitoring

(a) Agency registration

(b) Expenditure management and fund utilisation through PFMS EAT module

(c) Accounting Module for registered agencies

(d) Treasury Interface

(e) PFMS-PRI fund flow and utilization interface

(f) Mechanism for State Governments towards fund tracking for State schemes

(g) Monitoring of Externally Aided Projects (EAP):

II. Direct Benefit Transfer DBT modules

(a) PAO to beneficiaries (b) Agency to beneficiaries (c) State treasuries to beneficiaries

III. Interfaces for Banking

(a) CBS

(b) India Post

(c) RBI

(d) NABARD & Cooperative Banks

Modules to implement Enhanced mandate:

IV. PAO Computerization-Online payments, receipts and accounting of Govt. of India

(a) Programme Division module

(b) DDO module

(c) PAO module

(d) Pension module

(e) GPF & HR module

(f) Receipts including GSTN

(g) Annual Financial Statements

(h) Cash Flow Management

(i) interface with non-civil ministries

V. Non – Tax Receipt Portal

Other Departmental Initiatives:-

To leverage the capabilities of PFMS, several other departments have approached PFMS for developing utilities for their departmental needs as follows:

VI. Interface for MHA (Foreigners Division) Monitoring of Agencies receiving fund under FCRA

VII. CBDT PAN Validation

VIII. GSTN bank account validation

Implementation Strategy:-

An action Plan has been prepared and approved by Ministry of Finance for phased implementation of Public Financial Management System.

Improved Financial Management through:

- Just in Time (JIT) release of funds
- Monitoring of use of funds including ultimate utilization

Strategy:

- Universal rollout of PFMS which inter alia includes
- Mandatory registration of all Implementing Agencies (IA) on PFMS and
- Mandatory use of Expenditure Advance & Transfer (EAT) Module of PFMS by all IAs

I. Implementation Strategy for Central Sector (CS) schemes/transactions

- Activities to be completed
- Mandatory registration and use of EAT module by IAs
- Mapping of all relevant information of Schemes
- Uploading of budget of each scheme on PFMS
- Identify implementation hierarchy of each Scheme
- Integration of Systems Interface of specific Schemes with PFMS e.g. NREGASoft, AwasSoft
- Deployment and Training of Trainers

II. Implementation Strategy for Central Assistance to State Plan (CASP)

- Activities to be undertaken by states
- State Treasury Integration with PFMS
- Registration of all SIAs on PFMS (1st level & below)
- Mapping of State Schemes with corresponding central schemes
- Configuration of State Schemes on PFMS
- Configuring State Scheme Components
- Identify and configure hierarchy of each state scheme
- Integration of PFMS with Scheme specific software application
- Deployment and training of Trainers
- Continuous support for implementation

Out of four (04) Pay & Accounts Offices viz. PAO(LA), PAO(LD), PAO(EO) & PAO(SCI) under Ministry of Law & Justice and Supreme Court of India, roll out of payment and accounting module of Public Financial Management System (PFMS) in three (03) Pay & Accounts Offices viz. PAO(LA), PAO(LD) & PAO(EO) has been successfully implemented in 2017-18 except PAO(SCI), which is still working on COMPACT as permitted by the CGA.

Status of EIS / CDDO / NTRP Module in Ministry of Law & Justice:-

1. Implementation of CDDO Module for electronic payments by CDDOs						
Ministry/ Department	**Total No. of CDDOs**	**No. of CDDOs on board PFMS**	**Remaining No. of CDDOs**	**Month-wise plan for bringing on board PFMS**		
				Jan 19	**Feb 19**	**Mar 19**
M/o Law & Justice	33	29	4	-	-	4

2. Employee Information System (EIS) Module						
Ministry/ Department	**Total No. of DDOs**	**No. of DDOs on board PFMS**	**Remaining No. of DDOs**	**Month-wise No. of DDOs to be onboarded**		
				Jan 19	**Feb 19**	**Mar 19**
M/o Law & Justice	53	47	6*	-	-	4

**** In two (02) DDOs EIS is not required at present.***

3. Non Tax Receipts Portal (NTRP) Module						
Ministry/ Department	**Total No. of PAOs**	**No. of PAOs on board PFMS**	**Remaining No. of PAOs**	**Month-wise No. of PAOs to be onboarded**		
				Jan 19	**Feb 19**	**Mar 19**
M/o Law & Justice	4	4	-	-	-	-

Salient Features of Appropriation Accounts 2018-19 *(Rs. in crores)*

MAJOR HEAD	**Budget Estimates**	**Final Estimates**	**Expenditure**	**Excess(+) Saving (-)**
Grant No. 61				
2052-Secretariat General Services	120.15	124.17	117.73	-6.44
2014-Administration of Justice	598.03	519.78	515.04	-4.74
2015-Election	1087.12	912.10	912.84	0.74
2020-Collection of Taxes on Income & Expenditure	90.35	100.27	94.25	-6.02
2070-Other Administrative Services	12.98	11.79	10.81	-0.98

2552-North Eastern Areas	112.70	28.94	0	-28.94
3601-Grants-in-Aid to State Governments.	515.00	656.69	656.69	0
3602-Grants-in-Aid for UT Governments	50	0	0	0
4070-Capital Outlay on Other Administrative Services	1800	3678.57	3676.96	-1.61
	Amount surrendered during the year			-526.20
Total	**4386.33**	**6032.31**	**5984.32**	**-574.19**
<u>Appropriation No.63</u>-<u>Supreme Court of India</u> MH-2014 Administration of Justice (Charged)	251.06	258.53	258.53	0

(Source : Appropriation Accounts 2018-19)

CHAPTER-III
DEPARTMENT OF JUSTICE
(NYAYA VIBHAG)

1. ORGANISATION AND FUNCTIONS:

The Department of Justice forms part of the Ministry of Law and Justice. It is headed by Minister, Law & Justice. The Secretariat is headed by Secretary (Justice). The organizational setup includes four Joint Secretaries, eight Directors/Deputy Secretaries and eleven Under Secretaries. The sanctioned strength of the Department of Justice is 103, out of which, 48 posts are lying vacant. Out of 55 present incumbents, only 08 women officer/officials are working in this Department. The functions of the Department of Justice include the appointment, resignation and removal of the Chief Justice of India, Judges of the Supreme Court of India and Chief Justices and Judges of the High Courts and their service matters. In addition, the Department implements important schemes for infrastructure development of subordinate courts, as also the computerization of the courts. The Organizational Chart of the Department of Justice is at **Annexure-XIV**.

1.1 As per the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, as amended from time to time), the subjects handled by the Department of Justice, inter-alia, include the following:

i. Appointment, resignation and removal of the Chief Justice of India and Judges of the Supreme Court of India; their salaries, rights in respect of leave of absence (including leave allowance), pensions and travelling allowances.

ii. Appointment, resignation and removal etc. of Chief Justice and Judges of High Courts in States, their salaries, rights in respect of leave of absence (including leave allowances), pensions and travelling allowances;

iii. Appointment of Judicial Commissioners and Judicial Officers in Union Territories;

iv. Constitution and organization (excluding jurisdiction and powers) of the Supreme Court (but including contempt of such Court) and the fees taken therein;

v. Constitution and organization of the High Courts and the Courts of Judicial Commissioners except provisions as to officers and servants of these courts;

vi. Administration of justice and constitution and organization of courts in the Union Territories and fees taken in such courts.;

vii. Courts fees and Stamp duties in the Union Territories;

viii. Creation of All India Judicial Service;

ix. Conditions of service of District Judges and other Members of Higher Judicial Service of Union Territories;

x. Extension of the Jurisdiction of a High Court to a Union Territory or exclusion of a Union Territory from the Jurisdiction of a High Court;

xi. Legal Aid to the poor;

xii. Administration of Justice; and

xiii. Access to Justice Delivery and Legal Reforms;

2. APPOINTMENT OF JUDGES:

2.1 Supreme Court of India:

The Judge Strength of the Supreme Court (including the Chief Justice of India) is 31. As on 31.03.2019, against the sanctioned strength of 31, 27 Judges were in position, leaving vacancies of 04 posts of Judges. During the period from 01.04.2018 to 31.03.2019, 10 Judges were appointed in the Supreme Court of India.

2.2 High Courts:

As on 31.03.2019, against the sanctioned strength of 1079 Judges in the High Courts, 679 Judges were in position, leaving vacancies of 400 posts of Judges.

During the period from 01.04.2018 to 31.03.2019,110 fresh appointment of Judges in the High Courts, and 50 Additional Judges of High Courts as Permanent Judges were made. Further, appointment of 21 Chief Justices of High Courts; 04 Chief Justices were made; and 24 Judges of the High Courts were transferred from one High Court to another.

2.3 Separate High Court for the State of Andhra Pradesh:

High Court of Judicature at Hyderabad has been bifurcated. A new High Court for the State of Andhra Pradesh has been established with effect from 1st January, 2019, with the principal seat at Amravati. The High Court of Judicature at Hyderabad is now named as High Court of Telangana, as per Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014.

2.4 Establishment of Circuit Bench of Calcutta High Court:

Second Circuit Bench of Calcutta High Court at Jalpaiguri was established with effect from 07.02.2019 to meet the aspirations of litigants of the area. The first Circuit Bench of above mentioned High Court is functioning at Port Blair.

3. NATIONAL JUDICIAL ACADEMY:

3.1 The National Judicial Academy (NJA), Bhopal, is an autonomous body established in 1993 (w.e.f. 17.08.1993) under the Societies Registration Act, 1860. This independent body functions with its office at the Supreme Court of India and its campus at Bhopal, Madhya Pradesh. This is an Apex body which imparts judicial training to Judges/Judicial Officers of the country and provide facilities for training of ministerial officers working in the Supreme Court, study of court management and administration of justice in the States/Union Territories, organization of conferences, seminars, lectures and research in matters relating to court management and administration. The core objectives of the said society have been to foster development of national judiciary in the country and strengthen administration of justice, judicial education, research and policy formulation.

3.2 The Hon'ble Chief Justice of India (CJI) is the Chairman of the General Body of NJA as well as the Chairman of the Governing Council, the Executive Committee and the Academic Council of NJA. The affairs of the Academy are managed by a Governing Council. The Academy is fully-funded by the Government of India. It has a Director as the Principal Executive Officer. NJA's academic staff positions include, in addition to the Director, one post of Additional Director (Research), 3 posts of Professor, 6 posts of Assistant Professor, 6 posts of Research Fellow and 6 positions of Law Associate. NJA's administrative officers and staff include, in addition to the Director, posts of Registrar, Additional Registrar, Chief Accounts Officer, Maintenance Engineer and other managerial and functional positions.

3.3 During the FY 2018-19, funds to the tune of **Rs.9.00 crore** were allocated under the Head "Grants-in-Aid (General)", **Rs.1.00 crore** were allocated under the Head "Grants-in-Aid (Swachhata Action Plan)" and **Rs.1.15 crore** were allocated under the Head "Grants-in-Aid (Creation of Capital Assets)". Thus, a total of **Rs.11.15 crore** has been allocated to National Judicial Academy, Bhopal during FY 2018-19.

3.4 During the current academic year, the Academy has approved the 90 Training programmes for judicial officers. The programmes inter alia also include refresher courses for CBI officers/Special Courts, conference on judicial ethics and accountability, workshops for judges of SAARC countries, national seminars on working of the Juvenile Justice Boards in India, refresher courses for Family/POCSO/Human Rights/ SC/ST (PoA) courts, workshops on Counter Terrorism, etc.

4. FAMILY COURTS:

4.1 The Family Courts Act, 1984 provides for establishment of Family Courts by the State Governments in consultation with the High Courts with a view to promote conciliation and secure speedy settlement of disputes relating to marriage and family affairs and for matters connected therewith. Under Section 3(1) (a) of the Family Courts Act, it is mandatory for the State Governments to set up a Family Court for every area in the State comprising a city or a town whose population exceeds one million. In other areas of the States, the Family Courts may be set up if the State Governments deem it necessary.

4.2 The main objectives and reasons for setting up of Family Courts are:

(i) To create a Specialized Court which will exclusively deal with family matters so that such a court has the necessary expertise to deal with these cases expeditiously. Thus, expertise and expeditious disposal are two main factors for establishing such a court;

(ii) To institute a mechanism for conciliation of the disputes relating to family;

(iii) To provide an inexpensive remedy; and

(iv) To have flexibility and an informal atmosphere, in the conduct of proceedings.

4.3 A scheme of Central financial assistance was started in the year 2002-03 for setting up of Family Courts. As per the scheme, Central Government provided 50% of the cost of construction of the building of Family Court and residential accommodation of the Judge subject to a ceiling of Rs.10.00 lakh as a one-time grant as Plan support and Rs.5 lakh annually as the recurring cost under Non-Plan. The State Government was required to provide matching share. A grant of Rs.11.50 crore was released to the State Governments till the year 2012-13. The component provided for grant for construction of building of Family Court and

residential accommodation of the Judges has been subsumed in the Centrally Sponsored Scheme for Development of Infrastructure Facilities for Judiciary.

5. FAST TRACK COURTS:

Fast Track Courts (FTCs) are set up by the State Governments as per their need and resources, in consultation with the concerned High Courts. In the Memorandum submitted to the 14th Finance Commission, the Union Government had proposed setting up of **1800** FTCs at a cost of **Rs.4144.00 crore** during the period 2015-2020 **for dealing** heinous crimes; The Commission endorsed the proposal and urged the State Governments to utilize enhanced physical space available to them through devolution (32% to 42%). 581 numbers of FTCs are functional all over the country (as on 31.03.2019). In the Memorandum of Justice Sector submitted to 15th Finance Commission a proposal for supporting 2397 numbers of FTCs during the period of 15th FC has been included for dealing with crimes of heinous nature, cases pertaining to women, children, senior citizen and other marginalized categories and civil cases involving property disputes for more than five years.

6. SPECIAL COURTS FOR TRIAL OF CRIMINAL CASES INVOLVING ELECTED MPs/ MLAs:

12 Special Courts (02 Special Courts in NCT of Delhi and 01 Special Court each in the States of Andhra Pradesh, Telangana, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal) were set up for expeditious trial and disposal of criminal cases involving elected MPs/ MLAs. **Rs.65.04 lakh** were allocated during the Financial Year 2017-18 and **Rs.714.96 lakh** were allocated during Financial Year 2018-19. **The Apex Court has directed for continuance of 10 above Courts (except the Court of Bihar and Kerala) till further orders.**

7. FIFTEENTH FINANCE COMMISSION:

A Memorandum of Justice Sector was prepared and submitted to the 15th Finance Commission. The total financial implications involved is **Rs.14380.66 crore** for proposals supporting Fast Track Courts, setting up of Justice Clock and information centre at Court Complexes, different proposals for enhancing Access to Justice, constructions of Lawyers' Halls and pre-institutions mediation centres

8. ISO 9001:2015 CERTIFICATION:

Department of Justice was issued a Certificate of Registration as per ISO 9001:2008 standards on 18.04.2016. This was valid till **14.09.2018**.

After a comprehensive Surveillance and Upgradation undertaken by Intertek India Private Limited, Department of Justice was issued a Certificate of Registration w.e.f. **06.11.2018** as per ISO 9001:2015 standards (upgraded version) which is valid till **17.04.2019**.

9. E-COURTS MISSION MODE PROJECT PHASE-II:

9.1 Introduction:

With its objective of universal computerisation of all the District & Subordinate Court complexes, DoJ in close coordination with eCommittee of Supreme Court of India is implementing eCourts Mission Mode

Project Phase-II. The time period for implementation of eCourts project is four years (2015-19) or until the project is completed, whichever is later. So far, out of total outlay of Rs.1670 crore, the Government has released a sum of Rs.1213 crore as on 31.03.2019 to various organizations involved in the implementation of the project. This includes a sum of Rs.955.86 crore released to all High Courts.

9.2 ICT ENABLEMENT OF DISTRICT & SUBORDINATE COURTS:

With its objective to provide designated services to litigants, lawyers and Judiciary through universal computerization, the Department of Justice has completed ICT enablement of 16,845 district & subordinate courts under the eCourts MMP. Key features include provisioning of basic digital infrastructure for ICT enablement consisting of various modules, such as computer hardware, computerization of DSLAs/ TLCs, Local Area Network (LAN), internet connectivity and installation of standard application software at each court complex, trainings at SJAs, installation of kiosks, change management, etc.

Video Conferencing facility has been operationalised between 488 court complexes & 342 corresponding jails. Additional features of the Project include delivery of the services; inter alia, case registration, cause-lists, daily case status, and final order/judgment. Integration of eCourts with Prisons, Police and Forensics under Interoperable Criminal Justice System (ICJS) is envisaged.

9.3 NATIONAL JUDICIAL DATA GRID (njdg.ecourts.gov.in):

National Judicial Data Grid (NJDG) for District & Subordinate Courts is created as an online platform under the Project and provides information relating to judicial proceedings/decisions of computerized district and subordinate courts of the country. Currently litigants can access case status information in respect of over 11.63 crore cases and more than 9.16 crore orders/judgments pertaining to these computerized courts. The portal also provides online information to litigants such as details of case registration, cause list, case status, daily orders, and final judgments.

9.4 SERVICES UNDER E-COURTS PROJECT:

a. SMS Push:

- For the benefit of litigants and lawyers, the facility of providing case information service(s) through SMS has been implemented and the process of disseminating system-generated SMS' is operational.

b. SMS Pull:

- The SMS pull facility under eCourts Project was inaugurated on the 22nd September, 2017.
- The case details can be obtained under SMS pull facility by sending unique CNR number (Case Number Record) to 9766899899 through SMS.

c. Email:

- Automated mailing has been made operational for all the District & Taluka Courts in the Country.
- At present more than 1 lakh mails are being sent daily. Cause lists, judgments, case status etc. can be received in the litigants' mailbox on registration of email address with the respective courts under the eCourts Project through emailing service.

d. Web:

- Litigant centric information can be obtained through the website of the eCourts portal by accessing using the URL: https://ecourts.gov.in.

e. Mobile App:

- ECourts mobile app with the facility of QR Code has also been launched for use of litigants and lawyers.
- Services under different captions viz. Search by CNR, Case Status, Cause List and My Cases are available on this app.
- With availability on both Google Play Store and Apple Store, the total downloads have crossed 20 lakh.

f. Judicial Service Centers:

- Judicial Service Centers (JSC) have been established at all computerized courts to serve as a single window for filing petitions and applications by litigants/lawyers, and for obtaining information on ongoing cases and copies of orders and judgments etc.

g. Kiosks:

- Information Kiosks have been setup at all computerized court complexes for disseminating judicial information related to cause lists and other case related information to the lawyers and litigants.

9.5 CASE INFORMATION SYSTEM:

A new and user-friendly version of Case Information Software (CIS 3.0) has been developed and deployed at all the computerized District and Subordinate Courts. QR Code facility has been made operational in the software. On the basis of printed QR Code, one can check current status of the case. Till date, 21 High Courts have migrated to Case Information System National Core Version 1.0.

9.6 WIDE AREA NETWORK (WAN) CONNECTIVITY:

One of the important eCourts project components is establishment of Wide Area Network (WAN) connecting all District and Subordinate court complexes, spread across the country. The eCommittee of Supreme Court of India gave approval to award the eCourts' WAN project to BSNL. Work order to the tune of Rs.169 crore has been awarded to BSNL for establishing WAN connecting 2992 district and subordinate court complexes across the country including 547 court complexes with no connectivity. The activities of BSNL with clear phases, tasks, milestones and timelines are monitored on a weekly basis. National Informatics Centre has operationalised an online monitoring tool for tracking real-time progress and monitoring of pan-Indian WAN project against the set baselines. As on 31.03.2019, BSNL has laid Optical Fibre Cable (OFC) at 2562 court complexes and commissioned 703 sites.

9.7 TRI-PARTITE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING:

Tri-partite Memorandum of Understanding has been signed between Department of Justice, 36 State

Governments/UTs and their respective High Courts/Benches to ensure maintenance of assets and sustainability after the end of project period.

9.8 PUBLICITY:

- **Professional consultancy:** A professional communication consultant agency M/s Purple Focus Pvt. Ltd. is engaged for assisting the eCourts PMU in developing and implementing an effective communication strategy and a coherent media plan for action, to effectively use various publicity tools and improve awareness about project outputs and eCourts Services. Posters, brochures and user manuals are designed and printed. They were launched by Hon'ble Minister, Law and Justice on the 14th August, 2018 and were distributed to all stakeholders across the country.

- **e-Sampark:** Four eCourts campaigns were done through eSampark, NIC's platform for sharing information and public service messages on the NICNET email database on 3rd July, 1st August 2018, 18th October, 2018 and 14th November, 2018.

- **Newsprint Campaigns:** Two newsprint campaigns in English and Hindi were completed on 3rd and 10th November, 2018 at a cost of Rs.1 crore. Newsprint campaigns in English, Hindi and 16 regional languages were completed during November 2018 to January 2019.

- **SMS campaign**: SMS campaign is being carried out to reach the relevant recipients from the eSampark database of 109 crore mobile numbers.

- **Radio campaign:** Radio campaign in Hindi and 10 regional languages disseminating awareness on eCourts Services through 30 seconds audio jingles were completed during January-March, 2019.

- **Effect of Publicity Campaign:** As an impact of the publicity campaign, we have seen a spurt in the eCourts app downloads, with the highest surge recorded at 1,11,218 downloads in a single day on 11th March, 2019, with a 30-day average of 11,436 downloads; this compares to the 30-day average of 4329 downloads as on 31st January, 2019 which was the beginning of the audio campaign. This presents an increase of over 169%.

10. NATIONAL MISSION FOR JUSTICE DELIVERY AND LEGAL REFORMS:

10.1 National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms:

Objectives: National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms was set up in August 2011 to achieve twin goals of (i) increasing access by reducing delays and arrears; (ii) enhancing accountability through structural changes by setting performance standards and capacities. The Mission has been pursuing five strategic initiatives; (i) Outlining policy and legislative changes; (ii) Re-engineering of procedures and court processes; (iii) Focussing on Human Resource Development; (iv) Leveraging Information and Communication Technology (ICT) & tools for better justice delivery; and (v) improving Judicial Infrastructure.

Advisory Council: The National Mission has an Advisory Council to guide it and oversee implementation of its Action Plan, which is headed by the Hon'ble Union Minister of Law and Justice. The composition of Advisory Council of the National Mission, at present, is indicated as follows:-

Chairperson: Union Minister of Law and Justice

(i) Minister of State in the Ministry of Home Affairs;

(ii) Chairperson of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievance, Law and Justice;

(iii) Minister of Law & Courts, Andhra Pradesh;

(iv) Minister of Law, Justice & Parliamentary Affairs, Jammu & Kashmir;

(v) Attorney General of India;

(vi) Chairperson, Law Commission of India;

(vii) Secretary, Department of Legal Affairs;

(viii) Secretary, Legislative Department;

(ix) Solicitor General of India;

(x) Secretary-General, Supreme Court of India;

(xi) Director, National Judicial Academy; and

(xii) Chairman, Bar Council of India.

Members:

Convenor: Secretary, Department of Justice – National Mission Leader.

Meetings of Advisory Council:

The Advisory Council is required to meet once in every six months and to advise on the goals, objective and strategies of the National Mission. The Advisory Council has so far met eleven times since inception of the Mission in August 2011. The Eleventh Meeting of the Advisory Council was held on 19th February, 2019.

Extension of Mission:

The extended tenure of the National Mission is upto 31.03.2020.

10.2 MONITORING JUDICIAL MANPOWER OF DISTRICT AND SUBORDINATE COURTS:

As per the Constitutional framework, the selection and appointment of judges in subordinate courts is the responsibility of the High Courts and State Governments concerned. As per information made available by the High Courts and respective State Governments, as on 31.03.2019, the sanctioned strength of Judicial Officers of District and Subordinate Courts is 22,892. The number of Judicial Officers in position and vacant posts is 17,702 and 5,201 respectively.

Action taken by Department of Justice:

In September 2016, Union Minister of Law & Justice had written to the Chief Ministers of States and the Chief Justices of High Courts to enhance the cadre strength of the District and Subordinate Courts and provide physical infrastructure to the State judiciary. The same was reiterated in May 2017. In August

2018, in the context of increasing pendency of cases, the Union Minister of Law & Justice had written to all Chief Justices of High Courts to monitor the status of the vacancies regularly and to ensure proper coordination with the State Public Service Commission to fill up vacant posts as per time schedule prescribed by the Hon'ble Supreme Court in the Malik Mazhar Sultan case [Appeal (Civil) 1867 of 2006: Malik Mazhar Sultan & Anr versus U.P. Public Service Commission & Ors]. The filling up of vacancies is also being monitored by the Supreme Court in a suo moto Writ Petition (Civil) No. 2 of 2018.

A series of meetings were held with Registrars General of all High Courts and Law Secretaries of all State Governments/UTs through Video Conferencing in the month of January 2018, July 2018 and November 2018 to follow up on filling up posts of Judicial Officers in District and Subordinate Courts. The Department of Justice has hosted a web-portal on its website for reporting and monitoring of sanctioned and working strength, and vacancies of Judicial Officers of District and Subordinate Courts on monthly basis.

Central Selection Mechanism:

In order to facilitate regular filling up of these vacancies in a smooth and time-bound manner, the Department of Justice vide its letter dated 28th April, 2017 suggested creation of a Central Selection Mechanism to the Hon'ble Supreme Court. The Hon'ble Supreme Court *suo motu* converted the Government's suggestions into a Writ Petition on 9th May, 2017 and directed all State Governments (including Union Territories) to file their responses and suggestions by way of affidavits. The above matter is *sub-judice* at present.

Imtiyaz Ahmed Case:

The Supreme Court in its Order dated 1st February, 2012 in the case of Imtiyaz Ahmed versus State of Uttar Pradesh asked the Law Commission of India to evolve a method for scientific assessment of the number of additional courts to clear the backlog of cases. Pursuant to this, Law Commission submitted its 245th Report titled "Arrears and Backlog: Creating Additional Judicial (wo) manpower" in 2014. In this report, the Law Commission found that the "Rate of Disposal" method to calculate the number of additional judges required to clear the backlog of cases as well as to ensure that new backlog is not created, is more pragmatic and useful.

National Court Management Systems Report:

In May 2014, the Supreme Court asked the State Governments and the High Courts to file their response to the recommendations made by the Law Commission. By an order dated 20.08.2014, the Hon'ble Supreme Court directed the National Court Management System Committee (NCMS Committee) to examine the recommendations made by the Law Commission of India on the criteria to be adopted for determining the additional courts required, and to furnish their recommendations on the subject to this Hon'ble Court.

National Court Management System Committee (NCMS Committee) has submitted its report to the Supreme Court in March 2016. It has, inter-alia, observed that in the long term, the judge strength of the subordinate courts will have to be assessed by a scientific method to determine the total number of "Judicial Hours" required for disposing of the case load of each court. In the interim, this Committee has proposed a "weighted" disposal approach – disposal weighted by the nature and complexity of cases in local conditions. The matter is sub-judice before the Supreme Court, at present. As per the direction of the Hon'ble Supreme Court in its Order dated 02.01.2017 in Criminal Appeal No. 254262 of 2012 titled Imtiyaz Ahmad Vs.

State of U.P & Ors., the Department of Justice has forwarded a copy of interim report of the NCMS Committee to all State Governments and High Courts to enable them to take follow up action to determine the required Judges Strength of district judiciary based on the NCMS report.

10.3 MIS PORTAL FOR JUDICIAL DATA:

A Management Information System (MIS) portal has been developed by Department of Justice to enable the High Courts to upload their judicial data every month relating to sanctioned and working strength of judicial officers and number of court halls and residential units of Judicial Officers. This enables the policy makers to get monthly judicial data.

10.4 PENDENCY IN COURTS:

As per the latest information available, 58072 cases were pending in Supreme Court as on 31.03.2019, 44.03 lakh cases are pending in various High Courts as on 31.03.2019, and 2.97 crore cases are pending in various District and Subordinate Courts as on 31.03.2019.

Timely disposal of cases in courts depends on several factors which, *inter-alia*, include availability of adequate number of judges, supporting court staff and physical infrastructure, complexity of facts involved, nature of evidence, cooperation of stakeholders viz. bar, investigation agencies, witnesses and litigants and proper application of rules and procedures. No time frame has been prescribed for disposal of various kinds of cases by the respective courts.

Action taken by Government:

The Government is fully committed to speedy disposal of cases. The Government has taken several initiatives to provide an ecosystem for faster disposal of cases by the judiciary. The National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms established by the Government has adopted a coordinated approach for phased liquidation of arrears and pendency in judicial administration through various strategic initiatives, including improving infrastructure for courts, leveraging Information and Communication Technology (ICT) for better justice delivery, and filling up of vacant posts of Judges in High Courts and Supreme Court.

(i) Reduction in Pendency through/follow up by Arrears Committees:

In pursuance of resolution passed in Chief Justices' Conference held in April 2015, Arrears Committees have been set up in High Courts to clear cases pending for more than five years. Arrears Committees have been set up under District Judges too. Arrears Committee has been constituted in the Supreme Court to formulate steps to reduce pendency of cases in High Courts and District Courts.

(ii) Emphasis on Alternate Dispute Resolution (ADR):

Commercial Courts, Act, 2015, as amended on 20th August, 2018, introduced mandatory pre-Institution mediation mechanism for settlement of commercial disputes. Amendment to the Arbitration and Conciliation Act, 1996 by the Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2015 has been made to expedite the speedy resolution of disputes by prescribing timelines. The Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2018 passed by the 16th Lok Sabha on 10.08.2018 seeks to set up Arbitration Council of India (ACI) to *inter-alia* grade arbitral institutions, accredit arbitrators and impart training and award certificate in the ADR field. However, the Bill has since lapsed due to dissolution of the 16th Lok Sabha.

(iii) Initiatives to Fast Track Special Type of Cases:

With financial assistance from Central Government, 581 Fast Track Courts are functioning across the country for trial of cases of heinous crimes; cases involving senior citizens, women, children etc. Also, to fast track criminal cases involving elected MPs/MLAs, twelve (12) Special Courts were set up and proportionate funds have been released to States by the Government. The Criminal Law (Amendment) Act, 2018 has been enacted on 11.08.2018 to amend the Indian Penal Code, Indian Evidence Act, 1872, the Code of Criminal Procedure, 1973 and the Protection of Children from Sexual Offices Act, 2012.

10.5 PLAN SCHEME OF ACTION RESEARCH AND STUDY ON JUDICIAL REFORMS:

Scope of Scheme:

A Plan Scheme for Action Research and Studies on Judicial Reforms is being implemented by the National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms. Under the Scheme, financial assistance is being extended for undertaking action research/evaluation/monitoring studies, organising seminars/conferences/workshops, capacity building for research and monitoring activities, publication of report/material, promotion of innovative programmes/activities in the areas of Justice Delivery, Legal Research and Judicial Reforms.

Eligible Implementing Authorities:

The eligible implementing authorities for the Scheme are Indian Institute of Public Administration (IIPA), Administrative Staff College of India (ASCI), Indian Institute(s) of Management (IIMs), Indian Law Institute (ILI), National Law Universities (NLUs), National Council of Applied Economic Research (NCAER), National Judicial Academy (NJA), State Judicial Academies (SJAs) and other reputed institutions working in the field of justice delivery, legal education & research and judicial reforms.

Project Sanctioning Committee:

Project Sanctioning Committee headed by Secretary (Justice) considers the project proposals and approves the research projects. Project Sanctioning Committee consists of members from Supreme Court, Indian Law Institute, National Judicial Academy, Law Commission of India and Internal Finance Wing of the Department. Rs.25.00 lakh is the maximum limit of the project cost. Twelve meetings of the Project Sanctioning Committee were held so far. The last meeting was held on 15.02.2019.

Present Status:

40 research proposals/projects have so far been approved under the Scheme. Out of this, 19 projects have been completed so far and 21 are ongoing projects. Since the inception of the Scheme in 2013, Rs.4.29 crore has been released. Rs.3.19 crore was released during the last 3 years.

10.6 EASE OF DOING BUSINESS:

Parameters:

The World Bank Report on Doing Business, which covers 190 economies, seeks to measure regulations that enhance business activity and those that constrain it. The Doing Business ranking evaluates ten aspects of business regulation for small and medium sized firms located in the largest city in each country based on

standardised case scenarios. These parameters are: starting a business, dealing with construction permits, getting electricity, registering property, getting credit, protecting minority investors, paying taxes, trading across borders, enforcing contracts and resolving insolvency.

Methodology:

World Bank measures the country's performance on the following parameters:

(i) Time and cost for resolving a commercial dispute through a local first-instance court. Time factor includes the time taken for Filing and Service phase, Trial and Judgment Phase, and Enforcement of Judgment Phase. Cost factor includes Attorney Fees, Court Fees (upto judgment only) and Expert Fees, and Enforcement Fees.

(ii) Quality of Judicial Processes Index. This includes Court Structure and Proceedings, Case Management, Court Automation, and Alternative Dispute Resolution.

(iii) Evaluating series of good practices, and

(iv) To promote quality and efficiency in the court system.

The Government provides inputs on the Reforms being undertaken for Ease of Doing Business in the country through the response to Questionnaires provided by World Bank in respect of commercial disputes being addressed in Delhi and Mumbai. World Bank Team interacts with lawyers, law firms and other stakeholders of the country to verify the claims made by the Government. World Bank team also interacts with Government and visits the courts. After thorough scrutiny of all parameters, World Bank assign ranking to the countries.

Performance in 2019:

In Doing Business Report 2019 released on 31st October, 2018, India achieved 77th position out of the 190 economies, a jump of 23 positions from the previous report. In Enforcing Contracts indicator, ranking improved by 1 position – from 164 in the 2018 Report to 163 in the 2019 report.

Department of Justice Nodal Department for 'Enforcing Contracts':

Department of Justice (DoJ) has been appointed as the nodal Department for the 'Enforcing Contracts' parameter. DoJ is expected to ensure that all necessary reforms are undertaken to ensure that India's ranking in this parameter comes within the top 50 in the Report.

Task Force

In accordance with recommendations of Committee of Secretaries (CoS) in its meeting held on 24th November, 2016 and also as per the direction given in Cabinet Secretary's D.O. letter No. 082/2/1/2016 - CA-IV dated 11th November, 2016, a Task Force has been constituted under the chairmanship of Secretary, Department of Justice for improving performance on the parameter of "Enforcing Contract" for Ease of Doing Business in India. It has members from the Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Department of Legal Affairs (DoLA), the High Courts of Delhi and Bombay, the Law Departments of Delhi and Maharashtra and the eCommittee of the Supreme Court. The Task Force has held 9 meetings so far.

Government initiatives during 2018-19:

(i) Commercial Courts, Act, 2015: This Act was amended on August 20, 2018 to introduce following provisions:

a) Establishment of Commercial Courts at District Judge level in Delhi and Mumbai [amendment to section 3(1) of the Act]

b) Specified value of commercial dispute that can be decided by Commercial Courts reduced to Rs.3 lakh [section 2(1)(i) of the Act]

c) Pre-institution mediation and settlement mechanism introduced [new Section 12(A)]. Commercial Courts (Pre-Institution Mediation and Settlement) Rules, 2018 notified on 3rd July, 2018.

(ii) Random and automatic allocation of Commercial Cases: Started in Delhi and Mumbai District Commercial Courts.

(iii) Case Management Hearing (Pre-Trial Conference): Started in Delhi District Commercial Courts.

(iv) 8 Electronic Case Management Tools made available to Judicial Officers through eCourts services portal and JustIS app in Delhi and Mumbai District Commercial Courts.

(v) 7 Electronic Case Management Tools made available to Lawyers through eCourts services portal and app. There are 1.4 million active users of the eCourts services app of which about 0.8 million are lawyers.

(vi) National Judicial Data Grid: The World Bank has acknowledged that introduction of NJDG has impacted ease of doing business. It provides statistical information of court cases across the country, State-wise and district wise. All four performance reports are available on NJDG:

a. Clearance Rate Report

b. Age of pending cases report,

c. Single case progress report

d. Time to disposition reports

(vii) National Service and Tracking of Electronic Processes (NSTEP) was launched on 14th August, 2018 to enable real-time status updates and tracking of summons.

(viii) eFiling application was launched on 14th August, 2018 to enable online registration of lawyers and litigants can be done.

Reforms update in Delhi:

a) All District Judges/Additional Judges of 75 Courts in 11 District Courts of Delhi notified as designated Commercial Courts on 07.07.2018; and 67 courts are functional.

b) Cases are being randomly and automatically assigned to the judges in all District Courts including

Commercial Courts, using the Case Information System (CIS 3.0) software at the click of a button with effect from 15.02.2019. 410 commercial cases have been randomly and automatically allocated between 15.02.2019 to 31.03.2019.

c) Case Management Hearing has taken place in 56 commercial cases.

d) 49 Judicial Officer of Commercial Courts in Delhi are using JustIS app.

Reforms update in Mumbai:

a) 16 Courts i.e. 11 Courts in City Civil and Sessions Court, Mumbai; and 5 Courts in City Civil and Sessions Courts, Dindoshi, designated as Commercial Courts on 15.12.2018.

b) Cases are being randomly and automatically assigned to the judges in all District Courts including Commercial Courts, using the Case Information System (CIS 3.0) software at the click of a button with effect from 13.02.2019. 6 commercial cases have been randomly and automatically allocated upto 31.03.2019.

c) 15 Judicial Officers of Commercial Courts in Mumbai are using JustIS app.

d) Training programme on the effective use of CIS 3.0, NJDG, Electronic Case Management Tools for all Judicial Officers in the Maharashtra, Goa and Union Territory of Diu, Daman and Dadra and Nagar Haveli at Silvassa has been shared by Bombay High Court.

Present Scoring

The following is India's overall score in 2019 Report:

Component (0-18)	**Current points**
Court structure and proceedings (0-5)	4.5
Case Management (0-6)	1.5
Court automation (0-4)	2.0
Alternative Dispute Resolution (0-3)	2.5
Total	10.5/18

11. ACCESS TO JUSTICE FOR THE MARGINALISED:

Department of Justice: Constitutional Mandate on Access to Justice

11.1 The Department of Justice (hereinafter referred DoJ) has the mandate to fulfill its commitment towards "Access to Justice" as enshrined under Article 39A of the Constitution of India. Article 39A provides that "the State shall secure that the operation of the legal system promotes justice, on a basis of equal opportunity, and shall, in particular, provide free legal aid, by suitable legislation or schemes or in any other way, to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities".

11.2 Department of Justice's programmatic interventions under Access to Justice:

11.2.1 Aspiring to fulfill its goal of Access to Justice for All- DoJ has initiated three programmes namely Tele-Law: Mainstreaming Legal Aid through Common Service Centers, Nyaya Bandhu (Pro Bono Legal Services) and Nyaya Mitra on pilot basis in different geographical regions of the country.

11.2.2 Tele-Law Programme- Especially designed to provide legal advice and consultation from the Panel Lawyers, Tele-Law service aims to connect the needy and disadvantaged to the panel lawyers via video conferencing, telephone and online chat facility available at the Common Service Centers (CSCs) at the village level. Free legal advice is provided to the marginalized and persons eligible under section 12 of the Legal Services Authorities (LSA) Act, 1987 that include women, children, persons with disability, Scheduled Caste, Scheduled Tribe, victims of disaster, trafficking etc. This service is currently operational in selected 1800 CSCs in 11 States that include UP, Bihar, North-Eastern States and State of J&K. This programme is modelled to run with two different implementation frameworks. In the State of UP and Bihar, the Tele-Law Service is being implemented by DoJ in collaboration with NALSA and CSC e-Governance Services Ltd and in North Eastern States and State of J&K, it is implemented by DoJ in partnership with CSC e-Gov Services. It is proposed to extend, the Tele-law programme to all the States and UTs during current year. Till March 2019, 62761 beneficiaries have been provided with legal advice that include 23658 (women); 5007 (Scheduled Castes) and 8345 (Scheduled Tribes). To enable easier penetration of the services to the unreached, Para-legal Volunteers (PLVs) have been provided access to mobile application to facilitate registration of the cases through Tele-Law mobile application. A Tele-Law dashboard has also been developed that provides the stakeholders to analyze CSC-wise and village-wise case pre-registered, cases registered and advice enabled by the Panel Lawyers. A dedicated Tele-Law portal has been developed that can be accessed at http://www.tele-law.in/ and it is available in five languages that include English, Hindi, Bengali, Urdu and Assamese.

11.2.3 Nyaya Bandhu (Pro Bono Legal Services) - In addition to the above, **Nyaya Bandhu (Pro Bono Legal Services)** programme aims to provide free legal assistance and counsel to the persons eligible under section 12 of Legal Service Authorities Act, 1987. This service is provided by advocates who are registered with DoJ to volunteer their time and services to represent the cases of registered applicants/ litigants. To ensure seamless connectivity between the registered litigant and registered Pro Bono advocate, a Nyaya Bandhu mobile application has been developed that could be downloaded from Google Play Store. Till March 2019, 512 lawyers have been registered and 354 cases have been assigned. Measures are being taken towards developing the Nyaya Bandhu mobile application for iOS users along with dedicated web-portal and integrating them to facilitate and strengthen the efforts to institutionalize pro bono legal framework in the country.

11.2.4 Nyaya Mitra Programme- Under the Nyaya Mitra programme retired judicial officers have been engaged to facilitate the disposal of 10-year old pending cases at the District courts. The Nyay Mitras are also available at the office of District Legal Services Authorities or District Court. This programme is made operational in 227 districts of 16 States that have been selected, based on highest pendency of court cases over ten years of period - sourced from National Judicial Data Grid (NJDG). At present, 5 Nyaya Mitras are functioning in the State of Tripura, West Bengal, Uttar Pradesh and Rajasthan. Periodical feedback from Registrar Generals (RGs) is invited to strengthen the programme. Process for engaging 100 Nyaya Mitra in 7 seven States for the Year 2019-2020 has been initiated.

11.2.5 Strategic Information Education and Communication (IEC) for Outreach and Awareness -Extensive Outdoor and publicity campaigns have been undertaken to educate the masses through display of Hoarding, Posters, Flyers and Radio Jingles etc. Around 3527 locations that include Retail Outlets of Oil Marketing companies, auto hood wraps, bus panels, bus queue shelters etc., in 11 States are being covered for display of information. Posters and Flyers translated in 13 languages including local dialects that include English, Hindi Assamese, Bengali, Nepali, Lepcha, Garo, Khasi, Manipuri, Nagamese, Urdu, Dogri and Mizo for dissemination in 1800 CSCs at the Gram Panchayat.

11.2.6 Specific initiatives for North-Eastern and State of Jammu and Kashmir – In addition to the above, specific, local initiatives aiming at addressing the legal needs of the marginalized and vulnerable sections of the society, particularly women, children, Scheduled Castes and tribal communities to improve the capacity of justice delivery systems and legal services authority, to serve the people better to encourage innovative activities to enhance legal awareness of the vulnerable populations in the States of *Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Tripura, Sikkim, Nagaland and Jammu and Kashmir are being implemented under the scheme Access to Justice NE JK. For this DoJ* has collaborated and entered into partnerships with Ministries (Central/State) and allied Departments e.g MHRD, MWCD, MoRD&PR, MSJE and NALSA/SLSAs etc. Till now, 130 legal aid clinics have been set up in the villages that have benefited 21823 marginalized persons. Efforts have been undertaken to capacitate grassroot functionaries e.g., (1128) Preraks, (1400) VLEs, (58000) community members, (1479) PLVs, (170) Panel Lawyers, (1000) Students, (1050) women etc. Trainings are organized to build synergy between tribal village councils and regular justice system e.g., (911) Gaon Buras and Deobashis have been trained; (15498) Panchayati Raj Officials & elected representatives have been trained. Promotion of legal literacy is being taken through print and electronic media. In this regard, IEC material related to welfare and local laws, benefiting the marginalized sections of the society, has been developed in 23 local dialects and videos in 7 languages have been developed.

12. MAJOR ACHIEVEMENT DURING 2018-19:

12.1 Revision of salary and allowances of Judges of Supreme Court and High Courts:

The High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) (Amendment) Bill, 2018 was passed by the Parliament and Notifications issued in this regard on 27.01.2018.

12.2 Amendments in the Supreme Court and High Court Judges Travelling Allowance Rules:

The Travelling Allowance of Judges of Supreme Court and High Courts regarding entitlement for journeys on tour or training within the country, journey on transfer, rates on Daily Allowance on tour has been enhanced in pursuance of recommendations of the 7th Central Pay Commission. Hence, the Supreme Court Judges Travelling Allowance Rules, 1959 and the High Court Judges Travelling Allowance Rules, 1956 have been amended.

12.3 Amendments in the Supreme Court and High Court Judges for free furnishing at the official residence:

In pursuance to revision of pay & allowances of Judges of the Supreme Court and High Courts, the Furnishing Allowance of the Judges of Supreme Court and High Courts has been revised. Hence, Supreme Court

(Salaries and Conditions of Service) Act, 1958 and High Courts Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954 have been amended.

12.4 Second National Judicial Pay Commission (SNJPC):

The Supreme Court of India vide its order dated 09.05.2017 in Writ Petition No. 643/2015 directed to appoint a Judicial Pay Commission to review the pay scales, emoluments and service conditions of the Judicial Officers of Subordinate Judiciary in India. Accordingly, second NJPC has been established under the Chairmanship of (Retd) Justice P.V. Reddy of the Supreme Court.

Second National Judicial Pay Commission has granted interim relief to the extent of 30% of increase in basic pay with accrued increments to all categories/ranks of Judicial officers.

The Final Report of the Commission is awaited.

12.5 Memorandum of Understanding with Zambia:

A Memorandum of Understanding has been signed with Zambia on Judicial Sector Cooperation on 11.4.2018.

12.6 REDRESSAL OF GRIEVANCES:

(a) Department of Justice (DoJ) receives large number of Citizens grievances from citizens through President's Secretariat/Vice-President's Secretariat/PMO/directly from the citizens through online CPGRAMS Portal. 7534 grievances have been received from 1.4.2018 to 31.3.2019. 7816 grievances are disposed of during this period. The Department has been rated as one of the 20 largest grievances receiving Departments by the Department of Administrative Reforms & Public Grievances. Besides, large number of grievances is also received through post.

(b) Department of Justice is mandated to deal with grievances related to appointment of Judges of Supreme Court/High Courts, legal assistance/legal aid/legal awareness/eCourts/Judicial Reforms etc. Grievances related to these issues only are dealt with by Department of Justice.

(c) Grievances related to judiciary are forwarded electronically to the Secretary General, Supreme Court of India/Registrar General of the concerned High Court for further action, as appropriate. A copy is endorsed to the grievance holder for information.

(d) Grievances received in the Department of Justice are considered and examined by the Judiciary as per their own 'in house' mechanism and the system/procedure to deal with grievances which is normally not shared. In such cases, Department of Justice is not in a position to inform the outcome to grievance holders.

Detailed guidelines for disposal of grievances by Department of Justice have been uploaded on website www.doj.gov.in for information/guidance of grievance holders/citizens.

13. MISCELLANEOUS ACTIVITIES OF THE DEPARTMENT:

13.1 RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005: Under the provisions of the Right to Information Act, 2005, Department of Justice has initiated the following actions:

(a) A Section Officer of the Department has been designated as CAPIO to collect, transfer the applications under the RTI Act, 2005 to the Central Public Information Officers/Public Authorities concerned and to submit the quarterly returns regarding receipt and disposal of the RTI applications/ appeals to the Central Information Commission.

(b) Details of the Department's functions along with its functionaries have been placed on the RTI portal of the Department's official website (http://doj.gov.in), as required under section 5(1) of RTI Act, 2005 in respect of subjects being handled by them.

(c) All Under Secretaries and some Deputy Secretaries, where Under Secretaries are not in place have been designated as Central Public Information Officers (CPIOs) under section 5(1) of RTI Act, 2005 in respect of subjects being handled by them.

(d) All Directors/Deputy Secretary level officers and some Joint Secretaries, where Deputy Secretary is the CPIO, have been designated as Appellate Authorities in terms of Section 19(1) of RTI Act, 2005 in respect of Under Secretaries/Dy Secretaries working under them and have been designated as CPIOs.

(e) During the period 01.01.2018 to 31.03.2019, 1225 RTI applications and 27 Appeals were received manually and 4593 RTI applications and 151 Appeals were received online in the Department and forwarded to the concerned CPIOs/Public Authorities for providing information requested for.

(f) As per para 1.4.1 of the DOPT's guidelines issued vide their O.M. No. 1/5/2011-IR dated 15.04.2013, the Department is uploading all RTI and appeal replies on the website regularly.

13.2 EMPOWERMENT OF WOMEN:

Redressal of Complaints pertaining to Sexual Harassment at Workplace: In compliance of Section 4(1) of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, an Internal Complaints Committee has been re-constituted for redressal by aggrieved women employees of the Department on 04.06.2018. The Committee consists of three women employees, (including one Member from an NGO) and two male employees.

13.3 SWACHH BHARAT ABHIYAAN:

As per policy guidelines of Government of India, *Swachh Bharat* programme has been implemented in the Department. During the year 2018-2019, one programme namely *'Swacchta Pakhwada'* was observed from 01.04.2018 to 15.04.2018 and another programme namely Swacchta Hi Sewa was observed from 01.09.2018 to 02.10.2018 in Department of Justice, during which a number of activities i.e., beautification of lawn, plantation of trees inside campus, extensive cleaning drive, weeding out of old records, disposal of junk/obsolete items and voluntary *Shramdaan* by officers/officials of Department of Justice etc. were undertaken.

During the FY 2018-19, Rs.15.00 lakh was earmarked for works under *Swacchta* Action Plan such as renovation of toilets and canteen area, procurement of cleaning devices and other equipments.

13.4 IMPLEMENTATION OF E-OFFICE:

In keeping with the policies of the Government for moving towards paperless office, this Department has taken the initiative to operationalise eOffice. Special steps have been taken with the help of NIC to impart training to all officers/officials on e-office for smooth implementation and optimal utilization of e-office system. As a result, Department of Justice is one of the top performing Ministries/Departments of Government of India who have moved into complete e-office platform.

14. OFFICIAL LANGUAGE SECTION:

Official Language Section was set up in February 2016 in the Department of Justice. It assists the Department in discharging the responsibilities of implementation of Official Language policy of Union of India, the Official Languages of Act, 1963, the Official Language Rules, 1976 and the compliance of directions/instructions issued the by Department of Official Languages from time to time. This section is also entrusted with work of promoting the progressive use of Hindi in the Department in addition to the translation of various documents from English to Hindi and vice versa.

14.1 Collection and Review of Quarterly Progress Reports for Progressive use of Hindi:

To review the progress made in the use of Hindi, Quarterly Progress Reports for progressive use of Hindi were collected regularly from various sections of the Department. They were reviewed and shortcomings found in the reports were intimated to the sections concerned and certain remedial measures were suggested. On the basis on these reports and the data submitted by the Sections, consolidated reports were prepared and sent to Department of Official Language. These reports were also reviewed in the Official Language Implementation Committee meetings of the Department.

14.2 Meetings of the Official Language Implementation Committee:

In the year 2018-19, the meetings of Departmental Official Language Implementation Committee (OLIC) were held in every quarter to review the implementation of progressive use of Hindi in the Department. Minutes of the meeting were circulated among all the members as well as officers and sections of the Department. This committee reviews the progress of Hindi in the Department and takes decisions thereon. In the meetings of this Committee, Annual Program issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, for transacting the official work of the Union Government in Hindi, is also discussed. In the year under reference, all four meetings of this Committee were held regularly on 29-06-2018 (First), 14-09-2018 (Second), 28-12-2018 (Third) and 28-03-2019 (Fourth) respectively.

14.3 Incentive Schemes for doing work in Hindi:

There are two schemes being implemented in the Department for promoting the use of Hindi. One is the schemes of noting and drafting in Hindi and the second is the scheme for giving dictation in Hindi. Under the scheme of Noting and Drafting, certificates and cash awards were given to 05 officers and employees of the Department by the Secretary (Justice) on Hindi Diwas organized in the Department on 14th September, 2018.

14.4 Organizing of Hindi Workshops:

With an object of promoting the progressive use of Hindi as an Official Language and create awareness about the Official Language Act, 1963, Rules & Regulations and usage of Hindi in Official Language and to guide and encourage the staff to work in Hindi, Hindi workshops were organized in the Department on 14-05-2018 to 29-05-2018 (First), 21-08-2018 to 27-08-2018 (Second), 05-9-2018 (Third) and 25-02-2019 to 08-03-2019 (Fourth) respectively. These workshops have helped in improving the percentage of Hindi Noting and Hindi correspondence of the Department.

14.5 Translation of various Documents of the Department in Hindi:

During the period under review, Annual Report, E-Book, Outcome Budget, Memorandum of Procedures of the appointment of Judges of Supreme Court and High Courts, appointment/transfer/promotion/leave etc letters pertaining to various Judges of various Courts, VIP reference, Cabinet Notes, Implementation Reports of the Assurances given in the Parliament Questions, various Documents pertaining to Parliamentary Standing Committee, Parliamentary Advisory Committee of the Department, Demands for Grants, NALSA, UNDP, Tele Law, PLVs and other documents of general nature which include Notifications, D.O. letters to be sent by the Hon'ble Minister, letters to be issued under the RTI Act, 2005, general orders of daily routine etc. were translated in Hindi.

14.6 Hindi *Diwas* and Hindi Fortnight:

In order to promote and encourage the implementation of Official Language in the Department, Hindi **Divas** was organized on 14th September, 2018. On the occasion Hindi Divas message of Hon'ble Minister of Home Affairs and the Cabinet Secretary was read out in the presence of Hon'ble Secretary (Justice). In his address, the Secretary (Justice) urged the officers and officials of the Department to do their maximum work in Hindi. In addition to this, Hindi fortnight was organized in the Department from 1st September, 2018 to 14th September, 2018. During observance of Hindi Fortnight, four written competitions i.e. Hindi Essay, Hindi Translation, Hindi Typing and Hindi Dictation as well as two oral competitions i.e. poem recitation and extempore speech were organized. Total 87 officers/officials participated in these competitions. Four cash prizes (First: Rs.3000/-, Second: Rs.2000/-, Third: Rs.1500/- and Fourth: Rs.500/-) along with certificates were given away to the winners of each competition. The Secretary (Justice) gave away cash prizes and certificates to winner participants.

14.7 Purchase of Hindi Books:

During the year under reference, a list of books written by renowned Hindi Writers and Prominent personalities was approved by competent authority and books for an amunt of Rs.5200/- were purchased.

15. NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY:

Article 39A of the Constitution of India provides for free legal aid to the poor and weaker sections of the society and ensures justice for all. Articles 14 and 22(1) of the Constitution also make it obligatory for the State to ensure equality before law and a legal system which promotes justice on the basis of equal opportunity to all. In the year 1987, the Legal Services Authorities Act was enacted by the Parliament which came into force on 9th November, 1995 to establish a nationwide uniform network for providing free and competent

legal services to the weaker sections of the society on the basis of equal opportunity. The National Legal Services Authority (NALSA) has been constituted under the Legal Services Authorities Act, 1987 to monitor and evaluate implementation of legal aid programmes and to lay down policies and principles for making legal services available under the Act.

In every State, a State Legal Services Authority and in every High Court, a High Court Legal Services Committee has been constituted. District Legal Services Authorities, Taluk Legal Services Committees have been constituted in the Districts and most of the Taluks to give effect to the policies and directions of the NALSA and to provide free legal services to the people and conduct Lok Adalats in the State. Supreme Court Legal Services Committee has been constituted to administer and implement the legal services programme insofar as it relates to the Supreme Court of India.

15.1 Functioning of NALSA

NALSA lays down policies, principles, guidelines and frames effective and economical schemes for the State Legal Services Authorities to implement the Legal Services Programmes throughout the country. Primarily, the State Legal Services Authorities, District Legal Services Authorities, Taluk Legal Services Committees, etc. have been asked to discharge the following main functions on regular basis:

- To Provide Free and Competent Legal Services to the eligible persons covered under Section 12 of the Legal Services Authorities Act, 1987;
- To organize Lok Adalats for amicable settlement of disputes; and
- To organize legal awareness camps in the rural areas.

I Free Legal Services

The Free Legal Services include:-

a) Payment of court fee, process fees and all other charges payable or incurred in connection with any legal proceedings;

b) Providing service of lawyers in legal proceedings;

c) Obtaining and supply of certified copies of orders and other documents in legal proceedings; and

d) Preparation of appeal, paper book including printing and translation of documents in legal proceedings.

During the period from April, 2018 to March, 2019 more than 14.72 lacs eligible persons have been benefited through legal aid services in the country.

II Lok Adalats

In order to facilitate alternative method of dispute resolution, NALSA conducts Lok Adalats. It is a forum where the disputes/cases pending in the court of law or at pre-litigation stage are settled/compromised amicably. Lok Adalats have been given statutory status under the Legal Services Authorities Act, 1987. Under the said Act, the award (decision) made by the Lok Adalat is deemed to be a decree of a civil court and is final and binding on all parties and no appeal lies against such an award lies before any court of law.

There are three types of Lok Adalats namely Regular Lok Adalats, National Lok Adalats and Permanent Lok Adalats.

1) Regular Lok Adalats are organized by the Legal Services Authorities/Committees as per the convenience/discretion of the State/District authorities, for settlement of both pre-litigation and post-litigation cases.

2) National Lok Adalats are conducted quarterly for settlement of cases (both pre-litigation and post-litigation) in all the courts from the Supreme Court of India to the Taluk Courts on a single day.

3) Permanent Lok Adalats are permanent establishments set up in most of the Districts to provide compulsory pre-litigative mechanism for settlement of disputes related to Public Utility Services.

Details of Lok Adalats organized and number of cases disposed of in these Lok Adalats during 2015-16, 2016-17, 2017-18 and 2018-19 are as under:

(in lakh)

S.No.	Year	Lok Adalat		National Lok Adalat
		No. of Lok Adalats organized	Total number of cases settled	Total number of cases settled
1	2015-16	1.68	152.99	196.78
2	2016-17	1.19	17.24	96.92
3	2017-18	1.09	19.28	57.31
4	2018-19	1.16	10.46	58.95
	Total	5.12	199.97	409.96

Note: The number of cases settled includes both pre-litigation and pending cases.

In addition, 26615 sittings of Permanent Lok Adalats were held during 2018-19 and 102625 cases were settled and total value of settlement comes to Rs.387.05 crore.

III Legal Awareness Programmes:

As a part of the preventive and strategic legal aid, NALSA through the State Legal Services Authorities, conduct legal literacy programmes. In some States, Legal Literacy Programmes are conducted every year in schools and colleges and also for empowerment of women in a routine manner, besides the Legal Literacy Clubs in schools and colleges.

IV 16th All India Meet Of State Legal Services Authorities (SLSA)

The 16th All India Meet of the State Legal Services Authorities was held at Guwahati, Assam, on the 17th and 18th day of March, 2018, which was inaugurated by Hon’ble Mr. Justice Ranjan Gogoi, Judge, Supreme Court of India & Executive Chairman, in the august presence of Sri Sarbananda Sonowal, Hon’ble Chief Minister of Assam, Hon’ble Justice Ajit Singh, Chief Justice, Gauhati High Court, & Patron-in-Chief, ASLSA and Hon’ble Mr. Justice Hrishikesh Roy, Judge, Gauhati High Court & Executive Chairman, ASLSA.

The inaugural speech was delivered by Hon'ble Mr. Justice Ranjan Gogoi wherein he emphasized about the need to embrace new age technology for providing efficient and effective legal services to the marginalized sections of people along with the new initiatives taken by NALSA which has resulted in moving the legal aid challenge from awareness to empowerment.

V Digitization of Legal Services Clinics

In the furtherance of the Digital India Movement and to render effectual legal services, around 659 legal services clinics in jails across the country were digitized. Moving forward, this digitization shall provide information with regard to next date of hearing, status of bail applications, trials, appeals, petitions of the prisoners in an expeditious manner.

VI Round Table Consultation with Legal Services Authorities based on the Recommendations of CHRI – 26th& 27th July, 2018 at New Delhi.

Amid rapid expansion of Legal Services activities, there was a need to consolidate and strengthen the existing legal service activities, especially court based legal aid by intensifying focus on organizational practices, qualitative aspects and constant evaluation and monitoring of legal services activities. With this vision, a Round Table Consultation with the Member Secretaries of all the State Legal Services Authorities was organized by NALSA in the framework of its programmatic activities on Access to Justice which was held on 26th and 27th July, 2018.

VII Internship programs

NALSA also organized internship programs for law students from law schools across the country. The law students witnessed an opportunity to get hands on experience by making field trips to jails, observation homes, mental hospitals, district courts, mediation centers' etc.

VIII Training Programmes

For capacity building of panel lawyers, NALSA has prepared three Training Modules. Training Module Part 3 was released in the year 2018. The Legal Services Institutions conducted 1,086 Training programmes for the Panel Lawyers during this year. Similarly for the training of the PLVs, 1,432 training programmes were conducted.

IX Commendation Ceremony of Best PLVs, Panel Lawyers, DLSAs & SLSAs held on 15.12.2018 at New Delhi

NALSA organised 'Commendation Ceremony' at Vigyan Bhawan, Delhi on December 15, 2018. The event was aimed at felicitating the best SLSA, DLSA, Panel Lawyer and Para Legal Volunteer (PLV) in the country. Mr. Ravi Shankar Prasad, Union Minister of Law & Justice and Electronics and Information Technology presided over as the Chief Guest for the programme. Awards were presented to the best PLV, Panel Lawyer, SLSA and DLSA of different states in both zonal as well as, in the National Level.

ANNEXURE I

[See Chapter-I, Para 2]

ORGANISATION CHART OF THE DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIR

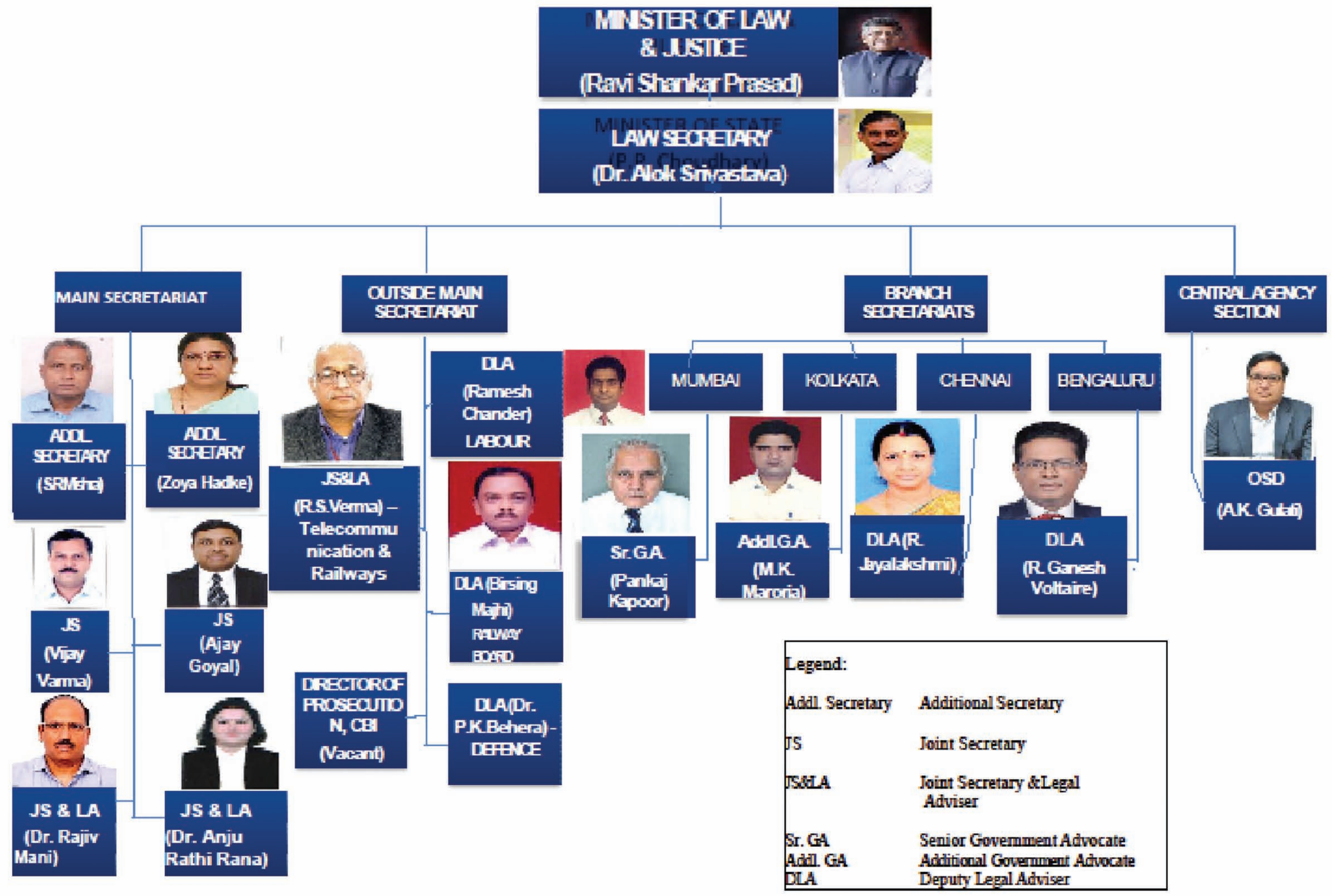

ANNEXURE II

[See Chapter-I, Para 10 (8)]

Details of officers/officials Trained Under Hindi Teaching Scheme as on 31-03-2019

	1	**2**	**3**
	Total No. of Officers and Operating Staff	**No. of Staff knowing Hindi/Hindi Trained**	**No. of persons yet to be trained in Hindi**
Legal Affairs	**472**	**388**	**84**
	4	5	6
Legal Affairs	**Total No. of Typists (Court Clerks / LDCs)**	**No. of persons trained in Hindi Typewriting**	**No. of persons yet to be trained in Hindi Typewriting**
	76	9	67
	7	8	9
Legal Affairs	**Total No. of Stenographers**	**No. of persons trained in Hindi**	**No. of Persons yet to be trained in Hindi Stenography**
	86	22	64

ANNEXURE III

[See Chapter-I, Para 10(8)]

Details of the progressive use of Hindi including Hindi Teaching Scheme during the period from 1st January, 2018 to 31st March, 2019

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	No. of documents issued both in Hindi & English	No. of documents issued in Hindi	No. of documents issued in English	Letters received in Hindi	Letters replied to in English	Letters replied to in Hindi	Total No of originating letters	Letters sent to in Hindi	Letters sent to in English
Legal Affairs	3625	0	0	6123	No letter was replied to in English	5054	26426	16770	9656

	10	11	12	13		14		15		16	
	Total No. of Computers	No. of Devnagari/ bilingual Computers	No. of English Computers	Total No. of Staff		No. of staff proficient in Hindi		Rubber Stamps		Name Plates	
				Gazetted	Non gazetted	Gazetted	Non gazatted	Bilingual	In English	Bilingul	In English
Legal Affairs	247	247	-	168	304	72	81	450	—	70	—

ANNEXURE IV

[See Chapter I, Para 18]

Reports given by the 21st Law Commission to the Government of India

Sl. No.	**Report No. and Title of the Report**	**Details of Reference received from Central Government/ Supreme Court/High Court**	**Date of Submission**
1.	**Report No. 263:** The Protection of Children (Inter-Country Removal and Retention) Bill, 2016	High Court of Punjab & Haryana in CR.No. 6449/2006 *Seema Kapoor and another* v. *Deepak Kapoor and ors.* (Order dt. 24.02.2016)	17.10.2016
2.	**Report No.264:** The Criminal Law (Amendment) Bill, 2017 (Provisions dealing with Food Adulteration)	Supreme Court, Civil Original Jurisdiction, WP No.159 of 2012. *Swami Achyutanand Tirth & Ors.* v. *UOI & Ors.*	17.01.2017
3.	**Report No. 265:** Prospects of Exempting Income arising out of Maintenance Money of Minor.	Order Dt. 27.10.2016 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana in FAO-M-183 of 2012 *Payal Mehta* v. *Sanjay Sarin*	20.03.2017
4.	**Report No.266**The Advocates Act, 1961 (Regulation of Legal Profession)	Supreme Court, Cr. Appeal No.63/2006 *Mahipal Singh Rana* v. *State of U.P.*	23.03.2017
5.	**Report No.267:** Hate Speech	Supreme Court Judgment in WP (C) 157/2013.*Pravasi Bhalai Sangathan* v.*UOI & Ors.*	23.03.2017
6.	**Report No.268 :** Amendments to Criminal Procedure Code, 1973– Provisions Relating to Bail	Ministry of Law & Justice, D/o Legal Affairs, New Delhi.	23.05.2017
7.	**Report No. 269:** Transportation and House-keeping of Egg-laying hens (layers) and Broiler Chickens.	Ministry of Law & Justice, D/o Legal Affairs, New Delhi. (Letter dated 02.3.2017)	03.07.2017
8.	**Report No. 270:** Compulsory Registration of Marriages	Ministry of Law & Justice, D/o Legal Affairs, New Delhi. (Letter dated 16.2.2017)	04.07.2017
9.	**Report No.271:** Human DNA Profiling – A draft Bill for the Use and Regulation of DNA-Based Technology	Ministry of Science and Technology, D/o Biotechnology, New Delhi (on reference from PMO)	26.07.2017

10.	Examination of National Litigation Policy, 2016	(i) Dept. of Legal Affairs (ii) PMO	05.06.2017
11.	**Report No. 272:** Assessment of Statutory Frameworks of Tribunals in India	Supreme Court, Civil Appeal No.3455/2010 *Gujarat Urja Vikas Nigam Ltd.* v. *Essar Power Ltd.*	27.10. 2017
12.	**Report No. 273:** Implementation of 'United Nations Convention against Torture and other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment' through Legislation	Ministry of Law & Justice, D/o Legal Affairs, New Delhi.	30.10.2017
13.	**Report No. 274:** Review of Contempt of Courts Act,1971(Limited to section 2 of the Act)	Ministry of Law & Justice, D/o Justice, New Delhi.	17.4.2018
14.	**Report No. 275:** Legal Framework: BCCI vis-à-vis Right To Information Act, 2005	Supreme Court Judgment in Board of Control for Cricket v. Cricket Association of Bihar & Ors., (2015) 3 SCC 251.	18.04.1018
15.	**Report No. 276:** Legal Framework: Gambling And Sports Betting Including In Cricket In India	Supreme Court Judgment in Board of Control forCricket in India v. Cricket Association of Bihar & Ors. (2016) 8 SCC 535	05.07.2018
16.	**Report No. 277:** Wrongful Prosecution (Miscarriage of Justice): Legal Remedies	Delhi High Court (Babloo Chauhan @ Dabloo v. State Government of NCT of Delhi,247 (2018) DLT 31)	30.08.2018

ANNEXURE V

[See Chapter I, Para 23]

Total number of Employees of I.T.A.T. including SCs, STs, OBCs, ExS, PH upto 31.03.2019.

GROUP A	No of employees	GEN	SC	ST	OBC	Ex-serv	PH
President	1	1	-	-	-	-	-
Vice President	8	6	-	-	2	-	-
Accountant Member	41	20	5	2	13	-	1 (O.H.)
Judicial Member	39	23	7	1	8	-	-
Registrar	1	1	-	-	-	-	-
Deputy Registrar	3	2	-	-	1	-	-
Assistant Registrar	12	5	3	1	3	-	-
Hindi Officer	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**105**	**58**	**15**	**4**	**27**	**0**	**1**

GROUP B	No of employees	GEN	SC	ST	OBC	Ex-serv				PH			
						SC	ST	OBC	GEN	SC	ST	OBC	GEN
Senior P.S.	89	51	13	1	24	-	-	-	-	-	-	-	-
Private Secretary	23	8	5	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Supdt	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Office Suptd.	65	45	9	2	8	-	-	-	-	-	1	-	-
Hindi Translator	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Senior Accountant	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Librarian	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**181**	**108**	**27**	**4**	**41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**

GROUP C	No of employees	GEN	SC	ST	OBC	Ex-serv				PH			
						SC	ST	OBC	GEN	SC	ST	OBC	GEN
Upper Division Clerk	75	33	9	5	24	-	-	2	-	-	-	-	2
Steno Grade 'D'	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lower Division Clerk	115	57	25	8	22	-	-	1	-	-	-	2	-
Staff Car Driver	30	3	9	1	4	1	1	7	4	-	-	-	-
TOTAL	**221**	**94**	**43**	**14**	**50**	**1**	**1**	**10**	**4**	**0**	**0**	**2**	**2**

	No of employees	GEN	SC	ST	OBC	Ex-serv				PH			
						SC	ST	OBC	GEN	SC	ST	OBC	GEN
Multi Tasking Staff	198	90	44	16	48	0	1	8	11	1	0	3	3
TOTAL	198	90	44	16	48	0	1	8	11	1	0	3	3

ANNEXURE VI

[See Chapter I, Para 25]

STATEMENT SHOWING THE TOTAL NUMBER OF GOVERNMENT SERVANTS AND THE NUMBER OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES, OTHER BACKWARD CLASSES, EX-SERVICEMENT AND PHYSICALLY HANDICAPPED AMONGST THEM AS ON THE 31st March, 2019.

DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

Group employees	Total No. of Employees	Scheduled Castes	% of total employees	Scheduled Tribes	% of total employees	Other Back-ward Classes	% of total employees	Ex-service-men	% of total employees	Physically Handicapped	% of total
Group 'A'	122	26	21.31	6	4.91	15	12.29	-	-	3	2.45
Group'B'	192	32	16.66	7	3.64	21	10.93	3	1.56	6	3.12
Group 'C' (excluding safaiwala)	284	75	26.4	15	5.28	34	11.97	-	-	3	1.05
Group 'C' (safaiwala)	7	7	100	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	605	140	23.14	28	4.62	70	11.57	3	0.49	12	1.98

* The above statement includes information in respect of posts existing in Legislative Department, Law Commission and Central Agency Section also pertaining to cadres being controlled by this Department.

* The above statement does not include information about posts in Income Tax Appellate Tribunal (ITAT).

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF RESERVED VACANCIES FILLED BY MEMBERS OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES DURING THE YEAR 2018-19

Department of Legal Affairs

Scheduled Castes

Group of post	Total no. of vacancies	Total no. of vacancies	Total no. of vacancies reserved	Total no. of vacancies reserved	No. of SC candidates appointed	Short-fall	No. of ST candidates appointed against vacancies reserved for SCs in the third year of carry forward	No. of SC vacancies carried forward to next year	No. of reservations lapsed after carrying forward for 3 years	No. of reservations lapsed from 1980 till the end of the year previous to the year of review	Progressive total of reservation lapsed (col. 10+11)
	Notified	Filled	Out of col.2	Out of col.3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Other than Lowest rung – Group 'A' and Lowest rung of Group 'A'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Group'B'	—	5	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Group'C' (excluding Safaiwala)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Group'C' (Safaiwala)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Scheduled Tribes

Group of post	Total no. of vacancies reserved Out of col.2	Total no. of vacancies reserved Out of col.3	No. of ST candidates appointed	Short-fall	No. of SC candidates appointed against vacancies reserved for STs in the third year of carry forward	No. of ST vacancies carried forward to next year	No. of reservations lapsed after carrying forward for 3 years	No. of reservations lapsed from 1980 till the end of the year previous to the year of review	Progressive total of reservation lapsed (col. 19+20)
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Other than Lowest rung – Group 'A' and Lowest rung of Group 'A'	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Group 'B'	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Group 'C' (excluding Safaiwala)	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Group 'C' (Safaiwala)	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* **Vacancies in r/o various posts belonging to cadres of CSS and CSSS are calculated by DoP&T. Only the vacancies belonging to Group 'C' Posts of CSCS cadre are calculated by this Department which are yet to be notified.**

Part II. – Posts filled by Promotion (on seniority-cum-fitness)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Group 'A'(i) Other than Lowest rung (ii) Lowest rung of Group 'A'	—	37	—	—	8	—	—	—	—	—	—
Group 'B'	-	34	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Group 'C' (excluding Safaiwala)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Group 'C' (Safaiwala)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	13	14	15	16	17	18	19	20	21
'A'	—	—	—	—	—	—	—	—	—
'B'	—	—	—	—	—	—	—	—	—
'C' (excluding Safaiwala)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
'C' (Safaiwala)	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Part III – Posts filled by Promotion (by selection)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Group 'A'(i) Other than Lowest rung (ii) Lowest rung of Group 'A'	-	-	—	—	-	—	—	—	—	—	—
Group 'B'	-	-	-	-	-	—	—	—	—	—	—
Group 'C' (excluding] Safaiwala)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Group 'C' (Safaiwala)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Lowest rung of 'A'	—	—	—	—	—	—	—	—	—
'B'	—	—	—	—	—	—	—	—	—
'C' (excluding Safaiwala)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
'C' (Safaiwala)	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ANNEXURE VII

[See Chapter I, Para 25]

REPRESENTATION OF FEMALE EMPLOYEES

GROUPS	DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS (Including Legislative Department)		INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL (ITAT)	
	TOTAL NO. OF EMPLOYEES	NO. OF FEMALE EMPLOYEES	TOTAL NO. OF EMPLOYEES	NO. OF FEMALE EMPLOYEES
GROUP A	122	29	105	10
GROUP B	192	61	181	59
GROUP C (Excluding Safaiwala)	284	16	221	56
GROUP C (Safaiwala)	7	2	198	10
TOTAL	605	108	705	135

ANNEXURE VIII

[See Chapter I, Para 26]

ANNEXURE IX

[See Chapter I, Para 27]

ANNEXURE-X

(See Chapter- II, Para 2)

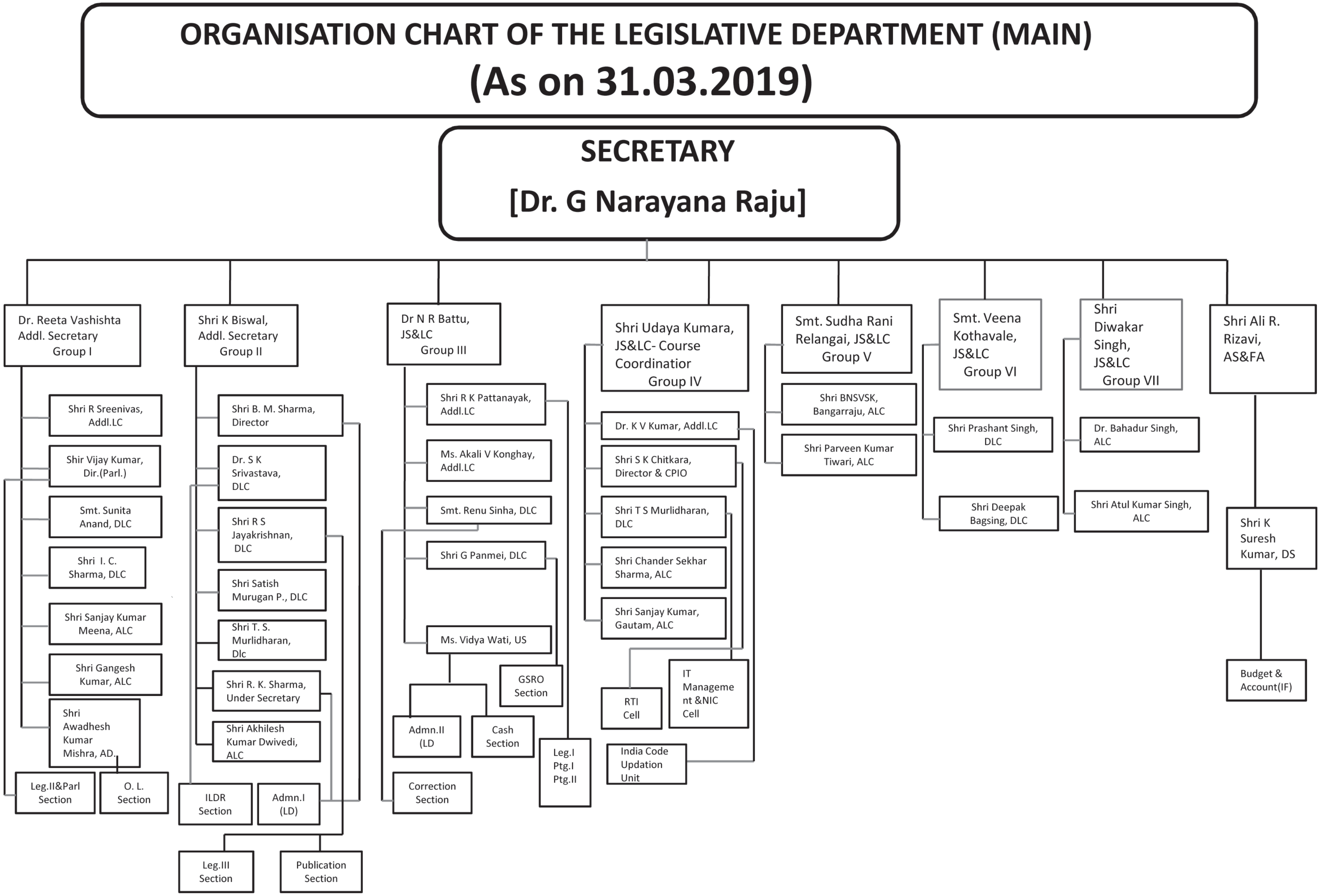

ANNEXURE-XI

(See Chapter- II, Para 47)

STATEMENT SHOWING THE TOTAL NUMBER OF GOVERNMENT SERVANTS AND THE NUMBER OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES, OTHER BACKWARD CLASSES, EX-SERVICEMEN AND PHYSICALLY HANDICAPPED AMONGST THEM AS ON 31st March, 2019 .

Group	No. of Employees	SC	%	ST	%	OBC	%	Ex-Service-men	%	Physically Handicapped	%
A	81	9	11.11	6	7.41	19	23.45	-	-	2	2.47
B	102	20	19.61	2	1.96	17	16.67	-	-	3	2.94
C	120	34	28.33	9	7.5	16	13.33	-	-	-	-
Total	**303**	**63**	**20.79**	**17**	**5.61**	**52**	**17.16**	**-**	**-**	**5**	**1.65**

Annexure-XII

(See Chapter- II, Para 47)

REPRESENTATION OF FEMALE EMPLOYEES IN THE LEGISLATIVE DEPARTMENT AS ON 31-03-2019

GROUP	Total No. of Employees	No. of Female Employees	Percentage(%)
Group 'A'	81	18	22.22
Group 'B'	102	36	35.29
Group 'C'	120	16	13.33
Total	**303**	**70**	**23.10**

ANNEXURE – XIII

(See Chapter-2, Para 48)

स्वच्छता ही सेवा

ANNEXURE – XIV

(See Chapter III, Para 1)

ORGANISATIONAL CHART OF DEPARTMENT OF JUSTICE

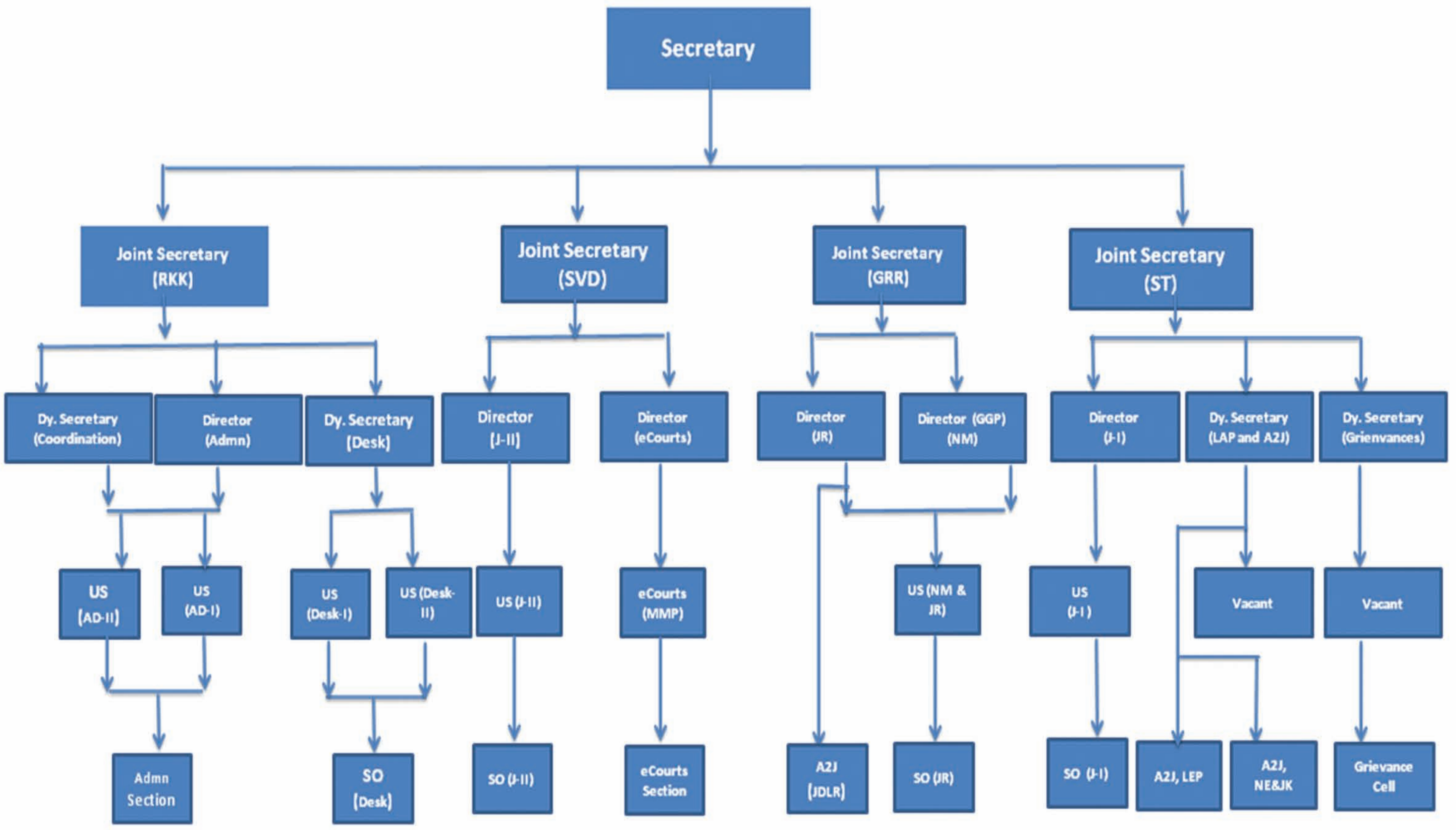

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

विधि और न्याय मंत्रालय

Ministry of Law and Justice

Printed at : Indu Cards & Graphics, Chawri Bazar, Delhi-06 M. 9811419531